राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का दसवां दिवस [संख्या 10

बुधवार,

दिनांक 18 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत, राजस्व, राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक निर्माण, गृह, खनिज, जनस्वास्थ्य, उद्योग, समाज कल्याण, स्वायत्त शासन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री चुन्नीलाल ।

ग्राम सिवाड़ में बिजली की व्यवस्था

160. **श्री चुन्नीलाल जैलिया** (खण्डार सु०) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्रामों में विद्युतिकरण आबादी के आधार पर किया जाता है ?

(2) ग्राम सिवाड़ तहसील सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर की आबादी कितनी है और इसमें आज तक विद्युतिकरण न होने के क्या कारण है ?

(3) क्या पंचायत समिति और जिला परिषद ने राज्य सरकार को इस बारे में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री विद्युत (श्री खेतसिंह) :

(1) जी नहीं ।

(2) सन 1961 की जनगणनानुसार ग्राम सिवाड़ की जनसंख्या 3861 है। स्वीकृत योजना में शामिल नहीं होने के कारण ।

(3) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री चुन्नीलाल जैलिया : अध्यक्ष महोदय, पहले कई दफा आप लोगों की तरफ से सुझाव आया था कि पंचायत समिति और जिला परिषद की तरफ से जिन गांवों के बारे में सुझाव विद्युत मंडल को आयेंगे, उनको प्राथमिकता दी जायेगी। तो क्या ग्राम सिवाड़ के लिये पंचायत समिति का सुझाव विद्युत मंडल को नहीं भेजा गया ?

श्री खेतसिंह : मेरी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत ने इस प्रकार का पत्र भेजा था लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद कुछ लिख भी दें तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। जैसा कि विद्युत मंत्री जी ने कहा था, डिस्ट्रिक्ट प्रॉडक्शन कमेटी, कृषि

(श्री खेतसिंह)

उत्पादन कमेटी, जिसका कि कलेक्टर चेयरमैन होता है, उसकी रिकमेन्डेशन को मान्यता दी जाती है। उनसे रिकमन्डेशन करा दीजिये।

श्री चुन्नीलाल जंलिया : इस कमेटी के सदस्य कौन कौन होते हैं ?

श्री खेतसिंह : चेयरमेन तो जिलाधीश होता है, और सदस्य उस जिले के एम० एल० एज० होते हैं और उनके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऐनीमल हस्बेन्डरी ऑफिसर, विद्युत विभाग के अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी भी होते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या इस तरह की कमेटी बीकानेर जिले में है ?

श्री खेतसिंह : हर जिले में है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री चुन्नीलाल जंलिया : क्या खेती के उत्पादन की दृष्टि से राज्य सरकार ऐसे कसबों को भी बिजली देने को तैयार है जहां पर तीन चार हजार की आबादी है और चार पांच सौ कुएं हैं ?

श्री खेतसिंह : यह तो वहां की योजना बनने के बाद देखेंगे कि योजना ठीक है या नहीं ? योजना लाभप्रद होनी चाहिये। अगर सिवाड़ गांव की योजना लाभप्रद होगी तो विचार किया जायेगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या इस प्रकार के कोई आदेश हैं कि इस प्रकार की कमेटी साल भर के अन्दर इतनी बार मीटिंग बुलायेगी ?

श्री खेतसिंह : यह तो जिलाधीश बुलाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न इस बात का है कि जिलाधीश एक भी मीटिंग नहीं बुलाते। अगर मीटिंग ही नहीं बुलाई जाये तो रिकमेन्डेशन कहां से हो सकती है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं एक जानकारी चाहता हूं। आपने बताया कि जिले के एम० एल० एज० इस कमेटी के मेम्बर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में आज तक किसी भी एम० एल० ए० को तीन साल के अन्दर किसी भी ऐसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : किसी जिले में कोई जिला कमेटी नहीं है। मैं आठ साल से देख रहा हूं कभी कोई मीटिंग नहीं बुलाता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पाली जिले में भी यही हालत है।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : भीलवाड़ा में भी यही हालत है।

श्री खेतसिंह : जिला प्रोडक्शन कमेटी हमारे यहां तो है। जोधपुर, बांसवाड़ा जिलों में है। अगर कहीं नहीं है तो एम० एल० एज० का फर्ज है कि कलेक्टर साहब को कांटेक्ट करें। गवर्नमेंट के आदेश उनके पास है।

श्री अध्यक्ष : इस जिला प्रोडक्शन कमेटी के क्या सभी एम० एल० एज० मेम्बर होते हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभी एम० एल० एज० मेम्बर्स नहीं होते हैं। जिला परिषद की तरफ से चुना हुआ एक एम० एल० ए० इस प्रोडक्शन कमेटी का मेम्बर होता है ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : इन दोनों में से मंत्री कौन है ?

श्री दौलतराम सारण : चीफ व्हिप जो कह रहे हैं, वह सही है या जो माननीय उप-मंत्रीजी ने बताया वह सही है ?

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ लेता हूं कि क्या सही है।

श्री बरकतुल्ला खां : यह जो कमेटी होती है, उसमें जिला परिषद की तरफ से शायद एक एम० एल० ए० रखा जाता है, जिला परिषद की तरफ से ही यह कमेटी बनाई जाती है और उसके अन्दर कलेक्टर होता है, और ऑफिसर्स होते हैं, और सारी कमेटी बैठती है। अगर कहीं पर ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो मैं कलेक्टर्स को आदेश दे रहा हूं कि इनकी मीटिंग्स ठीक तरह से हुआ करें।

श्री अध्यक्ष : एम० एल० ए० को कौन निर्वाचित करता है ।

श्री बरकतुल्ला खां : शायद जिला-परिषद।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : तीन साल में कभी भी यह मीटिंग नहीं बुलाई गई।

श्री अध्यक्ष : उसके लिये कह दिया कि जांच करा लगे ।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : एक प्रश्न मेरा भी है। जिला परिषद की सिफारिश को इस छोटे से काम के लिये मान्यता नहीं दी जाये, इसका क्या कारण है ? जिला परिषद को तो इगनोर करते हैं और प्रोडक्शन कमेटी को मान्यता देते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : ऑफिसर्स की ज्यादा सुनते हैं।

श्री बरकततुल्ला खां : ऐसी बात नहीं है। कमेटी को इसलिये छोटा बनाया गया कि एक्सपर्ट ओपीनियन मिल सके।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : तो फिर मंत्रिमंडल को भी क्यों नहीं छोटा किया जा रहा है ?

श्री बरकततुल्ला खां : अगर माननीय सदस्य की यह राय है तो इस पर भी विचार किया जा सकता है कि सारे जिले के एम० एल० एज० को इसमें लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नथमल चोहला।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आपकी जो प्राड्क्शन कमेटी है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज दूसरा प्रश्न लिया गया है। राजस्व मंत्री।

ग्राम बोदलासी की खसरा गिरदावरी

161. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़ सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम बोदलासी की

Page No 4

(श्री नथमल चोहला)

खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 14 तक की बनाई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बोदलासी की खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 14 तक की गायब है ? और वहां के काश्तकारों को नकल गिरदावरी नहीं मिल रही है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां 6 हजार बीघा कृषि योग्य भूमि की खसरा गिरदावरी गायब होने से सैंकड़ों काश्तकार परेशान हैं ?

(4) क्या यह सही है कि खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से संवत 2014 तक की नकल लेने के लिये बहुत से काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र तहसील लक्ष्मणगढ़ में दो वर्ष पूर्व से पेंडिंग हैं ?

(5) उपरोक्त ग्राम के काश्तकारों को नकल गिरदावरी कितने दिन में दिलवा दी जायेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, खसरा गिरदावरी की गई थी।

(2) ग्राम बोदलासी की खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 तक की तहसील में उपलब्ध नहीं हो रही है। इस कारण काश्तकारों को नकल गिरदावरी इन वर्षों की नहीं मिल रही है।

(3) ग्राम बोदलासी का कुल रकबा 2440 बीघा 10 बिसवा है जिसमें कृषि योग्य भूमि 2219 बीघा है।

(4) दो वर्ष के दो प्रार्थना-पत्र नकल देने हेतु पेंडिंग हैं।

(5) खसरा गिरदावरी उपलब्ध होते ही नकलें शीघ्र दे दी जायेंगी।

श्री नथमल चोहला : खसरा गिरदावरी उपलब्ध नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी : रजिस्टर खो गया है।

श्री नथमल चोहला : दो साल से काश्तकार को नकल नहीं मिले, यह तो बड़ी अव्यवस्था है।

श्री गंगाराम चौधरी : उसको ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : और अगर प्रयत्न असफल हुए तो ?

श्री गंगाराम चौधरी : यों तो रेकार्ड ऑफ राइटस है, दूसरे सारे सबूत मौजूद है, जमाबंदी है, म्यूटेशन रजिस्टर्स हैं, उनसे नकल लेकर सम्बंधित खसरा गिरदावरी रेकार्ड तैयार किया जा सकता है।

श्री नथमल चोहला : खसरा गिरदावरी तो बहुत जरूरी है। दो साल में नकल नहीं मिले और एप्लीकेशन्स दो साल से पेंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बताया कि प्रयत्न कर रहे हैं ?

नैक्स्ट, श्री लाभचन्द।

ग्राम लोसल में बिजली की व्यवस्था

162. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि सीकर जिला स्थित ग्राम लोसल में बिजली की लाइन

(श्री लाभचन्द वेद)

गई हुई है ? अगर हां, तो वहां कृषि निमित्त व घरों में बिजली क्यों नहीं दी जाती ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि दो वर्ष पूर्व वहां पर उन्चास खम्भे व कुछ खम्भों पर तार भी खींचे गये थे ? यदि हां, तो फिर कार्य बंद क्यों कर दिया गया ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेत सिंह) : (1) जी हां । 33 के० वी० की डवल सर्किट लाइन सीकर से लोसल होती हुई डीडवाना गई है जो इस ही साल 1969-70 में पूरी होने के पश्चात् दिनांक 30 नवम्बर, 1969 को सीकर के 132 के० वी० ग्रिड सब-स्टेशन से चालू कर दी गई। अभी लोसल में 33 के०वी० का सब-स्टेशन नहीं बना है। इस कारण कृषि के लिए व घरेलू काम हेतु बिजली उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

(2) जी हां । लोसल ग्राम को पहले डीजल स्टेशन स्थापित करके बिजली देने की योजना सन् 1965-66 के प्रोग्राम में थी, परन्तु उस समय डीजल सेट्स की कमी होने के कारण एवं बाद में सीकर लोसल डीडवाना 33 के० वी० की लाइन विचाराधीन होने के कारण, उस समय काम बंद करना पड़ा ।

श्री लाभचन्द वेद : क्या यह सही है कि आपने जो यह योजना बनाई थी, वह चुनाव को मद्दनजर रखते हुए बनाई थी, लोगों को प्रलोभन देने के लिए बनाई थी ?

श्री खेतसिंह : चुनाव को मद्दे नजर रखते हुए नहीं बनाई थी । उस समय डीजल सैट की कमी इसलिए आ गई थी क्योंकि जगह जगह पर ब्रेक डाउन हो गया था और गांधी सागर में पानी की कमी होने की वजह से पावर में कमी आ गई थी ।

श्री लाभचन्द वेद : नहीं नहीं । इतने साल तक उसका कुछ काम नहीं हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि चुनाव में कांग्रेस हार गई इसलिए हाथ पर हाथ रख कर बैठ गये ।

श्री अध्यक्ष : इससे इन्कार कर दिया ।

श्री खेतसिंह : मैंने कारण बताया है। आप यह गलत फर्मा रहे हैं । मैंने बताया है कि 33 के०वी० की लाइन डाल रहे हैं । उसका काम पूर्ण होने के बाद कर दिया जायगा ।

श्री लाभचन्द वेद : अब कब तक कर दिया जायगा ?

श्री खेतसिंह : इस वर्ष में, 1970 में विद्युतिकरण हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री लाभचन्द वेद : तारीख बता सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर !

पचपदरा, सांभर एवं डीडवाना नमक खानों की व्यवस्था

163. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पचपदरा, सांभर और डीडवाना नमक खानों से गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितना कितना नमक तैयार हुआ और उसका कितना कितना निकास हुआ ?

(श्रीमती मदन कौर)

(2) क्या यह सही है कि पचपदरा की नमक खानों की व्यवस्था सरकार के हाथ में लेने के कारण इस व्यवसाय का विकास नहीं हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे छोटे छोटे व्यवसायों को भी अपने हाथ में रखने की नीति रखती है ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से ?

(4) क्या यह सही है कि इन खानों के सरकार के हाथ में लेने से नमक उत्पादकों (खारवालों) की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है और साथ ही पचपदरा के आस पास बेकारी भी बढी है ?

(5) क्या इससे नमक उत्पादन में कमी आई है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था को अपने नियंत्रण से बाहर करके खारवालों द्वारा उचित रायल्टी चुकाने के बाद नमक स्वयं खारवालों को बेचान करने की छूट देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजकीय उपक्रम (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) यह उद्योग छोटा नहीं है । पचपदरा नमक क्षेत्र 32 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसके द्वारा करीब 2000 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है और इस क्षेत्र में मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने की काफी संभावना है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये) ।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि दो हजार व्यक्तियों को वहां रोजगार मिलता है । मैं यह जानना चाहूंगी कि आज की तारीख में वहां कितने लोगों को एम्प्लायमेंट मिला हुआ है ?

राजकीय उप-क्रम मंत्री, (श्री हरिदेव जोशी) : जैसा अभी बतलाया गया ह लगभग दो हजार व्यक्तियों को ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री श्रवण लाल !

श्रीमती मदन कौर : एक दूसरा प्रश्न और है मेरा । आपने कहा कि नमक उत्पादन का विकास हुआ है और आपने आंकड़े उसके दिये हैं पिछले पांच वर्षों के जिनमें 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 तक बताये हैं- इनमें ठेठ तक तीन लाख क्विन्टल है, जबकि 1969-70 में सात लाख क्विन्टल बताया है । इससे सदन यह नहीं मानले कि वास्तव में विकास हो गया है । एक साल अधिक उत्पादन हुआ है, उस साल बाढ़ आई थी सांभर में, उसके कारण नमक उत्पादन बढ़ गया है । वैसे उसका उत्पादन नहीं बढ़ा है । आज स्थिति यह है कि वहां पर नमक नहीं निकलवा रहे हैं और मजदूर बेकार बैठे हैं.....

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री हरिदव जोशी : जी हां । मैं माननीय सदस्या को पहले बता चुका हूं और इससे

(श्री हरिदेव जोशी)

पहले भी उनको निवेदन कर चुका हूं कि 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 तक इसके अन्दर एक लाख क्विन्टल का, दो लाख क्विन्टल का प्रोडक्शन होता था जबकि 1969-70 के अन्दर आज सात लाख क्विन्टल तक प्रोडक्शन पहुंचा है। इसको विस्तार नहीं मानें तो विस्तार किस चीज को मानेंगी ?

श्रीमती मदन कौर : यह सात लाख क्विन्टल एक साल में हुआ है उसके पहले पांच लाख क्विन्टल हर साल निकला करता था आन एन एवरेज ।

श्री हरिदेव जोशी : आपको सूचना दी गई थी उसमें देखिये मेहरबानी करके, 1965-66 के अन्दर 2 लाख 95 हजार, 1966-67 के अन्दर 3 लाख 7 हजार, 1967-68 के अन्दर 1 लाख 89 हजार, 1968-69 के अन्दर 2 लाख 82 हजार और 1969-70 के अन्दर 7 लाख 56 हजार । इस प्रकार प्रोग्रेसिवली हर वर्ष प्रोडक्शन बढ़ा है ।

श्रीमती मदन कौर : प्रोग्रेसिवली कहां बढ़ा है ?

श्री हरिदेव जोशी: और किसको मानेंगी ?

श्रीमती मदन कौर : 7 लाख 1969-70 के अन्दर हुआ, वह इसलिए हुआ है, सांभर में बाढ़ आई थी ।

श्री अध्यक्ष : यह आपने कह दिया है कि बाढ़ नहीं आती तो इतना नहीं होता ।

नैक्स्ट ! श्री श्रवण लाल !

महुआ करौली सड़क की मरम्मत

164. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि महुवा से करौली जाने वाली सड़क की हालत खराब हो चुकी है ?

(2) क्या यह भी सच है कि विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है ?

(3) क्या यह भी सच है कि सड़क अधिक खराब होने के कारण इस पर एक्सीडेंट अधिक हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक ठीक करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं, मरम्मत कराई जा रही है ।

(3) दुर्घटना की जानकारी इस विभाग को नहीं है । सड़क को ठीक करने की कार्यवाही जारी है ।

श्री श्रवणलाल : यह प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में कहा है—जी हां । और दूसरे में कहा है—जी नहीं । क्या विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया अभी तक ?

श्री माधोसिंह : यह सड़क पिछली बाढ़ के अन्दर टूट गई थी, उसकी वजह से बाद में इसकी मरम्मत कराई जा रही है ।

श्री श्रवणलाल : यह बाढ कहां आई थी ?

Page No 8

श्री मघासिंह : यह बाढ़ से ही टूटी थी, 8, 11, 12, 21, 24, 28, 29, 35, 36...

श्री अध्यक्ष : इतना क्या बताते हैं ?

श्री माधोसिंह : इतने मील में सड़क टूटी है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : गिनती पूरी आती है।

श्री श्रवणलाल : आपने यह बताया कि यह बाढ के कारण टूटी थी, लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि यह सड़क जबसे बनी है, जबसे डामर रोड हुई है, उसके बाद से इसकी किसी प्रकार की रिपेयर नहीं हुई है। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है, माननीय उप-मंत्री, जबसे यह बनी है तबसे मरम्मत नहीं हुई है ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं, वार्षिक जो मरम्मत की जाती है सबकी, वह इसकी भी की जाती है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : यह बतायें कि इस सड़क को मरम्मत मेन्टेनेन्स चार्जेज से की जाती है ?

श्री माधोसिंह : पिछले वर्ष मेन्टेनेन्स चार्जेज से की गई। इस साल 1 लाख 33 हजार का प्रोविजन किया है ताकि यह ज्यादा खराब नहीं हो और इसको ठीक किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

बाड़मेर जिले में बिजली की व्यवस्था

165. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

(1) बाड़मेर जिले में किन किन तहसील एवं पंचायत समिति के मुख्यालयों पर विद्युत की व्यवस्था की है और किन किन में नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त जिले में विद्युत के विकास हेतु क्या योजना बनाई है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त योजना की प्रगति के बारे में भी कृपया विस्तृत विवरण दें।

(3) क्या बाड़मेर जिले के बाड़मेर सब डिविजन को चम्बल जल विद्युत परियोजना एवं भाखरा परियोजना से जोड़ने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जावेगा ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) (1) बाड़मेर जिले के निम्नलिखित तहसील एवं पंचायत समिति के मुख्यालयों का विद्युतिकरण किया हुआ है :-

तहसील	पंचायत समिति
(1) बाड़मेर	(1) बाड़मेर
(2) सिवाना	(2) सिवाना
	(3) बालोतरा

(2) बाड़मेर जिले के निम्नलिखित तहसील एवं पंचायत समिति के मुख्यालयों पर विद्युत

(श्री खेतसिंह)

-करण की व्यवस्था नहीं है :—

तहसील	पंचायत समिति
(1) शिव	(1) शिव
(2) चोहटन	(2) चोहटन
(3) पचपदरा	(3) सिणदरी
का विद्युतिकरण चल	(4) धोरी मना
रहा है।	(5) बायतू

(2) बाड़मेर जिले में 1969-70 की विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत ग्राम पचपदरा, भिमगरा, रामसीन और मेवा नगर स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृति 4 ग्रामों में से ग्राम पचपदरा, भिमगरा, और रामसीन की लाइनों का कार्य करीब करीब पूर्ण किया जा चुका है। रेल्वे क्रासिंग या अन्य छोटे कार्य बाकी हैं। मेवा नगर ग्राम की स्कीम रिपोर्ट में दूरी 5 किलोमीटर बताई गइ थी लेकिन जानकारी करने के बाद मालूम हुआ है वह लम्बा पांच मील है। अतः अधिशासी अभियन्ता, जोधपुर ने रिवाइज्ड सेंक्शन मांगी है, जो विचाराधीन है।

(3) योजना नहीं बनी है, अस्तु सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है उससे तो यह स्पष्ट मालूम होता है कि बाड़मेर जिले को अब भी आप पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस जिले को विद्युतिकरण के लिहाज से क्या अब भी पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं ?

श्री खेत सिंह : हमारी तो पूरी मन्शा है कि यह पिछड़ा हुआ नहीं रहे। बात यह है कि यह जोधपुर से भी बहुत दूर पड़ता है और बीच में ऐसे गांव या इस तरह की पोपूलेशन नहीं है जो कि बहुत लोड को लेने के लिए तैयार हो–या वहां पर बहुत ज्यादा कुए हों। अगर ऐसा होता तो यह योजना लाभप्रद बन जाती। हो सकता है कि बाड़मेर और बालोतरा के बीच के स्थान हैं वहां के लोग बिजली लेने के लिए तैयार हों लेकिन जब तक योजना लाभप्रद नहीं हो तब तक मुश्किल हो जाता है विचार करना।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आपने इस बात की जानकारी की है कि लोग वहां बिजली लेने को तैयार हैं लेकिन जितना कन्जम्प्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं वह होगा या नहीं ?

श्री खेतसिंह : भूतपूर्व विद्युत् मंत्री जी ने जोधपुर के सुपरिटेंडिंग इंजिनियर से कहा था कि इसकी रिपोर्ट बनायें। उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और 2 करोड़ 33 लाख 65 हजार की योजना बनी थी। लेकिन उनका यह कहना था कि इसके रिटर्न्स बहुत पूअर हैं। इसलिए वह विचार विचार के रूप में ही रह गया।

श्री भैरोंसिंह : इस दो करोड़ 33 लाख की योजना में हाइडल पावर देने की बात थी, उसके देने में आपको कितना घाटा होता था, कितना कन्जम्प्शन बताया था, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम हो सकती थी–क्या यह रिपोर्ट बनाई है और उसका आधार मान कर सरकार ने विचार किया है ?

श्री खेतसिंह : मैंने जिक्र किया कि इतना एस्टीमेट दिया है, बाकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सही मायने में कि कितना रिटर्न आयेगा–यह बताया है नहीं। यह लिख कर

(श्री खेतसिंह)

भेजा है, विद्युतिकरण करने में इतना खर्च होगा और लाभ कुछ नहीं मिलेगा। यह बताया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन: क्या राज्य सरकार ने विद्युतिकरण के लिए–बाड़मेर सब डिवीजन को जो विद्युत मिलनी है चम्बल से और भाखरा से–इसके बारे में सर्वे कराया गया है या नहीं?

विद्युत मंत्री, (श्री बरकतुल्ला खां): जी हां, सर्वे करा लेंगे, सर्वे रिपोर्ट बनवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट!

श्री वृद्धिचन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, इसमें और प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स पर, चौहटन पंचायत समिति के चौहटन, बायतू पंचायत समिति के बायतू के अन्दर डीजल सैट से विद्युतिकरण करने की व्यवस्था करायें या नहीं?

श्री खेतसिंह: इसका तो मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बरकतुल्ला खां: इस साल के अन्दर डीजल सैट बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं इसलिए कोशिश यह हो रही है कि जहां तक मुमकिन हो सके, डीजल सैट को कम करके विद्युत पहुंचाई जा सके। चूंकि बाड़मेर इलाके के अन्दर डीजल सैट के अलावा और कुछ पोसिबिल नहीं है इसलिये चौहटन का कर देंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन: बायतू पंचायत समिति के बायत में?

श्री बरकतुल्ला खां: दोनों का करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री सुमेर सिंह!

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): आपने कुछ गांव ऐसे बताये जहां विद्युतिकरण किया जा चुका है। मैं जानना चाहती हूं, उस गांव में कितने कनेक्शन दिये हैं जिसका विद्युतिकरण हुआ मानते हैं?

श्री अध्यक्ष: श्री खेतसिंह!

श्री खेतसिंह: मैंने चार नाम लिये गांवों के, रामसीन में काम जरूर हुआ है, अभी तक कनेक्शन देने का काम आरम्भ नहीं किया गया है, लाइन पूरी नहीं हुई है।...

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): असोल का नाम लिया है आपने....

श्री खेतसिंह: मैंने असोल का नाम नहीं लिया है। मैंने जो नाम लिये हैं वे है पचपदरा, मिमगरा और रामसीन।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। प्रश्न संख्या 166। श्री सुमेरसिंह!

तहसील किशनगढ़ और सरवाड़ की जमीन की श्रेणी

166 **श्री सुमेरसिंह** (किशनगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान टैनेन्सी नियम, 1963 में तहसील किशनगढ़ और तहसील सरवाड़ की जमीन को प्रथम श्रेणी में रखा गया है जब कि जिला टोंक में मालपुरा व टोड़ा की तहसीलों की जमीन को तृतीय श्रेणी में रखा गया है? यदि हां, तो

(श्री सुमेरसिंह)

मालपुरा व टोड़ा तहसीलों की किस्म जमीन तहसील किशनगढ़ और सरवाड़ की तुलना में अधिक अच्छी होने हुए ऐसा वर्गीकरण किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है ?

(2) क्या इससे सीलिंग में असर नहीं पड़ेगा ?

(3) क्या इसकी दुरुस्ती हो सकेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। एक प्रश्न यह पूछा गया है कि कितनी जमीनों को सीलिंग के लिए रखा गया है। जमीन की कई किस्में होती हैं। किस किस्म की जमीनों के बारे में पूछा गया है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। यह जानकारी होने के बाद ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : यह प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। सीलिंग के परपज के लिए पूछा है कि कितनी जमीनें रखी गई हैं। क्या सरकार ने सीलिंग के अन्दर ग्रेड फस्ट, सेकिन्ड और थर्ड रखी है, उसमें सेटलमेंट को बेसिस माना है या क्या बेस माना है ? तो किशनगढ़ की जमीनों को ग्रेड फर्स्ट में रखा गया है और कोटा, मालपुरा की जमीनों को ग्रेड थर्ड में रखा गया है। एक ओर तो जीमन की ग्रेड से सीलिंग कम कर दिया और दूसरी ओर इस तरह ग्रेड फिक्स की हैं तो आप यह बतायें कि सेटलमेंट के आधार पर जमीनों की किस्में रखी हैं या किस बेस पर रखी हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जमीनों की अलग-अलग किस्म की अलग-अलग सीलिंग है चाही की अलग है बारानी की अलग है। जब तक यह जानकारी माननीय सदस्य नहीं दे दें कि कौनसी किस्म की जमीन की सीलिंग अधिक है, तब तक उत्तर कैसे दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : यह, आप जानकारी प्राप्त कर के उत्तर देंगे।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आप यह जानकारी दे दें कि किस किस्म की जमीन का आपने पूछा है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सेटलमेंट में जिस जमीन की किस्म दी है, उसी आधार पर सीलिंग की केटेगरी फिक्स की है या किसी और आधार पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : सीलिंग का प्रश्न में पूछा नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: आप देखिये स्पष्ट पूछा है ....

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह पूछा है कि "क्या इससे सीलिंग में असर नही पड़ेगा" ?

श्री अध्यक्ष : अब स्पष्ट हो गया प्रश्न ? अगर नहीं हुआ तो माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण और ले लें।

प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री विजयसिंह !

मकराना में पाकिस्तानी व्यक्ति

167. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना में बहुत से पाकिस्तानी बहुत सालों से बैठे हुए हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने उनको पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा ?

(2) यदि राज्य सरकार की जानकारी में वहां किसी पाकिस्तानी का होना नहीं पाया गया है तो क्या सरकार इन्टेलिजेंस ब्यूरो के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह पता लगाने की चेष्टा करेगी ? यदि हां, तो इस काम में ढिलाई क्यों बरती जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं । केवल 13 पाकिस्तानी नागरिक अधिकृत पारपत्र के आधार पर मकराना में आये । उनमें से 7 वापिस पाकिस्तान चले गये व 5 अधिकृत वीसा पर भारत में रह रहे हैं । केवल एक पाक नागरिक श्री जुम्मा सन् 60 में आया जो भूमिगत हो गया है ।

(2) स्थानीय पुलिस व गुप्तचर विभाग के कर्मचारी इस संबंध में सतर्क हैं । अन्य वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि मकराना के अन्दर सारी सारी रात लाउडस्पीकर चलते हैं और इस प्रकार के भाषण देते हैं कि मुसलमानों उठो, कौमी गद्दार मत बनो, वहां के एक अधिकारी हादी के भी इस प्रकार के भाषण वहां करवाये गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग से प्रश्न ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान में पारपत्र की अवधि के अतिरिक्त रहने वाले पाक नागरिकों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है, क्या यह सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे मकराना का पूछा है, उसका उत्तर मैंने दिया है ।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या यह सही है कि इस्माइल नाम का व्यक्ति जो पहले धनकोली का रहने वाला था जो पाकिस्तान का नागरिक है । उसको घोषित कर दिया गया है फिर भी वह अब भी मकराना में मौजूद है और उसका वहां बंगला है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री विजयसिंह : इसीलिए तो निवेदन किया गया है कि इन्टेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जांच के लिये मुकर्रर किया जाय । पिछले सत्र में मैंने एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा कर एक लेटर यहां दिया था। आपने और गृह मंत्रीजी ने कहा था कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे पर आज तक कुछ भी नहीं किया है । वह पत्र मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है । पाली के एक व्यक्ति ने जोधपुर के एक व्यक्ति को लिखा है :

"My dear Manzoor,

I have recently come from Barmer and nearabout areas. I have had a complete talk with Shri Haji Sahib and am doing according to our previous decisions. I expect action in the

(श्री विजयसिंह)

month of August and I am conscious of my duty. In Barmer, Mr. Haji will welcome them, but we should not take any action till they have crossed Barmer proper."

श्री अध्यक्ष : पहले दे दिया गया है पत्र।

श्री विजयसिंह : इस प्रकार का पत्र पढ़ कर नहीं सुनाया। यहां दिया था लेकिन उसकी आज तक कोई एन्क्वायरी नहीं हुई है। रजिस्टर्ड लेटर दिया था, जोधपुर पोस्ट ऑफिस से मालूम हो सकता है। पर मंत्री महोदय जहां उन्हें हिन्दुस्तान के प्रति पूर्ण जागरूक रहना चाहिये, वहां वे सो रहे हैं। हिन्दुस्तान में इस प्रकार की एक्टीविटीज बढ़ रही हैं....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री विजयसिंह : पिछले दशहरे पर भी कुछ व्यक्ति आये और अहमदाबाद जैसी गड़बड़ी करने की कोशिश की, इस तरह की बातें फैलाई गई कि हिन्दू ट्रकों में बॉम्ब्स भर कर लाये हैं। मुसलमानों को लड़ने के लिये उकसाया गया। वह तो जिलाधीश नागौर की सूझबूझ से सब षडयन्त्र दब गया। इसके बाद भी एन्क्वायरी नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, यह पत्र आप ले लें....

श्री विजयसिंह : पत्र देने से क्या होगा, पत्र तो पहले भी दिया था।

श्री अध्यक्ष : पहले जो कहा गया है, उसकी जांच करायें, पहले का क्या हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह पत्र आप दे दें मैं एन्क्वायरी कर लूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : इस संबंध में क्या सरकार ने कोई छानबीन की है या प्रश्न का बिना छानबीन के ही उत्तर दे दिया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : आपने सूचना मांगी है, उसकी पूरी जांच करके उत्तर दिया है।

श्री विजयसिंह : मैं आज भी ऐसे सात आठ आदमी बता सकता हूं। रेकार्ड आपके पास है....

श्री हीरालाल देवपुरा : आप इस प्रकार के पॉइन्ट्स बता दें।

श्री विजयसिंह : रेकार्ड तो आपके पास है।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य का पूरा सहयोग लें।

श्री विजयसिंह : अगर मन्त्री महोदय वरिष्ठ मंत्री से नहीं दबें जो इस प्रकार के व्यक्तियों को पनाह दे रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 168।

श्री विजयसिंह : (बैठे बैठे) मथुरा दासजी माथुर।

चित्तौड़ जिले में गांधी शताब्दी वर्ष में आवंटित भूमि

168. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इस गांधी शताब्दी वर्ष में चित्तौड़गढ़ जिले में अनुसूचित जाति

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

व जन जाति के परिवार वालों को कितनी भूमि आवंटित हुई है।

(2) क्या यह सही है कि इस गांधी शताब्दी वर्ष में इस जिले की किसी तहसील में भूमि-आवंटन का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि बनाया गया है तो इसमें ढिलाई क्यों बरती जा रही है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले में अनुसूचित जाति के 238 व्यक्तियों को 880 एकड़ भूमि व अनुसूचित जन जाति के 125 व्यक्तियों को 337 एकड़ भूमि आवंटित की हुई है।

(2) जी नहीं। कार्यक्रम बना लिया गया है। कुछ तहसीलों में पहले आंवटन कार्यक्रम में देर होने का कारण यह था कि जनगणना गिरदावरी एवं राजस्व वसूली आदि ऐसे काम थे जिसमें सभी प्रशासन के कर्मचारी व्यस्त थे तथा चुनाव होने से मनोनीत सदस्यों की ओर से भी आपत्ति उठाई गई थी कि चुनाव होने से आवंटन का कार्य नहीं किया जाय। इसलिये देरी हुई।

श्री रामकुमार नन्दवाना: मंत्री महोदय, ने यह बताया कि 238 व्यक्तियों को 880 एकड़ और अनुसूचित जन जाति के 125 व्यक्तियों को 337 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, तो इनमें से कितनों को पजेशन दिया जा चुका है?

श्री गंगाराम चौधरी: पजेशन की सूचना नहीं है।

श्री रामकुमार नन्दवाना: आंवटन तो कर दिया जाता है पर पजेशन के लिये हम निश्चित अवधि जानना चाहते हैं कि कब तक पजेशन दे दिया जायगा। जुलाई के महीने में लोन वगैरह देने की व्यवस्था है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जुलाई से पहले-पहले इन लोगों को पजेशन दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: यह देख लें मंत्री महोदय।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०): भूमि अलॉटमेन्ट के बारे में ढिलाई आपके लोगों की तरफ से होती है। इतने वर्ष यों ही निकाल दिये गये। इस भूमि आवंटन के संबंध में आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि फौरन एलॉटमेंट किया जा कर पजेशन दिला दिया जाय नहीं तो यों ही कई वर्ष निकल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आवंटन और पजेशन दोनों को देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

मांडलगढ़ में पट्टियों को खानों पर प्लाट्स

169. **श्री भैरोंसिंह**: (किशनपोल, जयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा में पट्टियों की खानों के किस किस व्यक्ति के नाम पर प्लाट हैं और कब-कब से? कृपया इन पट्टेदारों की नाम पते सहित एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह पट्टे किस प्रक्रिया के आधार पर दिये गये हैं? कृपया इस प्रक्रिया से सम्बन्धित नियमावली व आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का प्रयत्न करें।

(श्री भैरोंसिंह)

(3) क्या यह सही है कि कई पट्टेदारों का प्लाट देते समय इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और पट्टे दे दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को और क्यों?

(4) प्रश्न (1) के अनुसार जिनके प्लाट मिले हैं उनमें कौन कौन-किस मन्त्री के रिश्तेदार हैं?

उप-मंत्री, खनिज (श्री भीमसेन): (1) मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा में जिन जिन व्यक्तियों के नाम पट्टियों की खानें हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। चूंकि पट्टे एक वर्ष के लिये ही दिये जाते हैं सिर्फ 51 ब्लाक दो वर्ष के लिये प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्रों पर दिये गये हैं व हर बार नये आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं इसलिये जिन व्यक्तियों के नाम सन् 69 में पट्टे थे उनकी सूची तैयार की गई है।

(2) ये पट्टे अध्याय 3 अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत दिये जाते हैं। नियम 21 के अन्तर्गत सहायक खनिज, अभियन्ता को यह अधिकार है कि वे जिन क्षेत्रों में खनन पट्टा देना है; उनको निर्धारित करें, विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन-पत्र मांगें। चूंकि खनिज घट जाने के बाद एक ही क्षेत्र खनन कार्य योग्य नहीं रहता है इसलिये नये क्षेत्रों में पट्टे देना आवश्य हो जाता है। अतः समय समय पर नये क्षेत्रों को इस कार्य के लिये प्रकाशित किया गया पिछले दो वर्ष के दौरान जो विज्ञप्तियां प्रकाशित की गई उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही नहीं है कि किसी भी पट्टेदार को नियमों के विरुद्ध पट्टे दिये गये हों। सभी कार्य नियमों के अन्तर्गत होता है। असन्तुष्ट व्यक्ति नियम 43 के अन्तर्गत अपील में जा सकता है।

(4) इस प्रकार की कोई सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है बान रखी जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो इस सबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की है उस विज्ञप्ति में जिन ब्लाक्स का उल्लेख है, उसके उपरांत भी कुछ ब्लाक्स में पट्टे दिए गए हैं?

मन्त्री, उद्योग एवं खनिज (श्री हरिदेव जोशी): जो विज्ञप्ति जारी की गई है उनको प्लाट्स दिए गए हैं।

श्री भैरोंसिंह: नहीं दिए गए हैं।

श्री हरिदेव जोशी: दिए गए हैं।

श्री भैरोंसिंह: जो विज्ञप्ति में हैं उनके स्थान पर नए पट्टे दिए गए हैं।

श्री हरिदेव जोशी: मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि जब तक इस प्रकार की विज्ञप्ति नहीं निकले तब तक किसी व्यक्ति को ऐसे पट्टे दो वर्ष के लिये नहीं दिए जा सकते?

श्री हरिदेव जोशी: ऐसा नहीं है। विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है अथवा मुस्तरिक की जाती है या बोर्ड पर चिपकाई जाती है उसके बाद प्लाट्स दिए जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: मैं समय के लिये पूछ

(श्री भैरोंसिंह)

रहा हूं। आपने विज्ञप्ति प्रकाशित की है। उसमें कई बार आप लिखते हैं कि यह पट्टा एक वर्ष के लिये दिया जायगा, कई बार लिखते हैं कि दो वर्ष के लिये। क्या यह सही है कि जो अवधि आपने निर्धारित की है उससे अधिक समय तक आपने पट्टे दिए हैं?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि एम० एम० सी० आर० के अनुसार प्लॉट्स दिए जाते हैं। इसमें पहले प्रेक्टिस चली आती थी कि एक वर्ष के लिए ही दिए जायं मगर उससे काफी परेशानी पैदा होती थी। 50×50 के प्लाट्स थे। तो सरकार ने चाहा कि प्लाट्स बहुत बनाए जायं और ज्यादा अवधि के लिये दिए जायं ताकि लीज होल्डर्स को बार बार नही आना पड़े और हर साल सरकार का काम इतना न बढ़ पाए। इसलिये नया सिस्टम इंट्रोडयूस किया है कि 16 प्लाट्स का एक ब्लॉक बनाया जाय याने 50×50 के 16 प्लाट्स का ब्लाक बनाया जाय जो 200×200 के हों। इसमें ज्यादातर लोग यह कहते हैं कि लंबी अवधि होती है तो हम उतने पैसे नहीं दे सकते। इसलिए शार्ट टर्म होना चाहिये। बाकी सरकार ने यह सिस्टम इंट्रोडयूस किया है कि 50×50 के बदले 200×200 के दो वर्ष के लिए दिए जांय।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा 50×50 के बदल 200×200। क्या उससे पहले 50×50 के प्लाट्स एक से अधिक किसी को नहीं दिए हैं?

श्री हरिदेव जोशी : दिए हैं। 50×50 का एक प्लॉट लेना चाहे तो एक, दो लेना चाहे तो दो, चार लेना चाहे तो चार, आठ लेना चाहे तो आठ।

श्री भैरोंसिंह : एक स्थान पर दे सकते हैं लेकिन अलग 2 स्थानों पर किस आधार पर दिए गए हैं?

श्री हरिदेव जोशी : जितने भी लेना चाहें।

श्री भैरोंसिंह : गलत है विज्ञप्ति में लिखा है कि 50×50 का एक दिया जाता है तो फिर ज्यादा कैसे दे देते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : प्लॉट का मेजरमेंट 50×50 है, माइने एक प्लाट वह कितने का होगा। तो उस पर यह चीज नहीं है कि वह एक जगह के बदले चार जगहों पर प्लाट्स नही ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन मन्जूरी नहीं हो सकते। नियम साफ है कि 50×50 से ज्यादा प्लाटस नही ले सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : 50×50 से ज्यादा की प्लाट स नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : दरखास्तें कितनी ही करें मगर सरकार पर है कि कितने प्लाटस मंजूर करे।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने विज्ञप्ति में लिखा है कि इतने से ज्यादा प्लाट्स नहीं ले सकते।

श्री हरिदेव जोशी : कोई भी आदमी कितने ही प्लाट्स के लिये एप्लाई करे उस पर सरकार सेंक्शन करती है कि कितने दिए जायं छोटे 2 प्लाट्स हैं पर मिनरल डेवलपमेंट के लिए बड़े प्लाट्स दिए जाय और कापैक्ट ब्लाक्स बढ़ाये जायं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी।

श्री भैरोंसिंह : फिर 50×50 के क्यों बनाएं ?

श्री हरिदेव जोशी : पहले से प्रेक्टिस चली आ रही थी।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति के पास 50×50 से अधिक न हों। 200×200 के लिए यहां लिखा है। इसका मतलब 50×50 का नाम लेकर ज्यादा लोगों को पट्टा दिया वह भी वाजिब 200×200 के पट्टे देने चाहिये वह भी वाजिब । सूची को देखें, कुछ व्यक्तियों ने सारी खानों पर कब्जा कर रखा है। मंत्री महोदय स्वयं देख लें। खुद काम करने वाले हैं या मजदूरों का शोषण करने वाले हैं। लेबर इन्टेन्सिव स्कीम्स के अन्तर्गत जो पट्टा देना चाहिए तो पट्टा लेकर श्रम के आधार पर जीविका कमा सकें। किसी को 5 दिए, किसी को 4 दिए किसी को ज्यादा दिए। मैं समझता हूं सरकार को अपनी नीति रिवाइज करनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि मैंने निवेदन किया, नियमों के अनुसार कहीं पाबंदी नहीं है लेकिन 10 माइल से ज्यादा एरिया नहीं देना चाहिये। रहा सवाल इतना कि इतने बड़े नहीं देते मगर प्रैक्टिस चली आ रही थी कि 50×50 प्लाट्स हो, सर्टेन एरियाज के अंदर अलग 2 यह वेरी करता था कि किसके क्षेत्र में कितने बड़े प्लाट्स बनाए जायं, मांडलगढ़ में एक प्रकार का ऐरिया है, जोधपुर में दूसरे प्रकार का, बूंदी में एक प्रकार का तो कोटा में दूसरे प्रकार का, चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा में दूसरे प्रकार का क्षेत्र है, तो हमने सोचा कि खनिज विकास के लिए लाजमी है कि लम्बे समय तक आदमी काम करता रहे।

दूसरी पोजीशन यह है कि ऐसी एरिया में लगभग एक हजार दो हजार एप्लीकेशन्स आती हैं। हर साल एक हजार क्लावस डिस्पोज ऑफ करने का मतलब कितना काम बढ़ जाता है, इसलिये हमने समझा ज्यादा समय के लिए बड़ा एरिया दे दें तो उनको सुविधा होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो प्लाट्स देते हैं फिक्सड प्राइसेज पर या नीलामी के द्वारा ?

श्री हरिदेव जोशी : फिक्सड प्राइसेज पर।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जब आप मानते हैं कि 50×50 का एरिया कम पड़ता है, तो उसके मुकाबले में जितना स्कोप बढ़ा सकते हैं 200×200 या इससे ज्यादा आप कह रहे हैं, एक के बजाय कितने प्लाट्स ले सकते हैं तो नीलामी की स्थिति को क्यों नहीं अपना रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आप और माननीय भैरोंसिहजी के बीच....

श्री भैरोंसिंह : वह भी सही कह रहे हैं कि जब इसको पैसे वालों में बांटते हैं तो नीलामी क्यों नहीं करते ? आप तो सारे पैसे वालों को ठेका देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही नहीं है। मैं ने सूची देखी है और लोगो से मिला भी हूं। मैं कह सकता हूं कि संभव है कि कुछ लोग इसमें पैसे वाले हों। वैसे पैसे वालों के लिए पाबंदी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर 50×50 प्लाटस के अंदर जो डेडरेंट है वह 120) है। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कितना करोड़पति हो सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : (मांडलगढ) : क्या आप प्लॉट्स देते समय इस बात का ध्यान रखते हैं पहले कि हाथ से काम करने वाले हां? आपने 16-16 प्लाट्स श्री सुगनचन्द धूलचन्द को दिए हैं, कौन हैं वह ? आपको मालूम नहीं। मैं बताऊंगा। वह पंचायत समिति के उप-प्रधान हैं। दूसरा भंवरलाल जोशी, वह पंचायत समिति के प्रधान हैं। 16 प्लाट्स गणपतिलाल वर्मा को। जानते होंगे। 16 प्लाट्स का क्या करते हैं ? ये लेकर बेचते हैं, काम नहीं करते। मैं आपका एहसान मानूंगा कि 16 मंत्री भी परेशान हैं सारी मांडलगढ़ की जमीन का एक एक पट्टा उनको दे दें। रोज मोटर नई लेकर ये लोग बेचते हैं। ये भी परेशान हैं। क्या सम्भव नहीं है कि इनके नाम पट्टा दे दें मांडलगढ़ की सारी जमीन का?

श्री अध्यक्ष : क्या यह संभव है?

श्री हरिदेव जोशी : आप अच्छी तरह जानते हैं कि पट्टे दिए जा सकते हैं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं ज्यादा क्या बोलूं? मेरा समय चला जायगा। मैं इनसे लड़ूं या अपने क्षेत्र में दूसरे काम कराऊं?

श्री हरिदेव जोशी : 200×200 के प्लाट्स की डेड रेंट 1,920) है और कितना वह क्या कर सकते हैं। वैसे अध्यक्ष महोदय, माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स बने हुए हैं। प्रेक्टिकली असिस्टेंट माइनिंग इन्जीनियर भी इतना एलॉटमेन्ट कर नहीं सकता। माइन्स फोरमेन यह काम करता है। माइन्स फोरमेन लोएस्ट लेवल का अफसर होता है। अगर मेरे पास भी यह एप्लीकेशन आयी होती, प्रधान, उप-प्रधान और एक्स एम० एल० ए० की एप्लीकेशन आयी होती तो मैं उसको सेंक्शन कर देता। मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता। उनको डिनाई नहीं किया जा सकता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वे तो मजदूरों से काम करा रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को किसी से पोलिटिकल राइवलरी हो सकती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कृपा करके मेरे लिये जो आपने शब्द कहे हैं उनको वापिस लें। मैं तो पोलिटिक्स में ही अभी आया हूं। किसी से कोई पोलिटिकल राइवलरी नहीं है। जो पापाचार करते हैं दुराचार करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं मैं तो उनका विरोध करता हूं। वे भूमिहीन दुख पा रहे हैं। मजदूर दुख पा रहे हैं। उनसे मोटर वाले दुख पा रहे हैं और आप मेरे लिये यह कह रहे हैं, कृपा करके अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण न दें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझसे क्यों गुस्से हो रहे हो ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने कहा कि मेरी उनसे पोलिटिकल राइवलरी है।

श्री भैरोंसिंह : जो हाथ से खान खोदते हैं उनको दें।

श्री हरिदेव जोशी : उनको भी देते हैं, कोई कानून नहीं है ऐसा कि दूसरों को न दें।

श्री भैरोंसिंह : मबलेट को कैसे अलाऊ कर रखा है?

Page No 19

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार की यह नीति नहीं है कि हाथ से काम करने वाले मजदूरों को स्थायी रोजगार देने के लिये इस प्रकार के प्लॉट दिये जांय ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कब ना कहा। हम देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी नीति है आपकी ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात को आप पहले सुन लीजिये।

श्री दौलतराम सारण : मुझे पहले सुन लीजिये। अगर राज्य सरकार की यह नीति है कि हाथ से काम करने वालों को स्थायी रोजगार दिया जाय, उनके जीवन स्तर को उठाया जाय ? जो प्लाट्स एलॉट हो गये हैं तो आज तक उनका निराकरण करके आगे के लिये तैयारी क्यों नहीं बताते इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर माननीय सदस्य ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लिया होता तो मुझे यह कहने की जरूरत ही नहीं होती। आपने एम० एल० ए०, प्रधान और उप-प्रधान का नाम लिया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने मेरे ऊपर इलजाम लगाया कि पोलिटिकल राइवलरी के कारण मैंने यह कहा है इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आपने इल्जाम लगाया इसलिये कहा कि राज्य सरकार की यह नीति नहीं है कि जो हाथ से काम करता हो उसको प्लाट्स न दिये जांय, उसको रोजगार दिया जाय लेकिन अगर कोई भी वहां वैसा नहीं है तो दूसरों को भी दिया जाये इसमें कहां आपत्ति हो सकती है ?

श्री डूगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : सांचौर में कितने हाथ से काम करने वालों को काम दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह सारी लिस्ट देखने की कोशिश की। आपने यह पूछा कि मिनिस्टर का रिश्तेदार है। मैंने ढूंढने की कोशिश की। गणपतलालजी डिस्टेन्ट रिलेशन में हो सकते हैं........

श्री वेदीदत्त गाड़िया (बारां) : आप तो उनसे स्वयं मिले हो ?

श्री हरिदेव जोशी : इतनी बड़ी लिस्ट है। एक दो आदमी को दिये गये या एम० एल० ए० को दिया गया तो मैं उसको गुनाह नहीं मानता हूं। न फेवररेटिज्म किया है। मेरे स्तर पर, डी० एम० जी० के लेवल पर अथवा माईनिंग इन्जीनियर के स्तर पर ये मैटर्स आते ही नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने यह बताया कि हाथ से काम करने वाले मजदूर को न देकर इन लोगों ने ले लिये हैं उसके आधार पर कहा कि पोलिटिकल राइवलरी है। जो गलत काम हुए हैं उनका विरोध करना हमारा फर्ज है। बीस बीस हजार रुपये में परमिट बेचे हैं और प्लाट्स बेचे हैं।...

श्री हरिदेव जोशी : ये बीस हजार में?

श्री मनोहरसिंह मेहता : दूसरी बात कह रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि दो चीजों को मिक्स अप न करें। पूरे की मालियत तीन हजार रुपया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दूसरों से भी लड़ना पड़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस एरिया में तीन बार जा चुका हूं और पहले गवर्नमेन्ट का यह डिसिजन था कि पांच साल के लिये एलॉट किया जाना चाहिये। बात करके, मीटिंग्स करके, डिस्कशन्स करके यह डिसिजन दिया कि कम समय के लिये रखें जायं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब हम प्रश्न पूछते हैं तब ही यह होता है। खुद मंत्रीजी ने सांठ-गांठ की है। जब कहते हैं तो अपोजिशन आरोप लगाते हैं। किसी की राइवलरी के कारण पूछते हैं, यह कहते है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप अपने पापों को छिपाते हैं। आप अपने पापों को छिपाते हैं। आप लेते हैं और बेचते हैं। दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी (श्री देवीदत्त गाड़िया) बातों को रिफ्यूट करता हूं। एक बात मैं निवेदन कर दूं। आप तो कुछ भी बात कहने को स्वतन्त्र हैं और दूसरे आदमी पर एलीगेशन लगायें तो जवाब भी न दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने किस आधार पर कहा कि पोलिटिकल राइवलरी के कारण पूछा है?

श्री हरिदेव जोशी : कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेन्ज कर सकते हैं। 500 एप्लीकेशन्स हैं लीज दी गयी वह फोरमेन के लेवल पर ही दी गयी हैं। जंगली माइन्स से कमा कर खाने की कोशिश करते हैं उसके बारे में है....

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि जो हाथ से काम करने वाले हैं उनको प्रिफरेन्स न दी जाकर उनको प्रिफरेन्स दी जाय जो हाथ से काम नहीं करते और मजदूरी देकर काम करवाते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार प्रिफरेन्स उनको देती है उन प्लाटस में जो हाथ से काम करते हैं लेकिन दूसरे एप्लीकेन्ट्स हैं तो उनको भी यह कह कर ना नहीं किया जा सकता कि उनको नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह : उनको आपने प्राथमिकता दे दी। यदि मजदूरी करने वाले नहीं मिलते हैं तो उन लोगों को दी जावेगी जो मजदूरों से काम करवाते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : यह एलॉटमेंट फोरमेन लेवल पर होता है। 120 रु० डेड रेन्ट है। यह माइनिंग इन्जीनियर के पास भी नहीं जाता है।

श्री भैरोंसिंह : किसी के पास जाता हो। आदेश दिये जा सकते हैं कि हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाय और शेष बाकी के लोगों को बाद में डिस्ट्रिब्यूट की जाय?

श्री हरिदेवजोशी : स्टन्डिग ऑर्डर्स हैं। मैं वहां गया था और मीटिंग में भी कह दिया था कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको पहले दिये जायें, उनको प्रिफरेन्स दिया जाय और दूसरा प्रिफरेन्स इस प्रकार का काम करने वाले लोगों को दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने लिस्ट दी है उसको मैं पढ़कर नहीं सुनाना चाहूंगा। इस लिस्ट में एक आदमी भी . ऐसा बता दीजिये जो हाथ से काम करता हो ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो किसी को जानता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : भोपालसिंह वल्द जीवन सिंह। इनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप इन्कार करें तो बात दूसरी है। नं० 4 और 20 पर हैं। क्या यह हाथ से काम करने वाले हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा समझता था कि माननीय सदस्य का कोई टारगेट है इसी दृष्टि से मैंने सारी लिस्ट को देखा है मैं फिर देख लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या आप इसको स्वीकार करते हैं कि जिन्होंने सबलेट कर दिया है उनका केन्सिल करके जो हाथ से काम करने वाले हैं उनको दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न संख्या 170

श्री विजयसिंह : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 170।

प्लान्ट्स एवं टूल्स की खरीद के लिये ऋण

170 **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1966 से 1968 तक सार्वजनिक निमाण विभाग द्वारा प्लान्टस एवं टूल्स के लिये ण कितना कितना, कब कब किस ब्याज दर से, कितने समय के लिए दिया गया ?

(2) ऐसे कितने ठेकेदारों को ऋण दिया गया जिनसे नियमानुसार 10 प्रतिशत कीमत का अग्रिम जमा नहीं लिया गया तथा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार जिन ठेकेदारों का जितनी कीमत अथवा लागत का ठेका था और उससे जितने जितने टूल्स और प्लान्ट्स उधार लेने के वे हकदार थे उससे भी अधिक उधार दिया गया ? यदि हां, तो कितना-कितना, किन-किन ठेकेदारों को व क्यों ?

(4) क्या किसी ठेकेदार के उधार पैसे नियमानुसार अग्रिम जमा नहीं लेने की शिकायत होने पर किसी दूसरे ठेकेदार के सिक्योरिटी खाते के पैसे बिना उसकी सहमति के अग्रिम पेटे जमा कर लिये गये और उस पर अदालतों में मुकदमें चले ? क्या ये सब तथ्य गत बजट अधिवेशन में सदन के सम्मुख आये थे ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नही ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। कुछ ठेकेदारों को जिनकी सूची संलग्न है, मशीनरी नियम से अधिक देना आवश्यक हो गया था क्योंकि सुरक्षा कार्यों को जल्दी पूरा कराना आवश्यक था।

(4) जी हां। श्री हजारीलाल, गणराज्य श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०, बीकानेर के मैनेजर थे और यही श्री हजारी लाल ओम प्रकाश ठेकेदार के आम मुख्तियार थे और दोनों के लिये यही काम किया करते थे।

क्योंकि गणराज्य श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०, बीकानेर के सरकार के मशीनरी खाते में पैसे बाकी निकलते थे इसलिये श्री हजारीलाल के लिखने से ठेकेदार ओम प्रकाश के खाते से समिति की सरकारी बकाया वसूल कर ली गई। इस संबंध में अदालत में कोई मुकदमा नहीं चला।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि हायर परचेज सिस्टम पर टूल और प्लान्ट्स कान्ट्रेक्टर्स को दिये गये थे और उसका सारा रुपया उनके जिम्मे ऋण के रूप में लिखा गया है ?

श्री माधोसिंह : मशीनरी दी गई थी, ऋण नहीं दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : तो यह क्या था, हायर परचेज करके उनको दिया गया था वह क्या था ?

श्री माधोसिंह : उनको उधार दिया गया था। केश लोन नहीं था। सवाल यहां ऋण का है।

श्री भैरोंसिंह : यह उनके खाते में क्यों जमा है ?

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्रीजी चीफ इंजीनियर से पूछ कर जवाब दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इनको आगे बिठाया जाये।

श्री माधोसिंह : आप भी उप-मंत्री होते तो चीफ इंजीनियर से पूछे बिना जवाब नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : आगे तो प्रोमोशन से बैठा जाता है यूं नहीं बैठा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेकेदारों को जो मशीनरी दी गई है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऋण खाते में लिखी हुई है ?

श्री माधोसिंह : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर यह क्या है ?

श्री माधोसिंह : हमने जो लोन लिया है उसके एवज में लिखा है। यह मशीनरी उनको दी गई थी। गवर्नमेन्ट ने मशीनरी हायर परचेज पर लेकर उनको दी तो जो मशीनरी उनको उधार दी गई है वह लिखी गई है।

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न 1 व 2 के उत्तर में जी नहीं, जी नहीं लिखा है। तो वह सही नहीं है।

श्री माधोसिंह : यह उत्तर सही है। जो प्रश्न आपने पूछा उसका यह उत्तर है। प्रश्न

(श्री माधोसिंह)

पूछा था ऋण का। आपने कहा ऋण दिया—हमने कहा नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर यह क्या दिया है?

श्री दौलतराम सारण : यह उधार दिया है।

श्री माधोसिंह : यह मशीनरी उधार दी गई है। मशीनरी दी है कर्जा नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो मशीनरी दी गइ है उसका ब्याज भी ठेकेदारों के खातों में चार्ज किया गया है।

श्री माधोसिंह : जी हां। हमारे से जो माल लेते हैं, हमारे भी ब्याज लगता है, तो उनसे भी लेते हैं। यह ऋण थोड़े ही हैं। मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि रुपया उधार अलग बात है और मशीनरी उधार देना अलग बात है। हमको भी ब्याज लगता है तो ब्याज चार्ज करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका नाम क्या है?

श्री विजयसिंह : ये तो पोल में ढोल बजा रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह लोन नहीं है तो इसको क्या नाम दिया है?

श्री रामकिशन : इस टूल और प्लान्ट्स में जीपें कितनी थी और कितने ठेकेदारों को ये जीपें दी गई।

श्री माधोसिंह : जी हां दी गई हैं। आप नोट कर सकते हैं। केड़ाराम ठेकेदार को कोई जीप नहीं दी गई.......

श्री भैरोंसिंह : माधोसिंह ठेकेदार को कितनी जीपें दी गई? यह बता दीजिये?

श्री अध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री महोदय, जिनको नहीं दी गई उनको आप छोड़ दें, जिनको दी गई हैं उनके नाम बता दीजिये....।

श्री माधोसिंह : सुरेश रामकिशन वर्क्स को एक जीप दी गई। रामरीछ ठेकेदार को एक जीप दी गई और एक जीप....

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात बता दीजिये।

श्री माधोसिंह : आप मेरा जवाब तो पहले सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : हायर परचेज के ऊपर यह जो टूल्स और प्लान्ट्स जिन जिन ठेकेदारों को दिये गये हैं क्या राज्य सरकार ने उनसे अप्रेल, 67 के महीने में एग्रीमेन्ट लिखवाया है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : इनके लिये अलग से प्रश्न है।

श्री माधोसिंह : उनसे एग्रीमेन्ट बाद में लिखवाया है। जो ठेकेदार बाहर थे, काम पर थे, बाड़मेर की तरफ काम पर थे और सुरक्षा का काम कर रहे थे उनसे बाद में लिखवाये हैं।

श्री भैरोंसिंह : अप्रेल से पहले आपने एक भी एग्रीमेन्ट नहीं लिखवाया है।

श्री माधोसिंह : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सारा सामान बिना एग्रीमेन्ट के दिया गया है ?

श्री माधोसिंह : जिन ठेकेदारों को दिया गया है उनकी डिपोजिट हमारे पास रहती है और वे हमारे यहां काम करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या बिना एग्रीमेन्ट, दस्तखत कराये ही सामान दिया गया है ?

श्री माधोसिंह : हमने जो ठेके दिये है उसका 10% हमारे पास एडवान्स के रूप में रहता है। क्योंकि ये सुरक्षा की सड़कें थीं और काम जल्दी कराना था......

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय का जवाब है। हायर परचेज सिस्टम पर जो सामान दिया गया वह बिना एग्रीमेन्ट के ही दिया गया ?

श्री माधोसिंह: बाद में एग्रीमेन्ट करा लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : बाद में कब करा लिया गया ?

श्री माधोसिंह : आप कहेंगे तो तारीखें बाद में आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पहली अप्रेल को तो नहीं कराया ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोरटेंट सवाल है।

श्री अध्यक्ष : एग्रीमेन्ट कब कब कराया गया ?

श्री भैरोंसिंह : पहले तो यह बताया जाये कि एग्रीमेन्ट कराया है या नहीं और एग्रीमेन्ट एग्जीक्यूट कराया है तो क्या यह सही है अप्रेल के पहले नहीं कराया गया ?

श्री माधोसिंह : अप्रेल के पहले नहीं कराया गया, बाद में कराया है।

श्री भैरोंसिंह : सब सामान अप्रेल के पहले दिया गया।

श्री माधोसिंह : सब सामान नहीं, कुछ दिया गया था और इसलिये दिया गया....

श्री भैरोंसिंह : इसलिए दिया गया कि उस वक्त इलैक्शन था.... ।

श्री माधोसिंह : इलैक्शन तो हुआ बाद में।

श्री भैरोंसिंह : खेतसिंह जी आये है, इनको बिठा दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

(शोर गुल)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को पोस्टपोन किया जाये और किस किस कान्ट्रेक्टर को कब कब सामान दिया गया और उनसे कब कब एग्रीमेन्ट कराया गया, इसका स्टेटमेन्ट हाउस की टेबुल पर रखवाया जाये।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि यह जो सामान दिया गया है वह ठेकेदारों की बिना डिमाण्ड के दिया गया है।

श्री माधोसिंह : बिना दिमाण्ड के कोई सामान दिया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : आप क्या फर्मा रहे हैं यह समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, इनको समझाइये।

श्री अध्यक्ष : क्या आपने इक्वीपमेन्ट बिना डिमाण्ड के ही दिये ?

श्री माधोसिंह : सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ में नहीं आता कैसे प्रश्न करते हैं....

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि हायर परचेज पर जो सामान ठेकेदारों को दिया गया था उसका कुछ ठेकेदारों ने विरोध किया था ?

श्री माधोसिंह : हमारे पास ऐसा कोई विरोध नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : जब कन्स्ट्रक्शन का एग्रीमेन्ट हुआ था उस वक्त जीपों की डिमाण्ड नहीं थी ?

श्री माधोसिंह : जैसे जैसे आवश्यकता हुई उन्होंने डिमाण्ड की।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने टेण्डर में इसका उल्लेख किया था कि बाद में कुछ डिमाण्ड होगी तो हायर परचेज पर सप्लाई की जायेगी ?

श्री माधोसिंह : यह टेण्डर में देने की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : टूल्स और प्लान्ट्स में ट्रक और जीपें भी आती हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : इसका क्या जवाब देंगे, उस वक्त कुल कितनी जीप खरीदी गई थीं और आज मिती तक उनमें से एक जीप गायब है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं उस जीप का नम्बर भी बता सकता हूं कि आज वह जीप आपके पास उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 179 लिया जाये और इसका उत्तर दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख लूंगा।

श्री दौलतराम सारण: इसका दुबारा उत्तर दिलाया जाये। प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह सही नहीं है और इसी तरह से जो अनुपूरक प्रश्न किये गये हैं उनका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिये आज इस प्रश्न को स्थगित रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख लूंगा कि इसको स्थगित किया जाना चाहिए या नहीं। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री केशरीसिंह : प्रश्न संख्या 179 बहुत महत्वपूर्ण है। चपरासी को नौकरी से निकाल दिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय डिप्टी मिनिस्टर, सार्वजनिक निर्माण आंख मारते हैं इसको बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय उपमंत्रीजी का इरादा मेलाफाइड नहीं है इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकिशन : मेलाफाइड है या नहीं लेकिन अव्यवस्था जरूर है।

श्री अध्यक्ष : महिलायें उनके सम्मुख नहीं रहतीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : 171।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय 171 का फरमा रहे हैं। इस एक प्रश्न की इजाजत देता हूं और कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

(12 मध्यान्ह)

अजमेर जिले में सक्रिय साइकल चोरों का गिरोह

171. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में साइकिल चोरों का गिरोह सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष थानेदार नसीराबाद ने साइकिल चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया था ? अगर हां तो उसका क्या नाम था ? क्या उसके साथियों का पता लगाया गया था ?

(3) उक्त चोर से कितनी साइकिल बरामद की गई और क्या उक्त साइकिल चोर का चालान पेश कर दिया गया या नहीं ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) साइकिस चोरी की घटनायें कभी कभी होती हैं। कोई गिरोह सक्रिय होने की बात सही नहीं पाई जाती।

(2) जी हां। एस० एच० ओ० नसीराबाद ने रामरतन नामक साइकिल चोर को अभियोग संख्या 11 सन् 69, जुर्म 379 ता० हि० में पकड़ा था। उक्त अभियुक्त ने कुछ व्यक्तियों के नाम और बताये थे जिनसे तफतीश के आधार पर न तो कोई साइकिल बरामद हुई और न उनके विरुद्ध कोई शहादत ही मिली।

(3) श्री रामरतन की निशानदेही से कुल 17 साइकिलें बरामद की गई तथा मुकदमा नं० 91/68 और 44/69 थाना सिविल लाईन, अजमेर में चालान किया गया जो गैर तजवीज अदालत है।

श्री देवीलाल बुरासिया : और उन गिरोह में कौन कौन थे क्या नाम बतायें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : गिरोह नहीं था नाम जरूर बताया था। लेकिन उनके पास कोई साइकिल बरामद नहीं हुई।

श्री देवीलाल बुरासिया : उस गिरोह में 6 आदमी थे उनमें से पांच व्यक्तियों को नहीं पकड़ा गया। आपकी जानकारी के लिये उनके नाम बताना चाहता हूं :—

श्री रामरतन

श्री किशनलाल

श्री नारायणलाल

श्री इस्माइल और विक्रम लाल।

इन पांच व्यक्तियों से सात सात हजार की रिश्वत ली गई। डी० ए० वी० कॉलेज के छात्र ने 5 हजार रुपये लिये गये।

श्री हीरालाल देवपुरा : जिन व्यक्तियों के नाम आपने बताये वे मुझे लिखकर दे दें उसकी मैं जांच करवा लूंगा और यदि आपकी जानकारी सही निकली तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरवाड़ में चोरियां

223. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

अजमेर जिले के पुलिस थाना, सरवाड़ अन्तर्गत साल में कितनी चोरियां हुई ? और उनमें कितनी चोरियां बरामद की गई?

उत्तर

अजमेर जिले के पुलिस थाना सरवाड के अन्तर्गत साल में 29 चोरियां हुई, जिनमें से 11 चोरियां बरामद हुई ।

पुलिस सब इन्सपेक्टर्स की सिनियरिटी लिस्ट

224. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में पुलिस के सब इन्सपेक्टरों की अन्तिम सिनियरिटी लिस्ट रेन्जवाईज कब प्रकाशित हुई ? उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त सीनियोरिटी लिस्ट के खिलाफ किन 2 सब-इन्सपक्ट्टरों ने कब कब एतराज पेश किये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनाने का क्या क्राईटेरिया है ? और क्या इस संबंध में कोई रूल्स बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

फलेता के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

225. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि श्री किशन लाल पुत्र बजरंगलाल गूजर, निवासी बनजारी, तहसील उनियारा के विरुद्ध ता० हि० की धारा 354/452 का इस्तगासा मु० म० टोंक में पेश हुआ था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त इस्तगासा थाना मेहदबास में वास्ते तफतीश भेजा गया था ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त किशनलाल गूजर ग्राम पंचायत फलेता का सरपंच है इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(4) क्या यह सत्य है कि पुलिस द्वारा उसका चालान 24-12-68 को पेश किया गया है, पर मुलजिम को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह इस्तगासा दिनांक 18-6-68 को मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ है ?

(2) जी हां । उक्त इस्तगासा थाना मेहन्दबास में वास्ते तफतीश दिनांक 19-6-68 को भेजा गया ।

(3) किशन लाल गूजर ग्राम पंचायत, फलेता का सरपंच अवश्य है परन्तु यह गलत है कि सरपंच होने के नाते उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(गृह मंत्री)

(4) जी नहीं। मुकदमे में एफ०आर० अदम वकू दिनांक 17-7-68 को दी गई है जो अदालत में विचाराधीन है। अतः मुलजिम को गिरफ्तार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त मुकदमा झूठा दर्ज कराये जाने से मुस्तगीस के खिलाफ दफा 211 आई० पी० सी० के तहत इस्तगासा भी दर्ज कराया गया है।

ऊंटों की चोरीयां

226. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नोखा थाना के अधीनस्थ ग्राम थावरिया व ग्राम गोंदूसर के हरिजनों के ऊंटों की चोरियां काफी तादाद में हो गई हैं ?

(2) क्या पुलिस चोरों को पकड़ने में या कोई ऊंट को पकड़ने में सफल रही ? यदि हां, तो कुल कितने ऊंटों के चोरी के मामले दर्ज किये गये और उनमें से कितने ऊंटों को बरामद करवाया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम थावरिया में श्री अर्जुन राम मेघवाल की ढाणी से तारीख 21/22-7-69 की रात को ऊंट चोरी हो जाने की केवल एक ही वारदात हुई है। गांव गोंदूसर में हरिजनों के ऊंटों की चोरी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

(2) जी हां। ग्राम थावरिया के श्री अर्जुनराम मेघवाल की एकमात्र चोरी का ऊँट पुलिस ने बरामद कर लिया और मुलजिम केसीया नायक व परमेशवरीया साध का चालान तारीख 29-11-69 को पेश अदालत कर दिया है।

गांवाई कुओं पर तैनात पुलिस

227. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि गांव बेपोट, थाना बरडवा, जिला नागौर में इस वर्ष गांवाइ कुओं के संबंध में पुलिस मौके पर गई तथा वहां पर कुछ दिनों तक पुलिस तैनात भी रही ? यदि हां, तो कब कब वहां पर गई तथा कब से कब तक वहां रही तथा किस किस अधिकारी के आदेश से यह किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। तहसीलदार डीडवाना को शान्ति भंग होने की सूचना प्राप्त होने पर वृत अधिकारी पुलिस, डीडवाना ने तारीख 13-1-70 से 18-1-70 तक गांव बेपोट में गांवाई के संबंध में पुलिस गार्ड तैनात की गई थी।

बम्बई में शिव सेना द्वारा उपद्रव और प्रवासी राजस्थानी व्यापारियों की हानि

228. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि कुछ अर्से पहले बम्बई में शिवसेना नाम के एक स्थानीय संगठन ने उपद्रव किये थे और उन उपद्रवों में प्रवासी राजस्थानी व्यापारियों को भी बहुत हानि पहुंचायी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री फूलचन्द बाफना)

(2) उपर्युक्त उपद्रवों से प्रवासी राजस्थानी व्यापारियों को हानि पहुंचाई गई उस संबंध में सरकारने क्या क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या मुख्य मंत्री महोदय ने बम्बई स्थित उन राजस्थानी व्यापारियों को हुई हानि के सं ध में कोई वक्तव्य दिया था अथवा कार्यवाही शीघ्र करने के संबंध में सम्बन्धितों को कोई आश्वासन भेजा ?

(4) उपर्युक्त संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार एवं महाराष्ट्र की सरकार से हो चुकी हानि की भरपाई एवं राजस्थानी प्रवासी जनता के संरक्षण की मांग कब की गई ? यदि नहीं तो क्यों और कब कब सरकार ऐसा करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

रायल्टी व बिक्री कर की वसूली

229. **श्री रामकिशन** (वैर); क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जो खनिज उत्पादन राजस्थान से बाहर जाता है उस पर सरकार कोई रॉयल्टी अथवा बिक्री कर वसूल करती है ? यदि हां, तो किस नियम के अधीन है ?

(2) यदि सरकार ऐसी कोई रॉयल्टी व बिक्रीकर वसूल करती है तो जिला भरतपुर, तहसील बयाना की सैण्ड स्टोन खानों के ग्रुप नं० 2 के उत्पादन जो उत्तर प्रदेश की तांतपुर मण्डी में जाता है उस पर रॉयल्टी तथा बिक्रीकर वसूली कितनी हुई ? यह वसूली कितने उत्पादन पर की गई है ?

(3) क्या उक्त वसूली के लिये सरकार ने कोई चौकी कायम कर रखी है ? यदि हां, तो कहां और कब से ?

उत्तर

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के 17(बी) के परिशिष्ट 1 के अनुसार खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी वसूल की जाती है। बिक्री कर वसूल करने का इस विभाग को अधिकार एवं सूचना नहीं है।

(2) जी हां। ग्रुप नं० 2 की खान का 4,17,609·05 रुपये रायल्टी का जमा हो चुका है। इस खान का उत्पादन जनवरी, 70 तक 6,75,391.01 घन फुट हुआ है। बिक्री कर की सूचना इस विभाग को नहीं।

(3) जी हां। बन्द बारेठा व बसेड़ी चौकी कायम है। किन्तु तांतपुर को जाने वाले रास्ते में चौकी अभी नहीं बनाई गई है क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन है फिर भी कार्यवाही चल रही है।

खादी उद्योग

230. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कहां कहां पर खादी की कताई, रंगाई तथा बुनाई के केन्द्र हैं ?

(2) उन केन्द्रों में सालाना कुल कितने मीटर खादी तैयार की जाती है ?

(3) खादी उद्योग को सरकार सालाना कितनी सहायता तथा कितना ऋण देती है ?

(4) क्या खादी के उद्योग हानि में चल रहे हैं ?

(श्री हंसराज आर्य)

(5) यदि नहीं, तो सालाना क्या लाभ होता है ?

(6) खादी के उद्योग में सालाना कितने मजदूरों को मजदूरी मिलती है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) राजस्थान के प्रत्येक जिले में खादी संस्था है जिनके द्वारा ऊनी सूती खादी के कताई व रंगाई केन्द्र चालू हैं । संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) राजस्थान में इन केन्द्रों के माध्यम से सन् 68·69 में ऊनी सूती 44·55 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन हुआ है ।

(3) सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिया जाता केवल बिक्री पर रिबेट के रूप में सहायता दी जाती है । सन् 68-69 में 2,00,000) दिए गये हैं ।

(5) खादी संस्था । समिति हानि-लाभ रहित सिद्धान्त पर उत्पादन होता है जिसमें-लाभ व हानि दोनों ही होते रहते हैं । जिसका भार संस्था । समितियों पर पड़ता है ।

(6) वर्ष 68–69 के उत्पादन में पूर्ण एवं आंशिक रूप में 72,440 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी दी गई)

चौथी योजना में कुटीर उद्योग

231. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खादी के अलावा क्या राजस्थान में और भी कहीं पर किसी प्रकार के छोटे उद्योग धन्धे सरकार की ओर से चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां कहां किस प्रकार के ?

(2) क्या यह मुनाफे में चलते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या चौथी योजना में कहीं कुटीर उद्योग चलाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कौन कौन से कुटीर उद्योग ?

उत्तर

(1) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

गंगानगर शुगर फैक्ट्री

232. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगानगर शुगर फैक्टरी को पिछले तीन सालों में क्या नफा-नुकसान रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावें ।

उत्तर

गंगानगर शुगर फैक्ट्री को पिछले तीन सालों में हुए शुद्ध लाभ के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

आंकड़े लाखों में

	रुपये
1966-67	6.56
1967-68	5.94
1968-69	1.62

होटलों को ऋण

233. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में कितने ऐसे होटल हैं जिनको सरकार ने कर्ज दिया है ? उनके मालिकों के नाम क्या हैं ?

(2) किस किस होटल को कितना कितना कर्ज कितनी अवधि के लिये दिया गया है तथा उस पर सूद की मात्रा क्या होगी ? सूची सदन की मेज पर रखी जावें ।

(3) क्या कहीं सरकारी होटल भी हैं ? यदि हां, तो कहां पर हैं ? और उनमें क्या टोटा नफा चलता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्तीय निगम द्वारा जिन होटलों को कर्ज दिया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टट होटल कॉरपोरेशन की स्थापना की है जिसके अन्तर्गत सिलीसेड (अलवर), जयपुर व उदयपुर में होटल हैं । इनका नियन्त्रण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा होता है अन्य विषय पर जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त की जानी चाहिए ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

ग्राम सारसर में बिजली

234. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) ग्राम सारसर, तहसील सरदार शहर (चूरू) के कितने निवासियों ने अपने घरों में बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आर० एस० ई० बी०, रतनगढ़ के कार्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त आवेदन-पत्र सरकार को कब प्राप्त हुए और अब तक उक्त प्रार्थियों को क्यों नहीं कनेक्शन दिया गया है ? अब कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) 56 लोगों ने । सूची 'ए' व 'बी' सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की तारीखें उपर्युक्त सूचियों में अंकित हैं । इनमें से 9 प्रार्थियों को कनेक्शन दे दिये गये हैं। तीन प्रार्थियों के सही पते नहीं मिल सके। शेष 44 व्यक्तियों को डिमान्ड नोटिस जारी कर दिये गये थे पर उन लोगों ने रकम जमा नहीं कराई । अत: इन 47 अर्जियों को कन्सिल कर दिया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

कलस्यानों का मोहल्ला झुन्झुनू में बिजली की व्यवस्था

235. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू नगर के केदार लाल हलवाई आदि नागरिकों ने जोशियों के गट्ठे के आगे कलस्यानों के मोहल्ले में घरों में बिजली देने के लिये प्रार्थना-पत्र

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सी० ई०, जयपुर, एस० ई०, बीकानेर, ए० ई० एन० चिरावा के पास एक लम्बे समय से दे रखे हैं ? और यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र दिये और अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक उन व्यक्तियों के घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक दे दिए जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि उसी मोहल्ले में कुछ व्यक्तियों के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, चिरावा के कार्यालय में बुक नं० 727 की रसीद नम्बर 64 से 77 तक दिनांक 16-9-67 को प्रार्थना-पत्र मय शुल्क के जमा कराये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति ने जमा कराये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित नियमानुसार प्रार्थना-पत्र सहायक अभियन्ता, चिड़ावा के कार्यालय में 16-9-67 को प्राप्त हुए। कुल 14 प्रार्थना-पत्र घरों में कनेक्शन हेतु आये थे जिनका रु० 2029.00 का एस्टीमेट बनाया गया। अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये।

(2) जी हां। कथित मोहल्ले में बिजली की लाइन नहीं थी और 1968-69 में चिड़ावा उप-खण्ड में इस प्रकार के कार्यों के लिये सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। आशा है अगली वर्ष कनेक्शन दे दिये जावेंगे।

(3) जी हां। जहां तक विद्युत लाइन का प्रसार है वहां कनेक्शन दिये हुए हैं।

(4) जी हां। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

गांव सूंडसर से बिजली की लाइन

236. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील नोखा के गांव सूंडसर से बिजली की लाइन ग्राम बाधनु, कुचेर अगुनी, कुचेर आथुनी में खेती के लिए बनाये गये कुओं पर विद्युत पहुंचाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

स्कीम रिपोर्ट बनाने पर लाभप्रद नहीं पाई गई।

प्राइवेट मीटर लगान की स्वीकृति

237. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत बोर्ड के फालना, बिलाड़ा एवं पाली कार्यालय के अधिकार क्षेत्रों ने कितने कितने उपभोक्ताओं के प्राइवेट मीटर लगे हुए हैं ?

(2) प्राइवेट मीटर लगाने की स्वीकृति किस कारण से दी जाने का नियम है ?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) फालना उप-खण्ड में 470, पाली उप खण्ड में 307 व बिलाड़ा उप-खण्ड में 15 उपभोक्ताओं के यहां प्राइवेट मीटर लगे हुए हैं।

(2) प्राइवेट मीटर विद्युत अधिनियम, 1946 की धारा 26(1) व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कन्डीशन्स ऑफ सप्लाई के नियम 19 के अन्तर्गत लगाये हैं जिसके अनुसार यदि उपभोक्ता चाहे तो अपना स्वयं का मीटर लगा सकता है, जिस पर मीटर किराया उपभोक्ता को नहीं देना पड़ता।

सादड़ी में बिजली के कनेक्शन

238. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सादड़ी (जिला पाली) के निम्न सज्जनों को कनेक्शन जिस जिस स्तंभ से दिये गये हैं उस उस स्तंभ से संबन्धित सज्जनों के मकान की दूरी कितनी कितनी है और उनमें से किस किस के नाम पर कितना कितना वेदरप्रूफ वायर विद्युत बोर्ड के फालना कार्यालय से इश्यू हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उपर्युक्त सज्जनों के नाम :-

1. श्री लक्ष्मीचन्द प्रेमचन्द, फ्लोर मिल नाईवाड़ा, सादड़ी।

2. श्री शंकरलल रमेशकुमार, फ्लोर मिल, नाईवाड़ा, सादड़ी।

3 श्री जेठालाल छोगालाल, रूपजी का वास, सादड़ी।

4. श्रीमती पानीबाई वाइफ ऑफ गजराजजी, कावेड़िया का वास, सादड़ी।

(2) क्या श्री पुखराज सागरमल, बहारों का वास, सादड़ी (जिला पाली) को मीटर नम्बर 137765 तारीख 18-6-65 को इश्यू हुआ था ? यदि हां, तो इनका कनेक्शन कब व क्यों काटा गया ?

उत्तर

(1) चारों उपभोक्ताओं के यहां वेदर प्रूफ वायर का विवरण निम्नलिखित है :--

क्रमांक	नाम उपभोक्ता	विद्युत स्तम्भ से दूरी	जहां पर आज की तारीख में लगा हुआ वेदर प्रूफ वायर	कार्यालय फालना से इश्यू
1	2	3	4	5
1	श्री लक्ष्मीचन्द प्रेमचन्द ...	21'	56×2=112'	..
2	श्री शंकरलाल रमेशकुमार ...	100'	120×2=240'	..
3	श्री जेठालाल छोगालाल ...	8'	26'	46'
4	श्रीमती पानीबाई पत्नि, श्री गजराजजी	80'	20'	104'

उपरोक्त संख्या 3 व 4 के लिये फालना कार्यालय से एस्टीमेट के हिसाब से ही वेदर प्रूफ वायर इश्यू किया गया था, पर वास्तव में तार इश्यु से कम काम में आया, जो कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय में जमा हुआ या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।

(2) जी हां। इस मीटर को इश्यू करने के लिए फालना उप-खंड के कार्यालय

Page No 34

(विद्युत् मंत्री)

से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था। यह मीटर किस तरह से और किसके आदेशों से श्री पुखराज सागरमल के यहां लगा था इसकी जांच की जा रही है और यह केस इस जांच हेतु पुलिस में दे दिया गया है। कनेक्शन कब काटा गया इसकी जानकारी की जा रही है। पुलिस की जांच के बाद इस बारे में विस्तृत विवरण का पता लगेगा।

जयपुर में नियुक्त अधिकारी

239. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाड़नू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस समय कार्य कर रहे सहायक अभियन्ता से लेकर ऊपर के अधिकारी जयपुर में कब कब से नियुक्त हैं तथा अब तक किन किन पदों पर उक्त अधिकारी रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अधिकारियों ने जयपुर शहर में अपने मकान कब से बना रखे हैं?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) वांछित सूचना प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

नागौर जिले की सड़कें

240. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) नागौर जिले में पी० डब्ल्यू० डी० की कितनी सड़कें हैं एवं उनकी लम्बाई कितनी है?

(2) क्या नागौर जिले में इन सड़कों पर परमानेन्ट गेंग रखी हुई है? यदि हां, तो कुल कितनी गेंग हैं एवं कितने व्यक्ति इन गेंगों में कार्य कर रहे हैं? इन व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति स्थायी कर्मचारी हैं एवं कितने अस्थायी व्यक्ति हैं? वर्ष 1968-69 में किस किस सड़क पर इन गेंगों ने कितना कितना काम किया एवं कितना काम करने हेतु केज्युअल लेवर लगाया एवं कितना काम बाढ राहत फण्ड से किया गया?

(3) प्रत्येक सड़क पर बाढ राहत फण्ड से नागौर जिले में ता० 31-1-69 तक कितना कितना रुपया व्यय हुआ है तथा यह व्यय मजदूरों की मजदूरी चुकारे में कितना व ट्रकों से मुरड ढुलाई में कितना कितना, किस किस सड़क पर हुआ है?

(4) नागौर जिले की खाटू बड़ी कठोती सड़क जायल-सियाला सड़क व डेह जायल सड़क तरणाऊ, खाटू बड़ी सड़क, खिवसर-बराथल सड़क व मूडवा-कुचेरा सड़क पर क्या बाढ राहत कार्यों में मरम्मत का कोई भी काम हुआ है? यदि हां, तो किस सड़क पर कितना रुपया व्यय [illegible]आ? बकाया सड़कों की मरम्मत कब तक हो जावेगी?

उत्तर

(1) नागौर जिले में कुल 65 सड़कें हैं जिनकी लम्बाई 1537 किलो मीटर है।

(2) जी हां। 63 गेंग हैं। कुल 276 व्यक्ति कार्य करते हैं। जिनमें 256 स्थाई एवं अर्ध स्थाई हैं। तथा शेष 27 व्यक्ति अस्थाई हैं। गेंगों ने जो कार्य किया उसकी सूची संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) सूची संलग्न है ।

(4) बड़ी खाटू कठोती रोड एवं तरनाऊ से बडी खाटू रोड पर क्रमशः 1262 तथा 1101 रुपया व्यय हुआ है । शेष रोड विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई).

कोलायत से अनोपगढ़ सीमा सड़क का निर्माण कार्य

241. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर की कोलायतजी तहसील हैडक्वार्टर से तहसील अनोपगढ़ तक सीमा सड़क बनाने का राज्य सरकार का इरादा है ?

(2) क्या यह सही है कि सीमा सुरक्षा की दृष्टि से यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है? यदि हां, तो इस सड़क को कब तक पूरा करवा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सीमा सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी सड़क महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय भारत सरकार पर निर्भर है । प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा राजलदेसर के हरिजनों द्वारा पट्टे बनाने के लिये आवदन पत्र

242. **श्री रावत राम** (छापर): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्वा राजलदेसर (चुरू) के हरिजनों ने रिहायशी पट्टे बनाने के लिये नगर पालिका राजलदेसर को दरख्वास्तें दी हैं ? यदि हां, तो कितनी दरख्वास्तें कब दी और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) उक्त दरख्वास्त कर्त्ताओं को कब तक पट्टे दे दिये जायेंगे ?

(स्थगित किया गया)

गांधी शताब्दी वर्ष में पिछड़ी जाति के लोगों को नोखा में दी गई भूमि

243. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:

(1) बीकानेर जिले की नगरपालिका नोखा के अधीनस्थ बसने वाले पिछड़ी हुई जाति के लोगों को इस गांधी शताब्दि वर्ष में कितनी रिहायशी भूमि रियायती तौर पर कितने व्यक्तियों को दी गई ? जिन व्यक्तियों को भूमि दी है, उनका नाम व भूमि के नाप सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका नोखा को पिछड़ी जाति के लोगों की रिहायशी भूमि की फाइलें राज्य सरकार के विचाराधीन काफी लम्बे अर्से से पड़ी हैं ? अगर हां, तो किस किस व्यक्ति की फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, इनके नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) किसी भी व्यक्ति को अब तक रिहायशी भूमि रियायती तौर पर नहीं दी गई है ।

Page No 36

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) नगरपालिका नोखा को पिछड़ी जाति के लोगों की रिहायशी भूमि देने सम्बन्धी कोई फाईल राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अतः सूचि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सवाई माधोपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के सदस्य

244. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं और उक्त नोमीनेटेड कमेटी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जगह दी गई या नहीं?

(2) जबसे नोटिफाइड एरिया कायम हुआ तब से आज तक कितनी जमीनें बेची गई और उससे कमेटी को कितनी आय हुई ?

(3) उक्त बेची गई जमीनों में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कितने प्लाट्स दिये गये।

(स्थगित किया गया)

ग्राम हलोर एवं अरनोद वाटर वर्क्स का कार्य

245. **श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़):** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम हलोर और अरनोद में विभाग द्वारा वाटर वर्क्स का कार्य चालू कराने बाबत सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब और यह कार्य कितना हो चुका है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि नियमानुसार दोनों जगह के पांच हजार रुपये विभाग में जमा करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और कार्य चालू नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम अरनोद का इसी वर्ष सर्वे करा लिया गया है तथा योजना तैयार की जा रही है। ग्राम हलोर की ओर से कोई पंचायत का प्रस्ताव मय जिलाधीश के प्रमाणपत्र के प्राप्त न होने के कारण सर्वे नहीं कराया गया।

(2) जी नहीं, केवल ग्राम अरनोद की ओर से रु० 5000/ की धनराशि दि० 13-3-69 को जमा कराई है। योजना का कार्य योजना के पूर्णतया बन जाने पर इसको स्वीकृति एवं धनराशि की उपलब्धि पर हाथ में लिया जा सकेगा। हलोर की ओर से अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

किरायेदारों से निर्धारित दर से ज्यादा पानी के पैसों की वसूली

246. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जल प्रदाय नियमों के अन्तर्गत उपभोक्ता को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि वह राजकीय दर से अधिक दर पर अन्य

(श्री मूलचन्द डागा)

व्यक्तियों को जल का बेचान कर सकें ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे उचित समझती है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में ऐसे कई मकान मालिक हैं जो विभाग को निर्धारित दर पर जल की कीमत चुकाते हैं तथा अपने किरायेदारों को पृथक-पृथक नलों के कनेक्शन देकर उनसे मनमाने पैसे वसूल करते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान जल प्रदाय नियम 1969 में इस समय का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी नहीं, । राज्य सरकार को इस प्रकार के नियम बनाने का अधिकार है ।

(3) इस आशय की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

पीने के पानी की समस्या का समाधान और व्यय की गई राशि

247. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने अब तक पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिये कितना 2 रुपया शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिये खर्च किया तथा आबादी के अनुपात में प्रति व्यक्ति शहरों व ग्रामों में कितना 2 खर्चा हुआ ?

(2) उपरोक्त खर्चे से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की कुल जन संख्या के कितने प्रतिशत लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हो चुकी है ?

(3) राज्य में पूर्ण रूप से पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वर्ष 1968-69 तक निम्न प्रकार व्यय किया गया ।

शहरी क्षेत्र	प्रतिव्यक्ति व्यय
रु० 1282.34 लाख	रु० 39.08
ग्रामीण क्षेत्र	**प्रतिव्यक्ति व्यय रु०**
852.69 लाख	5.05

(2) शहरी जनसंख्या 81% एवं ग्रामीण जनसंख्या के 4% लोगों के लिये पीने के पानी व्यवस्था हो चुकी है।

(3) इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, राजस्थान में पूर्ण रूप से पीने के पानी की व्यवस्था के लिये लगभग 70 करोड़ रुपयों की धनराशि की आवश्यकता है । अतः धनराशि उपलब्धि पर ही यह सम्भव हो सकता है।

लक्ष्मणगढ़ में नियुक्त तहसीलदार

248. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ में सीकर के रहने वाले तहसीलदार श्री कृष्ण शर्मा को लगाया था? यदि हां, तो उसको सीकर जिले में लगाने का क्या कारण था?

(2) क्या सरकार का ऐसा नियम है कि जो जिस जिले का रहने वाला हो, वह उस जिले में तहसीलदार नहीं लगाया जा सकता?

(3) क्या यह भी सही है कि उनका लक्ष्मणगढ़ से तबादला करके नीम का थाना जिला सीकर में ही लगाया? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। श्री कृष्ण शर्मा तहसीलदार, सीकर के रहने वाले हैं। राजस्व मंडल, राजस्थान के आदेश संख्या आर० एफ० (7) विविध आर० टी० एस० 67/13609-18 दिनांक 15-7-67 के द्वारा इनको जिला सीकर में आवंटन किया गया था। तहसील लक्ष्मणगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार का स्थानान्तरण अन्य तहसील में होने से श्री शर्मा का पोस्टिंग तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के पद पर किया गया।

(2) जी हां। राजस्व मंडल को इनका स्थानान्तरण स्वयं के जिले से बाहर करने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

(3) जी हां, इनका स्थानान्तरण लक्ष्मणगढ़ से नीम का थाना किया गया क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में इनका कार्य काल दो वर्ष से अधिक हो गया था।

गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र

249. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर जिले में भूमिहीन अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों की कितनी 2 अर्जियां भूमि आवटन हेतु तहसीलवार आई?

(ख) इन भूमिहीन अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों में से कितनों को कितने 2 बीघा जमीन आवंटित की गई? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) गंगानगर जिले में भूमिहीन व्यक्तियों की कितनी अर्जियां आई उनसे सरकार को स्टाम्प आदि से कितनी से कितनी आमदानी हुई?

(स्थगित किया गया)

शामलात कमेटी केकड़ी की जायदाद

250. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व शामलात कमेटी, केकड़ी की जायदाद (प्रोपर्टी) किस किस विभाग के सुपुर्द की गई है? सूची सदन में रखने की कृपा करें।

(2) केकड़ी नगर के मध्य शामलात की जो हवेली व नोहरा व दफ्तर है वह किन के अधिकार में हैं?

(3) उक्त जायदादों का मुआवजा किन किन को व कितना कितना देना तय हुआ है? सूची सदन में रखें।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(4) शामलात कमेटी का अजमेरी गेट के बाहर पुराना मोटर गैरेज जो नगरपालिका के किराये पर था उसका शामलात कमेटी को क्या मुआविजा दिया गया या नहीं? क्या नगरपालिका ने इस किराये की भूमि को बेच दिया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) भूतपूर्व शामलात कमेटी, केकड़ी की जायदाद शामलात के वक्त से ही राजस्व विभाग के अधीन थी जो कि पटवारियान कस्बा केकड़ी के कार्यालय एवं निवास के कार्य में आती है। शामलात समाप्त होने के पश्चात ऐसी जायदाद स्वयं ही राज्य सरकार में निहित हो गई है।

(2) उक्त जायदाद राजस्व विभाग तहसील केकड़ी के अधीन है।

(3) कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि मुआवजा दिये जाने का अजमेर शामलात कमेटी (डिज्यूलेशन) एक्ट, 1963 की धारा 6 में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) केकड़ी में अजमेरी गेट के बाहर शामलात कमेटी का मोटर गैरेज नहीं बल्कि भूमि जो मोटर गैरेज के नाम से है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार इस जायदाद की भूमि का खसरा नम्बर 2745 था जिसका कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वान्सी किस्म जमीन रास्ता है। इसी खसरा नम्बर के कुछ रकबे पर मोटर गैरेज कायम था। शामलात कमेटी उन्मूलन के पश्चात यह कुल खसरा सरकार में निहित हुआ और तहसील केकड़ी ने 1-11-64 को नगरपालिका केकड़ी को स्थानान्तरित किया। शामलात कमेटी के पास जितनी भी भूमि थी वह जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हुई तत्पश्चात राज्य सरकार के यह आदेश होने पर कि नगरपालिका सीमा में जितनी भी भूमि शामलात की राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निहित हुई निर्धारित प्रीमियम नगरपालिका द्वारा अदा करने पर नगरपालिका को स्थानान्तरण करदी जावे। अतः अन्य भूमियों के साथ यह मोटर गैरेज की भूमि भी नगरपालिका केकड़ी को स्थानान्तरण कर दी गई।

कोठी में आवंटित भूमि

251. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या तहसीलदार हिन्डोली ने छीतर वल्द कल्याण लाल मीणा, साकिन कोठी को खसरा नम्बर 165 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि दिनांक 23-5-60 को भू-आंवटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दी थी?

(2) क्या तहसीलदार हिन्डोली ने उसी जमीन का नोटिस जारी कर दिया है और दूसरे को वह जमीन जुपा दी गई है।

उत्तर

(1) जी हां, मिसल नम्बर 827 दिनांक 23-5-60 को छीतर पुत्र कल्याण लाल मीणा कोठी को खसरा नम्बर 165 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा दिनांक 23-5-60 को अलॉट हुई है।

(2) सब डिवीजनल ऑफिसर, नैनवा की आज्ञा संख्या 909/ आर० सीई दिनांक 18-5-67 से भूमि का उपरोक्त आवंटन

(राजस्व मन्त्री)

खारिज हो गया और भूमि सिवाय चक दर्ज हो गई है। भूमि पर अभी कब्जा छीतर का ही है। बेदखल नहीं हो सका है। इसलिये दूसरों को जमीन जुताने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

लूणकरणसर के अधीनस्थ ग्रामों में काश्त की भूमि

252. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

तहसील लूणकरणसर के अधिनस्थ कितने ऐसे ग्राम हैं जिनमें काबिल काश्त भूमि पड़ी है ? गांववाइज सूची, भूमि कितने कितन एकड़ है, दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील लूणकरणसर के अधीनस्थ जिन ग्रामों में काबिल काश्त भूमि है उसकी ग्रामवाइज सूची भूमि एकड़ों में दर्शाते हुये संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्रामदानी गांवों के प्रतिनिधि का चुनाव

253. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर में ग्रामदानी गांव के प्रतिनिधि का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अब उक्त ग्राम सभा के प्रतिनिधि का चुनाव कब तक हो जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम डूंसरा में चरनोट व तालाब तलाई की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

254. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां तहसील के ग्राम डूंसरा के किसानों ने सरकार के पास ग्राम की चरनोट व तालाब तलाई आदि की भूमि को कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से जबरन फाड़कर खेती करने संबंधित लिखित शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या क्या कार्यवाही की ?

(2) उक्त ग्राम की कितनी बीघा चरनोट आदि थी तथा कौन कौन तालाब व तलाई आदि की भूमि को किस किस व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से फाड़ी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। जिन व्यक्तियों ने अनधिकृत रुप से चरनोट तालाब इत्यादि भूमि पर खेती की है, उनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(2) उक्त ग्राम की चरागाह की 170 बीघा 16 बिस्वा तालाब की 20 बीघा 5 बिस्वा व तलाइयों की 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर 76 व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है जिनकी सूची संलग्न है। (सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

पटवार ट्रेनिंग स्कूल, टोंक

255. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पटवार ट्रेनिंग स्कूल, टोंक में जनवरी, 1969 के बाद वाले बैच में कितने विद्यार्थी दाखिल किये गये तथा उनमें अनुसूचित जाति के कितने है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि टोंक जिले में जिन पांच ट्रेनीज को लिया गया है उनमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है ? यदि हां, तो यह नियम व सरकारी आदेशों के विरुद्ध कार्य क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) पटवार ट्रेनिंग स्कूल, टोंक में जनवरी 5, 1969 के बाद वाले बैच में सर्व प्रथम 51 उम्मीदवारों को प्रवेश करने के आदेश दिये गये थे किन्तु बाद में एक उम्मीदवार श्री गोपाललाल पुत्र दुर्गालाल नियमों के तहत नहीं आने के कारण उसको शाला में प्रवेश नहीं दिया गया। इस प्रकार उक्त शाला में उम्मीदवारों की कुल संख्या 50 रही थी। इन 50 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवार अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के हैं। इनकी नाम वार सूची संलग्न है।

(2) यह सत्य नहीं है। टोंक जिले में जिन पांच प्रशिक्षणार्थी का चयन किया गया था उनमें से एक श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र अर्जुनलाल अनुसूचित जन-जाति के हैं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये 12½ प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया हुआ है इस प्रकार टोंक जिले से एक अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों का चयन करने से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोटे की पूर्ति हो जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

मोहन्स स्कूल, टोंक

256. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक में समाज कल्याण द्वारा सहायता प्राप्त मोहन्स स्कूल कौनसे सन् से प्रारंभ हुआ था और विभाग द्वारा अब तक कितने रुपये किस किस सन् में सहायता के दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस पाठशाला में कितने कितने अध्यापक किस साल में रहे और कितने कितने लड़के लड़कियों ने कौनसी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की ? हर साल हर कक्षा में प्रवेश विद्यार्थियों की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(3) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा अब इस संस्था को सहायता देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? क्या अब यह स्कूल चलता है या नहीं ?

उत्तर

(1) मोहन्स स्कूल, टोंक जिसे समाज कल्याण विभाग सहायता देता है की स्थापना सन् 1944 में हुई थी। उसे दी गई सहायता की वर्षवार सूची संलग्न है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता सन् 1954–55 से दी जाने लगी।

(समाज कल्याण मन्त्री)

(2) इस पाठशाला में विभाग द्वारा केवल एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक का ही पद स्वीकृत था। प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों की सन् 1962-63 से वर्षवार कुल संख्या संलग्न तालिका में दी गई है। कक्षावार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। शिकायतों के आधार पर जिन्हें जांच करने पर सत्य पाया गया तथा योग्य अध्यापक न होने के कारण व पास में शिक्षा विभाग का स्कूल, जहां हरिजन छात्र सवर्णों के साथ अध्ययन कर सकते हैं, होने के कारण इस स्कूल, की मान्यता दिनांक 27-5-1969 के पत्र द्वारा रद्द कर दी गई तथा सन् 1969-70 से सहायता देना बन्द कर दिया गया।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर के मंडोर के बगीचे में वहां के ऐतिहासिक दुर्ग को राज्य सरकार द्वारा गिराये जाने से भारतीय संस्कृति के प्रतीक के विघटन से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से मिली है जिसमें श्री वेदप्रकाश गोयल, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अलवर द्वारा एक चपरासी को पीटने का उल्लेख किया गया है।

जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, श्री केदारनाथ श्री रामकिशन, श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री नत्थीसिंह, सदस्य. विधान सभा द्वारा दी गई हैं जिसमें जयपुर सर्किल गार्डन वर्क्स यूनियन, जयपुर जिला पी० डब्लू० डी० मजदूर संघ एवं राजस्थान होटल वर्क्स मजदूर संघ के सदस्या द्वारा अपनी मांगों को लेकर राजस्थान विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने का उल्लेख किया गया है।

इन विषयों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त गंगानगर तथा चूरु जिले में किसान संघर्ष समिति द्वारा किसानों की समस्याओं के संबन्ध में चल रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं निम्नांकित सदस्यों से प्राप्त हुई हैं :

श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रामकिशन, श्री केदारनाथ, श्री आदित्येन्द्र, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री मेघराज पंवार, श्री दौलतराम सारण, श्री जुझारसिंह, श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा, श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, श्री रामप्रसाद बोहरा, श्री कृष्णकुमार, गोयल, श्री रावत राम, श्री रामप्रसाद बोहरा, श्री रामसिंह कुड़ी व श्री लाभचन्द वैद।

इस आन्दोलन के सम्बन्ध में किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों एवं मुख्य मंत्री महोदय के बीच वार्ता चल रही है। ऐसी मुझे जानकारी मिली है। अतः मैं

(श्री अध्यक्ष)

चाहूंगा कि वार्ता की समाप्ति पर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के माननीय सदस्यों को वार्ता के परिणामों के संदर्भ में स संबन्ध में स्टेटमेन्ट देने की कृपा करें ।

तीन और स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं और इनका उल्लेख नीचे किया जाता है ।

श्री रात्रतराम, श्री लाभचन्द वैद, श्री श्रवणलाल व श्री मेघराज पंवार, सदस्य, विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें यह कहा गया है कि लगभग गत चार माह से नगरपालिका छापर जिला चूरू के हरिजन कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है तथा नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों के वेतन, एरियर, मंहगाई आदि के लगभग 60,000 रु० बकाया निकलते हैं । राज्य सरकार द्वारा भी इस विषय में हरिजनों को उनकी बकाया राशि दिलाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिसके कारण हरिजनों द्वारा हड़ताल किये जाने से कस्बे में गंदगी के ढेर इकट्ठे हो गये हैं और बीमारी फैलने की आशंका है ।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामसिंह कुड़ी, श्री हरजीराम बुरड़क, विजयसिंह मकराना, श्री परसराम व श्री गोरघन सोनी, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है । जिसमें नागौर जिले की सर्वदलीय संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 26–2–70 को एक ज्ञापन जिलाधीश नागौर के माध्यम से राज्य सरकार को दिया जाना बतलाया गया है किन्तु ज्ञापन में क्या मांगें की गई हैं उनका उल्लेख नहीं है ।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बीकानेर शहर में 7,000 हरिजन परिवार को रिहायशी जमीन के पट्टे 22 वर्ष बाद भी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है ।

ये मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज उन पर विचार किया जावे । इसके अतिरिक्त बजट की मांगो एवं विनियोग विधेयक पर विचार के समय भी इन विषयों पर संबंधित सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा । अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के अतिरिक्त एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना रामबाग पेलेस होटल के मजदूरों द्वारा दिनांक 16 मार्च, 70 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल घोषित करने के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी । इस विषय में राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि रामबाग पैलेस होटल के मजदूरों व मालिक में वेतन वृद्धि, मकान किराया भत्ता आदि से संबंधित विवाद को लेकर एक समझौता दिनांक 29-10-69 को हुआ था और यह तय हुआ था कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न हो जाये तब तक समझौते के आधार पर कार्यवाही चलती रहेगी । इस बीच राजस्थान पैलेस होटल के मजदूरों द्वारा हड़ताल का नोटिस दे दिया गया तथा इस संबंध में पुनः वार्ता के लिये दिनांक 21 मार्च, 70 की तिथि निश्चित हुई है ।

Page No 44

(श्री अध्यक्ष)

ऐसी स्थिति में, मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह रामबाग पैलेस के कर्मचारियों की हड़ताल 16 तारीख से चल रही है। आपने जो व्यवस्था दी है उस संबंध में, उस पर मैं यह निवेदन करूंगा कि वार्ता 21 को कर रहे हैं बेशक। पर जो वार्ता मजदूर यूनियन से की गई उसका कोई भी नतीजा निकला नहीं है। इसलिये मजदूरों को हड़ताल पर जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं रामबाग होटल महाराजा जयपुर का है। वहां पर सबसे हाइएस्ट चार्जेज हैं और इसके बावजूद भी वहां के कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिले, वर्दी नहीं मिले यह कितने खेद की बात है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है इसको।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं वार्ता का परिणाम नहीं निकला है इसलिए तो हड़ताल पर जाना पड़ा है। कम्पलीट स्ट्राइक है। इसलिये 21 तारीख की वार्ता से क्या लाभ होगा ? सरकार को इसमें इमीजिएटली हस्तक्षेप करके श्रम विभाग मन्त्रीजी से स्टेटमेन्ट दिलवाया जाना चाहिए कि आखिर क्यों मजदूरों को हड़ताल पर जाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है इसमें जेलों के अन्दर....

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर में मलूसर बस्ती में अनुसूचित जाति के लोगों की 10/12 झोपड़ियां हैं। आज कितनों को ही नोटिस दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे यहां नहीं कहिये माननीय सदस्य। जब यह मामला हाउस में आवे तब या अलग से कहिये। इस संबंध में प्रश्न नहीं आया है, यहां अभी।

श्री भगवानदास शास्त्री : काल अटेन्शन नोटिस दिया है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पर आज वह है नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : मकान उनके तोड़ने के नोटिस मिल गये हैं। उनमें से एक की वाइफ बीमार है, कहां जायेगी। कहीं उनकी मृत्यु न हो जावे। अजमेर, अध्यक्ष महोदय, तीन हिस्सा में बंटा है। थोक मालियान, थोक तेलियान, थोक मोचियान। अब क्या उसको कब्रिस्तान समझकर मकान तोड़ना चाहते हैं आप।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने मजदूरों की हड़ताल का जो जिक्र किया उसके साथ साथ पी० डब्लू० डी० के और कर्मचारी भी हैं, बागात के कर्मचारी भी हैं। इतने मजदूरों की हडताल के बारे में सरकार को जानकारी न हो ऐसी बात नहीं है। अरसे से यह बात चल रही है इसलिए निवेदन है कि इस संबंध में श्रम मंत्रीजी से स्टेटमेन्ट दिलाने की व्यवस्था करें।

साथ ही दूसरा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है बड़े अहम मुद्दे पर है वह। पश्चिमी बंगाल में जैसी स्थिति उत्पन्न हो

Page No 45

(श्री नत्थीसिंह)

गई है जिससे लोगों की मृत्यु हुई है, जिससे वन्द हुआ है, जो उत्पात मच रहा है उससे आप भी परिचित हैं। राजस्थान के प्रवासी लोग वहां रहते हैं। आंतक की स्थिति वहां पर है। नागरिकों की जान माल को लूटा जा रहा है, महिलाओं का अपहरण और शीलभंग की घटनाएं निरन्तर हो रही हैं। लॉ और आ र वहां रह नहीं गया है। सब तरह की शान्ति और व्यवस्था वहां की भंग हो चुकी है। वहां कोई राज्य भी नहीं है। अजय मुखर्जी ने स्तीफा दे दिया है। हिंसा की, लूटमार की कार्यवाहियां हो रही हैं। राजस्थान के निवासी काफी संख्या में वहां हैं उनका जीवन खतरे में है। वे आतंकित हैं इसके लिये सदन में निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस पर कहूंगा। एक स्थगन प्रस्ताव स पर श्री रामकिशनजी, श्री मुकुट विहारीलालजी, श्री नत्थीसिंहजी, आदि आदि माननीय सदस्यों का पश्चिमी बंगाल के बारे में प्रस्तुत हुआ है। इससे पूर्व एक काल अटेन्शन नोटिस माननीय श्री सतीशचन्द्र जी का भी इस संबंध में आ गया है। इसके महत्व पर मुझे कुछ नहीं कहना है। प्रश्न यह है कि अखबारों से जो जानकारी है उस में और यथार्थ में जानकारी हो इसमें भेद है।

श्री भगवानदास शास्त्री : राजस्थान के लोग भाग भाग कर आ रहे हैं। क्या यह यथार्थ जानकारी नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या आपकी यथार्थ जानकारी है कि वहां शान्ति है ?

श्री अध्यक्ष : तो मेरा सेमीकोलन और कोलन भी नहीं हुआ है। इसके महत्व पर नहीं कहना है मुझे कुछ। जो भावनाएं माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं उनमें भी वजन है। मैंने जानकारी प्राप्त की है।

दूसरा प्रश्न यह है कि ये घटनाएं नोटिस में आने लगी हैं, कल और आने वाली हैं तो मैं यह सोच रहा हूं, कि इस स्थगन प्रस्ताव को या काल अटेन्शन नोटिस को बीच में लूं या सारी घटनाएं पूरी तरह से सामने आ जावे तब लूं ! इस दृष्टि से यह आपके लिये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी बंगाल में ये घटनाएं हुई, कल क्या होंगी, अभी क्या हो रही हैं तो इस सबके बारे में पूरी तरह से पिक्चर सामने हो और फिर सामुहिक रूप से चर्चा हो, आरम्भ मध्य अन्त छोड़ दीजिये तो सारी स्थिति जो विषम है उसके आने पर यदि कोई चर्चा की अनुमति दी गई तो वह उचित होगा। लेकिन मैं इसमें आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। मैंने निवेदन किया कि बजट पर चर्चा चल रही है। मुझे इसके दौरान में इसके लिये समय निर्धारित करना है। और चूंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिये समय कोई आध घंटे का हो ऐसा भी नहीं दिखता है इसलिए इस सारे प्रश्न को देखते हुए जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं इस पर व्यवस्था दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : तब तक इसमें बहुत देर हो जावेगी।

श्री नत्थीसिंह : ज्यादा मौतों का इन्तजार नहीं किया जावे।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, इसे मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाय। राजस्थान के लोग हमारे

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

मारवाड़ी भाई लाखों की संख्या में वहां बसे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं देंगे।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उनकी चिन्ता नहीं करेंगे हम राजस्थान के लोग तो कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपको। चर्चा नहीं माननीय सदस्य। सिर्फ प्रश्न यह है कि इसे कब लिया जावे और किस ढंग से लिया जावे। यह प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी विनम्रता से निवेदन करता हूं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: इस सदन की भावनाओं को देखते हुए हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं यह हमें सोचना चाहिए। आर०ए०सी० को हमें सतर्क कर देना चाहिए और अगर आवश्यकता पड़े तो हमारे भाइयों की रक्षा के लिये हमें उसे भी वहां भेजना चाहिए। एक राज्य में हिंसा की स्थिति पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष: इससे पूर्व चर्चा नहीं होगी। आपने ध्यान आसन का आकर्षित किया ?

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : अगर संकट की घड़ी में भाई भाई के काम नहीं आया तो कौन आवेगा ? भाई की रक्षा में खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने भी तो यही निवेदन किया है। भावनाओं का जहां तक संबंध है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अपने बिजनैस को देख कर जिस रूप से एडजस्ट करना ठीक होगा, किया जा सकेगा। इस बीच राज्य सरकार का भी उत्तर देखना होगा क्या आता है। इस संदर्भ में और विषम स्थिति के सन्दर्भ में आप देखें आज तो कल वापिस आवेगा फिर तब क्या होगा।

श्री भैरोंसिंह : आवेगा तो आवेगा।

श्री अध्यक्ष : जब मेरे सन्मुख सारी स्थिति का अध्ययन हो तो मैं इस बजट के बाद विवाद को देखकर कहां एडजस्ट कर पाऊंगा यह मेरी चिन्ता है। आपकी व्यक्त भावनाओं को मैं समझता हूं। मैं चाहता हूं आज या कल जानकारी और आ जावेगी तो कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : वोट के खातिर मुख्य मंत्री वहां जा सकते हैं। राजस्थानियों को उकसा सकते हैं कि कांग्रेस को वोट दो। पर राजस्थानी वहां लुट रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं, महिलाओं पर बलात्कार किये जा रहे हैं, राजस्थानी मर रहे हैं उनको सान्त्वना देने और उनकी मदद करने आप नहीं जा सकते....

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जावे।

श्री देवीदत्त गाड़िया । × × ×

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जावे।

× × ×अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री वृद्धिचन्द : हमारी बहुत ज्यादा सहानुभूति है उनके प्रति ।

श्री अध्यक्ष : इसके महत्व को कम मत करिये ।

अब रामचन्द्रजी साहब आर्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसमें मैंने जो गंगानगर में आन्दोलन चल रहा है चूरू और गंगानगर में–उसमें जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में रखा है । आपने जो व्यवस्था दी है वह उनसे संबंधित नहीं है। सत्याग्रहियों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है । खाना, चाय आदि भी नहीं दे सकते । समय पर नहीं दे सकते। लाठियों से उल्टा उनको पीटा जाता है । यह जुल्म इस सरकार द्वारा किया जा रहा है । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है । जनता को भड़काने वाली कार्यवाही है । XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय श्री आर्य । अंकित न किया जावे ।

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । अंकित न हो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : X X X

श्री नत्थी सिंह : आपने धीरे से कहा है ।

श्री मुकुटबिहारी लाल : इसमें मानवीय दृष्टिकोण भी है ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं उसके बाद कहिये ।

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : अभी जो तथ्य आये हैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में.... .

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने मेरे प्रस्ताव को पढ़ कर नहीं सुनाया है ।

श्री अध्यक्ष : बहुत ज्यादती है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था जहां तक आपके स्थगन प्रस्ताव के तथ्य हैं, उसमें जो उल्लिखित स्थिति है वह तो है ही, इसके अलावा समझौता वार्ता चल रही है । उस संदर्भ में आपके स्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्य एवं स्थितियों पर, इन सारे प्रश्नों पर स्टेटमेन्ट देने का है । मैंने जो व्यवस्था दी है उसके अन्दर जो वार्ता चल रही है और जो आपके स्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्य हैं इनदोनों का समावेश मैंने किया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : चूरू और गंगानगर जिलों में जिस प्रकार से सत्याग्रहियों X X X

श्री अध्यक्ष :अंकित नहीं किया जाय ।

श्री रामचन्द्र आर्य : X X X X

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । अंकित नहीं किया जाय ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : माननीय सदस्य की व्यग्रता का कारण है । मा०सदस्य एक महीने की सजा भुगत कर आये हैं.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जिस ढंग से बातें रखी हैं उसको मैं व्यग्रता नहीं समझ सकता वह और कुछ ही है ।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपने इनको सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ××××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय ।

श्री दौलतराम सारण : जो रामचन्द्र जी आर्य ने सत्याग्रहियों की दुरवस्था के बारे में जो बातें रखी हैं और जो इन्होंने सहानुभूति जाहिर की है उन शब्दों को क्या प्रोसीडिंग्स से हटा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : हां हटाया है ।

श्री दौलतराम सारण : यह आपत्तिजनक है ।

श्री अध्यक्ष : आपत्तिजनक नहीं क्योंकि व्यवस्था दिये जाने के बाद व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जाती । मैं उनकी तरफ बड़ी उदार दृष्टि से देखा करता हूं लेकिन उधर से चुनौतियां हो जाती हैं । आप नियमों को बदल दीजिये । ताकि शुरू में ही सारे भाषण आरम्भ होजाया करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने यह प्रस्ताव रखा है जो अत्याचारों से संबंधित है आप उसको वार्ता से जोड़ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं अब रघुपति राघव राजाराम बोलूं सब को सन्मति दे भगवान ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन यह है कि आपने कुछ स्थगन प्रस्तावों के संबंध में व्यवस्था दी थी कि सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जायगा । इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि जो स्थगन प्रस्ताव दिये जाते हैं तत्काल उन पर विचार किया जाय इसलिए दिये जाते हैं । मैंने मेड़ता चुनाव में जो मत पत्रों की गड़बड़ी हुई उस संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया था । दूसरे दिन उस पर व्यवस्था दी गई कि इस पर सरकार की ओर से स्टेटमेन्ट दिया जाय । वह स्टेटमेण्ट होगा या नहीं होगा । होगा तो इसमें इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? जब सरकार की ओर से वक्तव्य देने में विलम्ब होता है तो हमारी भावनायें उग्र होती हैं और फिर आप बीच में आ जाते हैं । सदन में उग्रता न आवे इसलिए यह आवश्यक है कि आप हमारी भावनाओं के अनुसार कार्य करते रहें तो सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चलेगी । मतपत्रों की जालसाजी, विवेकानन्द छात्रावास का मामला इस बारे में कब वक्तव्य दिया जायगा । यह बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : जो आपने प्रश्न किया है मतपत्रों के संबंध में उस पर स्टेटमेन्ट देने का है यह व्यवस्था मैंने दे दी है अब केवल प्रश्न है समय निर्धारण का ।

माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं रात्रि को दस बजे और 11 बजे तक कार्यवाही चलती है उस स्थिति में समय का निर्धारण इस बारे में किया जाना शेष है । मेरा इस प्रश्न को टालने का इरादा नहीं है और न रखता हूं मैं इसे लेना चाहता हूं । तारीख तय करने की बात है, सुविधाजनक कोई तारीख एडजस्ट कर सकूं ।

इसी तरह से पश्चिमी बंगाल के बारे में भी स्थगन प्रस्ताव और काल अटेन्सन नोटिस मेरे ध्यान में हैं ।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

Page No 49

श्री भेरोंसिंह : आप ही सरकार को लेटीटयूड देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें उग्रता मत लाइये। इसमें सरकार का प्रश्न नहीं है, समय का प्रश्न है। मैं इन के लिये कोई समय एडजस्ट करना चाहता हूं।

श्री भेरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें आपके द्वारा समय निश्चत करने का सवाल नहीं है। आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार सुविधानुसार स्टेटमेंट देगी। आप जो सुविधा की स्थिति का जिक्र करते हैं उसका सरकार बेजा फायदा उठाती है, उसका दुरुपयोग करती है। चाहिये तो यह था कि सरकार उसी समय स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हो जाय।

श्री अध्यक्ष : दुरुपयोग नहीं किया गया।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : बैलट पेपर्स मेड़ता वाला जो एडजोर्नमेण्ट मोशन है, उस संबंध में परसों मैं यहां पर व्यक्तव्य दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अटरु से संबंधित मेरा प्रस्ताव था .....

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा भी नहीं सोचते झट से कोई न कोई प्रश्न उठा देते हैं। मैंने व्यवस्था दे दी है। उसके बाद उस बारे में न बोला जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शहरियों की हत्या होजाय, हथियार बरामद न हो, हत्यारे छिपते फिर.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण करें।

अनुदान की मांगों पर विचार

अनुदान की मांगों का उपस्थापन

मांग संख्या 14

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य पाल महोदय को 69,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 21

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 59,82,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 39

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,18,85,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

मांग संख्या 16

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,03,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

मांग संख्या 17 व 37

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 – जन स्वास्थय के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,11,80,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94 – जनस्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,19,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

श्री अध्यक्ष : श्री विठल प्रसाद।

मांग संख्या 16, 17, 37, 14, 21, व 39 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :

1. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाईयों की कमी व अस्पतालों की कमी पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 17

2. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 50-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवश्यकतानुसार जल प्रदाय योजनाएं न होने, पेय जल की समस्या आदि पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

3. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा उचित प्रोत्साहन के अभाव में राज्य में नये उद्योग की स्थापना नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) :

4. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयकर मुक्त प्रमाण-पत्र दिखाये बिना प्रत्येक नागरिक का राजकीय चिकित्सालय, एवं सार्वजनिक लेबेरेट्रीज में मुफ्त पैथोलोजिकल परीक्षण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों का समय पर नहीं आने एवं रोगियों का उचित उपचार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

6. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहर की छोटी पाइप लाइनों से कई कनेक्शन दिये जाने से उपभोक्ताओं की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(श्री दुर्गालाल बाड़वार)

मांग संख्या 21

7. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग के निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों के बाट व तोल का उचित निरीक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा):

8. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 – चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों की कमी पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी डाक्टर्स एवं कम्पाउन्डर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस चालू रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

10. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी औषधालयों में दवाइयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ((ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चाखाने एवं लेडी डाक्टर्स और कम्पाउन्डरों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

12. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30— जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (म्युनिसिपल टाउन्स एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

13. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के अभाव के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

14. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29– चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर अस्पताल में करीब दो साल से सर्जन, गत पन्द्रह साल से महिला डॉक्टर के न होने, एक साल से एक्स-रे मशीन की मरम्मत नहीं किये जाने एवं पैथोलोजी की व्यवस्था न होने से जनता में व्याप्त असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

15. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर पाइप लाइन को बढ़ाकर बाड़मेर, आगोर, शिवकी, कूडला, रावतसर एवं चवी। क्षेत्रीय पाइप लाइन योजना की स्वीकृति देने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, बाड़मेर जिले में उन्डू ट्यूब वैल से रतेऊ, शहर, खींवसर,

Page No 52

(श्री वृद्धिचन्द जैन बाड़मेर)

कानोड, पनाउडा तक क्षेत्रीय पाइप लाइन योजना को स्वीकृति देने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

17. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में गड़रा रोड़ ट्यूब वेल या तुरबी (हरसौणी) ट्यूब वेल से रामसर क्षेत्रीय पाइप लाइन योजना को स्वीकृत करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

18. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में कपूरडी से भादोश पाइप लाइन क्षेत्रीय योजना की स्वीकृति देकर इसी वर्ष कार्य शुरू करने पर चर्चा के लिए) ।

19. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में जलदाय विभाग की घोर लापरवाही के कारण जल वितरण की सुचारू रुप से व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिए) ।

20. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरूस्थल क्षेत्र में जल समस्या को हल करने में राज्य सरकार की ओर से उदासीनता रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 14

21. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में रॉक फास्फेट का बाहुल्य होते हुये भी इसका उपयोग करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 21

22. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में चर्म उद्योग को विकसित करने में राज्य सरकार की उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिए) ।

23. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में उद्योगों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

24. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर के अकालग्रस्त जिलों में राजस्थान खादी कमीशन एवं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग द्वारा ऊन कताई एवं बुनाई के अधिक केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिए) ।

25. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में बालोतरा नगर में इन्डस्ट्रियल एरिया स्थापित करने पर चर्चा के लिए) ।

26. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाडमेर जिले में ऊन की बहुतायत होते हुए भी वहां ऊनी मिल स्थापित करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 16

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़):

27. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (चित्तौड़गढ़ में मण्डपिया, दलोद डिसपेंसरी बड़ोदिया आदि में डाक्टरों का अभाव एवं समुचित दवाइयों का प्रबन्ध न होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

28. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ जिले की अधूरी जल-प्रदाय योजना ग्रामीण एवं शहरी जल प्रदाय योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)

29. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम ग्राम में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

30. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शुद्ध पेय जल की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

31. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि बेकारी मिटे, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 39

32. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में औद्योगिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

33. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा स्थित अस्पताल की ओर विभाग द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और भवन की हालत खराब होती जा रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा अस्पताल जिला टोंक 'सी' क्लास से 'बी' क्लास में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिए)।

35. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावा डिस्पेंसरी (जिला झुन्झुनूं) में मेडिकल रिइम्बर्समेंट के बिलों में व्याप्त भ्रष्टाचार व मनमाने तौर पर कार्य करने एवं कर्मचारियों को परेशान करने पर चर्चा के लिए)।

(श्री दिग्विजय सिंह)

मांग संख्या 17

36. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा नगरपालिका, जिला टोंक, की नल योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने पर चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (जयपुर शहर की तेजी से बढ़ती आबादी के अनुपात में स्थायी पेय जल की योजना न होने संबंधी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

38. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बावजूद भी शहर में रियासत के जमाने की छोटी छोटी पाइप लाइनों को भी बड़ी लाइनों में परिवर्तित न करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 37

39. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा नगरपालिका क्षेत्र, जिला **टोंक** की जल प्रदाय योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

40. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में राज्य सरकार द्वारा 1967 में घोषणा करने के बाद भी आज दिन तक चर्म उद्योग स्थापित न करने व सरकार द्वारा देर करने पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 16

श्री रामनारायण (मंडावा):

41. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले के टमकोर गांव में राजकीय चिकित्सालय खोलने का बजट म प्रावधान नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

42. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपयो कम कर दिया जाय (बिसाऊ जल योजना अभी तक अपूर्ण है जिसे पूरा कराने के संबंध में बजट में प्रावधान नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर-सु०):

43. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील में ग्राम पंडेर में डिस्पेंसरी खुलवाने, जहाजपुर हैल्थ सेंटर में एक्स-रे की मशीन लगवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

44. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील में ग्राम पंडेर में नल योजना स्वीकृत करवाने व ग्राम अमरगढ़ तिलेठा शंकर गढ टोपा टीठोड़ में नल योजना स्वीकृत करवाने पर चर्चा के लिए)

(श्री कल्याणमल मीणा)

मांग संख्या 37

45. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर में हरिजन मौहल्ले में सार्वजनिक नल लगवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी):

46. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सांगोद में प्राइमरी हैल्थ सेंटर व सब सेंटर की इमारतें तैयार नहीं की जा रही हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में, ट्रांसफर्स व तरक्की के नियमों की अवहेलना करते रहने व राजनैतिक दृष्टिकोण से काम करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

48. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चेचट में ग्रामीण नल योजना के तहत 4 वर्ष पूर्व रकम जमा करा देने बाद भी योजना चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद, जिला कोटा की ग्रामीण नल योजना के तहत नालियां नहीं बनाने व पानी के खराबे के फलस्वरूप गंदगी से जन-स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़):

50. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रोंढल के तहत पंचायत समिति, आमेर, जिला जयपुर में मकान उपलब्ध होने पर भी डिस्पेंसरी न खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

51. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहरपुर कस्बा पंचायत समिति शाहपुरा, जिला जयपुर की आबादी 15,000 के करीब होते हुए भी डिस्पेंसरी न खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली):

52. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति बाबत चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में Indoor Patients को दूध एवं खाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(श्री पृथ्वी सिंह)

मांग संख्या 17

55. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मिलने वाले Incentive की कु-प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

56. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम असनावर (जिला झालावाड़) में प्राइमरी हैल्थ सेंटर का भवन न बनाये जाने पर चर्चा के लिये]।

57. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालय, झालावाड़ में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम रायपुर (पं० सं० पिड़ावा, जिला झालावाड़) के चिकित्सालय में एक कम्पाउन्डर द्वारा राजनीति में प्रवेश के कारण वहां व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये]।

मांग संख्या 17

59. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम असनावर व ग्राम रायपुर, जिला-झालावाड़ में पीने के पानी हेतु नल न लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी):

60. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में स्टाफ की कमी व कुछ डाक्टरों द्वारा जान-बूझ कर अनियमितताएं बरतने व वहां दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के औषधालयों को स्वीकृत राशि की अपर्याप्तता एवं वहां स्थित डाक्टरों की अनियमित कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

62. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों व शहरों में पीने के पानी की अव्यवस्था तथा जल योजनाओं के चालू करने में अनावश्यक देरी के संबंध में चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में पेय जल की ठीक प्रकार से व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री अमीलाल यादव (बहरोड):

64. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा शाहजहांपुर,

(श्री अमीलाल यादव)

तहसील बहरोड़ की जनसंख्या 8 हजार से अधिक है फिर भी वहां डिस्पेंसरी नहीं है, इस पर चर्चा के लिए) ।

65. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियां, नीमराना तथा बहरोड़ के पब्लिक हैल्थ सेन्टर्स के सबसेन्टर्स पर स्टाफ न लगाने तथा उन सब-सेन्टर्स के भवनों के निर्माण हेतु जनता द्वारा लगभग सात वर्ष पूर्व अनुदान जमा कराने पर भी निर्माण न होने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 17

66. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रोड़वाल एवं कुतीना, तहसील बहरोड़ की जनता द्वारा अनुदान की रकम लगभग 4 साल पूर्व जमा करादी है लेकिन नल योजना स्वीकृत न होने के कारण जनता में असंतोष है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 37

67. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन कस्बों अथवा ग्रामों में पानी पीने योग्य दूर से प्राप्त होता हो उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 21

68. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा बहरोड़, मोडन, शाहजहांपुर, नीमराना में साबुन फैक्ट्री चमड़े की रंगाई आदि लघु उद्योगों की स्थापना पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 16

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

69. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमाधोपुर डिस्पेन्सरी में पर्याप्त दवाइयों व अन्य चिकित्सा साधन नहीं होने से गरीब व्यक्ति इलाज से महरूम रहते हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

70. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमाधोपुर डिस्पेन्सरी में मरीजों के लिये पर्याप्त जगह नहीं होने से गरीब व्यक्ति इलाज से महरूम रहते हैं, इस पर चर्चा के लिए) ।

71. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमाधोपुर अस्पताल में एक्सरे की मशीन नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 17

72. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम धारनी में मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से वहां की जनता को पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

73. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरप्लस रोहा निरोधक फील्ड वर्कर्स को एब्जोर्ब करने में पक्षपात से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

74. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमाधोपुर तहसील में कोई अच्छा उद्योग नहीं होने से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीपोद्दार द्वारा सूती मिल्स के लिये कृषकों की भूमि उद्योग हेतु लेकर उस पर स्वयं काश्त करते हैं, इस संबंध में चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में कोई उद्योग स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन–सु०) :

77. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के कस्बा लाखेरी में चिकित्सालय न होने से असुविधा तथा नया चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए० सी० सी० सीमेंट फैक्ट्री, लाखेरी में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत संचालित चिकित्सालयों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

79. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के ग्रामों में हरिजन आदिवासियों को पीने का पानी मुहैया करने पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की नगरपालिका बून्दी नैनवा, पाटन व लाखेरी में हरिजनों की बस्तियों में जल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

81. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के ग्रामों में छोटे छोटे उद्योग धन्धे खोलने तथा उन्हें आर्थिक सहायता देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी के पास सीमेंट फैक्ट्री अब तक न खोले जाने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 39

83. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96– औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर

Page No 59

(श्री नन्दलाल बैरवा)

पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) :

84. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सभी को, विशेषतया गरीबों को, सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती इस अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

85. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन में कार्यों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

86. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री हीराभाई (कुशलगढ स०) :

87. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों में सब–सेन्टर्स पर दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

88. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ के बेकारों की व्यवस्था के लिए कुशलगढ़ में उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री नन्दलाल (किशनगंज) :

89. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अटरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आइसोलेशन रूम की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा थाना डिस्पेन्सरी के भवन की हालत जीर्ण-शीर्ण होने के कारण डिस्पेन्सरी हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

91. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति के लगभग 50 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होने से गर्मी में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

92. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर

(श्री नन्दलाल)

पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिला की शाहबाद तहसील में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :

93. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में नवनिर्मित 50 बिस्तरों के हास्पिटल भवन में डॉक्टर्स, कम्पाउण्डर्स एवं स्टाफ के लिये क्वार्टर्स की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय डिस्पेन्सरी सवाई माधोपुर, बौंली एवं खण्डार में समुचित औषधियां, पट्टियां व उपचार सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

95. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन–स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले की बौंली तहसील हैडक्वार्टस पर जल प्रदाय योजना क्रियान्वित न किए जाने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना से दिन के कुछ ही घंटों में पानी के वितरण किए जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) :

97. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव एवं विभागीय गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

98. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के समस्त उद्योग निरन्तर घाटे में चल रहे हैं और राज्य सरकार इस सारी स्थिति को जानते हुए भी इसका कोई समाधान नहीं खोज पा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) :

99. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर हास्पिटल में जनता को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

100. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना क्षेत्र में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिए)।

(श्री मोहनलाल मोदी)

मांग संख्या 21

101. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 1,00 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में ऊन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) :

102. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 1,00 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिए)।

श्री जगन्नाथ (टोड़ारायसिंह) :

103. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29- चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले के टोडारायसिंह क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

104. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में उद्योग धन्धों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 39

105. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

106. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29- चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 1,00 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों दवाइयों, पटिटयों, पलंगों, बिस्तरों तथा सफाई के पूर्ण अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

107. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के लाखों मनुष्य और मवेशी पीने के पानी के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं एवं पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

108. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में उद्योग धन्धे न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

109. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29- चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 1,00 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद, होम्योपैथिक व बायो केमिस्ट्री चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29- चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100

(श्री शंकरलाल)

रुपया कम कर दिया जाय (पाली में टी० बी० अस्पताल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 17

111. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में नल योजनाओं के प्रति उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 21

112. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के जरिये बेकारी मिटाने के उचित प्रयास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 16

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

113. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29- चिकित्सा के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा व्यवस्था में सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 17

114. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता से जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 37

115. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य कार्यों में लगी पूंजी का सदुपयोग न होने के कारण आम जनता को राहत नहीं मिल रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 21

116. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तीन लाख की जन संख्या वाले अजमेर नगर में लघु उद्योगों हेतु रा मेटिरियल डिपो के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 39

117. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु लगी पूंजी योग्य एवं जरूरत मन्द जनता को न देकर अपने ही रिश्तेदारों को दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) :

118. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29- चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

मांग संख्या 17

119. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में जलदाय योजनाओं की तरफ सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

120. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेतडी तांबा योजना के लिये काटली नदी क्षेत्र के बाघोली आदि ग्रामों से पानी लेने की योजना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) :

121. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में गरीब तबके के लोगों के इलाज के बारे में कोई व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा दौसा के अस्पताल में दवाइयों की तथा बैड्स की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

123. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा के जमवारामगढ़ जैसे बड़े कस्बों में नल योजनायें लागू नहीं की गई हैं इस पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कस्बे में पीने का पूरा पानी नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा के कस्बा भांडारेज में स्वीकृत योजना लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

126. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े तबके के लोगों को उद्योगों की स्थापना हेतु वांछित सहायता न देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

127. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर अस्पताल को बी ग्रेड से अप ग्रेड करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

128. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेपऊ कस्बे में वाटर वर्क्स को शीघ्र चालू करने के संबंध चर्चा के लिये)।

Page No 64

(श्री बनवारीलाल)

मांग संख्या 21

129. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में ग्लास फैक्ट्री चालू कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में हाईटेक शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेडा):

131. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा तथा चिकित्सा प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

133. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अव्यवस्था तथा उसकी योजनाएं समुचित न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 37

134. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य सुधार पर लग रही पूंजी के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 21

135. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (उद्योगों के प्रचार, प्रसार और सर्वेक्षण के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

136. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हुर्डा व बनेडा तहसीलों में औद्योगिक प्रगति के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

137. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक एवं आर्थिक विकास संबंधी व्यवस्था को सुदृढ और व्यवस्थित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक एवं आर्थिक विकास कार्यों हेतु लगी पूंजी के संबंध में वांछित प्राप्तियों की उपलब्धि नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

139. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100

(श्री जयनारायण सालोदिया)

रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

141. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई नगर-पालिका क्षेत्र में नल योजना के कार्य में ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

142. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के बड़े 2 शहरों में पानी की उचित व्यवस्था न होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

143. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक शहर में बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

144. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक में चर्म कारखाने की स्थापना में ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

145. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा क्षेत्र के जैपाल प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर लम्बे समय से डाक्टर के अभाव पर चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा, छीपा-बड़ोद के अस्पतालों में दवाईयों की कमी तथा स्टॉफ की कमी पर चर्चा के लिए)।

147. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ोद के डॉक्टर के अभद्र व्यवहार व अकुशल चिकित्सा के कारण जनता में तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

148. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (8000 की आबादी के छीपाबड़ोद कस्बे में नल योजना लागू नहीं करने की वजह से जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिए)।

149. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा नल योजना के निर्माण कार्य की गति धीमी होने से योजना समय पर पूर्ण न होने के कारणों की चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

150. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महाराज भीमसिंह अस्पताल, कोटा की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

151. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (औषधि क्रय प्रणाली संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

152. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेडिकल डाइरेक्टोरेट की स्टोर पर्चेज कमेटी की रेट कान्ट्रेक्ट के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 16

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) :

153. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 17

154. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन गांवों से जन-सहयोग प्राप्त हो गया है, उनमें पेय-जल योजना चालू करने हेतु चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 16

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

155. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के प्रमोशन में किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

156. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के लिए दान दाताओं द्वारा वार्ड्स बनाने के लिये दिये जा रहे दान को स्वीकार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

157. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुखदेव जनाना अस्पताल, लाडनूं के संचालकों द्वारा गलत रूप से उक्त अस्पताल को चलाने पर चर्चा के लिए) ।

158. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पताल लाड़नू के डॉक्टर इन्चार्ज द्वारा की जा रही मनमानी व गलत कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा के लिए) ।

159. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला चिकित्सा अधिकारी, नागौर द्वारा डॉक्टरों द्वारा दिये गये फर्जी सर्टिफिकेटों की जांच का रिजल्ट समय पर नहीं प्रस्तुत किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

160. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों की कमी के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

161. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य परिवार नियोजन अधिकारियों द्वारा विभाग में हो रहे घोटालों की सही जांच न करके उनको दवाने पर चर्चा के लिए)।

162. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर में कुवारों बुड्ढों और विधुरों के परिवार नियोजन के ऑपरेशन्स किये जाने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में परिवार नियोजन के कार्यों में की गई गड़बड़ियों की जांच नहीं करने तथा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

164. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिवार नियोजन अधिकारी, भरतपुर द्वारा कुवारों, वुड्ढों तथा विधुरों के परिवार नियोजन के ऑपरेशन करने पर चर्चा के लिए)।

165. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा आपरेशन्स की फर्जी संख्या बताकर पैसे प्राप्त करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

166. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम डावड़ी (लाडनूं) में पानी के लिए उपभोक्ताओं को कनेक्शन्स नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए]।

167. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना निम्बीजोधा, जिला नागौर में पानी के अभाव में बन्द पड़ी रहने पर चर्चा के लिए)।

168. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्वा सुजानगढ़ में विभाग द्वारा बिना कनेक्शन दिये ही उपभोक्ताओं द्वारा अपने आप कनेक्शन करा लेने व संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं–सुजानगढ़ पाइप लाइन के कार्य में निर्धारित मात्रा में शीशा नहीं लगाने के कारण कार्य कमजोर होते हुवे भी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना, रताऊ जिला नागौर के कार्य को पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरडक)

171. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिशासी अभियन्ता, जल प्रदाय योजना, चूरू, द्वारा बीदासर में लाइनें डालने के कार्य के लिये दिए गए ठेके में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिए)।

172. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़-लाडनूं पाइप लाईन को टैस्ट करते समय विभाग द्वारा अपने खर्चे पर ठीक करवाने पर चर्चा के लिए)।

173. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना, जसवन्तगढ़, को पूर्व एग्रीमेन्ट के अनुसार पंचायत को नहीं सौंपने पर चर्चा के लिए)।

174. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना, लाडनूं के लिए दानदाताओं से पसे वसूल करने में सरकार द्वारा बर्ती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

175. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं में बनवाये गये नल-कूपों का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

176. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना लाडनूं में आवश्यक सार्वजनिक टूटियों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

177. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना, जसवन्तगढ़ में पर्याप्त सार्वजनिक टूटियां न होने के कारण जन-साधारण को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

178. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल योजनाओं के कार्यों में गांवों की योजनाओं को प्राथमिकता नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

179. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों के बजाय शहरों पर जल योजनाओं पर अधिक रुपया खर्च करने पर चर्चा के लिए)।

180. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर, द्वारा सुखदेव जनाना अस्पताल, लाडनूं में अन-ओथोराइज्ड व्यक्तियों से दवाइयां खरीदने तथा उपयोग करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

181. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टंगस्टन परियोजना, डेगाना, जिला नागौर में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

(श्री हरजीराम बुरडक)

182. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं की खानों की रॉयल्टी की वसूली में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिए)।

183. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जसवन्तगढ़, जिला नागौर में माईनिंग विभाग की जमीन नहीं होते हुए भी कंकर की रॉयल्टी वसूल करना तथा कंकर खोदने के लिए पट्टे देने पर चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर में प्राप्त माइन्स का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं की असुविधा पर चर्चा के)।

मांग संख्या 21

185. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर में वनस्पति घी का कारखाना लगाने की इजाजत नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

186. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों के छोटे उद्योगों को पर्याप्त सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 39

187. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उद्योग निगम द्वारा इंजीनियरिंग बोर्ड के कर्मचारियों को सेवा में न लेने पर चर्चा के लिए)।

188. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों के वितरण में की जा रही मनमानी पर चर्चा के लिए)।

189. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उद्योग निगम द्वारा कृषि यन्त्रों का बाजार मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करने पर चर्चा के लिए)।

190. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खनिज विकास निगम के संचालन में अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

191. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोडियम सल्फेट के कारखाने डीडवाना में गलत रूप से पाइप लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) :

मांग संख्या 16

192. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री केसरीसिंह हाडा)

रुपया कम कर दिया जाय (एस० एम० एस० अस्पताल, जयपुर की दुर्व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए) ।

193. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी के राघवेन्द्र चिकित्सालय में नये वार्ड नहीं बनाने व दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिए) ।

194. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के चिकित्सालयों में जनता को औषधियां व पट्टियां नहीं मिलने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 17

195. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के नैनवा कस्बे में जल-प्रदाय योजना नहीं शुरू होने व हिन्डोली में रेगरों को सार्वजनिक नल नहीं देने पर चर्चा के लिए) ।

196. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी शहर की जल-प्रदाय योजना द्वारा गन्दा पानी देने व 24 घन्टे पानी नहीं देने पर चर्चा के लिए) ।

197. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में ग्राम जल-प्रदाय की 22 सालों में भी समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 14

198. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा जिला बून्दी का 22 सालों में भी भू-गर्भ सर्वेक्षण नहीं कराने पर चर्चा के लिए ।

श्री रूपसिंह (सरदारशहर) :

मांग संख्या 16

199. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

200. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक विभाग के वैद्यों के फिक्सेशन व सीनियोरिटी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 17

201. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत, इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (ग्रामों में पेय जल हेतु कुओं के संबंध में उचित प्रावधान न होने संबंधी सरकारी नीति का अननुमोदन) ।

202. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के सूरसागर तालाब में मल-मूत्र के पानी से मक्खी-मच्छरों व दुर्गन्ध के कारण बीमारी फैलने की आशंका पर चर्चा के लिए) ।

(श्री रूपसिंह)

203. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में वार्ड नम्बर 29, 30 व 31 में पेय जल स्थानों के समीप व्याप्त गंदगी के संबंध में चर्चा के लिए)।

204. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गिनानी नाले द्वारा बीकानेर में नये शहर से सूरसागर में मल-मूत्र का पानी डाले जाने व उसकी सफाई न रखने के बाबत चर्चा के लिए)।

205. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में समय पर पानी न मिलने व कम पानी की सप्लाई होने पर चर्चा के लिए)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

मांग संख्या 16

206. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नापासर के अस्पताल में दवाई व भर्ती किये मरीजों को पूर्ण सुविधा न मिलने के संबंध में चर्चा के लिए)।

207. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायं (बीकानेर हॉस्पिटल में बीमारों के लिए बैड व कपड़ों का इन्तजाम करने में सरकार की लापरवाही व सरकार द्वारा ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिए)।

208. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर हॉस्पिटल में बीमारों को समय पर दवाई नहीं मिलती एवं उन्हें दवाई बाजार से दवाई खरीदनी पड़ती है इस पर चर्चा के लिए)।

209. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूरे राज्य में टी० बी० के मरीजों को अन्य बीमारों के साथ भर्ती कर दिया जाता है जिससे साधारण मरीजों के भी इस रोग से पीड़ित हो जाने की आशंका रहती है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

210. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पांचू में हरिजन मोहल्लों में शुद्ध पानी पीने के लिए जानबूझ कर हौज नहीं बनवाया गया व पाइप लाइन नहीं दी गई, इस पर चर्चा के लिए)।

211. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जसरासर में हरिजन मोहल्ला वास धोरा में शुद्ध पानी पीने के लिए जानबूझ कर हौज नहीं बनाया गया व पाइप लाइन नहीं दी गई इस पर चर्चा के लिए)।

212. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में सूरसागर तालाब में भयंकर गन्दगी से हजारों नागरिकों में फैली तरह तरह की बीमारियों के संबंध में चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100

Page No 72

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नोखा मण्डी के हरिजनों मोहल्लों में शुद्ध पेय जल पाइप द्वारा व अन्य प्रकार से नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नापासर में हरिजन मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं पहुंचाना व हौज बनाकर पिछड़ी जाति के लोगों को शुद्ध पानी नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के भीतरी मोहल्लों में जगह जगह पर गन्दगी के ढेर पड़े हैं व नालियों नहीं बनाने व टूटी हुई नालियों की मरम्मत व सफाई समय पर नहीं होती है इस पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम चौथ का वरवाड़ा में जल-प्रदाय योजना के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 37

217. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना परमावश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

218. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (राज्य में छोटे उद्योगों को सरकार द्वारा बढ़ावा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में छोटे उद्योग धन्धों व विकास कार्यों में सरकार द्वारा दिलचस्पी नहीं लेने से विकास व उद्योग ठप्प है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर-सु०) :

मांग संख्या 16

220. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतिया अस्पताल, चूरू की दुरावस्था एवं चूरू जिले में प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम लालगढ़ तथा ग्राम नोडिया (जिला चूरू) में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

222. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में स्थित आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों का अभाव तथा अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(श्री रावतराम)

223. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था का अभाव है, इस संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 17

224. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा बीदासर-छापर चाड़वास (जिला चूरू) की जल-प्रदाय योजना पर विचार के लिये) ।

225. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के लगभग तीनसौ गांवों में पीने का पानी खारा है, वहां मीठे पानी की व्यवस्था करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

226. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लालगढ़, जिला चूरू की जल योजना पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

224. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के देहाती क्षेत्रों में छोटे उद्योग धन्धे खोलने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

228. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग म से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू की वूलन मिल को सरकार प्राईवेट पार्टी को बेच रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) :

मांग संख्या 16

229. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर के अस्पताल में बैड्स की संख्या में वृद्धि, लेडी डॉक्टर की नियुक्ति एवं एक्सरे मशीन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

230. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले के सम, रामगढ़, मोहनगढ़ की मोबाईल यूनिट्स पर डॉक्टर की स्थाई नियुक्ति, दवाई व इक्विपमेंट की स्थाई व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 17

231. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पेय-जल हेतु लाठी ग्राम (जिला जैसलमेर) की जनता द्वारा हिस्सा पूंजी जमा कराए पांच वर्ष हो गए, फिर भी पेय जल योजना अभी तक र्ण नहीं हो पाई है, इस पर चर्चा के लिये] ।

232. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर नगर के हरिजन मोहल्ले यानि वार्ड नम्बर छः में पानी की पाइप लाइन की व्यवस्था एवं जैसलमेर नगर में घन्टों पानी की सप्लाई नहीं होती, इस पर चर्चा के लिये) ।

233. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले

Page No 74

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

के विभिन्न ग्रामों में ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाएं प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

234. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर में मोहनगढ़ में जिप्सम पार्याप्त मात्रा में है और उनको बाहर भेजा जाता है, इसलिये जैसलमेर में फर्टीलाइजर का कारखाना खोला जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

मांग संख्या 16

235. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में असंतोषजनक व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली बांगड़ अस्पताल में परकोटा बनाने की मंजूरी अभी तक नहीं मिलने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (E.S.I. के अंतर्गत मजदूरों को आवश्यक दवाईयां व पूरी सुविधाएं नहीं मिलतीं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

238. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव भांवरी व गांव खैरवा (तहसील पाली) में जल-प्रदाय योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांव साकदरा, भावनगर, सुदेलाव पेरगांवां आदि में पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल-वितरण सम्बन्धी वर्तमान विभागीय व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में मकान मालिक गैर कानूनी रूप से, किरायेदारों से पानी का पैसा अधिक वसूल करते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांव डूंगरपुर, मुरडिया, साली, उदेलाव आदि में जल-प्रदाय योजना की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर में अनुसूचित व पिछड़ी जाति की बस्तियों में पब्लिक स्टेंड हटाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द डागा)

मांग संख्या 37

244. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव गुडा, सेंडला, तहसील पाली, में जल-प्रदाय योजना चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

245. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सरकार से पावर लूम के और अधिक मांग करने पर के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा सु०):

मांग संख्या 16

245. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

247. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में जल-प्रदाय योजना पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

248. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडव-पाल फ्लोराइट की खानों की व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

श्री देवीलाल (सराड़ा सु०) :

मांग संख्या 16

249. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराडा, गांव देवपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

250. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा, डिस्पेंसरी में दवाइयों की बढ़ोत्तरी कराने की चर्चा के लिए)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

मांग संख्या 16

251. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोत्तरा में 25 शैय्याओं के चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

252. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोत्तरा में एक लेडी डॉक्टर की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए)।

253. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में चल चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

254. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्रीमती मदन कौर)

रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा में जच्चा गृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

255. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा में परिवार नियोजन केन्द्र खोलने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के अधिकतर गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था न करने संबंधी चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

257. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु और कुटीर उद्योग के विकास की ओर राज्य सरकार की उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिए)।

258. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा में चमड़ा रंगाई और जूती बनाने के कुटीर उद्योग के आधुनिकरण हेतु प्रशिक्षक और सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिए)।

259. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर में एक ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री की आवश्यकता संबंधी चर्चा के लिए)।

260. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योग जैसे छपाई, रंगाई, जूती बनाई, बुनाई, कताई आदि के मार्केटिंग की सुविधा दिलाने संबंधी चर्चा के लिए)।

261. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े पूंजीपतियों को बड़े उद्योगों हेतु विभिन्न सुविधाएं देने संबंधी चर्चा के लिए)।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु०) :

मांग संख्या 16

262. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ जनाना अस्पताल में बेड्स की कमी के संबंध में चर्चा के लिए)।

263. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ जनरल अस्पताल में बेड्स एवं दवाइयों की कमी के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

264. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब डिवीजन प्रतापगढ़ आदिवासी एवं पहाड़ी एरिया में पेय जल की कमी है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) :

मांग संख्या 16

265. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29

(श्री रोशन लाल शर्मा)

चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में, चिकित्सा की सुविधाओं की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

266. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति में नारू उन्मूलन पर कुओं पर जो कार्य किया उसमें धन का दुरुपयोग हुआ, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग-सु०):

मांग संख्या 16

267. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ के चिकित्सालयों के मरीजों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए)।

268. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ नगर में जनता की सुविधा के लिए एक डिस्पेंसरी खोलने की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

269. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

270. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में ताम्बे की खान व सीमेंट का कारखाना खोलने संबंधी चर्चा के लिए)।

श्री सुआलाल चौधरी (दूदू):

मांग संख्या 16

271. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झाग, हिरनोदा, आकोदा, रहलाना ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

272. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, दूदू के कार्यालय, दूदू, में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए)।

273. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक व एलोपेथिक शफाखाने खोलने में सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

274. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में हैजा, चेचक व अन्य छूत की बीमारियों को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

275. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No 78

(श्री सुआ लाल चौधरी)

रुपया कम कर दिया जाय (अकाल ग्रसित क्षेत्र में छूत की बीमारियों की रोकथाम करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

276. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग पनपाने में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, इस पर चर्चा के लिए)।

277. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर के आस-पास बड़ा उद्योग धन्धा चालू करने पर चर्चा के लिए)।

278. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग पनपाने में सरकार के द्वारा गरीबों को सहायता देने में पक्षपात बरता गया है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल):

मांग संख्या 16

279. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के पूर्व में खुली जमीन में 50-50 गज तक लॉन व फुलवारी का बगीचा लगाने के बारे में चर्चा के लिए)।

280. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सभी सरकारी अस्पतालों में इन्कम-टैक्स पेअर्स एवं गजेटेड ऑफिसर्स को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के मरीजों को सभी दवाइयां मुफ्त व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए)।

281. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब-डिविजनल मुख्यालयों एवं जिन स्थानों पर पत्थर आदि खानों में एक हजार से अधिक मजदूर काम करते हों, ऐसे स्थानों पर कम से कम पचास बैंड की सुविधा वाला अस्पताल चालू करने या उन्नत करने के बारे में चर्चा के लिए)।

282. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जायल तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर अस्पताल नये सिरे से स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

283. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप–संचालकों के पद समाप्त करने के बारे में चर्चा के लिए।)

284. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले में चिकित्सा विभाग की गाड़ियों की संख्या कम करने एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास समस्त वाहनों को पूल करने के बारे में चर्चा के लिए)।

285. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले में समस्त

(श्री राम सिंह कुड़ी)

प्रकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

286. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर में टी० बी० अस्पताल का भवन निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिए)।

287. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पच्चीस हजार की आबादी पर एक प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल स्थापित करने की व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

288. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों के अधिक सृजन (कायम) की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

289. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अस्पतालों में कॉटेज वार्डों में नये सिरे से कमरे बनाकर एवं मौजूदा कॉटेज वार्डों के कमरों में वृद्धि कर आय-वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

290. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (देहात एवं क्षेत्रिय तथा जिला लेवल तक कार्य करने वाली स्वास्थ्य विभाग की यूनिटों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर या क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालों के स्तर पर एकीकरण करने के संबंध में नीति का अननुमोदन)।

291. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीने का शुद्ध पानी सभी ग्रामों एवं नगरों में एक साल की अवधि के अन्दर उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए)।

292. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में, विशेषकर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के स्वास्थ्य में गिरावट होने एवं टी०बी० जैसे रोग का गरीब लोगों में भारी प्रकोप नागौर सब-डिविजन में होने संबंधी चर्चा के लिए)।

293. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की जायल तहसील में तथा उसके गांव मेहरवाल, नरायणा, रोल आदि गांवों में एपिडेमिक रोगों से लोगों को स्वास्थ्य में गिरावट आने के संबंध में चर्चा के लिए)।

294. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-संचालकों के पद समाप्त करने के बारे में चर्चा के लिए)।

295. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की जायल तहसील के उत्तरी भाग में खारे पानी

(श्री रामसिंह कुड़ी)

के गांवों में या उनके पड़ोस में पीनेका मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु ट्यूब वैल की खुदाई के बारे में चर्चा के लिए)।

296. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में ई०टी०ओ० एवं राजस्थान सरकार द्वारा खोदे गये समस्त ट्यूब वैल्स की खुदाई का खर्चा गहराई व पानी की उपलब्धि एवं पानी की जांच आदि के संबंध में चर्चा के लिए)।

297. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण जल योजनायें नागौर जिले के अधिशाषी अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

298. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के कस्बा मुंडवा की नल योजना हेतु टंकी गांव से पूर्व में मगरे की तरफ ऊंचे स्थान पर बनाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

299. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के खारे पानी वाले गांवों में पीने का मीठा पानी क्षेत्रीय ग्रामीण योजनाओं से एक सत्र की अवधि में उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए)।

300. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालों में दो पद चिकित्सक, दो महिला चिकित्सक तथा दो स्वास्थ्य अधिकारियों का स्टाफ रखे जाने पर चर्चा के लिए)।

301. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जन-स्वास्थ्य अधिकारी एवं कार्यालय का एकीकरण जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ व कार्यालय के साथ करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 37

302. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (नगरीय एवं ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं के अलावा खारे व खराब पीने के पानी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम समूहों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण जल-प्रदाय योजनायें बना कर उन्हें चालू नहीं करने संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

303. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव खाटू बड़ी, जिला नागौर, की जल-प्रदाय योजना से खाटू बड़ी के बास, खिया का बास, पालीवालों की ढाणी, जाखड़ों की ढाणी, राईकों की ढाणी, होरासणी, कचरास, घीजपुरा एवं स्टेशन बास में भी लोगों को जल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलों की लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

304. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

Page No 81

(श्री रामसिंह कुड़ी)

के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव खाटू एवं डेट की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए पानी के स्थाई स्रोत कायम किये जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

305. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की जायल तहसील में गांव जायल, खाटू बड़ी एवं डेह की जल-प्रदाय योजनाओं का अधूरा काम इसी वर्ष में पूरा किये जाने पर चर्चा के लिए)।

306. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे 2 गांवों की क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनाओं में प्रत्येक गांव में मय टूंटियों के केवल एक या दो हौज बनाने, पशुओं के पानी पीने की खेलियां बनाने एवं हर गली या गुवाड़ी में स्टेण्ड नहीं बनाये जावें, इस चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

307. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (जिप्सम परियोजनाओं को बहुत छोटे स्केल पर राजकीय क्षेत्र में चलाने संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

308. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहां चूने का पत्थर या खड्डी खनन के या इसी प्रकार के अन्य खनिज—औद्योगिक कार्य रॉयल्टी बेसिस पर संबंधित पंचायत समितियों को सौंपे जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

309. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना कोयला खान को पुनः चालू करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

310. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज उद्योगों के विकास में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

311. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टंगस्टन परियोजना का सरकार के हाथ में लेने व विकास नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

312. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर में जिप्सम पर आधारित उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में खाद के कारखाने सहित शीघ्र चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

313. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के मौजूदा अजायबघरों को बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिए)।

314. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरातत्व विभाग में प्रचार विभाग व मासिक पत्रिका प्रकाशन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

मांग संख्या 21

315. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केवल बड़े उद्योग अथवा Key उद्योग तथा मिडियम साइज के उद्योग ही सरकारी क्षेत्र में लिये जाने तथा शेष लघु उद्योग राजकीय संरक्षण में होने तथा उद्योगों का विस्तार आबादी के विस्तार के साथ योजनाबद्ध रीति से होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

316. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों का संस्थापन, संयोजन एवं संचालन राज्य की बढ़ती हुई आबादी तथा बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से करने पर चर्चा के लिए) ।

317. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग एक राजकीय विभाग के रूप में नहीं रह कर एडवाइजरी एक्सपर्ट्स का पूल बना दिया जाय, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 39

318. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजकीय वाणिज्यिक एवं औद्योगिक कार्यों में जो सरकारी धन का विनियोजन हो वह केवल असेट्स के रूप में ही हो और ऐसे संस्थान के घाटे में जाने पर भी वह धन सुरक्षित रहे, ऐसी नीति अपनाने तथा सरकार की इस सम्बन्धी वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

319. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय पूंजी जिन 2 संस्थाओं में लगी हुई है, उन संस्थाओं के संचालक मण्डल के सदस्यों का दायित्व यह भी रखा जावे कि एक निश्चित अवधि के बाद जो भी हानि होगी, उसका भार वहन करने का दायित्व ऐसे संचालकों या प्रशासकों का ही हो, इस पर चर्चा के लिये) ।

320. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में लगी सरकारी पूंजी के रक्षार्थ नियुक्त मनोनीत संचालकों के स्पष्ट दायित्व व कर्तव्य के निर्धारण पर चर्चा के लिये) ।

321. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय औद्योगिक संस्थानों में विशेष योग्यता एवं अनुभव वाले पृथक केडर के अधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा के लिये) ।

322. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निगम तथा राजकीय उपक्रम राज्य की आमदनी के स्रोत के साथ 2 राज्य विकास के लिये अनुकरणीय संस्थान के रूप में चलाने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

323. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोडियम सल्फेट प्लांट का विस्तार योजनावद्ध तरीके से करने पर चर्चा के लिये)।

324. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के समस्त नमक स्रोतों का आवंटन नीलामी से एक निश्चित अवधि के लिये होना चाहिये एवं नियमित विकास भी इस उद्योग का किये जाने पर चर्चा के लिये)।

325. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96– औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम, एग्रोइण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, राजस्थान, सड़क परिवहन निगम, होटल निगम व प्रावास निगम में जो वैतनिक अध्यक्षों के पद हैं, वे तुरन्त समाप्त किये जावें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :

मांग संख्या 16

326. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जेल में बकसी सिंह की समय पर चिकित्सा न होने से उसकी मृत्यु हुई, इस पर चर्चा के लिए)।

327. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट के रूप में जो सुविधा मिल रही है, उसका दुरुपयोग होता है, उसके स्थान पर निश्चित राशि वेतन के साथ दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

328. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में डिस्पेंसरी में समय पर पूरी दवाई नहीं मिलती है. इस पर चर्चा के लिये)।

329. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जेल में डिस्पेंसरी का बजट 1,200) रुपये साल का है जिसकी वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

330. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्धन वर्ग के मुफ्त इलाज की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

331. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सविधा देने में सरकार की असफलता है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

332. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में पानी खारा है और वहां पेय जल की भारी असुविधा है, इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

333. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण जनता को पीने का पानी देने में भारी उदासीनता बरती जा रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 21

334. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 39

335. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक विकास पर जो पूंजी लगाई जा रही है, इस का पूर्णतया सदुपयोग नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री गंगासहाय (कठूमर–सु०)

मांग संख्या 17

336. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (खेड़ली साली में प्रसूतिगृह की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

337. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्य-क्रम में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 14

338. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत, इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खान के ठेकों में होने वाला पक्षपात व धांधलियों, के संबंध में चर्चा के लिए) ।

श्री अम्बालाल (अजमेर पूर्व):

मांग संख्या 17

339. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा के लिए) ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

मांग संख्या 37

340. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मान्धा भीमसिंह, फुलेरा नल योजना के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री देवेन्द्र कुमार मोरणा (गोगुन्दा–सु०):

मांग संख्या 21

341. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में उद्योगों की स्थापना न होने से मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

मांग संख्या 39

342. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर में आदिवासियों के उत्थान हेतु वहां पर उद्योगों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह (मकराना) :

मांग संख्या 21

343. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 33-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (उद्योगों के संबंध में सरकार द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिये जाने से उद्योग पनप नहीं रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) :

344. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों को पनपाये जाने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु०)

345. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चर्म उद्योग में अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई और चर्म उद्योग के विकास हेतु आवश्यक ऋण प्राप्त नहीं होता, इस पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजकीय उद्योग हैं, उसके संबंध में और जो मेरे दूसरे कटौती के प्रस्ताव हैं, उनके संबंध में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे दल की और मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि राज्य सरकार को उद्योग राज्य की तरफ से नहीं चलाने चाहिए। या तो उसे राज्य ही चलाना चाहिए या उद्योग ही चलाना चाहिए, लेकिन राज्य और उद्योग दोनों साथ साथ चलाने लग गए तो उससे निश्चित ही उद्योग में एक तरह से रुकावट पैदा हो जाती है। आज राजस्थान के अंदर जितने भी राजकीय उद्योग चल रहे हैं, वह निरन्तर घाटे में चल रहे हैं और इस बारे में राज्य सरकार उदासीनता बरत रही है। मैं जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि रबड़ उद्योग, सोडियम सल्फेट कारखाना, गंगानगर शुगर मिल, पलाना कोयला खान, राजस्थान टैक्सटाइल मिल, राजस्थान राज्य पथ परिवहन, राजस्थान खनिज विभाग के अंतर्गत चल रहे उद्योग, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान विद्युत मण्डल, लघु उद्योग, होटल निगम आदि इस प्रकार के राज्य के अंतर्गत उद्योग चल रहे हैं और राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं, वह निरन्तर हमें बता रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी अकुशलता के कारण उन उद्योगों को घाटे में चला रही है। राजस्थान सरकार ने गंगानगर शुगर मिल चलाई और उस में 1963-64 में 1 लाख 67 हजार का घाटा रहा, 64-65 में 6 लाख के करीब का घाटा रहा, 1965-66 में 6 लाख 58 हजार का घाटा रहा। इसी प्रकार राजस्थान का रोडवेज कॉरपोरेशन नुकसान में चल रहा है। राजस्थान के दूसरे उद्योग हैं, वह निरन्तर हानि में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रोडवेज के बारे में आपसे निवेदन

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

करना चाहता हूं राजस्थान सरकार ने समाजवादी राज्य की दिशा में राष्ट्रीयकरण करने की अपनी नीति घोषित की है और उस दिशा में राज्य सरकार ने रोडवेज कॉरपोरेशन बनाया है। कॉरपोरेशन बनने के बाद दूसरे जो बस मालिक बसें चला रहे थे, उनके मुकाबले में अधिक सुविधायें देते तो यह अच्छी बात होती कि राज्य सरकार नेशनेलाइजेशन करने के बाद में जनता को सुविधायें दे रही है लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोडवेज की बसेस चल रही हैं और स्पेशली कोटा डिपो से चलने वाली बसों की हालत बदतर है। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने कोटा से भोपाल कर दिया, कोटा से अकलेरा कर दिया और कोटा से जयपुर कर दिया लेकिन इन रूटों पर आपकी गाड़ियां नियमित रूप से नहीं चलती हैं। कोटा से भोपाल चलने वाली गाड़ी रेगुलर नहीं चलती। जयपुर से कोटा जो रात्रि को गाड़ी चलती है वह जनता के आराम के लिए चलाई गई। मुझे भी इत्तफाक हुआ है इस रात वाली गाड़ी में सफर करने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन बसों के अंदर दस दस सवारियां ज्यादा भरी हुई जाती हैं और इस प्रकार से असुविधाजनक स्थिति पैदा हो गयी है। इसलिये राजस्थान सरकार निगम की बसों को चलाना चाहती है, राष्ट्रीयकरण करना चाहती है क्योंकि दूसरे बस मालिकों को परमिट नहीं देते हैं और उतनी गाड़ियां नहीं चलती हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं और कभी बन्द कर देते है, बिना नोटिस दिये। ऐसी हालत में राज्य सरकार को स्पेशली कोटा डिपो में जो अव्यवस्था है, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए और कोटा की बसेज की हालत सुधारनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें माननीय सदस्य, आज जो डिमाण्ड हैं, उनके अंदर स्टेट एन्टरप्राइज डिपार्टमेंट द्वारा संचालित उद्योग ही का जवाब मैं दे सकूंगा। रोडवेज का जहां तक सवाल है, वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने टर्न पर जवाब देंगे। बोलने की बात है तो दूसरी बात है अन्यथा मैं निवेदन करूंगा कि इसको ट्रांसपोर्ट के अंदर लें।

श्री अध्यक्ष: आज नहीं है यह डिमाण्ड। चिकित्सा है, इन्डस्ट्रीज है—इम्पार्टेंट डिपार्टमेंट हैं तो इस पर आप क्यों समय खराब करते हैं। अब चिकित्सा पर ही आ जाइये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा: उद्योगों के बारे में यह निवेदन है कि आपके उद्योग निरन्तर घाटे में चल रहे हैं और राज्य के उद्योगों के लिये राज्य सरकार को सक्रीय होना चाहिये और क्यों घाटे में चल रहे हैं, किस कारण से चल रहे हैं, इसकी राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए। और आपके उद्योग निरन्तर घाटे में चलें तो जो पूंजी आज जनता के ऊपर टैक्स लगकर वहां लगती है, उससे जनता का मनोबल गिरता है और जनता की राष्ट्रीयकरण से आस्था हटती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के अंदर जो आपका मशीन टूल्स का कारखाना है, राज्य का उसमें शेयर है.....

श्री हरिदेव जोशी: नहीं है उसमें। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का प्रोजेक्ट है और उसमें अपना कोई इनवेस्टमेन्ट नहीं है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : राज्य के द्वारा जो उद्योग चलाये जा रहे हैं, उनके सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। उस उद्योग के अंदर जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है और कोटा के बारे में जो आप कहते हैं कि कोटा को कानपुर बना दिया है। तो राजस्थान के अंदर जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं आज कोटा के अन्दर बाहर के लोगों को रोजगार देते हैं और उनको कानपुर, मद्रास और बम्बई से बुलाते हैं और राजस्थान में डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स वंचित रह जाते हैं। इसलिये मंत्री महोदय से मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सहूलियत के आधार पर वह उद्योग चल रहे हैं, आपकी मेहरबानी से या आपने सहूलियतें दी हैं उनको लगाने के लिए इसलिये आपको उनको सुझाव देना चाहिए कि राजस्थान के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और डिग्री होल्डर्स हैं उनको वह अपने उद्योगों में एडजस्ट करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा पर आ जाइये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर चिकित्सा की सुविधायें शनैः शनैः बढ़ रही हैं वहां राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी कमी यह है कि राजस्थान के अन्दर कैंसर के इलाज का एक भी हॉस्पीटल नहीं है। इतना बड़ा राजस्थान जो कि करोड़ों रुपये मेडिकल पर खर्च करता है, उस राज्य के अन्दर कैंसर का अनुसन्धान करने का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर वह केवल बम्बई में है या वेलोर में हैं और राजस्थान के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में इस प्रकार की संभावनाओं को देखते हुए आप इस ओर ध्यान दें।

दूसरा, मैं मनोहरथाने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है लेकिन वहां के लिए आपने अभी तक कोई गाड़ी एलॉट नहीं की है। मैंने आपको पत्र लिखकर और आप से मिलकर भी इस बारे में निवेदन किया है कि मनोहरथाने के हैल्थ सेन्टर के लिए गाड़ी एलॉट होना चाहिए, वह आज तक नहीं हुई है। वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बोर्डर पर लगा हुआ इलाका है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके वह करें।

तीसरी बात औषधियों के बारे में है कि वहां औषधालयों में औषधियां नाम मात्र की होती हैं। डॉक्टर वहां केवल परामर्श देते हैं। जो छोटी मोटी दवाइयां हैं, मिक्सचर वगैरह वे भी अस्पतालों में नहीं हैं बजट की कमी के कारण से और दूसरे कारणों से और वे नहीं मिल पाती हैं। लोग परेशान होते हैं और डॉक्टर परामर्श देते हैं कि फलां दवाई बाजार से ले लो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दूसरी जो चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं उसी प्रकार की व्यवस्था दवाइयों के लिए होनी चाहिए। चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर। मैं अधिक से अधिक 15 मिनिट प्रत्येक माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मैं तो 10 मिनिट ही लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह बड़ी कृपा होगी कि जितना कम करेंगे उतने ही अधिक सदस्य बोल सकेंगे ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 10 मिनिट का अर्ज किया तो 20 मिनिट तो ले ही सकता हूं क्योंकि 15 मिनिट वाले दो घन्टे ले लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह विवाद का प्रश्न नहीं है । मैंने सहूलियत के लिए कहा है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं जल्दी से जल्दी ही खत्म कर दूंगा ।

मुझे श्रम और उद्योग के संबन्ध में कुछ बातें निवेदन करनी हैं.......

एक माननीय सदस्य : श्रम आज नहीं है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उसमें रोजगार को लेकर हो जायेगा ।

मेरा निवेदन यह है कि जो अब तक उपलब्ध आंकड़े हैं, उसमें कुल मिलाकर 13 लाख हाथों को काम मिला है उद्योगों और उसमें गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स भी शामिल है, राज्य में चल रहे उद्योग भी शामिल हैं, और राजस्थान में जो सेन्ट्रल उद्योग चल रहे हैं उनकी जन-गणना भी शामिल है । हमारा यह प्रदेश कृषि-प्रधान है और 83 पर्सेन्ट पॉपुलेशन उसका खेती पर आधार है । जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उन आंकड़ों के आधार पर उद्योगों में लगाने के लिए कम से कम एक व्यक्ति पर एक हजार की पूंजी की आवश्यकता है । राजस्थान में आज जितनी इन्डस्ट्रीज और उद्योग चल रहे हैं, उन सब उद्योगों में एक हजार नहीं 20 हजार का है । अभी तक कई जो नये उद्योग खुले हैं उनमें 20 हजार की पूंजी के पीछे एक व्यक्ति को रोजगार मिला है । जो उद्योग विभाग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें अब तक चलने वाले उद्योगों के नाम हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए भारत सरकार को को रिकमण्ड किया गया है, उनके सम्बन्ध में कहा गया है, और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार खुद चला रही है या चलाना चाहती है । इनसे कितना रोजगार मिल सकेगा, इसका न तो कोई वर्णन है और न इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े ही उपलब्ध हैं । मैं जितना प्रयत्न इस सम्बन्ध में कर सका हूं, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जिन आंकड़ों को मैंने निवेदन किया कि दो करोड़ की आबादी के पीछे 5 आदमियों की एक फेमिली मानने के आधार पर, इस वक्त 50 लाख फेमिलीज ऐसी हैं जिन्हें हमें रोजगार देना है । 83 पर्सेन्ट पोपुलेशन आप की बिल्कुल खेती के आधार पर है और जो ग्रामों में रहती है, उन ग्रामों के सम्बन्ध में उद्योग की योजना का कोई विचार नहीं है । न हमारे सामने कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं और न उनका कोई सर्वे होकर खास आंकड़े हैं । तो इन 83 पर्सेन्ट जो कि बिल्कुल ही खेती पर आधारित हैं, उनके आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो इन 83 पर्सेन्ट में से जो 180 लाख आदमी के करीब हैं जिनका खेती का आधार है, मैंने अभी पहले सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड पर बोलते हुए कुछ निवेदन किया था, और अब भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के राष्ट्रपति के भाषण के साथ और राजस्थान के राज्यपाल महोदय के भाषण के साथ और हर स्टेट में एक ही आवाज आ रही

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

है कि भूमिहीनों को भूमि दी जाय। मैं इसका विरोध तो करना नहीं चाहता, लेकिन इस सदन के सामने इन आंकड़ों को रखकर यह दर्शित कराना चाहूंगा कि अब भूमिहीनों को भूमि देकर केवल एक ही कार्य करना चाहते हैं कि हम गरीबी का डिस्ट्रिब्यूशन करना चहते हैं, धनहीन आदमी को अधिक धनहीन आदमी बनाना चाहते हैं। इसलिए पहले कुछ आंकड़े देकर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों को बढ़ाकर रोजगार के अधिक पोटेन्शियल पैदा करें नहीं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति जिनकी यहां पर चर्चा की जाती है कि उनके पास भूमि शायद नहीं है और जो लैण्डलेस लेवर हैं और जिनको 6 महीने के लिए भी काम करने का मौका नहीं मिलता है और बिल्कुल अकाल का समय आ जाता है तब सितम्बर के महीने में वे भागना शुरू करते हैं मालवे की तरफ और उनको रोजगार नहीं मिलता है तो लौट कर आते हैं। कहीं आठ आने रोज पर, कहीं 10 आने रोज पर काम करते हैं और कहीं कहीं 25 पैसे रोज पर काम करते हैं और समय निकल जाता है तब अकाल का सारा काम जारी नहीं होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेचर के फड़ के अलावा कई ऐसी चीजें होती हैं जिन पर मनुष्य निर्भर करता है। खेती के डवलपमेंट के लिए जो एसेन्शियल चीज है वह है जल, और जल के अभाव में एक साखी खेती होगी, और उस एक साखी खेती के बारे में जो कुछ भी एग्रीकल्चर विभाग के दिये हुए आंकड़े हैं उनके हिसाब से हम एक कुटुम्ब के लिए 20 पैसे भी उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। उनके जो आंकड़े हैं उनसे ऐसा लगता है कि उससे 20 पैसा एक कुटुम्ब के लिए भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह अलग बात है कि आप 83 पर्सेन्ट से 92 पर्सेन्ट खेती पर उपलब्ध कराते चले जायें। अमेरिका में 87 पर्सेन्ट पोपुलेशन का बेस इन्डस्ट्री है और 13 पर्सेन्ट पोपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। उनका उत्पादन इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि उस उत्पादन के आधार पर दुनियां के दूसरे देशों को अन्न देता है। तो यहां तक मैं मानता हूं कि यदि आपको अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना है तो आप जितने आदमी हैं और जहां पर अभाव है वहां हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि इनको दूसरा रोजगार दिला पायें तो रोजगार के अभाव में उनको खेती की जमीन दें, लेकिन भूमि के सम्बन्ध में, प्रोपर्टी के सम्बन्ध में आपको उनके स्वामित्व को मानना होगा। आज अधिकारों के सम्बन्ध में एक सेन्स, एक फीलिंग है और देश में प्रोपर्टी का दायित्व खत्म करने का सिलसिला चल रहा है और चारों तरफ से राजनैतिक पार्टियों की तरफ से आवाज आ रही है वह आवाज है कि गरीब आदमी की सम्पति का क्या होगा? जिसके पास एक झोंपड़ी और 5 बीघा जमीन है जिसमें शायद उसकी महनत लगती है और महनत करके सरकार से या बनिया से लिया हुआ जो कर्जा है। जो सदैव भार बनकर उसके ऊपर चलता है। तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में कि यह जो लेटेस्ट आपके आंकड़े हैं जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दिये हुए हैं उनमें 16 लाख एकड़ जमीन आपकी रबी में है और खरीफ में जमीन 99.65 है—इन दोनों के प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। खरीफ की फसल केवल बरसात के आधार पर चलती

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

है । बरसात के अलावा कोई और उनके पास साधन नहीं हैं । रबी की फसल के लिए आपके पास सिंचाई के साधन हैं । इसके आधार पर, जितने आपके पास फिगर्स हैं उनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि टोटल एरिया जो अब तक सोन हुआ है वह 146 हैक्टर जमीन पर अब तक खेती की गई है उसमें से 18 लाख एकड़ जमीन केवल सिंचित है, अर्थात् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बटा दस कुल जमीन की ऐसी जमीन है जिसके द्वारा लोगों को खेती में रोजगार देने का प्रबन्ध करते हैं, जो उनके लिए कमाई का साधन होती है । नेशनल सेम्पल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार चालीस पैसे लैण्ड लेबर को मिलते हैं और इन आंकड़ों के अनुसार जो केवल खरीफ की फसल पर अपना जीवन आश्रित करते हैं उनको माइनस 30 पैसे प्रति व्यक्ति आते हैं । मैं इस आधार को मान कर चलता हूं कि पांच आदमी खेती करते हैं, कि पांचों आदमी खेती को तैयार करने के लिए, जो नई जोत उनको मिलती है, उस पर अपनी महनत लगाते हैं, उधार पैसा लेकर उस पर लगाते हैं लेकिन बरसात के कारण से उनकी सारी फसल समाप्त हो जाती है तो उनकी महनत भी खराब हो जाती है। इस प्रकार माइनस 30 पैसे खरीफ की फसल पर आश्रित प्रति व्यक्ति का आता है। इस प्रकार जो उसको मिलना चाहिए उसकी महनत के अनुसार वह भी नहीं मिलता है । बल्कि उसके कारण से वह कर्जदार होते चले जा रहे हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हू कि खेती पर आश्रय की बात छोड़ देनी चाहिए । अगर खेती का आश्रय लिया जाना है तो राजस्थान कैनाल, नर्वदा परियोजना और दूसरी जो पैरीनिअल कैनाल हैं, जहां साल भर तक सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसे सिंचित क्षेत्रों के अन्दर लोगों को खेती के रोजगार को देंगे तो देश के अन्दर सम्पदा को बढ़ायेंगे और लोगों के अन्दर सम्पन्नता भी लायेंगे । इसके अलावा अब तक जितनी कॉटेज इन्डस्ट्री हैं उनमें एक लाख 10 हजार आदमियों को रोजगार मिला है, माइनिंग में 2 लाख 10 हजार आदमियों को रोजगार मिला है, गवर्नमेंट सर्वेन्ट 1 लाख 75 हजार के आस पास हैं और पब्लिक सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्टर भी शामिल है, में चार लाख लोगों को रोजगार मिला है । इसके आधार पर पचास लाख आदमियों को रोजगार प्रोवाइड करना है । खेती के ऊपर लोगों को रोजगार देना चाहें तो मुझे मालूम नहीं कि खेती के ऊपर कहां आप लोगों को रोजगार दे सकेंगे ? इसलिए अगर आपको कहीं लोगों को रोजगार देने का रास्ता मिलेगा तो वह आप उद्योगों के द्वारा दे सकते हैं । उद्योगों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक करोड़ रुपया लगा कर भीलवाड़ा में ओइल मिल लगी है, लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटी तीन सौ आदमी है । मैं सोचता हूं, तेतीस हजार आदमियों के पीछे एक आदमी को रोजगार दिया गया है । राजस्थान की टोटल पोपूलेशन को मानते हुए एक हजार का इन्वेस्टमेंट एक आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटी क्रियेट करने की बात के आधार पर कम से कम अगर पैंतालीस लाख फेमिलीज को रोजगार देंगे तो उन्हें रोजगार देने के लिए करीब पांच अरब रुपये की जरूरत होगी, तब भी शायद कुछ को रोजगार देने की बात पूरी हो पायेगी और कुछ को रोजगार देने

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

की बात पूरी नहीं हो पायेगी। यह सरकार के सामने आंकड़े हैं, सदन के सोचने के लिए है और सदन को इसके ऊपर निर्णय करना है कि हम आफ्टर ओल राजस्थान की जनता को कहां ले जा रहे हैं? सम्पन्नता की ओर, समानता की ओर? सम्पन्नता और समानता के लिए हम कहीं गरीबी का अधिक से अधिक वितरण तो नहीं कर रहे हैं? इसका निर्णय हमें करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को छोड़ कर हमें उद्योगों की तरफ अधिक से अधिक बढ़ना है, उद्योगों के साधन अधिक से अधिक जुटाने हैं, और अधिक से अधिक उद्योगों को पैदा करना है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े निवेदन कर देना चाहता हूं। आज चारों तरफ से समाजवाद की आवाज आ रही है। समाजवाद जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक व्यवस्था है। हमें पता नहीं, कितनी इस्टीटयूशन्स बदलनी पड़ेंगी। अभी आपके सामने माइनर मिनरल कन्सेशन का जिक्र आया था प्रश्नोत्तर काल में, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। आज शायद हमारी हालत नहीं है लेकिन यह जरूरी है, इस देश में यदि समानता लानी है तो बिचौलियों को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। माइनर मिनरल कन्सेशन की बात मैं मानने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेजर मिनरल, जहां कि बहुत देश की आवश्यकता हो, समाजवाद की आवश्यकता हो वहां उनकी स्थापना हो लेकिन उसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता है उसको लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके अभाव में यदि समृद्धिशाली लोगों की पूंजी लगाने से देश की एम्प्लायमेंट पोटेंशियलिटी बढ़ती है तो बात समझ में आती है। माइनर मिनरल के सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम सम्पदा की आवश्यकता होती है इसलिए माइनर मिनरल के लिए मजदूरों को ही मुकर्रर कर सकें तो आप बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो राजस्थान के आंकड़े हैं उनके आधार पर उद्योग विभाग अधिक से अधिक एम्प्लायमेंट पोटेंशियलिटी बनाने के लिए रास्ता अपनाये तो वह राजस्थान के लिए हितकर होगा। अधिक से अधिक जमीन केवल वहां पर दी जाय जहां पर इरिगेशन फैसेलिटी मिलने की सम्भावना हो। ऐसी जगह अगर जमीन दी जायेगी तो गरीब आदमियों का अधिक भला कर सकेंगे।

अब मैं केवल दो मिनिट बोलना पसन्द करूंगा जल प्रदाय योजना पर। आज राजस्थान की स्थिति यह है कि 145 हमारे यहां पर म्युनिसिपल टाउन हैं, और 32 हजार के करीब गांव हैं। राजस्थान सरकार ने अभी तक जितना खर्च किया है उस खर्च के आधार पर केवल 39 रुपये प्रति व्यक्ति तो आपके शहरी, म्यूनीसिपल टाउन के लोगों के पीछे आता है और पांच रुपया प्रति व्यक्ति गांव के आदमियों के पीछे आता है। कुछ रेगिस्तानी इलाके ऐसे हैं जिस रेगिस्तानी इलाके में केवल खारा जल उपलब्ध है, मीठे जल की सम्भावना नहीं है। ऐसा मानने की बात नहीं है कि मैं यह कह दूं सरकार को चार्ज करके कि इंडिपेंडेंस के बाद बाईस साल के अन्दर राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसा कह कर मैं अपने आप के प्रति और राज्य के प्रति ज्यादती करूंगा। लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी हैं जो

Page No 92

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बहुत बड़ी प्राथमिकता प्राप्त करने की अधिकारी हैं। आज उनके अन्दर इम्बेलेन्स है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। शहर कन्सोलिडेटेड हैं वहां जल की योजना है। वहां शायद नल लगाने को दे दिये जाते हैं तो कोई हानि नहीं होती है। लेकिन जहां जल का अभाव है वहां जल के लिए अधिक से अधिक पैसा लगाने की आवश्यकता है। वहां पानी मुहैया नहीं कर सकें तो शायद हम राजस्थान की जनता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बत्तीस हजार गांवों में यद्यपि काम हुआ है और जगह जगह जल उपलब्ध करने का प्रयत्न किया गया है। उसके बावजूद भी जितना काम बाकी पड़ा है, उसके रहते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अब 145 जगह, जो मेरे पास रिपोर्ट है, उसके अनुसार इनमें से कुछ म्युनीसिपल टाउन और गांवों में नल की योजना बन चुकी है, इसलिए सारा धन अब गांवों में वितरित किया जाय.......

श्री मूलचन्द डागा : यह आवाज उठाने वालों को मिल जायगा, गांव वालों को नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : बठे बठे नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : गांव वाले बोलते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : खड़े होकर।

श्री मूलचंद डागा : गांव वालों को मिलता नहीं है, शहर वालों को मिलता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मिलने का आधार आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कुछ प्रभाव होता है, कुछ कन्सीडरेशन होता है। यह मत कहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में अधिक से अधिक कठिनाइयां हैं, पानी पहुंचाने की कठिनाइयां हैं, मीठे जल के कुंए ढूंढने की कठिनाइयां हैं.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय डागा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह सब होने के बाद पानी एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए राज्य सरकार से मैं निवेदन करना पसन्द करूंगा कि पानी के लिए अधिक से अधिक पैसा दिलायें और पेय जल उपलब्ध करें और गांवों में पानी की सप्लाई करें।

तीसरी चीज, मैं भीलवाड़ा जिले के लिए निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, कि राजस्थान में मेवाड़ राज्य के वक्त में जो हास्पीटल बने, तब से भीलवाड़ा जिले के जो हास्पीटल हैं उनकी वही की वही हालत है, न तो उनमें बैड बढे हैं, न दवाइयों का पैसा बढा है। इसलिए उस हॉस्पीटल को 'बी' श्रेणी का बनाने के लिए आप आदेश प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के संबंध में। ग्राम असनावर झालावाड़ में, 12-8-59 को वहां के लोगों ने, 3,000 रुपये जल योजना के लिये जमा किये थे पर यहां असेम्बली में

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

प्रश्न पूछा गया तो उसके उत्तर में कहा गया कि जमा नहीं हुआ है, प्रश्न ही नहीं उठता। 11-12 साल पहिले यह रकम जमा हो गई है, लेकिन आज तक वहां जल योजना चालू नहीं की गई है। इसके विपरीत इससे बाद में जिन जगहों की रकम जमा हुई है, वहां जल योजनाओं का कार्य शुरू हो गया है। पर असनावर में यह रकम कभी की जमा हो गई फिर भी वहां इस प्रकार की योजना चालू नहीं की गई है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि असनावर की जल योजना शीघ्र ही चालू की जानी चाहिए। इसके अलावा, रायपुर, पंचायत समिति, पिड़ावा की भी जल योजना के लिए रकम जमा हो गई है पर वहां भी अभी तक यह योजना प्रारम्भ नहीं की गई है। मेरा निवेदन है कि वहां पर भी इस योजना को चालू कर के पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए।

चिकित्सा के संबंध में मैं निवेदन करूं कि रायपुर गांव में होस्पिटल है, डॉक्टर है, एक कम्पाउन्डर साहब हैं पर कम्पाउन्डर साहब जिनका नाम दीनदयाल सक्सैना है, उनकी शिकायतें बहुत की गई हैं। डॉक्टर रहते हुए, फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर के रहते हुए उनकी तब्दीली नहीं की जाती है, तबादला हो जाने पर भी उनको वहां डेपुटेशन पर रख लिया गया है। वे कम्पाउन्डर साहब वहां राजनीति में भाग लेते हैं; अशान्त वातावरण पैदा करते हैं और वहां पर झगड़े फिसाद करवाते हैं। चिकित्सा मंत्रीजी के पास इन कम्पाउन्डर साहब के संबंध में शिकायतें भेजी गई थीं कि ये दवाइयां बेचते हैं, इनका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में समुचित व्यवस्था करें।

झालावाड़ नगर में हॉस्पिटल है, उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो लेडी डॉक्टर हैं उनके संबंध में काफी शिकायतें चिकित्सा मंत्री महोदय के पास कर दी गई हैं कि जब तक वे फीस नहीं ले लेती हैं किसी रोगी का नाम रजिस्टर नहीं करती हैं, जब तक कोई मरीज उनके बंगले पर जा कर उनको फीस नहीं दे देता तब तक उसको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और न पलंग ही मिलता है। पहले भी इस संबंध में असेम्बली में प्रश्न पूछा गया जुलाई और जून, 1968 में कि वहां 5 औरतों की मृत्यु एक साथ हो गई। इसके संबंध में पूछा गया तो जवाब सरकार की ओर से यह मिला कि यह केस नहीं आया। केस रजिस्टर ही नहीं हुआ और उसके रेकार्ड को जाया कर दिया गया। इस प्रकार की शिकायतें तीन साल से बराबर आ रही हैं। वहां पर लेडी डॉक्टर एक ही है, इसलिये कोई आदमी शिकायत करने के लिए सामने नहीं आना चाहता और आप इतनी शिकायतें होने के बाद भी उनका ट्रान्सफर नहीं कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि निष्पक्ष रूप से जांच कराने की व्यवस्था की जाय। और वहां लेडी डाक्टर की समुचित व्यवस्था की जाय।

इसी प्रकार प्राइमरी हैल्थ सेंटर की रकम लगभग 12 साल पहले जमा हो गई थी फिर भी अभी तक वहां भवन का निर्माण नहीं किया गया है। पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि वह स्थान भीम सागर डेम के कारण डूब में आने वाला है और जब भीम सागर डेम के निर्माण के संबंध में पूछा जाता

Page No 94

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

है तो उत्तर दे दिया जाता है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भवन के लिए साइट को सलेक्ट कर लिया गया था और वह सलेक्ट किया हुआ स्थान ऊंचाई पर है फिर भी भवन का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां जल्दी से भवन का निर्माण कराया जाय और इन मेरे प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशन !

(विराम)

श्री रामकिशन !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वे अभी आ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : वे आवें जितने मैं बोलता हूं साहब ।

श्री अध्यक्ष : नहीं साहब ।

श्री विजयसिंह : और वकील तो बोलने की फीस लेते हैं, मैं माननीय डागाजी से पूछूंगा कि वे चुप रहने की क्या फीस लेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : इसमें तो मैं आपका अनुकरण करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशन !

श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वे आ गये साहब ।

(1 म० प०)

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण मांग पर विचार हो रहा है लेकिन जो राजस्थान के उद्योगों की और खनिजों की स्थिति है, मैं समझता हूं आज से 20 साल पहले जो इनकी स्थिति थी, उसमें आंशिक रूप में ही सुधार हुआ है और यह कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास और खनिज विकास के कार्य में पूरी तरह से निष्क्रिय रही है। हमारे यहां के लोगों को राजस्थान की खनिज सम्पदा से और उद्योगों के विकास से लाभ मिल सकता था लेकिन इस संबंध में जो सरकार की तरफ से प्रयत्न किये गये हैं वे नगण्य किये गये हैं। उद्योग के विकास से और खनिज सम्पदा से जो स्टेट इन्कम थी, राजस्थान की तमाम आमदनी में जो खनिज सम्पदा और उद्योगों से होने वाली आमदनी का हिस्सा था, वही आज है। जब कि पंजाब आदि प्रान्तों में खनिज सम्पदा से और छोटे मोटे उद्योगों से होने वाली आमदनी का नेशनल इन्कम में 26 पर्सेंट हिस्सा है, वहां राजस्थान में केवल 7 पर्सेंट ही है। जब कि प्रथम पंच वर्षीय योजना शुरू हुई थी तब भी यही स्थिति थी।

तो यह समझने में कठिनाई नहीं पड़ेगी कि राजस्थान का उद्योग विभाग निष्क्रिय है और छोटे मोटे उद्योगों को लगाने के लिए लोगों को जानकारी देनी चाहिये, गाइडेंस देनी चाहिए, इसमें वह कर्त्तव्य विमुख रहा है। सरकार ने जो आंकड़े प्रकाशित किये हैं, उनके बजट स्टडी में पढ़ेंगे तो पायेंगे कि खास तौर से लघु उद्योगों के मामले में हमारी हालत गिरती जा रही है।

हिन्दुस्तान और राजस्थान का विकास केवल छोटे उद्योगों की मार्फत ही हो सकता है। पूंजी, निर्माण की संभावना हमारे यहां

(श्री रामकिशन)

कम है पर मनुष्यों की शक्ति हमारे यहां काफी है और हमारे यहां रॉ-मेटिरियल काफी मात्रा में मिलता है। उसका यदि सही उपयोग होता तो आज न टैक्स लगाने पड़ते, न केन्द्रीय सरकार पर हमारे बजट का बोझ डालना पड़ता। पर उद्योग मंत्रालय इस स्थिति को सुधारने की स्थिति में नहीं है।

हमारी स्टेट इन्कम में बड़े बड़े उद्योगों, फैक्टरी आदि से इन्कम का एक प्रतिशत हिस्सा था, उसमें आज कुछ बढौतरी हुई है लेकिन लघु उद्योगों से होने वाली आय का वह प्रतिशत निरन्तर घटता जा रहा है। 54-55 में वह 15.5 प्रतिशत था लेकिन लघु उद्योगों से जो स्टेट इन्कम में आमदनी होती थी वह घट कर 68-69 में 12.17 प्रतिशत ही रह गई है: इसका साफ यह मतलब है कि उद्योग विभाग को जिस कार्यक्रम को करना चाहिए था, उस कार्यक्रम को वह नहीं कर पाया।

स्टेट इन्कम के बारे में एक बात और निवेदन करूं राजस्थान सरकार का इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट चलता है, उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उद्योगों के बारे में जानकारी देना है कि कौन कौन से उद्योग कहां कहां किस तरह से स्थापित किये जा सकते हैं, किस किस प्रकार के लघु उद्योग कहां कहां खोले जा सकते हैं, इन सब चीजों की खोज कर के लोगों को उद्योग लगाने के लिए जानकारी देना, लोगों को गाइडेंस देना है। लेकिन उद्योग विभाग ने इस प्रकार की कोई खोज नहीं की है और न लोगों को इस प्रकार की उद्योगों की स्थापना के संबंध में जानकारी या गाइडेंस ही दी है। शायद कोटा जिले के अलावा और किसी जिले का पूरा सर्वेक्षण ही नहीं हुआ है। वह आज नहीं बता सकता कि कहां कहां, किस किस प्रकार के लघु उद्योग लगाये जा सकते हैं, किन किन जगहों पर किस किस प्रकार की इण्डस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। यह सब जानकारी न तो इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के स्वयं के पास हैं और न वह लोगों को यह सब बताने की स्थिति में ही है कि फलां फलां जगह अमुक अमुक उद्योग लगायें, इसमें राज्य सरकार से यह यह मदद मिलेगी।

कोटा जिले की रिपोर्ट वितरित की गई है, यह कार्य भी आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे यहां भूमि है, पानी है, विपुल खनिज सम्पदा है, यहां बड़े बड़े उद्योगों को और लघु उद्योगों को खूब पनपा कर राजस्थान को समृद्ध बनाया जा सकता था लेकिन इन विगत 20 वर्षों में राजस्थान सरकार की गलत दिशाओं और निष्क्रियता के कारण राजस्थान आज भी पिछड़ा प्रदेश ही रह गया। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना का दस वर्ष का कार्यक्रम बनाया गया था उसमें अन्दाज लगाया गया था कि हमारी स्टेट इन्कम में उद्योगों से होने वाली आय का 18 प्रतिशत हिस्सा हो जायगा पर वह प्राप्त नहीं हुआ है। रोजगार की दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि से, प्रोस्पेक्टिव की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से राजस्थान सरकार का औद्योगिक ढांचा बहुत निष्क्रिय रहा है। राजस्थान जैसा बैकवर्ड पहले था वैसा का वैसा बैकवर्ड आज भी औद्योगिक विकास के मामले में है। देश के विभाजन के बाद फिर स्टेटस का विभाजन हुआ, उसके बाद की दूसरी स्टेट्स की औद्योगिक संभावनाओं को देखेंगे तो हमें ताज्जुब होगा हमारी दूसरी स्टेटस में कितना औद्योगिक विकास हुआ है और हम आज जहां पहले थे वहीं खड़े हैं।

(श्री रामकिशन)

एक मायने में औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य था और पिछड़ा हुआ राज्य है और यही गति रही तो राजस्थान में 50 साल तक किसी प्रकार से औद्योगिक विकास की संभावनायें नहीं हैं अगर विभाग को सक्रिय नहीं किया गया तो।

हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में विकास हो रहा है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के हामी हैं। हम चाहते हैं कि इसका विकास हो लेकिन हमारे राज्य का नेतृत्व इतना कमजोर है कि इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनकी जीविका की संभावनायें समाप्त हो गई हैं। अकाल के कारण इन लोगों को खेती पर लगाया नहीं जा सकता। इस समय अगर सरकारी नेतृत्व कमजोर नहीं होता तो अपने देश में जो इतना सार्वजनिक क्षेत्र में विकास हुआ है उसका बड़ा हिस्सा हम ले पाते। आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से संभावनायें नजर आती हैं। राजस्थान इस मामले में पिछड़ा हुआ है। 1951 से पहले योजना शुरू हुई थी। सारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का जो हिस्सा उस समय था वह केवल 29 करोड़ रुपया था और 1968-69 में यह 35 अरब रुपया तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर उस दृष्टि से राजस्थान को देखें जिसमें रेल्वे, पोस्ट्स व टेलीग्राफ्स, लोकोमोटिव्ज चित्तरंजन का कारखाना शामिल नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र में 35 अरब रुपये हैं और उसकी संख्या 79 तक पहुंच चुकी है और राजस्थान के हिस्से को भी देखें। मैं क्षेत्रीय भावना का समर्थक नहीं हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको आमदनी की दृष्टि से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि बंगाल में कोई उद्योग नहीं लगे, असम में नहीं लगें, गुजरात में नहीं लगे, ऐसी मेरी मांग नहीं हो सकती, लेकिन एक मांग निश्चित है कि राजस्थान में जिस तरह की हालत है, प्रति व्यक्ति आमदनी है, केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग का जो निर्देशन है उसके अनुसार ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए ज्यादा संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए, जहां पर पिछड़ा हुआ आर्थिक ढांचा है, जहां क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है।

क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 35 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट में हमें कितना हिस्सा मिलना चाहिए था? इसमें से रेल्वे विकास, में, टेलीफोन और दूसरे विकास में जिस तरह का हिस्सा मिलना चाहिए वह मिल गया है? मंत्री महोदय के पास काम इतना है कि वह पढ़कर जवाब नहीं दे सकते, उनके पास जाने पहचाने लोगों को खान व पत्थर के परमिट देने का ही काम इतना है कि राज्य के विकास की संभावनाओं का पता लगायें, केन्द्रीय सरकार के सामने योजना रखें और वह यदि न्यायसंगत योजनायें मानने को तैयार न हों तो फिर दूसरी तरह संसद सदस्यों के मार्फत जो संवैधानिक तरीका है उससे उन पर दबाव डालें। लेकिन इस मामले में राजस्थान का नेतृत्व कमजोर है और केवल एक बात जानता है कि सिंडीकेट के साथ मिल गए तो सिंडीकेट की जय बोलो, इंडीकेट के साथ मिल गए तो इंडीकेट की जय बोलो और राज्य करो। बाकी राज्य का कल्याण नहीं होता है। जब मंत्रीजी जवाब दें तो उस समय साफ करें कि जो 35 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें से हमारे क्षेत्र पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है।

श्री भैरोंसिंह: राजस्थान में 33 करोड़।

श्री रामकिशन : देश की जनसंख्या के हिसाब से आज हमें बताया गया कि राजस्थान में 33 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ अथवा देश में इन्वेस्टमेंट 35 अरब रुपये हैं 1968-69 में तो मुख्य मंत्री से और उद्योग मंत्री से आशा करता हूं कि हमें अपने क्षेत्र में विकास के असंतुलन को समाप्त करना चाहिए । इस दृष्टि से वह जानकारी दें कि राजस्थान में कौन कौन से उद्योगों की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना होने जा रही है । सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, उसमें जो बुराइयां हैं, उनके कुछ कारण हो सकते हैं । उन्हें दूर करने की कोशिश करें, लेकिन मैं हर दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार व प्रसार का समर्थक हूं । इसलिए राज्य सरकार इस मामले में कोई पहल करे लेकिन नहीं कर सकती है तो इस मंत्रालय को चलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

सार्वजनिक क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है जहां 35 अरब रुपये उन क्षेत्रों में हुआ है तो रेलवे में 33 अरब हुआ है, राजस्थान में पोस्ट्स व टेलीग्राफस पर 3 अरब इन्वेस्टमेंट हो चुका है । मल्टीपर्पज स्कीम्स में दोनों चीजों में अब तक केन्द्रीय सरकार के 50 अरब रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है । सारा मिलाकर हम देखेंगे कि राजस्थान में सब के मुकाबले में हमारी आबादी और दूसरी दृष्टियों से हमारा इन्वेस्टमेंट नगण्य है और राज्य सरकार को पूरी तरह से फायदा नहीं हुआ है ।

राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग क्या करता रहता है मुझे जानकारी नहीं । व्यक्तिगत समस्याओं के झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहता । भरतपुर के बारे में कई बार दावतें खाकर आते हो, आपके पास बड़े सेठों की दावतें होती हैं और आश्वासन होता है, जैसे ब्रह्मा सृष्टि रचते समय से आश्वासन देकर चले आते हैं तो जो आश्वासन आप देते हैं, मेहरबानी करके उनमें से एक प्रतिशत भी याद रखते हैं या नहीं ? लेकिन फिर भी उम्र बढ़ रही है कुछ चीजों का ध्यान है । भरतपुर औद्योगिक बस्ती है उसमें सड़क व बिजली की व्यवस्था नहीं । भरतपुर में जो औद्योगिक विकास हुआ है, आप जानते हैं कि उसमें सरकार को कोई सहयोग नहीं है । भरतपुर में तेल मिलें या दूसरे कारखाने हैं अपने आप वहां के लोगों ने खड़े किए हैं, सरकार सुविधा देने के बजाय कोई न कोई ऐसा काम करती है जिससे वहां के उद्योग उठते जा रहे हैं । इस साल भरतपुर जिले में कई तेल मिलें लगी हुई हैं। इस समय निजी क्षेत्र में भरतपुर में 6 तेल मिलें हैं । वहां सरसों व मूंगफली का तेल पैदा होता रहता है । जब यह मिल नहीं थी तो सारा माल हमारा मथुरा व आगरा जाता था । इससे सरकार की बिक्री-कर की आमदनी व बिजली का खर्चा बढ़ा और भरतपुर के लोगों को रोजगार मिला लेकिन क्या होता है ? उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में औद्योगिक विकास के लिए सुविधायें देते हैं । उत्तर प्रदेश ने सरसों पर बिक्री कर 3 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत किया, इस प्रकार पिछले साल छूट दी । इसका नतीजा यह हुआ कि आज से पहले सरसों यहां से जाती थी, अब नैनीताल व अमृतसर से जाती है । पहले बिक्री कर हमारे पास आता था लेकिन हमारा सेल्स टैक्स ज्यादा था, सी०एस०टी० अलग, खल पर ज्यादा टैक्स लिया । उसका नतीजा यह हुआ कि 6 मिलों में से एक मिल मालिक ने तो आगरा में जमीन खरीदी । इसलिये हमारे उद्योग उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं । मेरी

(श्री रामकिशन)

उद्योगपतियों से सहानुभूति नहीं लेकिन हमारी चिंता यह है कि एक वर्ष के लिए भरतपुर में इन मिलों के मारफत 50 लाख का सेल्स टैक्स होता है, राजस्थान वैसे ही सुभानअल्ला। उसके बावजूद यदि इतना आमदनी का स्रोत घट गया, तो आप इस संबंध में कार्यवाही करने की स्थिति में हैं? चाहे मिलों का मामला है, चाहे रौलिंग मिल्स का, लेकिन भरतपुर के लोग आम तौर पर कहते हैं कि राज्य सरकार ने हमारी किसी प्रकार की मदद नहीं की।

खनिज संपदा राजस्थान में सबसे अधिक है। उड़ीसा वगैरह को छोड़कर, लेकिन क्या हालत है? 1951 व 1954 में स्टेट इन्कम का हिस्सा 6 प्रतिशत था, आज जो इसका हिस्सा है ज्यादा से ज्यादा एक प्रतिशत के आस पास आकर रुक गया है। उद्योग मंत्री कह रहे थे कि हमारी नीति है कि हम मजदूरों को छोटे 2 प्लाट्स देंगे तो जयपुर व भरतपुर में और जयपुर में एक उद्योगपति थे तिवाड़ी जी, उनकी बहुत दिनों तक मोनोपोली चलती रही! श्री बृजसुन्दर व मास्टरजी के मारफत चंदा आता था, बड़े आंदोलन हुए, मजदूरों ने हड़तालें कीं, तब सरकार ने प्लौट्स बनाये उसके बाद अलग अलग नाम से दुबारा घर दिलाये और प्राइसेज जो वसूल होनी थी, वह नहीं हुई। आज तक प्लौट्स खड़े पड़े हैं, मजदूरों ने दरख्वास्तें दी हैं। उद्योग मंत्री से भी कहते हैं, मजदूर आते हैं। आपको पैसा देना चाहिए, आप इनके लिए छोटे प्लौट्स बनायें तो आपको ज्यादा आमदनी होगी। बंसी पहाड़पुर में प्लौट्स तीन साल से बनाकर छोड़ दिए हैं। आपका खनिज विभाग कहता है कि वह छोटे छोटे लोगों को प्लौट्स न देकर, हमारे बड़े प्लौट्स चलें। इस संबंध में मैंने पत्र लिखा है उप-मंत्री को क्योंकि मंत्री महोदय तो कभी मिलते नहीं हैं। तीन वर्ष से प्लौट्स खाली पड़े हैं। डेढ़ लाख का नुकसान हो रहा है। एक बार वहां के लोगों ने कहा कि हम उद्योग मंत्री से मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा उद्योग मंत्री तो सेठ लोगों की सुनेंगे, मजदूरों की क्यों सुनेंगे। आज वे प्लौट्स खाली पड़े हैं। इस प्रकार कई प्लौट्स का डिमार्केशन नहीं हुआ है। मैं किसी बुरे इन्टेन्शन से नहीं कहता बल्कि सुझाव के तौर पर कहता हूं कि भरतपुर में जिनको खानें दी हैं लीज पर, तो उनके डिमार्केशन की जानकारी करें।

खानों के ठेके हुए। तीन चार वर्ष हो गये लेकिन डिमार्केशन नहीं हुआ और पजेशन आज तक नहीं मिला। चोर से चोर मिल गये। आपको नुक्सान होता है और मजदूरों को नुक्सान होता है। जिनके ठेके हो गये, वे कहते हैं कि पजेशन दो, डिमार्केशन करो। सचिवालय का और मंत्रियों का चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। खनिज विभाग के दो तीन आदमी लगा दिये, बस हो गया इससे काम। उन पर सब छोड़ दिया है। खनिजों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। आज मांगें इतनी रखी गई हैं कि विस्तार से जाने में मुझे देर लगेगी।

तीसरा, मैं मेडीकल मिनिस्टर की तरफ नजर डालना चाहता हूं। आप भरतपुर पधार आये। सारी बातें समझ आये। भरतपुर में अस्पताल है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट है। केन्द्रीय सरकार और कुछ मामलों में आप उससे आगे निकल गये हैं बैड्स और डिस्पेन्सरी के मामले में। मंत्री महोदय कानून के पंडित तो हैं। लेकिन चलते फिरते

(श्री रामकिशन)

वकील हैं। आलसी वकील हैं। किसी ने पैसा दे दिया जेब में रख लिया और कोर्ट में चले गये। चिकित्सा के आंकड़े बताये, बढ़िया लगे। डिस्पेन्सरी भी ज्यादा दिखा दीं। पॉपुलेशन को भी देखा है। हो सकता है बैड्स की संख्या ज्यादा हो। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे इलाके हैं भरतपुर में भी और अन्य जगहों में भी कि एक मरीज को बीस मील, पन्द्रह मील जाना पड़ता है जब केरल में डिस्पेन्सरी बीस फर्लांग पर है। प्रत्येक एक लाख पर बैंडस और डिस्पेन्सरीज ज्यादा हो सकती हैं। आपका मुख्य उद्देश्य मनुष्य की सेवा करना है, उनको आराम देना है। डिस्टेन्स इतना है कि आंकड़े ऑल इन्डिया से आगे निकल जायेंगे। आपका मंत्रालय और आप कमजोर मंत्री हैं। विशेष और तो जानकारी नहीं है। भरतपुर को तो छोड़ दीजिये। मुख्य मंत्री जैसा व्यक्ति इतनी हल्की बात कह दे कि वोट नहीं देते हैं, इस लिए यह नहीं होता है। भरतपुर आपको वोट देगा नहीं। एक-आध बढ़िया चेहरा दें दिया.....

श्री अध्यक्ष : आपका बड़ा आकर्षण है।

श्री नत्थीसिंह : तीन अच्छे वकील दिये हैं।

श्री रामकिशन : चेहरे पर नहीं, कार्यक्रम और नीतियों पर वोट मिलते हैं।

चिकित्सा मंत्रीजी आप तो कमजोर मंत्री हैं। सदन में भी सोने की स्थिति में रहते हैं। भरतपुर के अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिये जितनी बार गये तो कितना प्रयत्न हुआ? भरतपुर में रोगी इलाज करने के बजाय रोगी हो जाता है। नहर में इतनी गंदगी है और कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा मंत्री पधारे थे। क्या व्यवस्था की? राजस्थान सरकार यह नहीं देखती है कि मनुष्यों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। किन्तु चुनाव में क्या फायदा हुआ यह देखा जाता है। इससे राज्य की तरक्की नहीं हो सकती। सदावल की डिस्पेन्सरी है। एक व्यक्ति की यह अभिलाषा थी कि उसके जीवन काल में डिस्पेन्सरी खोली जाय। वह मर गया। मंडल कांग्रेस वाले आये। कहने लगे कि विरोधियों को वोट देता है, इसलिये मत खोलो। तीन लाख रुपया लग गया। वह मर गया लेकिन डिस्पेन्सरी नहीं खोली। खानों में मजदूरों को टी०बी० हो जाती है। बंसी पहाड़पुर है। अस्पताल कायम करें। कम्पाउन्डर के लिए भी कहा। रोजगार आपने छीन लिया। खानों में काम करके बीमार हो जायं, उनके लिये तो दवा का इन्तजाम कर दीजिये।

इसी प्रकार से एक निवेदन और करना है। समाजवाद के बारे में बड़ी चर्चा है। बम्बई से आने के बाद तो राजस्थान सरकार को समाजवाद का अहलाम हो गया है। यह तो कहने की स्थिति में नहीं हूं कि इसका अर्थ न समझते हों, क्योंकि माथुर साहब जोशीजी ये पुराने व्यक्ति हैं और उम्र में भी मेरे से अधिक हैं। समाजवाद का मतलब है सम्पन्नता के द्वारा समता। समता के अनुसार काम करने लगें। कारखानों में समाजवाद के लिए आप फिक्र छोड़ दें, बिड़लाजी डालमियाजी का इलाज तो हम कर लेंगे। बीकानेर की वूलन फैक्टरी के लिये निवेदन करना चाहता हूं। 80 लाख का इन्वेस्टमेंट है। वर्किंग कैपिटल और सब मिला कर 11 करोड़ की फैक्टरी है। प्राइवेट उद्योगों में श्रमिकों की सुविधा आदि के लिए तो

(श्री रामकिशन)

सरकार लड़ती है और कानून बनाती है। लेकिन खुद के उद्योगों की क्या हालत है, यह कभी नहीं देखती। 263 मजदूर काम करते हैं और उनको 61 रुपया माहवार तनख्वाह देते हैं। दस मील दूर से लोग आते हैं और 26 दिन महीने में काम करना पड़ता है 2700 रुपये का मैनेजर है। तमाम मजदूरों को माहवारी भत्ता वेतन आदि सब 15 हजार है। मैनेजमेंट की सब सुविधा आदि 18 हजार रुपया है। यही समाजवाद कायम करने का दृष्टिकोण है? समाजवाद का मतलब है मजदूरों का शोषण बन्द हो और समाज में नव-निर्माण हो। लेकिन केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के जो उद्योग हैं, उनमें समाजवाद के दृष्टिकोण के विपरीत काम हो रहा है। समाजवाद के नाम पर नयी क्लास बन गई है। जिस प्रकार से रूस में बनी और युगोस्लाविया में बनी। यही क्लास राजस्थान में बनी है। मैं उद्योग मंत्रीजी से चाहूंगा कि वूलन मिलस, बीकानेर की स्थिति को देखें और दूसरे कारखानों की स्थिति को देखें तो आपको विदित होगा कि आप समाजवाद के कितने नजदीक पहुंचे हैं। मजदूर और मैनेजमेंट में डेढ़ा फर्क है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी दो तीन मांगें और हैं। मैं तो मर्यादा में ही रहूंगा और खास तौर से आप बिराजे हैं, उस समय। आपका दृष्टिकोण क्या हैं? गुवार का कारखाना लगा हुआ था। पहले तो राजस्थान सरकार ने कहा कि बाहर नहीं ले जा सकते गुवार। लेकिन बिड़लाजी को परमिट दे दिया और एक गुवार का कारखाना लगा हुआ था वह भी बन्द हो गया अच्छे या बुरे कारखानेदार आपके फेवर के या खिलाफ में, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। बिड़लाजी को परमिट दिया, गुवार बाहर ले गये और वह कारखाना बन्द हो गया। न आप समाजवादी हैं, न गांधीवादी हैं, न अवसरवादी हैं। कोई सरकार ही नहीं है। आपका मंत्रिमंडल तो यों ही चल रहा है। आप अल्ला के नाम चालीसा पर चल रहे हैं। न तो दिशा है, न ज्ञान है, न नियम है और न सिद्धान्त हैं और न कर्म और कार्य हैं।

श्री विजयसिंह : अपोजिशन कमजोर ही नहीं बल्कि मरा हुआ है।

श्री रामकिशन : मैं इन चीजों के साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों पर सरकार ध्यान दे। खनिज के लिये निवेदन किया, उद्योगों के लिये निवेदन किया, चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में भरतपुर की दिक्कत सामने रखी। इस विभाग में नियम ही नहीं हैं। जब राजा महाराजा खुश होते थे तो दिन को जागीर दे देते थे और नाखुश हो गये तो रात को बाहर निकाल देते थे। आजकल स्थिति चिकित्सा विभाग की क्या बनी हुई है, उसको देखें। क्या कोई नियम बने हुए हैं? आज कोई नियम नहीं है। क्या मंत्री महोदय आप जानते हैं, इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। यूं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारी समझ में नहीं आता है कि किनसे क्या कहें......

एक माननीय सदस्य : यहां कहना ही नहीं चाहिये।

श्री रामकिशन : आपके मंत्रालय में कुछ भी हो, आपने नियम बना रखे हैं, नियम

Page No 101

(श्री रामकिशन)

बने हुए हैं । मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज का 25वां नियम बना हुआ है । आपने भी इस नियम को देखा है । उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर राज्य के पास किन्हीं अनुभवी लोगों की कमी हो, तो रिटायरमेंट के बाद दूसरी जगह से, दूसरे राज्यों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसे लोगों को लिया जा सकता है । अगर कोई अवेलेबल आदमी नहीं हों, तो आप अपने व्यक्ति को ही रि-एपाइन्टमेंट कर सकते हैं । क्यों आपने राजस्थान में 60-62 वर्ष के लोगों को लगा रखा है ? क्वालिफाइड आदमी बैठे हुए हैं । इनकी वजह से इनका हक मारा जाता है..

एक माननीय सदस्य : किस के बारे में कह रहे हैं......

श्री रामकिशन : एक डॉक्टर है ज्वाला-प्रसाद । मैं मानता हूं बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। परन्तु जब क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, इनको क्यों लगा रखा है? अगर योग्य हैं तो रिसर्च में लगा दें, लेकिन नौजवान लोग हैं उनके हकों को आप छीन रहे हैं । आप अपने ही नियमों को तोड़ रहे हैं । आप मैडिकल सर्विसेज के जो नियम हैं, उनको तोड़ रहे हैं और इस के कारण लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ता है । आपसे न्याय की उनको आशा नहीं है । डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी की मीटिंग आप साल साल भर तक नहीं करते हैं । इसलिये नहीं बुलाते हैं कि इस बीच में वह व्यक्ति क्वालिफाइड हो जायेगा । मैं पूछता हूं मंत्री महोदय से कि 5 साल से आपके डिपार्टमेन्टल कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई ? इसलिये नहीं बुलाते हैं कि मंत्रियों के नाते-रिश्तेदारों और जो उनकी जान पहचान के लोग हैं, उनको आपने प्रोमोशन दे रखे हैं, अगर कमेटी की मीटिंग करते हैं तो इनको प्रोमोशन नहीं मिलता है, वे प्रोमोशन के लिए एलीजिबल नहीं हुए हैं और जब वे एलीजिबल या क्वालिफाइड हो जायेंगे, तो मीटिंग बुलायेंगे । मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है । मंत्री महोदय, यह जो कुछ हो रहा है, यह सब आपकी नजर में है । लेकिन आपने जो नियम बनायें, उनका पालन करें और या फिर नियम बनावें ही नहीं । अगर मंत्री की खुशी ही नियम हो, तो इसको राजस्थान का नियम बना दिया जाये जिससे किसी को ऐतराज न हो । सब जान लेंगे कि मंत्री की खुशी होगी तो प्रोमोशन होगा जैसा कि भूतपूर्व नरेशों का नियम था । इसी तरह से डॉक्टर पुरोहित को जोधपुर में लगा रखा है । मैं चाहता हूं कि आप इन सब बातों पर विचार करें । मेरा आपसे कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन आप सर्विसेज पर इसका जो असर पड़ता है, उसको देखें । लोग गलत तरह की चर्चाएं आपके बारे में करते हैं । आपने एक लिस्ट बनाई कि फैमिन में इन इन डॉक्टर्स को भेजेंगे । क्या आपने उनको वहां भेजा है, और डॉक्टर नहीं गये हैं तो क्या उनको मोअत्तिल किया गया है ? आपने दबाव में आकर उनके ऑर्डर्स को कैंसिल किया है । जिसके पास सिफारिश थी, वे वहीं के वहीं रह गये और राजस्थान के फैमिन में लोग बिना दवाई के मर गये । राणावत पे कमीशन ने एक फैसला लिया था कि राजस्थान के डॉक्टर्स प्रेक्टिस नहीं करेंगे, और जो डॉक्टर प्रेक्टिस नहीं करेंगे उनको नौन-प्रेक्टिस अलाउन्स दिया जायेगा । राणावत वेतन आयोग की यह रिकमण्डेशन हमें समाजवाद की ओर ले जाने वाली है । मैं पूछता हूं इसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार

(श्री रामकिशन)

ने क्या किया है? आज स्थिति यह है कि योग्य डाक्टर ज्यादातर अस्पताल में नहीं बैठते हैं। इसको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। राणावत आयोग ने जो सिफारिश की थी, उसके अनुसार सरकार का 72 लाख का खर्चा होता, इतने खर्चे का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसके साथ साथ सुझाव यह भी दिया गया था कि अस्पतालों म सैल बनाये जायं और इस से कुछ इनकम आपको हो सकती थी और एक करोड़ के आस पास इन डॉक्टरों की फीस से यह आय आपको हो जाती। मैं कोई टेक्नीकल आदमी नहीं है और न एक्सपर्ट हूं। मुझे जो रिपोर्ट दी गई है उसका सारांश ही कह रहा हूं और उसी के सन्दर्भ में मैं यह कह रहा हूं। आप इसलिये नहीं करना चाहते हैं कि आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं और फिर पूर्व संस्कारों के कारण या दुराग्रह के कारण आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं और इसीलिये आप जनता के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज आपके विभाग के डॉक्टरों में असन्तोष है, पोस्टिंग, प्रोमोशन को लेकर है तो कहीं दूसरी बातों को लेकर है। इसको दूर करने की आप कोशिश कीजिये और साथ ही साथ यह निवेदन है कि मैडिकल फैसिलिटिज क्षेत्रीय भावना को लेकर न करिये बल्कि मानव के कल्याण को ध्यान में रखकर इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिये।

भरतपुर स्टेट के टाइम में वहां का अस्पताल बहुत मशहूर था और आज उसकी क्या हालत है? यह आप स्वयं जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको मंत्री महोदय देखें। किस प्रकार का आपने वहां प्रोवीजन किया है। जन-स्वास्थ्य के लिये हम पूंजी को लगा रहे हैं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। हमारे जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं परन्तु इसके पढ़ने के लिये उन्हे रात दिन का भी पता नहीं रहता है। तब फिर वे क्या इस विभाग को देखेंगे। इसके लिये क्या प्रोविजन रख सकेंगे। जिस जाति के आप रिप्रिजेन्टेटिव हैं उसके लिये आपने डेढ़ लाख रुपये का प्रोविजन किया है। माननीय जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी राजस्थान में कितने हरिजन और आदिवासी हैं, उनको स्वच्छ पीने का पानी आप कितना दे सकते हैं, क्या इस डेढ़ लाख रुपये में आप यह कर सकते हैं। हमारे समाज का जो दृष्टिकोण है, उसके कारण अगर कहीं अच्छा पानी भी है, तो वह उनको नहीं मिलता है।

मंत्री महोदय खुश होते हैं कि हमने वाटर वर्क्स का जिक्र कर दिया। उसका मास्टर प्लान कर दिया और उसको 67 करोड़ 50 लाख के आसपास कर दिया। मंत्री महोदय क्या आपकी नजर है, क्या आपने इसको देखा है कि इस 67 करोड़ में से 54 करोड़ रुपया मशीनरी वगैरह में खर्च होगा और 13 करोड़ का प्रोविजन आपने एस्टेब्लिशमेंट पर किया है? दुनियां में कहीं भी इतना हैवी खर्चा प्रशासन पर नहीं होता है। 25 प्रतिशत खर्चा आपने प्रशासन पर रखा है और इसके बाद भी आप मंत्रिमण्डल में बैठे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिये सागवाड़ा के पास की नदी पर जो हनुमानजी का मंदिर है, वह अच्छा स्थान है। आप इसे पढ़ना चाहें तो सागवाड़ा चले जायें, मैंने उस मंदिर को देखा है। आप अपने विभाग पर नजर नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो हरिजनों और आदिवासियों के

(श्री रामकिशन)

लिये ड़ेढ लाख रुपया ही नहीं रखते । अगर आप कोई नजर रखते तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में नारू का रोग निकलता है, जिन लोगों के कारण आप यहां बैठे हैं, उनकी क्या हालत है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई रिसर्च हुआ है ? उदयपुर के इलाके में इसका रिसर्च हो रहा है । सारा काम उदयपुर में, चाहे वह हरिजन दलित वर्ग संघ हो, उदयपुर में होगा । कोई भी योजना होगी वह उदयपुर में पहले होगी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उदयपुर के नाम पर घंटी बजाकर मेरा इम्प्रेशन गड़बड़ कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : आपका इम्प्रेशन आरम्भ से गड़बड़ में ही है ।

श्री रामकिशन : सारी योजनाओं का आरम्भ उदयपुर से होगा, उसका अन्त उदयपुर में होगा । राजस्थान का एक एक आइटम ले लीजिये, चाहे वह चिकित्सा विभाग की सर्वे हो, या नारू का रोग हो, उसमें पहले काम उदयपुर में होगा जबकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर के लोग पीने के पानी से पीड़ित हैं, उनको गंदा पानी पीने को मिलता है, जहां बकरी, भैंस और दूसरे जानवर पानी पीते हैं, वहीं हमारे भीखाभाई, हीराभाई को पानी पीना पड़ता है । ये बचारे गंदा जीवन बिता रहे हैं । लेकिन इतना भी दम नहीं है कि कुछ कहें । मानव की दृष्टि से हमें देखना चाहिये । इसका जल्दी से कोई निराकरण करने की कोशिश करनी चाहिये । आप केवल इसलिये बैठे हैं कि मंत्री बने रहें, सुखाड़ियाजी की कृपा से कभी पीली झंडी और नीली कार में आप अकेले घूम सकें और कभी आप अपने स्त्री, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ घूम लें । सिर्फ यही आपका काम रह गया है ।

अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आपके नवां या दसवां बच्चा हुआ है ? यह कौन सा है ?

श्री रामकिशन : आप सुनें, मैं सचमुच शर्मिन्दा हूं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दसवां नहीं नवां बच्चा है ।

श्री अध्यक्ष : इस विवाद में न पड़ें ।

श्री रामकिशन : मैं सचमुच में शर्मिन्दा हूं और अफसोस जाहिर करता हूं । मैं एक राजनैतिक कार्यकर्ता हूं और राजनैतिक कार्यों के कारण मैं दौरे पर रहता हूं । [× × ×]

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज ।

श्री रामकिशन : जैली का प्रयोग सफल नहीं होता । यह तो फेल हो गया है । कृत्रिम साधन ऐसे रखे जावें जो उपयोगी हो सकें । जहां तक मेरा अनुभव है जैली का प्रयोग फेल हो गया, यह मेरा मानना है कि परिवार नियोजन जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसको टाप प्रायोरिटी दी जानी चाहिये । हम लोगों के जो इसके विरुद्ध आचरण हो जाते हैं वहां साधारण अपराध नहीं, मैं इसको राष्ट्रीय अपराध मानता हूं । लेकिन हम जैसे अपराधी कितने हैं, राजस्थान

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

(श्री रामकिशन)

में कितने हैं। इसके बारे में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं :

एक तो यह कि गर्भपात को कानूनी छूट देनी चाहिये। इसको बुरी दृष्टि से न देखें।

दूसरा शादियों की उम्र बढ़ायी जाय।

और तीसरा परिवार नियोजन को तौर पर गैर प्राकृतिक और प्राकृतिक जितने भी नियन्त्रण कर सकते हैं, वह करें। आज समाज का वातावरण इसके अनुकूल बनता जा रहा है। आज जिस प्रकार का उत्तेजक वातावरण है, आम तौर पर इसके नतीजे भी हमें भोगने के लिय तय्यार होना चाहिये।

आज हम जब उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं, वहां हमारी समस्यायें और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होगा। संयुक्त परिवार प्रणाली टूटेगी, एकान्त लोगों को मिलेगा, फेक्टरी में साथ साथ काम करने का मौका मिलेगा। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़ती है। उसके दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन इसको आप दूसरे दृष्टिकोण से अध्ययन कीजिये। आप सब को एक ही लाठी से हांकने की कोशिश करें, तो यह न्याय संगत नहीं होगा। जो जो बाधायें इन कार्य-क्रमों के लागू करने में पैदा होती जा रही हैं, उनको आप दूर करने की कोशिश करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आज हमें समाज में कई तरह के काम करने हैं, बच्चों को पौष्टिक भोजन देना, अस्पतालों में औषधियों का प्रबन्ध करना, आखिर हमें ये काम हाथ में लेने होंगे। जब इस बारे में अमल करने का मौका आता है, तो हमारे बजट में उसके लिये फण्ड्स का एलोकेशन नहीं होता, उस समय हम जो भी भावना रखते हों, जो कुछ करना भी चाहते हों, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं होने से हम सारे दृष्टिकोण भूल जाते हैं। इस तरह से हम ज्यों ज्यों समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, त्यों त्यों वह उलझती जाती हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज राजस्थान में बजट की स्थिति क्या है? केन्द्रीय सरकार पर हम पूर्णतया निर्भर हैं। इससे होता क्या है कि एक ही जगह डिस्पेन्सरी है। वहां आयुर्वेदिक औषधालय भी है। मेरे यहां भी कई स्थान ऐसे हैं जहां डिस्पेन्सरी और आयुर्वेदिक औषधालय दोनों हैं। इसका कारण क्या है जिस की आगे पहुंच होती है, वह अपने यहां दोनों प्रकार के औषधालय खुलवा देते हैं। कई ऐसे स्थान भी हैं, जहां न तो औषधालय है और न डिस्पेन्सरी ही। मेरा यह कहना है कि कुछ लोगों की राजनैतिक सेवाओं का लाभ उनके यहां दो दो प्रकार के औषधालय खोलकर दें और दूसरे स्थानों पर एक ही औषधालय नहीं खोलें। यह उचित नहीं है। कौन मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिख सकता, कौन आयुर्वेद मंत्रीजी से काम करवा सकता है, इसी आधार पर औषधालय खुलते हैं? इसमें हमारी कोई योजना नहीं है। बिना सिद्धान्त के हम अपने फायदे के लिये अमल करते जा रहे हैं। इन सारी बातों पर विचार किया जाय। यह सारी स्थिति राजस्थान को किस ओर ले जायगी।

हमारे यहां खनिज सम्पदा भरपूर है लेकिन उसका उपयोग होता नहीं। राजस्थान के खनिज और उद्योग विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है। मैं आपको मेरे जिले का ही उदाहरण पेश करूं। धौलपुर

Page No 105

श्री रामकिशन)

स्टोन कम्पनी है जो एक तरह से वहां की सर्वोसर्वा है। वह इलाका डकैतों का इलाका है उधर कोई आता नहीं है। सरकार डकैतों का उन्मूलन भी नहीं करना चाहती......

श्री हरिदेव जोशी : मैं आप तक तो आया हूं।

श्री रामकिशन : मेरे तक तो डकैत कम है। जहां का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां पर एक सफेदपोश डकैत बैठा हुआ है। वह जिस प्रकार से मजदूरों का शोषण करता है मैं समझता हूं शायद ही कोई इतना करता होगा। उसको वहां की लीज तीस साल के लिये दी गई। वह 36 मील के एरिया की लीज लेने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वहां के मजदूरों का इस तरह से शोषण हो रहा है। हमारी नीति यह है कि उस स्थान के छोटे छोटे टुकड़े कर के मजदूरों की समितियों को देना चाहिये। होनी तो हमारी कोशिश यह चाहिये, लेकिन हो इससे उल्टा रहा है। उन्हें भरतपुर में, करौली में नजर नहीं आया, हिन्डौन में भी नजर नहीं आया, वहां भी पत्थरों की खानें हैं लेकिन इधर इनकी नजर नहीं गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मैंने जो बातें कहीं हैं, उन पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से क्षमा चाहता हूं कि मुझे बीच में डिस्टर्ब करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह बंगाल की स्थिति के बारे में यहां कुछ चर्चा हुई और वहां के हालात का विवेचन हुआ। उस बात में मुकुटजी ने अपने भाषण के दौरान यहां तक कह दिया कि राजस्थान की तरफ से आर० ए० सी० को वहां भेजा जाय, बंगाल में राजस्थानी प्रवासियों की रक्षा के लिये। मैं नहीं जानता उनकी मन्शा इस प्रकार की थी या नहीं लेकिन सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि भारत के कहीं के निवासी किसी भी प्रदेश में रहते हैं वे वहां के नागरिक हैं चाहे वे किसी भी प्रदेश में रहें। उनकी जान माल की हिफाजत करने का उत्तरदायित्व उन प्रदेशों की सरकारों का है और फिर भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस लिहाज से राजस्थानी प्रवासी जो बंगाल में रहते हैं, उनकी व्यवस्था होगी ऐसा मानकर हमें चलना चाहिये। और राजस्थान की तरफ से आर० ए० सी० को भेजा जाय यह प्रश्न कभी सोचा नहीं जा सकता कि हम किसी और प्रदेश में अपनी कान्स्टेबुलरी भेजेंगे। राजस्थान के लोग वहां रहते हैं वे बंगाल के रहने वाले प्रथम हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे पहले अपने को बंगाल का निवासी समझें। आज हमें यह भी सूचना नहीं कि वहां जो कुछ हो रहा है, वह किसी खास प्रदेश के रहने वालों के खिलाफ हो रहा है। इस वजह से भी मैं ऐसा मानता हूं कि इस चीज में किसी प्रकार की उत्तेजना और कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे कि किसी भी क्वार्टर में गलतफहमी पैदा होने का कारण बने। मैंने कहा है वह इसलिये कि किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा न हो जो आगे चलकर राजस्थान के प्रवासियों को भी लाभकर नहीं होगा और न सदन के उपयुक्त ही।

Page No 106

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, वह मैंने दिया था और मुकुट जी ने भी उस पर दस्तखत किये थे। मैं मुख्य मंत्री जी की बात से सहमत हूं। हमारी नीति यह नहीं होनी चाहिये कि हम किसी राज्य में अपनी आर० ए० सी० भेजें। मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा नहीं कहा है.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : न कहा हो तो ठीक है, अगर कहा हो तो उसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : हमारा इरादा नहीं कि हमारी आर० ए० सी० को भेजा जाय लेकिन जन-जीवन की वहां सुरक्षा हो, यह कहा है उन्होंने।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने कहा है।

श्री अध्यक्ष : कहा है तो मैं देख लूंगा, नहीं कहा है तो ठीक है।

श्री रामकिशन : मैं यह कहना चाहता हूं अगर माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। मुख्य मंत्री जी की भावना के साथ हमारे दल की भी भावना है।

स्थगन प्रस्ताव के समय हम बतायेंगे कि इसमें दिल्ली सरकार के कारनामों के कारण यह स्थिति पैदा हुई है.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री रामकिशन : हम भी बंगाल में युनाइटेड फ्रन्ट की इकाई हैं। फिर भी हमारी एक नीति है, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी तभी विस्तार से प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। उस वक्त कह दीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं जन-स्वास्थ्य विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज आजदी के 23 वर्ष बाद भी मेरे खुद के क्षत्र में कई पंचायतें ऐसी हैं जहां औष लय नहीं हैं और न ो वहां पर औषधियां ही उपलब्ध हैं। चातुर मास में जब सब तरफ से रास्ते बन्द हो जाते हैं, ट्रान्सपोर्ट बन्द हो जाता है तब कोई बीमार हो जाता है तो उसकी भगवान ही सहायता कर सकता है। उसको भगवान बचाये तो बचता है, नहीं वह मर जाता है। सब से पहले मेरा निवेदन यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी जगह डिस्पेन्सरियां खोल दी जायं लेकिन पंचायत हैडक्वार्टर पर तो एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी होनी चाहिये।

मानपुरा, थल, खटावड़ा, श्री नगर, झंझोला, सरथला और बीकरन, सरास, बड़ला, सवाईपुर, होड़ा, मुणपुरा, मालका खेड़ा, आदि ये सारे के सारे पंचायत क्षेत्र हैं, ये बिल्कुल ही खाली पड़े हैं, यहां पर आप आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलिये।

अब मैं परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज इसका चारों तरफ प्रचार हो रहा है बस एक दो तीन। मैं आपसे निवेदन करूंगा जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, उनके लिये मैं कहता हूं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करने से ही मां बाप नहीं कहलाओगे।

(1.48 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

बाप कहलाने का यह आधार नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों और उन्हें नहीं सम्हाल सकें । पर आज जिस ढंग से परिवार नियोजन हो रहा है, उससे व्यभिचार ज्यादा मात्रा में बढ़ा है । आज जो कृत्रिम साधन हैं, वे कालेज तक पहुंच गये है। भ्रूण हत्या को जायज करार दिया जाय, इस बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा मेरा यह निश्चित मत है कि भ्रूण हत्या सच्चे मायने में अपराध होना चाहिये । भ्रूण हत्या जायज नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक आपरेशन का सवाल है जिसके तीन बच्चे होजाय, उसको हर हालत में आपरेशन करवा लेना चाहिये । दूसरी बात यह है कि शादी की आयु 25 साल की करदी जानी चाहिये, उससे पहले कोई शादी न करे। उतने अरसे तक ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, इसके लिये हमें अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहिये इसलिये मेरा निवेदन है कि परिवार नियोजन के आन्दोलन में इस प्रकार से तब्दीली लाने का प्रयत्न करेंगे ।

तीसरी बात यह है कि आपने जो प्रलोभन दे रखा है कि प्रत्येक आपरेशन पर 16 रुपये मिलेंगे, मेरा यह निवेदन है कि यह नहीं होना चाहिये, बल्कि डाक्टर की फीस के आपरेशन कराने वाले से पांच रुपया वसूल करना चाहिये । यह जो आप मुफ्त में दे रहे हैं, वह धर्मादा है उसके लोभ में अविवाहितों का भी आपरेशन करवा देते ह ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है माल काखेड़ा में परिवार नियोजन के आपरेशन के लिये काफी प्रचार किया गया। वहां पर परिवार नियोजन की कई गाड़ियां आयीं और आगे जाकर के दो आपरेशन हुए । वे भी डॉक्टर लोग इधर उधर से पकड़ कर लाये थे । इस तरह से करने से काम किस प्रकार से चलेगा । इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके आप इस ओर ध्यान दीजिये । यहां पर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि लूप लगाओ :

गुप्त, मौर्य, शक, हूण अरु,
तुर्क र छतरी भूप ।
कियो नहीं कोई कदी, लगवा लीजो लूप।

अब तो छोटे छोटे बच्चे भी पूछने लगे हैं कि मम्मी तेरे लूप लगाया कि नहीं ? यह हो क्या रहा है ? अरे इस देश में, गांधी के देश में जहां नैतिकता की शिक्षा मिलनी चाहिए थी ब्रह्मचर्य, सदाचार और सादगी की शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वहां उल्टी गंगा बह रही है । गांधी के इस देश में सारे काम ही उल्टे चल रहे हैं । मैं इसके लिये किसको दोष दूं ? जो राज सिर्फ जुए की आमदनी और शराब की आमदनी पर जिन्दा है, मैं राजस्थान की नहीं, सारे देश की बात कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस की वहां सरकारें हों, चाहे गैर कांग्रेसी सरकारें हों, सब ने उल्टा रास्ता पकड़ लिया है । अगर आप लोग सुलटे चलते तो देश की तस्वीर ही दूसरी होती । गांधी के रास्ते चलते तो हम काफी तरक्की कर लेते । तो मैं यह मानता हूं परिवार नियोजन मंत्री बड़ी निष्ठा से काम कर रही हैं । मुझे गर्व इस बात का कि जहां भी वे जाती हैं जनियों की सभा में हों चाहे कहीं हों, अपनी बात निष्ठा से कहती हैं ।

पर कृपा करके आप अपने और साथियों को भी प्रेरित करिये और 16 रुपये और सात

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

रुपये वाली यह बात बन्द कर दें। जिस दिन से बाहर से मदद आनी बन्द हुई तो फिर आप यह नहीं दे सकेंगे। इसलिये लोगों के मन तैयार करिये कि तीन चार बच्चे होने के बाद वे स्वयं जावें और परिवार नियोजन करवा लें, तो यह ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैंने जो बात कही है, आपके हक में है, नैतिकता और सदाचार बढ़ेगा तभी परिवार नियोजन की बात पूरी होने वाली है। नोटों के प्रलोभन में आकर कुछ किया तो वक्त आने वाला है जब सब जगह फर्जी नाम दर्ज होंगे। रुपया भी लूट लेंगे और काम भी नहीं होगा।

अब आता हूं मैं गृह उद्योगों पर। परिवार नियोजन वालों के पास काम कम हो तो लोगों को ग्रामोद्योग की ओर प्रेरित करें। अगर सरकार ग्रामोद्योगों की तरफ प्रेरित करती, तो यह कहने की नौबत नहीं आती कि इतने अधिक लोग हो जावेंगे उनको खिलावेंगे क्या? आज हालत यह है कि सब के सब ग्रामोद्योग मर गये। गांधी पागल था जो, राउण्ड टेबल में सम्मिलित होने गया और दिन रात काम करने के बाद भी, बहुत रात जाने पर भी, चरखा कातता था नियमित रूप से। तो वह चरखा क्या इसलिये कातता था कि उसे कपड़ों की ज्यादा जरूरत थी। नहीं। पर वह चाहता था कि मेरे करोड़ों देश भाई गांवों में बसते हैं और जब तक ये ग्रामोद्योग नहीं चलेंगे और सीता और राम साथ साथ नहीं रहेंगे, तब तक उनका भला नहीं होगा। इसकी सीता कौन है खेती और राम है ग्रामोद्योग। ये दोनों मिलकर गांव को बनाते हैं देश को बनाते हैं और संसार बनता है। पर जाने दीजिये और जगहों की बात। अपनी संस्कृति और सभ्यता और जगह से भिन्न है। इसलिए कृपा करके जो सारी की सारी व्यवस्था जमी हुई चली आ रही थी, उसको फिर से विकसित करने की ओर ध्यान दीजिए। जब गांवों में ग्रामोद्योग चलते थे तो किसी को फुरसत नहीं थी। बुनकर, कतवारी, चक्की पीसने वाली, चावल, कूटने, काडने वाले, जूते बनाने वाला, किसी को फुरसत नहीं थी। पर आज एक एक करके सब धन्धे चौपट हो गये और ये धन्धे करने वाले चले गये कलकत्ता और उन बड़े बड़े शहरों में जहां वे आज नारकीय जीवन बिता रहे हैं। इन शहरों में एक ओर है स्वर्ग और एक ओर है नर्क। दोनों साथ-साथ हैं। एक ओर हम देखते हैं कि लिफ्ट में भी पंखा लगा है। एक सेकण्ड भी पंखे के बिना नहीं रह सकता। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दिन भर हाथ से रिक्शा खींचते हैं, जून और मई की गरमी के महीनों में और डामर की सड़क पर नंगे पैर और नंगे बदन। और वह खाता क्या है? जौ का सिका हुआ सत्तू का आटा। पानी में घोलकर पीता है और फुटपाथ पर सोता रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपा करके इस बारे में सोचिये और फिर से ग्रामोद्योगों को पनपाइये। अगर यह नहीं चलेगा तो देश जिन्दा नहीं रहेगा। खेती इतनी नहीं है जो सबको पेट भर कर काम दे सकेगी। कुछ लोग ग्रामोद्योगों पर लगे रहें, कुछ खेती करें। अगर यह स्थिति रहती तो आज की विषम स्थिति पैदा नहीं होती।

मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे राजकीय उद्योगों पर। कितना अच्छा मौका था यह हमारे लिये। रोडवेज का अच्छा काम होता तो आज क्या ही अच्छा रहता। अगर इनसे हम कुछ लाभ ले पाते और हमारे

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

ये राजकीय व्यापार ठीक तरह से चलते होते तो उस तरफ बढ़ने का हमें और भी मौका मिलता। पर, उपाध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह रेल मन्त्री थर्ड क्लास में गये, आप भी हमारे साथ बसों में भ्रमण करके देखें कि उसका क्या हाल है। भेष बदल कर जावें, नहीं तो वे पहचान जावेंगे कि मन्त्री हैं ये तो। भेष बदल कर जाकर देखिये कि आपके इस राजकीय व्यापार की स्थिति क्या है। स्पनी नहीं है, लाइट नहीं है और कहीं भी वह रुक सकती है, यह कोई निश्चित नहीं कि वह सही सलामत अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जावे सही समय पर। तो आज यह स्थिति है। सब जगह हमारा चारित्रिक अधःपतन का नज्जारा दिखाई देता है, हमारी अव्यवस्था और भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। तो राष्ट्रीय व्यापार को अगर आपको प्रोत्साहित करना है और उसे अच्छी तरह से चलाना है तो कृपा करके इफिशियेन्सी के साथ आप उसे चलाइये।

खनिज उद्योग हैं। मेरे अपने क्षेत्र के खनिज उद्योगों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं जब से ये मन्त्री आये हैं, उसके विकास की ओर ध्यान दिया है। पर बहुत कम दिया है। 16। 16 प्लॉट ले रहे हैं। कौन? जो हाथ से काम नहीं करते मजदूरों से पत्थर निकलवाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इधर प्लॉट लिये उधर बेच दिये। राजस्थान में बहुत कम स्थान होंगे जहां 20। 20 हजार मजदूर खनिज उद्योग में काम करते हों। बिनोलिया ही एक जगह ऐसी है जहां एक जगह इतने आदमी काम करते हैं। पर यहां उनके हित के लिये कोई औषधालय नहीं, अस्पताल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बच्चों के आमोद प्रमोद के साधन नहीं। आप रात भर वहां रहकर यह सब देखिये क्या हाल है और फिर चिन्तन करिये। पट्टी निकालने का क्या तरीका है। उधर से पट्टी बाहर निकाली और मलवा बाहर डालते हैं और उसी जगह डाल देते हैं। इससे बहुत सी जगह खराब हो जाती है। इसके लिये कुछ ऐसी योजना बनाइये ऐसी छोटी छोटी ट्रालियां लगा दीजिये जो मलबा दूर लेजाकर डाल सके तो बहुत जमीन मलबे से खराब होने से बच जावेगी।

कृपा करके आप इस बात की ओर भी ध्यान ही न दें बल्कि निश्चय कर लीजिये कि हथौड़ा हाथ से उठाने वाले को ही आप खान देंगे। जब तक श्रम और बुद्धि का समन्वय नहीं होगा हाथ से हथौड़े से काम करने वाले का मान नहीं बढ़ेगा, तब तक देश के उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसलिये आप इन्जीनियरों को भले ही आठ आठ दस दस प्लॉट दीजिये। 16। 16 दीजिये पर उनको दीजिये जो इन्जीनियर हाफपेन्ट पहनकर हथौड़ा हाथ में लेकर मजदूर के साथ काम करने के लिये तैयार हों।

उपाध्यक्षजी, काफी मजदूर वहां काम करते हैं, आठ आठ दस दस और पन्द्रह पन्द्रह रुपया रोज भी कमा लेते हैं। पर वे उसको शराब में बरबाद कर डालते हैं। सारा पैसा उनका उसमें चला जाता है। इसलिये कृपा करके जहां जहां ये मजदूर लोग सुबह से शाम तक चोटी से एड़ी

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

तक पसीना बहाने वाले लोग रहते हों वहां शराब की दुकान न हो, हो तो उसे तुरन्त हटवा दीजिये । जबर्दस्ती हटवा दीजिये । आपको शराब बन्दी में विश्वास है । आप वित्त मन्त्री से, आबकारी मन्त्री से कहिये कि मेरे क्षेत्र में तो शराब न रखिये । तो इससे मजदूर के कल्याण का काम होगा ।

(2 म० प०)

बिजौलिया जैसी जगह में जिसने रुपये जमा करा रखे हैं, आज तक नल योजना लागू नहीं हुई । उपाध्यक्ष महोदय, वहां बहुत नाहरू निकलता है । एक एक आदमी के 40-40 नाहरू निकले हैं, इसलिये संकल्प कर लीजिये एक वर्ष में जितनी बावड़ियां हैं, बन्द करदी जायेंगी । अगर ये बावड़ियां बन्द कर दी जायेंगी तो नाहरू नहीं होगा । इस तरफ ध्यान दीजियेगा ।

(विराम)

तो मैं आपका अधिक समय न लेकर इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। कृपा करके निष्ठा के साथ जो गान्धी जी ने कहा था, ग्रामीण उद्योग चलें और फिर एक बात और कि विदेशों वाले हमारे ग्रामोद्योग से आकर्षित होते हैं, मैं कहता हूं अगर सबके सब ग्रामोद्योग जीवित हो जायें, तो सारी स्थिति बदल जाय ।

गाय जैसलमेर का बड़ा उद्योग है । गाय किस तरह उपयोगी है, इस तरफ भी ध्यान देना होगा । लेकिन हम सारे काम गाय के विपरीत कर रहे हैं । हमारे मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, उठ नहीं सकते हैं तो भी हम चाहते हैं हमारे पिताजी माताजी खूब जीवित रहें और यहां तो उलटा हो रहा है । जिस बाप से जन्म लिया है, उससे ही पिन्ड छुड़ाना चाहते हैं । गाय बैल उपयोगी नहीं होंगे तो कौन रखेगा । लेकिन जब डालडा चलता है तो गाय की रक्षा कौन करता है, जब ट्रेक्टर चलते हैं तो कौन बैलों की रक्षा करता है । लेकिन राजस्थान में तो गाय को माता मानते हैं इस तरह गाय बैल तो हमारे मां बाप हैं । बस इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा ।

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं के अन्दर जन-स्वास्थ्य में अब तक 22 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । ये 22 करोड़ राजस्थान के प्रति व्यक्ति के हिसाब से 11 रु० आते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान में पीने के पानी की कितनी भारी कठिनाई है और सरकार भी समय समय पर इस बात को कहती रही है, लेकिन इतने समय के अन्दर इतनी थोड़ी सी रकम खर्च करने से राजस्थान की यह समस्या हल नहीं हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, 22-23 साल के बाद आज यह समस्या उसी तरह खड़ी है, जिस तरह पहले थी तो यह सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस रकम को खर्च करने में भी बड़ी भारी भेदभाव की नीति बरती गई है । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर शहरों की आबादी 22 लाख है । और उस पर 12 करोड़ 82 लाख 38 हजार रुपये खर्च किये गये हैं, लेकिन आप उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ देखिये

(श्री मूलचन्द डागा)

राजस्थान के गांवों में जहां पानी का भीषण संकट है, वहां की जनसंख्या एक करोड़ 67 लाख है, लेकिन उस जगह पर 8 करोड़, 52 लाख खर्च किये गये हैं। जहां तक शहरी जनता का सवाल है प्रति व्यक्ति 39) रु० खर्च आता है लेकिन इसके विपरीत ग्रामीण जनता पर प्रति व्यक्ति 5) रु० खर्च किया गया है। शहरों की 81 प्रतिशत पानी की आवश्यकता पूरी हो चुकी है लेकिन गांव की केवल 4 प्रतिशत पानी की आवश्यकता ही पूरी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि शहरों के लिये इस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि गांवों के लिये भी इस तरह की व्यवस्था चालू की जाय। गांव में शहर से ज्यादा पानी की कठिनाई है। राजस्थान के शहरों के अन्दर पहले से ही पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था थी, लेकिन राजस्थान के गांवों के अन्दर कितनी भीषण समस्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। समाजवादी कहलाने वाली सरकार, यह व्यवस्था करें, इस तरह रकम का बंटवारा करे और इस तरह की योजना चलायें – यह शोभा की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कहीं भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, तो उसमें इतना अन्तर नहीं हो सकता है जितना राजस्थान की इस योजना में हुआ है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को अब तो समझे और गांवों को प्राथमिकता दे, ग्रामों पर अधिक धन खर्च करे और ग्राम और शहर के बीच में जो फरक योजनाओं के अन्दर है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जब भी गांवों में ग्रामीण जल योजना चालू करने की बात की जाती है तो उनसे सहायता के रूप में राशि मांगी जाती है, यह कितनी आपत्ति की बात है, यह सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है? पानी की कीमत लेकर सहायता के रूप में या दूसरे प्रकार से सहायता लेकर यह कार्य करे, यह बहुत ही अधिक सरकार के लिये शर्म की बात है। इसको तुरन्त देखना चाहिये और किसी भी ग्राम की जल व्यवस्था के लिये राशि नहीं मांगनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सरकार पहले से ही गांवों के लिये भेद की नीति रख चुकी है, इसलिये सरकार को इस प्रकार की सहायता मांगने का अब कोई अधिकार नहीं है। इतने भेदभाव के बाद भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, एक-दो गांवों की राशि नहीं बल्कि 20 गांवों की सहायता की धनराशि आज जमा है लेकिन उनकी इस बजट में मंजूरी नहीं है। मैं समझता हूं राज्य सरकार की जो इस मामले में भेद की नीति पहले से चल रही है, वह आज भी बरकरार है। इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा वह इस ओर ध्यान दे और कम से कम इस आने वाले साल में जो ग्रामीणों की धनराशि जमा हैं, उसमें से कोई भी योजना से वंचित न रहे, इस प्रकार का उनका कदम होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, शहर की योजनाओं को सरकार चलाती है, लेकिन कहां जाता है और कहां नहीं? यह निर्णय है राज्य सरकार का कि ग्रामों की योजनायें तैयार होने के बाद उसे पंचायतें चलायेंगी। मैं समझता हूं कि आज पंचायतें इस स्थिति में नहीं हैं और इस बात को राज्य सरकार भी जानती

(श्री मूलचन्द कटेवा)

है पर इसमें राज्य सरकार की एक छिपी हुई मन्शा यह भी हो सकती है कि गांवों के अन्दर दस, पांच योजनायें बनाकर वे पंचायतों के सुपुर्द कर देंगे और पंचायतें उन्हें चला नहीं सकेंगी। इसलिये बाद में कोई योजना को मन्जूर नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए भी सख्त आपत्ति करता हूं कि वह योजनायें जिस प्रकार से शहरों की योजनायें सरकार के माध्यम से चलती हैं, उसी तरह से ग्रामों की पानी की योजनायें भी सरकार के माध्यम से चलनी चाहिए ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थय विभाग के संबंध में कुछ बातें आप से निवेदन करना चाहूंगा। जिस समय प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स बनाये गये थे उस समय यह बात कही गयी थी कि हर एक पंचायत समिति के अन्दर एक प्राईमरी हैल्थ सेन्टर होगा और उसमें डाक्टर होगा, उसका स्टाफ होगा, गाड़ी होगी और सब-सेन्टर होंगे और वह प्राईमरी हेल्थ सेन्टर सारे इलाके को कवर करेगा। उस प्राईमरी हैल्थ सेन्टर का डॉक्टर बीमारों को देखेगा, उनकी चिकित्सा करेगा और वहां गाड़ी होगी जो बीमारों को प्राईमरी हेल्थ सेन्टर तक लायेगी। लेकिन आज गाड़ी की बात तो छोड़िये, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर बहुत कम ऐसे प्राईमरी हैल्थ सेन्टर हैं कि जहां डॉक्टर की व्यवस्था है और मैं समझता हूं कि ऐसा तो शायद ही कोई सेन्टर होगा जिसमें पूरा स्टाफ हो और गाड़ियां तो देखने को भी नहीं मिलती हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो आप इन प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स को समाप्त कीजिये। बहुत से प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स ऐसे हैं कि जहां डॉक्टर नहीं हैं और कहीं स्टाफ नहीं है पूरा। यहां तक कि कई जगह तो स्टाफ ही है और डॉक्टर नहीं है तो स्टाफ कोई हॉस्पीटल को चला नहीं सकता। इसलिए खामखां के अन्दर इस स्टाफ का खर्चा भी सरकार अपने ऊपर क्यों उठायें और हमारे बजट को इतना बोझीला क्यों बनाया जाये। या तो इनको सही रूप में जिस तरह से चालू करने की योजना है उस तरह से चालू कीजिए और जल्दी से जल्दी इनमें स्टाफ की, डॉक्टर की और गाड़ियों की पूरी व्यवस्था कराइये ताकि यह उपयोगी हों और राजस्थान की ग्रामीण जनता को भी कोई सहूलियत मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, यही बात सब-सेन्टर्स के लिए है। एक एक प्राईमरी हल्थ सेन्टर के तीन-तीन सब-सेन्टर्स खोल दिये गये हैं लेकिन उनके अन्दर स्टाफ नहीं है। वहां पर ए० एन० एम० नहीं हैं। दूसरों की क्या कहूं मेरे खुद के गांव में सब-सेन्टर है। मैं जगह जगह जाकर निवेदन कर चुका आज 6 महीने से वहां ए० एन० एम० नहीं हैं और ऐसा लगता है कि भविष्य में साल भर तक हमें उसके लिए इन्तजार करना पड़े। बाकी का स्टाफ वहां बैठा है और उसको खर्च लग रहा है और महीने की महीने सब तनख्वाह चालू है।

दूसरी बात शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए निवेदन करना चाहूंगा। मैं इसकी तो सरकार को बधाई देना चाहूंगा और बहुत खुशी जाहिर करूंगा कि उन्होंने जिलों से अस्पतालों में 50 और 100 के करीब बैडस् बढ़ाने की बात कही है। निस्सन्देह ही इससे जिले की जनता को बहुत राहत मिलेगी। आज जिलों के अस्पतालों की यह व्यवस्था है कि बरामदे में चारपाइयां लगी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना

(श्री मूलचन्द कटेवा)

चाहूंगा कि यद्यपि यह प्रयाप्त नहीं है जो बेड्स की संख्या है लेकिन फिर भी इससे हमें काफी राहत मिलेगी लेकित एक बात और निवेदन करूं कि अस्पतालों का बजट इतना कम है कि उससे रोगियों को दवा नहीं मिल सकती और दवा की बात तो उपाध्यक्ष महोदय छोड़िये जिला हैडक्वार्टर्स के अस्पतालों में यह हालत है कि मरीजों को जून और जुलाई के बाद जब कि उनका पैसा समाप्ति पर आता है या समाप्त हो जाता है तो पट्टी बांधने के लिए और प्लास्टर लगाने के लिए बाजार से पट्टियां खरीदकर लानी पड़ती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कई बार अस्पताल में गया हूं लोग व्यंग कसते हैं कोई आदमी पट्टी लाये हुए मिलता है तब नमस्ते करके कहता है कि विधायक जी बाजार से पट्टी खरीदकर लाया हूं। यह कितने शर्म की बात है हमारे लिए और सरकार के लिए तो उससे भी अधिक शर्म की बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम बजट के अन्दर आप इतना तो प्रावधान कीजिए कि किसी गरीब को रूई और पट्टी नहीं लानी पड़े। एक मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आप कितने ही अस्पताल में बैड्स रखिये, चाहे आपके पास पैसे की कमी हो लेकिन 15–20 बैड्स रिजर्व में होने चाहिएं। क्योंकि हम देखते हैं कि रात को और दिन को इस तरह के रोगी आते हैं बड़े अस्पतालों के अन्दर कि जिनको अस्पताल के अन्दर दाखिल रखना आवश्यक होता है लेकिन अगर बैड्स नहीं हैं तो उनको भर्ती नहीं किया जा सकता और अगर उनको भर्ती नहीं किया जा सकता तो बहुत से आदमी एडमिशन के अभाव में अपनी जान तक दे देते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि आपके स्वीकृत बैड्स के अलावा कम से कम हर एक अस्पताल में 15-20 चारपाई और उनके बिस्तरों का तो आप और इन्तजाम कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अस्पतालों के अन्दर एक जयपुर का अस्पताल छोड़ दीजिए बाकी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर जो अस्पताल हैं उनमें कपड़ा ओढ़ने और बिछाने के काम आते हैं वह फटे हुए हैं। बारबार हर रोगी पलटता है तो कपड़ा भी पलटता है और उसके पश्चात् धोबी के पास जाना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग जिसके लिए समझता है कि वह कपड़ा उतने दिनों के लिए काफी है वह उतने दिनों के लिए काफी नहीं हो सकता इसलिए कम से कम चद्दर और ओढने के कपड़ों की इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि फटे हुए कपड़े अस्पतालों में हमें दिखाई न दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि अस्पतालों के मामलों में हम जिला हैडक्वार्टर्स पर या बड़े शहरों के अन्दर अस्पताल रखकर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते इसलिए बड़े बड़े जितने भी गांव हैं उनके अन्दर भी डिस्पेन्सरी खोलने के लिए कोशिश की जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं अस्पतालों के प्रशासन के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। हमारे चिड़ावा के अन्दर श्रीमती दुर्गादेवी अस्पताल है जिसको राज्य सरकार चलाती है। उसमें बड़ी भारी अनियमिततायें हैं। उसके अन्दर दो कतलों को डॉक्टर ने छिपाया है। एक तो श्रीमती

Page No 114

(श्री मूलचन्द कटेवा)

शकुन्तला धर्मपत्नी साबरमल को इसी दुर्गादेवी अस्पताल के अन्दर 17-7-69 को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। लोगों का कहना है कि उसको घर वालों ने तेल डालकर जलाई थी। उसका स्वर्गवास हो चुका। वह अस्पताल में आती है और डॉक्टर से मिलकर के छिपा ली जाती है। वह बयान देने की हालत में थी लेकिन पुलिस को इत्तिला नहीं की। डॉक्टर ने उसके बयान नहीं कराये और अगले दिन वह मर गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक आदमी ने दी, चिट्ठी लिखी सरकार को और उसकी इन्क्वायरी हुई। इन्क्वायरी में यह भी साबित हुआ लेकिन आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि मैंने सुना है कि उस डॉक्टर को वार्निंग दिये जाने की तज्वीज हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा घोर अन्याय क्या हो सकता है। एक आदमी कतल को छिपाता है और उसको सजा दी जाती है कि उसकी सर्विस बुक में एन्ट्री कर दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से उस डॉक्टर के हौसलें बढ़े और ऐसी ही घटना फरवरी के महीने में हुई और नन्दी धर्मपत्नी ताराचन्द जिसके लिए कहा जाता है कि घर वालों ने जहर दे दिया। वह जहर की हालत में अस्पताल में लाई गई। लेकिन पुलिस को इत्तला नहीं की गयी और उसके बयान नहीं कराये गये। वहां किसी को जाने नहीं दिया गया। वह भी दूसरे दिन मर गयी। इसी तरह से बजरंग पुत्र गोरु, चिड़ावा एन्टीफीवर का रोगी है जो कि डॉक्टरों के रेकर्ड में है। अगर हमारे डाइरेक्टर साहब आज इसका इन्तजाम कर लें कि उस मरीज का रिकर्ड दिखवा लें तो वह एन्टीफीवर का रोगी समझकर भर्ती किया गया लेकिन उसको लोग यह कहते हैं कि उसको एन्टीफीवर की कोई दवा नहीं दी गयी। वह 30-1 को तो भरती हुआ और 8-2 को उसकी मौत हो गयी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मैंने मुख्य मंत्रीजी को तीनों बातें बताई और उन्होंने तीनों केसेज विजिलेन्स को जांच के लिए भेज दिये हैं इसलिए मुख्य मंत्री का बहुत आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं....

श्री दिग्विजयसिंह : सदन का समय क्यों गंवाया जब कि सारी बात हो चुकी है तो।

श्री मूलचन्द कटेवा : यह सदन की जानकारी में लाने के लिए। इसके बाद मैं यह आशा रखता हूं कि राज्य सरकार जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अम्बालाल।

श्री अम्बालाल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो हॉस्पिटल्स के बारे में मैं दो-तीन सुझाव माननीय स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहता हूं। जो दवाइयों का रि-एम्बर्समेंट होता है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं और गलत बातें हो जाती हैं इसलिए इसको बन्द करके एक स्पेसिफिक रकम दे दी जाय हैल्थ ट्रीटमेंट के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए और रिएम्बर्समेंट बन्द कर दिया जाय। इससे जगह जगह गड़बड़ होती है। यह एक प्रकार से डॉक्टरों को गलत प्रोत्साहन देना है। यह बन्द हो जाना चाहिए और गवर्नमेंट उसकी एवज में किसी प्रकार की फिक्स्ड रकम कर दे।

(श्री अम्बालाल)

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि सर्टेन-हॉस्पिटल्स अटेच्ड है मेडिकल कॉलेजेज के वहां के डॉक्टरों को प्राईवेट प्रेक्टिस अलाउ नहीं करनी चाहिए। यह कई जगह हुआ है। उसकी जगह उनको एक रकम दे देनी चाहिए। उनका ध्यान प्रेक्टिस की तरफ रहता है और उन्हें फीस वगैरह दी जाती है तभी वे एडमिट करते हैं। तो प्राइवेट प्रेक्टिस को एकदम बन्द कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है और शायद पंजाब में भी हुआ है, और दो-तीन जगहों पर ऐसा हुआ है। इसलिए कृपा करके टीचिंग स्टाफ को जो मेडिकल कॉलेजेज में सर्जन्स और फिजिशियन्स हैं, उनको प्राइवेट प्रेक्टिस अलाउ नहीं करना चाहिए और उनको एक रकम नॉन-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स दे देनी चाहिए।

मैं अब मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन्स के बारे में कहना चाहता हूं। सब जगह आज बेकारी बढ़ रही है। रशिया और जापान में प्रोफेशनल टीचिंग इन्स्टीट्यूशन्स और जहां पर स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन से पहले यह बात मालूम कर ली जाती है कि देश को कितने डॉक्टरों की आवश्यकता है, कितने इन्जीनियरों की आवश्यकता है और उस हिसाब से हमें कितने डॉक्टर और इन्जीनियरों को भरती करना चाहिए वह होता है। हमारे यहां डॉक्टरों का कोटा करीब करीब पूरा होता जा रहा है और डॉक्टरों में भी बेकारी बढ़ेगी जिस प्रकार कि इन्जीनियर्स बेकार हैं उसी प्रकार। इसलिए पहले हर स्टेट को यह मालूम हो जाना चाहिए कि कितने डॉक्टरों की आगामी वर्षों में आवश्यकता है और उसी अनुपात से डॉक्टरों को एडमिशन मिलना चाहिए।

अब मैं आयुर्वेद के बारे में कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आयुर्वेद जनता के स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और भारतवर्ष में आयुर्वेद अनादि काल से चला आ रहा है, और आयुर्वेद एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पद्धति है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। छोटी सी चीज भी आयुर्वेद में अमृत के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें रिसर्च नहीं हो रहा है जब कि आयुर्वेद कई विदेशों में अपनाया जा रहा है और उनको इससे कई महत्वपूर्ण औषधियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बड़, पीपल और फलाश के एक्सट्रेक्टस लेकर उन पर शोध किया है। आंवला इतना उपयोगी फल है कि उसमें वीटामिन सी तो है ही लेकिन वह हृदय रोग के लिए और ब्लड केलोसल को रोकने के लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। आयुर्वेद में शोध की बहुत आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां अभी तक इस पर कुछ नहीं किया गया है। राजस्थान में पोलियो पर शोध हुई है लेकिन वह भी कुछ नहीं हुई है और 5-10 वर्षों में उस शोध का परिणाम नहीं निकला है। सरंजना एक ऐसी औषधि है जो कि बहुत ही लाभ करती है और विदेशी इसके लाभ से आश्चर्यचकित रह गये हैं। उसके कुछ प्रयोग निकाल कर अमेरिका भेजे गये थे तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। प्रत्येक वनौषधि गुणों से भरी हुई है। हल्दी से लेकर ग्वारपाठा तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिनमें कोई न कोई गुण न हो। हम दूसरों की ओर देखते हैं और अपने घर की ओर नहीं देखते हैं "घर का

(श्री अम्बालाल)

जोगी जोगना बाहर गांव का सिद्ध" । राइट अर्नेस्ट वे में इस पर शोध होना चाहिए जो शोधप्रिय विद्यार्थी हों, जिनकी शोध में रुचि हो, जो थोड़ा सा त्याग करें और जो मनोयोग-पूर्वक उस काम को कर सकें उन लोगों को आयुर्वेद में रिसर्च के लिए भेजना चाहिए और गवर्नमेंट को उनको बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए, और मेरा यह दृढ़ निश्चय है और मैं अपने 60 वर्ष के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आयुर्वेद में जो वस्तुयें मिलगी वे संसार को चकित कर देने वाली मिलेंगी । इसलिए इस विषय पर गवर्नमेंट को खूब ध्यान देना चाहिए और आयुर्वेद में शोध को प्रोत्साहन दें ।

मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : फूलचन्द बाफना ।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन मांगों पर विचार किया जा रहा है उन पर मैंने अपने प्रस्ताव रखे हैं । मैं थोड़े-थोड़े समय के लिए इन तीन मांगों पर बोलूंगा ।

मेरा निवेदन यह है कि आज इलाज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है उससे ज्यादा बचाव की ओर, प्रिवेन्शन की ओर ज्यादा देना चाहिए और उस पर ज्यादा खर्च करना चाहिए जिससे आदमी बीमार ही न हो । हमारी सफलता इस पर नापनी चाहिए कि बीमारों की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है ? अगर ज्यादा होती है तो असफलता है और सफलता की ओर नहीं जा रहे हैं, और बीमारी की संख्या कम होती है और बीमारों की संख्या कम होती है तो हम सफल हो रहे हैं । इस तरह से सफलता नापी जानी चाहिए ।

स्वास्थ्य के विषय में जो अभी डॉक्टर साहब ने सुझाव रखे हैं दवाइयों के बिलों के बारे में कि जितनी दवाइयों खर्च की जाय उतना ही बिल दिया जाय तो वहां पर बेइमानी फैलती है तो इसको मर्यादित कर देना चाहिए । परमिशन चाहे कम हो या ज्यादा हो वह बराबर उसी अनुपात में होना चाहिए । इस तरह से बहुत से जो झूठे बिल बनते हैं वह रुकेंगे ।

मैं परिवार नियोजन के विषय में अर्ज करना चाहता हूं । वह यह है कि परिवार नियोजन के विषय में जितना प्रचार है वह काफी है और बड़े ढंग से चल रहा है । परन्तु उसमें कुछ कमियां हैं उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । परिवार नियोजन का एक कानून बन जाना चाहिए कि दो सन्तानें हों तो चाहे दो लड़के हों या दो लड़कियां हों या तीन लड़के हों या तीन लड़कियां हों, चाहे जो संख्या निर्धारित की जाय वह संख्या होने पर परिवार नियोजन कर देना चाहिए । मर्जियात कानून नहीं रखना चाहिए । उससे बहुत बड़ी गड़बड़ होने की गुन्जायश है । वह यह है कि जिनके लड़के हैं दो या तीन वह तो इसका सहारा लेते हैं, परन्तु जिनके लड़कियां हैं वे लड़का होने की प्रतीक्षा में इसका सहारा नहीं लेते हैं । इस तरह से लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है । मुझे एक डॉक्टर साहब का ध्यान है जिनके 6 लड़कियां हो गईं और फिर भी लड़के की प्रतीक्षा है । इस तरह से तो 20 वर्ष में जाकर लड़कियों की संख्या तिगुनी हो जायगी यानी तीसरे हिस्से में आदमी रहेंगे तो बड़ी विषमता समाज में हो जायगी । जो बुद्धिमान लोग हैं वे इसका

(श्री फूलचन्द बाफना)

सहारा लेते हैं और कम समझदार हैं वे इसका सहारा नहीं लेते हैं तो 20 साल में बुद्धिमानों की संख्या कम होगी और मूर्खों की संख्या ज्यादा हो जायगी। तो इस प्रकार से परिवार नियोजन के काम से जो हानि 20 के बाद हिन्दुस्तान की होगी उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जो लोग इसका सहारा लेते हैं उनके सन्तान कम होगी और जब वे बूढ़े हो जायेंगे तो मैं समझता हूं कि जवानों की संख्या कम होगी और बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो जायगी और फिर उस समय देश में बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी, औरतों की ज्यादा होगी, बुद्धुओं की ज्यादा होगी और बुद्धिमानों की कम होगी, और उस समय कोई आक्रमण कर दिया गया तो क्या होगा? मैं उसको राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं लेता। यह तीनों काम ऐसे हैं कि जिनसे हिन्दुस्तान का काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए परिवार नियोजन के विषय में मेरा मानना है कि जब सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है तो सरकार को अनिवार्य रूप से कानून लागू कर देना चाहिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो—इसके अन्दर कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, यह इच्छा के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसको इच्छा के ऊपर रखेंगे तो इससे देश में अव्यवस्था फैल जायगी।

इसके साथ ही लघु उद्योग और उद्योगों के विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी का विकास हो इसलिए आज विकास योजनायें बनाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है परन्तु विकास नहीं होता है। इसके बारे में मेरा ख्याल है कि आदमी का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। मैं जहां तक मानता हूं, आदमी का विकास जब होता है, आदमी विकसित वह होता है जिसकी देह स्वस्थ हो, जिसका दिल स्वस्थ हो और जिसका दिमाग स्वस्थ हो। इन तीनों का स्वास्थ्य अच्छा है, यह तीनों स्वस्थ हैं, तब आदमी की देह का विकास, दिल का विकास, दिमाग का विकास समानान्तर होता है। ऐसा होता है तब तो विकास होता है, लेकिन अगर एक चीज का विकास होता है और शेष दोनों का नहीं होता है या दोनों में से एक का होता है तो आदमी का विकास नहीं हो सकता और देश का सही विकास का काम नहीं हो सकता। आज एक तरफ आदमी के सामने पेट भरने की समस्या है और दूसरी तरफ बुद्धि की समस्या है, अक्ल की समस्या है। बुद्धि भी आदमी के लिए जरूरी है और आदमी के लिये पेट भरना भी जरूरी है। पेट भरने के लिये उद्योग की आवश्यकता होती है, तो उसके साथ साथ बुद्धि की भी जरूरत होती है। मैं समझता हूं कि आज हमारी सब योजनायें बुद्धिजीवी लोगों के भरोसे पर चल रही हैं। जो बुद्धि से जिन्दा रहते हैं, जो लोग बुद्धि बेचते हैं और बुद्धि से ही नौकरी करते हैं उन बुद्धि जीवियों के भरोसे हमारी योजनायें चलती हैं उससे योजनाओं का फल प्रतिकूल निकलता है, अच्छा नहीं निकलता है। बुद्धिमान लोगों में सूरदास, तुलसीदास आदि हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, विनोबा भावे हैं। वे बुद्धिमान लोग हैं जो स्वार्थी नहीं होते, लेकिन बुद्धिजीवी का अपना स्वार्थ होता है। इन बुद्धिजीवियों के कंट्रोल में आज सारे मामले चले गये हैं, इसलिए ही यह सारी योजनायें असफल हो रही हैं। योजनायें असफल इसलिए हो रही हैं क्योंकि बुद्धिजीवी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, अपना लाभ उठाते हैं जो लोग अपना लाभ चाहते हैं उनको ही आप पनपाते हैं, उनका विकास करते हैं।

(श्री फूलचन्द बाफना)

हम आंकड़े उठा कर देख लें। जो आंकड़े सरकार देती है उसमें होता है कि इतने लोगों को पढ़ा लिखा दिया, इतने लोगों को बसा दिया। इतने लोगों का पढ़ा लिखा दिया, इतने लोगों को क्या क्या सुविधायें दे दीं। परन्तु मेरा निवेदन है कि आंकड़े प्रति वर्ष इस तरह के हमारे सामने रखने चाहिएं कि गत वर्ष कितने लोग अशिक्षित थे और आज अशिक्षित कितने हैं और उस हिसाब से इस वर्ष उनमें कितनी कमी हुई है, तब जाकर सफलता और असफलता की जानकारी हो कि असफलता की ओर बढ़े हैं या सफलता की ओर ब ़े हैं। गत वर्ष से बेकार लोगों में कमी हुई है तो वह योजनाओं की सफलता का रूप है। आप इस प्रकार के आंकड़े देते हैं कि कितने लोगों को रोजगार पर लगाया, जब कि कितने लोग बेरोजगार हैं-यह आंकड़े देने चाहिएं। मैंने आंकड़े देखे हैं, उनसे ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्ष हर योजना के अन्त में ेकारों की संख्या बढ़ी है। पहली पंचवर्षीय योजना के समय में जितने अशिक्षित थे, आज उससे काफी ज्यादा हैं। इसी प्रकार बेघरबार व्यक्तियों की संख्या भी पहले से अधिक है। आज संख्या अधिक से अधिक बढ़ रही है तकलीफ पाने वालों की। इसलिए हर योजना से जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं होता है। केवल राहत के काम होकर रह जाते हैं और जो उनके द्वारा आदमी समझदार होना चाहिए, जो देश की सेवा होनी चाहिए-वह नहीं होती है।

अब मैं गांवों की समस्या के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। आज गांवों की तरक्की बहुत कम हो रही है जब कि शहरों की तरक्की बहुत हो रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांव अपने पैरों पर खड़े हों। जब तक गांव अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक गांवों में लोगों पर कर्जा बढ़ता रहेगा। मैंने पच्चीस गांवों का सर्वेक्षण किया है, उससे यह आंकड़े मेरे सामने आये हैं कि गांवों में गांव वालों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। आज सारे ग्रामीण कर्ज से दब रहे हैं। इसका कारण यह है कि गांवों में बहुत सी चीजें गांव के बाहर से आती हैं और इस कारण से गांवों का धन बाहर जा रहा है। गांवों में बहुत सी चीजें, जैसे घासलेट, शक्कर, गुड़, कपड़ा, आदि बाहर से आ रही हैं लेकिन गांव से बाहर क्या जाता है, केवल अनाज जाता है और तिलहन वगैरह जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों से जो पैसा आता है वह बहुत सी चीजों के गांव में बाहर से आने के कारण गांव से बाहर पैसा चला जाता है, इस वजह से गांवों की बड़ी हानि हो रही है और इसलिए ही गांव वाले कर्ज से डूबते जा रहे हैं। इस समस्या से गांवों का कैसे उद्धार हो-इसके लिए आपकी क्या योजना है? छोटे उद्योगों के लिए, अभी अभी जो राष्ट्रपति ने भाषण दिया है, उसमें जोर दिया गया है कि छोटे उद्योगों को पनपाना चाहिए और छोटे उद्योगों को पनपाने में विज्ञान की मदद लेनी चाहिए। जब विज्ञान की मदद से आदमी को चन्द्रमा पर पहुंचाया जा सकता है तो क्या विज्ञान के द्वारा छोटी छोटी मशीनें छोटे उद्योगों के लिये तैयार नहीं की जा सकतीं? जिस प्रकार कि सिलाई की मशीन है, इसी प्रकार की छोटी छोटी मशीन विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए विज्ञान की मदद से प्राप्त की जांय और घर घर में बांटी जांय जिससे कि एक व्यक्ति पांच रुपया रोज कम से कम कमा सके, तो गांव का व्यक्ति अगर पांच रुपये गांव में कमा लेगा तो उसकी शहर में

Page No 119

(श्री फूलचन्द बाफना)

जाने की इच्छा नहीं होगी । वह शहर में जाकर, छोटी छोटी कोठरियों में रह कर, धुएं और गन्दगी में जाकर अपना जीवन बरबाद नहीं करना चाहता । इसलिए लघु उद्योगों की योजना इस प्रकार की बनानी चाहिएं और विज्ञान की मदद लेकर छोटी छोटी मशीनें बनानी चाहिएं जिनसे सारे काम हो सकें । लेकिन इस काम में परिश्रम पड़ता है परन्तु और आप स्टेटस को मेन्टेन करने की योजना चला रहे हैं । आप दूसरे देशों की नकल से अपने देश की योजना बनाते हैं । मेरा निवेदन है कि यदि आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लोगों की तन्दरुस्ती कायम रखना चाहते हैं और उनको बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उनको छोटे छोटे धन्धे देने के लिए अपनी नीति में इस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए कि गांवों में आयात कम हों और निर्यात ज्यादा हो या फिर दोनों बराबर हों यानी नो लोस नो प्रॉफिट के आधार पर काम चले । अगर एक गांव में ऐसा काम नहीं चल सकता है तो आप गांवों के समूह बनाइये, पांच गांवों को मिला कर ऐसी योजना बनाइये ताकि वह स्वावलम्बी हो जायं और गांवों के निवासी अपने पैरों पर खड़े हो जायं । इससे गांव अपने आप तरक्की कर लेंगे । खादी ग्रामोद्योग जरूर इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है, वह राहत के काम तक ही वह सीमित है । खादी ग्रामोद्योग के पीछे एक दर्शन है कि जो औजार है वह मजदूर के कब्जे में रहता है । वह औजार न पूंजीपति के कब्जे में रहता है, न सरकार के कब्जे में रहता है । इस कारण से खादी ग्रामोद्योग का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए ताकि मजदूर स्वतन्त्र हो और अपने पैरों पर खड़ा हो, वह गुलाम न बने । उसको आप छोटी मशीनें दे दीजिये, इससे हर व्यक्ति गांव का स्वतन्त्र होगा, स्वावलम्बी होगा और बुद्धिमान होगा । लेकिन आप केवल वस्तुओं का ढेर लगाने की योजना बनाते हैं, उससे राष्ट्र तो समृद्ध बनेगा परन्तु व्यक्ति और नागरिक समृद्ध नहीं होगा । नागरिक गरीब रहेगा और राष्ट्र में चीजों का ढेर लग जायगा, उससे देश की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि और समस्या उलझेगी । राज्य में बुद्धिमान व्यक्तियों का राज्य नहीं हुआ और राज्य बुद्धिजीवी के हाथ में पड़ गया तो देश में स्टेट केपिटलिज्म आ जायगा । आप देश में समाजवाद आने की प्रतीक्षा करते रहेंगे और राज्य में पूंजीवाद उसके बदले में आकर स्थित हो जायगा । हमने देखा है कि जो व्यक्ति लोकतन्त्र और समाजवाद की बात करने लगे हैं उन व्यक्तियों की हैसियत पहले से अच्छी हुई है । उनको बात करने के पश्चात् ज्यादा मिला है, वह ज्यादा मालदार हो गये हैं । यह समाजवाद का लक्ष्य नहीं है । समाजवाद का समानता का लक्ष्य है कि सब लोग समान हों । ऐसा नहीं कि एक वर्ग ज्यादा मालदार हो जाय, उसको अधिक से अधिक सुविधा मिले और करोड़ों आदमी ऐसे ही रह जायं जिन्हें कोई सुविधा नहीं हो । आज जो देश में असमानता बढ़ रही है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा । एक सोटे का युग था, जब डण्डे के बल पर राज्य करते थे । सोटे का राज्य वोट के हाथ में लाना है लेकिन अब वह वोट का राज्य नोट के कब्जे में भी चला गया है । नोट और सोट के कारण आज वोट स्वतन्त्र नहीं है, इस कारण ही आज गांवों के प्रतिनिधि गांव वाले नहीं आ सकते हैं । जबकि गरीब देश में ज्यादा हैं फिर भी उनके प्रतिनिधि क्यों नहीं आते हैं ? इसका कारण यही है कि जो वोट की आजादी है वह

(श्री फूलचन्द बाफना)

असफल हो गई है, वोट स्वतन्त्र नहीं हुआ है। इससे तो वापिस सोंटा आ जायगा, जैसा कि आज बंगाल में हो रहा है। वहां सोंटे का राज्य इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आ रहा है। ऐसी प्रतिक्रिया की स्थिति क्यों पैदा होने दें मुल्क में। आखिर वह लोग दंगा करते हैं, फसाद करते हैं वह एक विचारधारा को लेकर करते हैं। ऐसी विचारधारा उत्पन्न होने की गुन्ज़ाइश ऐसे समय में उत्पन्न होती है जब तमाम लोगों के लिए रोजी का इन्तजाम न करें। कुछ लोग ही मजा करें ऐसी परिस्थिति आप उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे समाज में कोई विधवा है और उसको विधवा रखना चाहते हैं तो उसके आस पास से भभकेबाज व ऐयाश और विकृत लोगों को दूर रखना चाहेंगे। किन्तु उल्टे तो, इसी प्रकार आज गरीबों को दूर रखने की योजना रखते हैं। उसको साधारण स्थिति में रखना चाहते हैं और कुछ लोग मौज में रहें ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। कुछ लोग मौज करें और मात्र गरीबों के अन्दर त्याग की भावना पैदा करें तो बलवा होगा हिन्दुस्तान में–इसमें शक नहीं है क्योंकि परिस्थिति इस प्रकार की बन रही है। मेरा मानना है कि सारी समस्यायें ग्रामोद्योग और खादी से हल हो सकती हैं। इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूंजी देनी चाहिए लोगों को। खाली देश में वस्तुओं का ढेर बना कर राष्ट्र को समृद्ध बनाने का कोई महत्व नहीं है। आपको व्यक्ति को समृद्ध बनाना है। मैंने दो तीन रोज पहले निवेदन किया था कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को भूमि या धन्धा देना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति भूमि या धन्धा से पेट भरेगा बुद्धि से नहीं.....

सब महनत से पेट भरें। कोई बुद्धि से पेट नहीं भरें। डॉक्टर बुद्धि से पेट भरता है तो उसको धन कब मिलता है, वकील बुद्धि से पेट भरता है तो उसको धन कब मिलता है, नेता बुद्धि से पेट भरता है तो उसको धन कब मिलता है ? जब लोग संकट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं तब इन बुद्धि से पेट भरने वालों को धन मिलता है। जब बीमारी ज्यादा बढ़ेगी तो डॉक्टर को ज्यादा धन मिलेगा, जब झगड़े-फिसाद ज्यादा बढ़ेंगे तो वकील को धन मिलेगा, जब भाव ज्यादा बढ़ेंगे तो व्यापारी को धन मिलेगा क्योंकि वह बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी बुद्धि के सहारे कमाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि लोग संकट में ज्यादा होते हैं तभी इन बुद्धिजीवियों को ज्यादा कमाई होती है। तो संकट से लाभ उठा कर धन कमाया जाता है वह समाजवाद नहीं है, वह समाजवादी व्यवस्था नहीं है वह तो शोषण की व्यवस्था है। इसमें आदमी की कीमत नहीं बढ़ती है, मुल्क में आम लोगों में खुशहाली नहीं आती है। इसलिये केवल बुद्धि से पेट भरने का तरीका नहीं रहना चाहिए। महनत से पेट भरने का तरीका रहना चाहिए। जिस तरह सूरदास, तुलसीदास ने किया, बुद्ध और महावीर ने किया उस तरह होना चाहिए।

मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे नेता बड़े ऊंचे-ऊंचे भाषण देते हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं तो हमें सुन कर खुशी होती है लेकिन जब वे स्टेज से नीचे आते हैं तो उनका दूसरी ही प्रकार का जीवन होता है। गांधीजी नेता चाहते थे पर अब सब अभिनेता हैं। स्टेज पर कुछ और कहना और करना कुछ और ही इस तरह नेता के बदले अभिनेता बनते रहे तो कभी समाजवाद नहीं आ सकता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप नेता हैं या अभिनेता ?

श्री फूलचन्द बाफना : मैं तो कोई नेता नहीं हूं। आप मानते हैं तो धन्यवाद।

इटली में रिवाज था कि एक व्यक्ति परसोना पहन कर नाटक करता था, उस वक्त उसकी परसनलिटी वही होती थी जिस व्यक्ति का कि वह एक्टिंग करता था। जैसे एक त्योहार पर हमारे यहां आज भी भस्मासुर, हिरण्यकशिपु बनते हैं, तो परसोना पहनने वाले की परसनलिटी उस समय वही होती है। परसनलिटी और परसन अलग अलग हो ऐसा नहीं होना चाहिए, परसन और परसनलिटी एक होनी चाहिए। पर आज वोटों की प्रणाली से ऐसा ही हो रहा है, कहना कुछ और करना कुछ। अशिक्षित और गरीब लोगों से वोट ले लेते हैं और वे लोग अशिक्षित होने के कारण, गरीब होने के कारण बहकाने में आकर वोट दे देते हैं। आज अशिक्षा और गरीबी नेताओं के लिये वरदान बनी हुई हैं। मूर्ख आदमी वोट के महत्व को नहीं समझते और शराब के लिये, नोट के लिए वोट दे देते हैं। आज वोट की दुर्दशा हो रही है। यह लोकतन्त्र की नींव ही ढह जायगी तो फिर प्रजातन्त्र कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे समाजवाद आयेगा। आज आप केवल सफलता के लिए वोटों की भीख मांगते हैं, येन केन प्रकारेण आप वोट प्राप्त करते हैं। उसका नतीजा आज यह सामने आया है कि जो जातिवाद, फिरका परस्ती राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में समाप्त हो गई थी पर अब ज्यों ही वोट प्रणाली शुरू कर दी, केवल सफलता के लिये येन केन प्रकारेण वर्तमान वोट प्राप्त करने की प्रवृत्ति पैदा हुई तब से यह जातिवाद और कई वाद और विवाद देश में फिर से पनप रहे हैं। आज आपका किसान और मजदूर राज का नारा तो केवल नारा है, केवल धोखा है। जैसे हम किसी के यहां मेहमान बन कर चले जाते हैं तो वह व्यक्ति स्वयं भूखा रह कर भी हमको खाना देगा उस तरह आप किसानों और गरीबों के मेहमान बने हुए हैं किसान को आप कह सकते हैं कि तू भूखा मरे पर हम खुश रहें, यही तेरे राज की शोभा है। बोझा ढोने का सवाल हो तो उस मजदूर को कह देते हैं कि तू ही राज का बोझा ढोता है, तू ही हमारा बोझा ढो। तो यह ठीक नहीं है। यह नौकर की प्रणाली है। नौकर की प्रणाली किसी भी घर में नहीं रहनी चाहिए। जिसके घर में नौकर है वह तो पूंजीवादी है। वह हुक्म देता है मेरे कपड़े धोवो, मेरे बरतन मांजो। यह पूंजीवादी मूल्य है। तो लोगों को सोचना चाहिये कि हम हमारा हर एक काम खुद करें। एक नौकर रहे, उसको आज्ञा दें, यह प्रणाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यह प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली है। आज हमारा कथन तो प्रजातन्त्रवादी और समाजवादी है पर हमारे कार्य सब के सब पूंजीवादी हैं।

सच्चा प्रजातन्त्र लाने के लिए, समाजवाद लाने के लिए हमें बहुत सी बातों में परिवर्तन करना होगा। शिक्षा में परिवर्तन करना होगा हमारे रहन-सहन के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा, जमीन की समस्या को हल करना होगा। एक भी आदमी भूखा नहीं रहे इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। पर आज आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसके लिए मुझे एक उदाहरण याद आ गया। एक आदमी ने 100 तोते पाले और उनके लिये पंचवर्षीय योजना बनाई कि पहले वर्ष में 20 तोतों के लिये भोजन की व्यवस्था करूंगा, दूसरे वर्ष में फिर दूसरे 20 तोतों के लिये

(श्री फूलचन्द बाफना)

भोजन की व्यवस्था करूंगा, तीसरे वर्ष फिर 20 तोतों के लिये खाने की व्यवस्था करूंगा, चौथे वर्ष में फिर 20 तोतों की और 5वें वर्ष में बाकी बचे 20 तोतों के लिये भोजन की व्यवस्था करूंगा । इस तरह पांच वर्षों में सबको भोजन दे दूंगा। इस प्रकार की व्यवस्था बने कि 5 साल में सब तोतों को खाना। तो यह कैसी योजना बनेगी । आज आपकी हर योजना में भूखों की, बेकारों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है । ज्यों ज्यों इलाज कर रहे हैं, त्यों त्यों बीमारी बढ़ रही है ।

श्री विजयसिंह : इस राज में तो हजारों तोते हैं ।

श्री फूलचन्द बाफना : आज हमारी राजनीति दूषित हो गई है । वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, यह आउट ऑफ डेट है, यह राजनीति बिल्कुल निकम्मी हो गई है। इसके संबंध में मैं एक शेर सुना देना चाहता हूं :

ब हाजिर उजाले, ब बातिन अंधेरे,
बसूरत रफीकी, ब सीरत लुटेरे ।
गर हो सके इनसे बच कर निकल जाइये,
ये सियासत के बन्दे हैं, न तेरे न मेरे ।।

ब हाजिर उजाले, दिखने में बड़े उज्जवल, सुन्दर, ब बातिन अंधेरे लेकिन अन्दर से काले । बदसूरत रफीकी, शक्ल सूरत से दिखने में परोपकारी संत लेकिन ब सीरत अर्थात आदत से लुटेरे । गर हो सके इनसे बच कर निकल जाइये, ये सियासत के बन्दे हैं जो न तेरे हैं न मेरे हैं । तो आज की राजनीति लोक नीति होकर मानवता के आधार पर होनी चाहिए । इसके लिए अगर कोई उपयुक्त और सही प्रणाली कोई है तो वह सर्वोदय है । सब का उदय ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ठीक है घंटी बज गई। हमारे हिन्दुस्तान में भी खतरे की घंटी बज रही है। इसके लिये हमें सावधान होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोशनलाल !

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, गांव वालों पर, धनवानों का शोषण होता है और धनवानों का शोषण हो कर सारा धन शहरों में लगा दिया जाता है उसी तरह से राजस्थान के सब गांवों के पानी का शोषण करके शहरों में डाल लीजिये ताकि हम गांव वाले शहरों में आ कर रह जायें । जो शोरगुल ज्यादा करते हैं वहां सरकारी विभाग काम करते हैं, हम कुछ भी कह दें गांव वाले हमारी कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री रामसिंह (कूड़ी) : हिजड़े हो।

श्री मूलचन्द डागा: आप भी शामिल हो।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि गांवों में आज भी लोग खारा पानी पीते हैं। 35 हजार रुपया रोजाना फैमीन के टाइम में खर्च होता है, 35 हजार रुपया फैमीन में बर्दाश्त करते हैं गांवों में पानी देने के लिये पर करोड़ों रुपये लगा कर शहरों में जल प्रदाय योजनाएं

Page No 123

(श्री मूलचन्द डागा)

बना दीं। 70 मील दूर से पानी ला कर अजमेर में व्यवस्था की जा सकती है, जोधपुर में और और शहरों में की जा सकती है पर राजस्थान की कुल आवादी की 80 प्रतिशत आवादी गांवों में रहती है, उनके लिये यह स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता, यह तो 20 प्रतिशत आवादी राजस्थान की शहरों में है, उसके लिये ही इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। कोई अन्दाज नहीं है। बस एक ही हिसाब है कि जो बोलते हैं, जो सरकार के कान खींचते हैं, वहां तो यह काम कर देती है। और हमारी कोई भी बात नहीं की जाती। हम चाहते हैं कि गांवों में पानी हो पीने के लिए पर वहां पानी की व्यवस्था नहीं की जाती। पर शहरों में फव्वारों के नीचे स्नान करने के लिये पानी मिलता है, गार्डन के लिये पानी मिलता है, पानी का पूरा प्रबन्ध किया जाता है। जो गांवों के रहने वाले शहरों में आ गये वे भी शहरों की ही सोचने लग गये हैं, मंत्री भी जो गांवों से आये हैं वे शहरों की सोचते हैं।

सारे गांवों में विद्रोह होगा और एक समय आयेगा तब सब पाइप काट दिये जायेंगे। 32,000 गांवों की इच्छाओं पर आपने पानी फेर दिया है, हमने पाप किये हैं, उनका बदला लेंगे वे लोग। गांव वालों में विद्रोह की भावना पैदा हो गई है।

वे हजारों की संख्या में हैं। उनमें यदि तफान आ गया तो याद रखें जो शहर वाले हैं उनकी क्या हालत होगी। मुझे डर है, हम लोग बार बार कहते हैं तो जवाब देते हैं कि योजना बना रहे हैं। हमारे मंत्रियों से मैं पूछता हूं कि कभी उन गांवों में गये हों जहां पानी खारा है, जहां बीमारी पैदा होती है, जहां भैंस पानी में बैठती हैं और वह पानी हम पीते हैं। भीखा भाई ने कभी सुनेला देखा है। वह तो जोधपुर गये हैं। सैंदड़ा गये हैं अच्छे भागों में गये हैं। अभी मंत्री, जल-प्रदाय विभाग के हमारे यहां पधारे थे। हम तो सिर्फ मांगते हैं कि गांवों को पानी दो। मैं आंकड़े देखता हूं तो दुख होता है। राजस्थान में 32 हजार गांव हैं। शहरों में 20 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और हमारे यहां उससे कम जहां 81 प्रतिशत जन-संख्या है। हमारे यहां हार्डली 19 प्रतिशत खर्च होता है। तो आप क्या चाहते हैं? गांव वाले एक बात मांगते हैं। पीने का पानी। आप शहर वाले भले ही घरों में फ्लश में पानी उपयोग करो। फव्वारे से नहाओ, खूबसूरत बनो, क्रीम लगाओ। सारी बातें हों लेकिन जो गांवों के हैं, राजस्थान में 32 हजार गांव हैं, वहां के निवासी यह कहेंगे कि हिन्दुस्तान में हमें गलत शासन मिला, ऐसा शासन जहां पीने का पानी नहीं मिला।

शहरों के पानी के कनेक्शन्स के बारे में मैंने एक सवाल पूछा कि मकान मालिक पानी देते हैं और पानी बेचते हैं और शहर वाले कहते हैं कि हमने कानून बनाया है जल-प्रदाय का। खुद 7) देते हैं और किरायेदारों से 15) लेते हैं, वह पानी बेचते हैं। कभी आपने शिकायत सुनी है? लाखों रुपये की जितनी जल-प्रदाय योजनायें शहर में बनाईं, किसी से पैसा वसूल नहीं किया और वित्त मंत्री ने कह दिया कि 12 लाख रुपये छोड़ दिये हैं। इसका मतलब......

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 12 लाख नहीं 3 करोड़।

Page No 124

श्री मूलचन्द डागा : मुझे पानी के 12 लाख याद रह गये। मैं बार बार कहता हूं कि सिनेमा अपने पास रखो, राम निवास गार्डन अपने पास रखो हमें तो सिर्फ पीने के लिये पानी दो। अगर वह भी नहीं दिया तो जो इस समय हम गांव वालों की बुद्धि साफ है वह गंदा पानी पीने से खराब हो जायगी तो हम आपको भी लेकर डूबेंगे। हम तो डूबेंगे आपको भी सनम लेकर डूबेंगे। गांव की ऐसी हालत मत करो। आप योजना क्या चाहते हैं ? हमने कहा कुएं बनवा दो, बार बार कहता हूं कि साफ पानी दे दो, एक मशीन लगाकर। योजना क्या बनायेंगे ? एक नल फैलायेंगे ? क्यों औरतों को घर से बाहर आने देते हो? मैं किसी क्षेत्र की योजना के लिये पूछता हूं तो जवाब मिलता है कि वहां की आबादी 1960 में कम थी। मैं करता हूं 1971 की बात। आप 1961 की बात क्यों करते हो। हम योजना 1961 की बनाते हैं? अजमेर में 1961 की योजना से पानी पिलायेंगे या जोधपुर में या जयपुर में 1961 की योजना से बोलेंगे ? यह घोर गैर इन्साफ है। गांव में पीने का पानी नहीं। मेरे साथी कहते हैं कि इतने जोर की आवाज में नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूं कि हालत क्या है ? खुद भी डूबते हैं। पानी तो जूतों से मिलेगा। जोधपुर को पानी सीधा जायेगा, लेकिन बीच में गांवों को नहीं मिलेगा। हमने बंधा इसलिये बनाया था कि हमारे पास पानी होता जाय और हम देखते रह जायं। हम पानी लें तो मुकदमा चालू करें। यह काम हुआ .....

श्री विजयसिंह : क्षेत्रीय भावना नहीं आनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल। आप में तो सभापति बनने के बाद समझ काफी बढ़ गई है। एक बात कहना चाहता हूं कि फींच गांव में कितनी जनसंख्या है। जल-प्रदाय योजनायें हैं लेकिन आपका इरादा नहीं है। वह बिल्कुल मजबूत नहीं हैं। तो सफलता मिल नहीं सकती। आपको सफलता गांवों से प्राप्त नहीं करनी है। आपने उतरसर गांव में योजना बनाई, मान लीजिये आपने गुढा इंदा गांव जहां मीना जाति के लोग रहते हैं। वे सजग है। गांव में डाक बंगला नहीं है। इंजीनियर साहब जायेंगे तो टेरेलीन के कपड़ों पर धूल लगेगी। आप जल-प्रदाय का महकमा शहर से हटाकर रेगिस्तान में ले जायें। इंजीनियर को छोड़ दो कि वह देश की सेवा करे। गांव वाले तो आपके नाम को याद करते हैं। आप सारा पैसा शहरों में मत दो। यह जुल्म व अत्याचार होगा। मैं कई बार कह चुका हूं।

मेरे इलाके में कई गांव हैं जहां पानी नहीं है और फींच गांव में 7,000 रुपया पानी पर खर्चा आता है तो 4 महीने में कितना खर्चा होगा। एक पाइप लाइन डालो चार गांवों में पानी दो। कहेंगे पैसा नहीं है। पैसा है जोधपुर वालों के लिए। आपके बंगले में 4 टूटियां लगेंगी। एक रसोई में क्योंकि धर्म पत्नी बाहर नहीं आ सकती। एक लैट्रिन में फ्लश के लिए और एक रात को सोते हैं उस समय हाथ धोने के लिए और एक छोटा बच्चा जो बाहर खेलता है उसके लिए चाहिए। आपको 7 कनेक्शन्स चाहिएं। हम कहते हैं कि एक एक गांव में एक पानी का मुंह खोल दो।

समाजवादी समाज के कर्मचारी लोग सारी योजनायें शहर की बंद कर दें और गांवों की तरफ झुक जायं, 3 करोड़ रुपये लगा

(श्री मूलचन्द डागा) :

दो तो 100 गांव वाले पानी पीने लग जायेंगे लेकिन यह योजना दिमाग में नहीं आई। मंत्री शहर में आकर बस गए, प्लाट्स लेकर मकान बनवा दिए। एक बात फिर कहता हूं कि आपने पाइप लाइन लगा दी। नवविवाहित बहुएं पानी लेने आती हैं और एक दूसरे की सास की बातें करती हैं। हमारी एक संस्कृति बनी हुई है उसको खत्म मत करो। मैंने कई बार कहा कि योजना बनायें तो सर्फेस ड्रेनेज की बनायें।

यह पानी बेचना जल-प्रदाय योजना के अंतर्गत कौन से एक्ट में है? शहर वाले लोग फायदा में उठायें पैसा लेने की हिम्मत नहीं। इसका मतलब गांव वालों को विद्रोही बनाना चाहते हैं और अभी चव्हान साहब का पत्र था जिसमें कहा था कि गांव वालों में इन्कलाब आयेगा, वे ये बातें बरदाश्त नहीं करेंगे, यह नाकाबिले बरदाश्त है।

(3 म० प०)

दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं चिकित्सा मंत्री महोदय ने होस्पिटल बनाया पाली में लेकिन उसकी कम्पाउन्ड वाल नहीं बनायी। कम्पाउन्ड वाल का क्या हुआ? तो जवाब दिया कि बना नहीं सकते। बजट नहीं है होस्पिटल की परिधि में लोग टट्टी जाते हैं। इ० एस० आई० होस्पिटल की यह हालत है कि मजदूरों के लिये दवा नहीं। वह बोलना नहीं जानते। यह सफेद पोश लोग शहरों के अपटुडेड, उनमें समझ और अक्ल है, हम गरीब लोगों में असमझ है, अकल नहीं है और अकल होते हुए भी बर्दाश्त करना चाहते हैं और हम जब बाहर आ गये तो सफेद पोश गायब हो जावेंगे। ई० एस० आई० होस्पिटल में कोई दवा नहीं। मजदूर जायेगा दो कोस दूर। इ० एस० आई० होस्पिटल में इनकाम्पीटेन्ट डॉक्टर है और दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कोई आता है तो कहते हैं कि होस्पिटल में जाओ। हम कहते हैं तो सरकार कहती है कि हम विचार कर रहे है। यह विचार करने का तरीका दूसरों की बरबादी का तरीका है। होस्पिटल में मशीनरी स्पिरिट नहीं है। सेवा की वृत्ति नहीं है। ये अस्पताल आपके शोषण के केन्द्र न बन जायें। सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिये मिनिस्टर और डाइरेक्टर्स की। उन्होंने नहीं किये। पाली में हेवर्ट डॉक्टर थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट।

प्रोग्राम यह नहीं होना चाहिये कि मिनिस्टर साहब पाली पधार रहे हैं बल्कि सरप्राइज चेकिंग होना चाहिये। गरीब पेशेन्ट है उसकी आवाज सुनें। डाक्टरों ने सेवा को मंदिर नहीं माना है। शोषण करते हैं। कितना कमाना है। खर्चा किया उसके लिये कमा कर बीवी और बच्चों को पालना है। आप इस संबंध में कदम उठावें।

आपने बजट स्पीच में यह लिखा है "To give impetus to cottage soap industry, soap, when sold by person making the soap himself or by any member of his family, is proposed to be exempted from tax, provided that the maker does not use power at any stage in making the soap and does not employ any paid labour."

आप इस बात को सोचिये। आप कोटेज

(श्री मूलचन्द डागा)

इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। कोटेज इन्डस्ट्रीज के लिये कह दिया कि पावर लेंगे तो हम नहीं देंगे। सोप पैदा करता है कितनी फेक्टरियां है साबुन की? पति और पत्नी दो हैं और दूसरे लेबर को एम्पलोय करें तो आप कहते हैं कि हम पावर नहीं देंगे। मजदूर कैसे पनपेंगे? क्या खराबी है? इससे तो जो काम करने वाले हैं उनको निरुत्साहित करना है और बेकारों की संख्या को बढ़ाना है और आपका यह काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ गलत कदम है उस पर विचार करना चाहिये। खंटानी गांव में ठेका दे रखा है। हजारों रुपया ठेकेदार ने कमाया है लीजेज परमानेन्ट हो या कितने साल की हो इसका निर्णय होना चाहिये लम्बे अर्से के लिये किसी एक व्यक्ति को देते हैं तो इन्डस्ट्रीज में नुकसान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोग हिन्दुस्तान के कोने 2 में रहते हैं। हम बाहर जाते हैं तो उद्योग मंत्रीजी ने अपीलें निकाल रखी हैं उनको देखते हैं। अपीलों में वे कहते हैं कि उद्योगपति राजस्थान में आयें हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी भावना और अच्छी वाणी का मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान के प्रवासी यहां आयें तो उनकी अपने स्वार्थ को भुला कर सेवा कीजिये यह आप अपने कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों से कहिये। जो स्थिति यहां है उससे उन लोगों को निराशा होती है।

(लगातार-समय-सूचक घंटी)

मैं यहीं समाप्त कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, उद्योग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पर मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उन पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहले मैं चिकित्सा को लेता हूं। पहले तो मैं चिकित्सा मंत्री की विशेष तौर से सराहना करूंगा कि म बार बार यह निवेदन कर रहा था कि बाड़मेर में जिला चिकित्सालय अधिकारी का कार्यालय होना चाहिये, उसकी स्थापना हो गयी है। उसके लिये चिकित्सा मंत्रीजी को विशेषतौर से धन्यवाद देता हूं।

मैं विशेषतौर से बाड़मेर नगर में अस्पताल की जो व्यवस्था में कमी है उस ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाड़मेर नगर में लगभग दो साल से अनुभवी सर्जन के न होने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे अस्पताल में जितने भी बाड़मेर जिले के लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों को इलाज के लिये जोधपुर जाना पड़ता है। कम से कम यह व्यवस्था होनी चाहिये कि अनुभवी सर्जन मुकर्रर हो। महिला डॉक्टर की बाड़मेर होस्पिटल में कभी व्यवस्था नहीं हुई। चिकित्सा मंत्री यह कह सकते हैं कि फेमेली प्लानिंग की डॉक्टर यह कार्य कर सकती है। उनका यह कार्य नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां पर महिला डॉक्टर की व्यवस्था की जाय।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रसूति गृह की बहुत आवश्यकता है। मनुष्यों के लिये इलाज की व्यवस्था हो जाय और स्त्रियों के लिये प्रसूति गृह न हो तो यह बर्दाश्त काबिल नहीं है। आधुनिक युग में प्रसूति गृह का होना आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय प्रसूति गृह की विशेषतौर से व्यवस्था करें। एक्सरे की मशीन एक साल से बेकार हे उसकी मरम्मत नहीं हो पायी है। हर कार्य के लिये जोधपुर जाना पड़ता है। इसलिये एक्सरे की मशीन को ठीक कराने की व्यवस्था करायी जाय। बाड़मेर नगर में पैथोलोजी, स्टूल टैस्ट, आई टैस्टिंग आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। बाड़मेर जिले का हैडक्वार्टर है और महत्वपूर्ण नगर होने के साथ साथ सीमावर्ती नगर है। यहां पर इनकी व्यवस्था होनी चाहिये। रामसर में जो भी डॉक्टर आता है वहां पर एक कम्पाउन्डर है वह उनको भगा देता है और येन केन प्रकारेण वहां पर कम्पाउन्डर ही रहता है और डॉक्टर पहुंच नहीं पाते हैं। अकाल की स्थिति के समय जिस प्रकार पहले बीमारी के कारण भयंकर संकट आया था, हमारे क्षेत्र में पानी का भयंकर संकट है, बीमारी की स्थिति पैदा हो सकती है राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिये कुछ कर भी रहे है लेकिन विशेष कोशिश करनी चाहिये कि हर महत्वपूर्ण जगह डॉक्टर लगा दिये जावें। वह स्थिति पैदा न हो कि बीमारी पैदा हो और मुकाबला करने में समय लगे और लोग मृत्यु के शिकार हो जायं। रामसर में जल्दी से जल्दी डॉक्टर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक कमेटी का निर्माण होना चाहिये। अक्सर यह देखा गया है कि गरीब आदमी का तो इलाज हो ही नहीं पाता है। इन्जेक्शन की आवश्यकता है। गरीब आदमी के पास इन्जेक्शन के लिये पैसे नहीं और होस्पिटल से व्यवस्था नहीं की जाती है। मैंने देखा है, मैं कई बार अस्पताल में गया हूं। गरीब आदमी है और बीमार पड़ गया है तो उसकी बहुत दुर्दशा होती है। नगरों के अस्पतालों में कमेटियों का निर्माण किया जाना चाहिये जो पैसे का क्लेक्शन करें और इस पैसे का यूटिलाइजेशन करें और इस प्रकार की कमेटियां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और मुख्य नगरों में स्थापित की जानी चाहियें। तब गरीब व्यक्तियों का इलाज किया जा सकेगा और ऐसे व्यक्ति जो सेवा करने वाले हैं और जो पैसा एकत्रित कर सकते हैं उस प्रकार के व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जाना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था हो। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही गरीब व्यक्तियों का इलाज अच्छी तरह से हो सकता है और उनको राहत मिल सकती है। नहीं तो मैं देख रहा हूं कि जनरली जो गरीब है, उस व्यक्ति का, उस मरीज का कोई इलाज नहीं हो पाता है।

अब मैं विशेषतौर पर पानी की समस्या पर आता हूं मैं पहले ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय का कि योजनाओं में 507 करोड़ रुपया खर्च किया गया उनमें 8.52 ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया गया और 12.50 करोड़ शहरी क्षेत्रीय योजनाओं में खर्च किया गया जबकि 84.3 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है उसके लिये 8.52 करोड़ रुपया आप खर्च करते हैं और 15.7 प्रतिशत जनता नगरों और शहरों में रहती हैं उसके लिये 12.50 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यह किसी भी तरह से वाजिब नहीं माना जा सकता और इसलिये यह ध्यान रखना होगा कि जो

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

गलती आपने कर ली है उसके लिये आप दोषी हैं लेकिन अब भी गलती को सुधारें। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक खर्च करें। सिर्फ 5 प्रतिशत जनता, ग्रामीण इस पानी की योजनाओं से लाभ उठा सकी है। 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर के जो क्षेत्र हैं, वहां की जनता पीने के पानी का कोई लाभ नहीं उठा सकी है और वहां पानी की भयंकर समस्या है। उनको दस, बीस मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है। फैमिन के समय में लाखों रुपया गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। 1969-70 के वर्ष में एक करोड़ 68 लाख 22 हजार रुपया पानी की टैम्परेरी व्यवस्था करने के लिये टैंकों द्वारा पानी पहुंचाने में खर्च किया गया है। इस कार यह रुपया खर्च होता है और वह कोई स्थायी व्यवस्था न होने की वजह से खर्चा हो जाता है और पूरी तरह से लोगों को सन्तोष भी नहीं मिलता है। गांवों में जो पानी मिलता है, जो पानी वहां पहुंचाया जाता है वह एक बट्टा आठ गैलन से ज्यादा नहीं मिलता है। जिन गांवों में यह पहुंचाया जाता है वहां एक एक बट्टा आठ गैलन प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी नहीं मिलता है। यह स्थिति हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जबकि हमने यह माना है कि 10 गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा: फैमिन में दो गलन पानी भी पीने को नहीं मिलता है।

श्री वृद्धिचन्द जैन: पानी पीने को नहीं मिलता है, यह भयंकर स्थिति है इसलिये मैं इस बात पर बल देता हूं कि इस के बारे में विचार करना चाहिये और गांवों की जो योजनायें हैं उन योजनाओं को हाथ में लिया जाना चाहिये।

मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति व्यय नगरों में 39 रुपया होता है जबकि गांवों में 5 रुपया व्यय हुआ है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में 81.7 प्रतिशत जनता जल-प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित हुई है जबकि गांवों की 4 प्रतिशत आबादी ही इससे लाभान्वित हुई है। इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें हम गांवों को उन्नत नहीं कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र, बाड़मेर, जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। वहां कभी भी युद्ध हो सकता है। पहले भी युद्ध हुआ था, जो आपको मालूम ही है। वहां इसके कारण यह स्थिति हुई थी कि हमारी मिलिटरी फोर्स को पानी नहीं मिलने के कारण उसको वहां बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ा था। इसलिये विशेष तौर पर इस ओर ध्यान देना चाहिये। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिये, उनको सुदृढ़ करने के लिये वहां जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था की जाये।

बम्बई अधिवेशन में हम गये थे और वहां पर इकोनोमिक पोलिसी के ऊपर विशेष बल दिया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिन गांवों में पानी की कमी है वहां पानी की कमी को दूर किया जायेगा और पानी की व्यवस्था की जायेगी, यह प्रस्ताव वहां पास किया गया था। अब यह राजस्थान की सरकार को देखना है कि हम बम्बई के अधिवेशन में गये थे, रिजोल्यूशन पास किया है तो उसका विशेष तौर पर दायित्व है।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिकांश गांवों में पानी की भयंकर कमी है और पानी की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था करके इस समस्या को हल करें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बायतू से भीमड़ा जो पाइप लाइन ले जाने की स्कीम थी, वह गवर्नमेंट ने मंजूर कर ली है। मैं गवर्नमेंट की सराहना कर रहा हूं कि उसने यह योजना मंजूर कर ली है। इसलिये अब मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और इसको कार्यान्वित करें। कार्यान्वित करने से पहले यह ध्यान रखें कि भीमड़ा से पाइप लाइन की जो योजना पहले से बनाई जा चुकी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करें। मुझे पता लगा है कि इसमें परिवर्तन कराने की कोशिश चल रही है। इसमें जो गांव बायतू आता है वह बड़ा कस्बा है और उसको इधर-उधर करके पानी नहीं पहुंचावें। इसकी पहले जो योजना बन चुकी है उसको ही कार्यान्वित किया जाये और वहां पानी गर्मियों के दिनों में ही पहुंचा दिया जाये इसकी व्यवस्था करें।

अब मैं बाड़मेर नगर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां पानी की व्यवस्था अच्छी है लेकिन वितरण ठीक नहीं है। इसके कारण पानी बहुत से स्थानों पर नहीं पहुंच पाता है। इसमें मीटर भी ठीक नहीं है। मीटर रीडिंग ठीक नहीं होने के कारण लोगों की शिकायतें हैं। जल वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिये यह कोशिश करें कि वहां वितरण की व्यवस्था ठीक हो। लोगों के 100/-, 125/- रुपये के पानी के बिल बनते हैं। इसकी जांच होनी चाहिये और लोगों को राहत मिलनी चाहिये और लोगों से वाजिब जो बकाया हो वही लिया जाना चाहिये।

अब मैं विशेष तौर पर तीन, चार योजनाओं के बारे में कहूंगा। इन क्षत्रीय योजनाओं को इस वर्ष 70-71 में लिया जाना चाहिये। बाड़मेर से चवा, रावतसर होकर क्षेत्रीय पाइप लाइन का काम हाथ में लिया जाना चाहिये। इसी तरह संडीरा, रामसर, गडरा रोड से रामसर की पाइप लाइन की योजना है। इन सब योजनाओं को सरकार के द्वारा किया जाना चाहिये। अंडू से पनादडा एवं आकदडा पाइप लाइन योजना को भी कार्यान्वित करें। कपूरड़ी से भादरेश जो पाइप लाइन की योजना है उसका सरकार द्वारा सर्वे हो चुका है। उसको भी जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करें और काम शुरू किया जाना चाहिये। हम पानी के बारे में कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो हमें इन योजनाओं को हाथ में लेना पड़ेगा और सक्रिय रूप ये कदम उठाना होगा। जो दो करोड़ रुपये 70-71 के वर्ष में राजस्थान सरकार ने निर्धारित किये हैं वह काफी अपर्याप्त है। यह राशि 5 करोड के करीब होनी चाहिये।

100 ट्यूब वैल्स के बारे में तय किया गया है। अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जल्दी से जल्दी, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां पानी की भयंकर संकट है, वहां कुंए खोदे जाने चाहिये और जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाना चाहिये।

अब मैं विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। इनके लिये 2,000 से 5,000 रुपय प्रति व्यक्ति कुए खोदने के लिये देना तय किया गया है।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

5,000 रुपयों से हमारे क्षेत्र में कोई कुआ नहीं बन सकता है। इसलिये इसकी सीमा दस हजार रुपये करनी चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कुआ अलग से क्यों बने? होना यह चाहिये कि सब लोग एक साथ पानी पीवें। इस प्रकार की व्यवस्था हो तो अच्छा होगा। वरना यह जाति अलग ही रह जायेगी।

उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। खादी कमीशन और खादी ग्रामोद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। खादी कमीशन ने बाडमेर, जैसलमेर और बीकानेर के सीमावर्ती गांवों में जिस तरह से कार्य किया है वह सराहनीय कार्य है वहां पर ऊनकी बुनाई और कताई क कारण काफी लोगों को रोजगार मिला है। मेरा यह निवेदन है कि अकाल के समय खादी ग्रामोद्योग कमीशन को इन एक्टीविटीज को आगे बढ़ाना चाहिये.....

श्री श्रवणलाल: माणिक्यलालजी वर्मा ने खादी ग्रामोद्योग के लिये क्या कहा था?

श्री वृद्धिचन्द जैन: मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं अकाल राहत कार्य में जो खर्चा करते हैं उसमें से बहुत से रुपये का उपयोग नहीं होता है। यह पैसा गवर्नमेंट को चाहिये कि वह खादी ग्रामोद्योग के लिये देदे और इस तरह से एक करोड़ रुपया खर्च करने से वहां के लोगों को वहां की विधवाओं को मजदूरी मिल सकती है।

अब मैं माइनिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो खनिज अवेलेबल है रौक फासफेट आदि उसका प्रयोग किया जाना चाहिये। वहां पर जिप्सम, मुलतानी मिट्टी भी मिलती है इसका भी उपयोग किया जाना चाहिये। वहां माइनिंग के प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा हैं उसको करके उस इलाके की प्रोग्रेस की जा सकती है।

गैस निकालने की कोशिश की जा रही है अगर इस दिशा में पूरे प्रयत्न किये जावें तो गैस निकल सकती है और वह एरिया इस तरह से विकसित हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे कटौती प्रस्ताव के संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने गांव और शहरों के बीच भेदभाव बरतने के संबंध में प्रकाश डाला है। आज प्रातः ही मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा कहा गया था और जो आंकड़े बताये गये हैं उससे साफ है कि दिन दिन गांव और शहरों में दूना भेद बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत लोगों के लिये पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जब कि शहरी क्षेत्र में 81 प्रतिशत लोगों के लिये पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि गांवों के प्रति कितना भेदभाव बरता गया है।

इसके अलावा जो योजनायें चली हैं उनमें भी कोई व्यवस्था नहीं है मेरे क्षेत्र के गांव निम्बी जोधा में.....

(3.29 म० प०)

(श्री विजयसिंह मकराना, सभापति पदासीन)

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आज से पांच साल पहले काम चालू किया गया था। उसमें लाखों रुपयों खर्च करके भी आज उस गांव को पानी नहीं पिला सके। उसका पूर्व सर्वे नहीं किया गया बिना देखे भाले ही काम शुरू कर दिया गया। लाखों रुपया खर्च करके पानी वहां नहीं मिल रहा है। निर्धारित मात्रा में पानी नहीं निकलने के कारण वह योजना पूरी नहीं हो सकती। इस तरह से जो योजना बनाई गई वह बिना सर्वे किये बनाली गई। जिसके फल स्वरूप लाखों रुपयों का वेस्टेज हुआ। तो मैं निवेदन कर रहा था.....

श्री जयनारायण सालोदिया : वजरिये रजिस्ट्री। फिर उनको दे दें।

श्री हरजीराम बुरड़क : सुजानगढ़ पाइप लाइन ले जाई गई है। उसमें वहां के इन्जीनियरों ने इतने घोटाले किये हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। जब लाइन का टेस्टिंग हुआ तो लाडनूं से सुजानगढ़ तक रास्ते भर पानी ही पानी हो गया। ठेकेदार से एग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं करवाया गया। न तो गहरी डलवाई गई लाइन, न जहां जहां जोइन्ट थे वहां वहां पूरा सीसा डलवाया गया। ऐसी स्थिति में भी ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर रहा सरकार ने अपने खर्चे से उसे ठीक करवाया और इस तरह से इस विभाग ने सरकार का हजारों रुपयों का वेस्टेज किया।

इसी प्रकार से सुजानगढ़ के कुए से हौज तक कनेक्शन के लिये ठेकेदार को ठेका दिया। टेस्टिंग के समय पानी लाडनूं शहर में आ गया पर वहां भी यही हाल हुआ। पानी बीच में ही निकल गया। वहां भी जोइन्ट में शीशा नहीं डाला गया और ठेकेदार ने पेमेन्ट पूरा उठा लिया। कौन जांच करे? इस प्रकार के सैंकड़ों उदाहरण हैं इस भ्रष्टाचार के। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने अपने यहां के कुछ ठेके तो टेण्डर पर दिये और जो टेण्डर पर दिये उनमें 60 पर्सेंट बिलों पर काम हुआ और कुछ बिना टेण्डर काम किये ही जो काम उन्होंने करावाये वे पूरी रेट पर हुए सेन्ट परसेन्ट की रेट पर हुए। एक ही योजना में यह दोनों तरह से काम हुआ। तो इस प्रकार से हजारों का घोटाला इस विभाग में है। सुजानगढ़ में कनेक्शन दिये गये वहां उपभोक्ताओं ने फिटिंग करने वालों से मिल कर कनेक्शन अपने आप ही ले लिये। न विभाग में पैसा जमा कराया न कुछ किया। बाद में ध्यान में आया तब विभाग ने कनेक्शन देने का ऑर्डर फिर भी दिया। न तो कार्यवाही की गई, न इस प्रकार की फिटिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। ए० ई० एन० और स्टाफ वाले मिलकर इस प्रकार के घोटाले करते रहते हैं।

परिवार नियोजन के संबंध में भी कहना चाहूंगा। अभी थोड़े दिन पहले इस हाउस में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था कि भरतपुर जिले में कुछ लोगों के अविवाहितों के भी ऑपरेशन कर दिये गये। इसके अलावा कुछ बुड्ढे, अविवाहित या विधुरों का भी कर दिया गया। जिसकी सूचना मंत्रीजी ने नहीं दी। पर जिस दर्खास्त का उन्होंने हवाला दिया उसमें सारा विवरण था। यह कोई साधारण शिकायत नहीं थी। उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फेमिली प्लानिंग के जो थे उन्होंने जांच करके रिपोर्ट दी कि सैंकड़ों ऐसे गलत ऑपरेशन परिवार नियोजन अधिकारी ने किये हैं। पर आज तक सरकार ने कोई

Page No 132

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कार्यवाही नहीं की। बल्कि उल्टे उसको पनाह दे रहे हैं।

इसके अलावा हमारे नागौर जिले में भी ऐसी हालत है। राज्य मन्त्री के सामने लोगों ने शिकायतें कीं पर आज तक वहां भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस तरह के ऑपरेशन्स आये दिन होते रहते हैं। पर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री) : आप मुझे स्पेसिफिक कोई उदाहरण बताइये ताकि उनका मैं जवाब दे सकूं।

श्री सभापति : श्री हंसराज आर्य।

श्री महेन्द्रकुमार।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर में ही आपने बताया था। काफी शिकायतें हैं उनका ही जवाब दे देना। कंवारों और बुड्ढों तक का ऑपरेशन किया है।

श्री सभापति : वे अपने जवाब में उत्तर दे देंगे।

श्री महेन्द्रकुमार।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा-सु.) : सभापति महोदय, जिला डूंगरपुर में वहां के जलप्रदाय योजना पर और दूसरी मांगों पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

जिला डूंगरपुर आदिवासी एरिया है, गरीब लोग वहां रहते हैं। वहां कोई धन्धा और उद्योग सरकार की तरफ से नहीं खोला गया है।

मांडो की पाल पर फ्लोराइट का कारखाना लगाने की बात सरकार कर रही है। जिसमें कई लोगों के काम करने की बात कही जा रही है। पर अभी तक तो इस बारे में कोई काम वहां प्रारम्भ नहीं हुआ है। यहां जमीनें कई लोगों की ले ली गई हैं। आदिवासी एरिया होने के कारण लोगों के पास में बहुत कम जमीन है। इसमें जिन आदिवासियों के कुएं और जमीन आये हैं उनको अभी तक सरकार ने मुआवजा भी नहीं दिया है। न कोई व्यवस्था की गई कि उनको एवज में कहां जमीन दी जावेगी, क्या किया जावेगा।

सदन में कडाना के बारे में जिस तरह की बातें हुई उसी तरह की बातें इसके बारे में भी कही जाती हैं। मांडो माइन्स पर भी कम से कम चालीस ऐसे घर हैं जो बरबाद हो रहे हैं। उनके पास जमीन और कुआ भी नहीं रह गया है कई फलदार वृक्ष भी थे वे भी जा रहे हैं तो वहां पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां के उन आदिवासियों को दूसरी जगह बसाने के लिए और उनको हर तरह से मुआवजा देने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

इसके साथ साथ वहां पर कारखाना जल्दी से लगाया जावे ताकि आदिवासी लोगों का गुजारा ठीक से चल सके। वह आदिवासी इलाका है, आसपास के पन्द्रह बीस मील तक वे लोग रहते हैं। उनके पास कोई धन्धा नहीं है। डूंगरपुर जिले में आदिवासियों की यह हालत है कि लड़के मैट्रिक पास हैं। एस० टी० सी० पास हैं पर उनको किसी प्रकार का धन्धा और उद्योग नहीं मिल रहा है। इसलिए वे मारे मारे घूम रहे हैं और अपने घर पर बैठे हुए हैं वहां पर सरकार चाहे तो कई कारखाने

(श्री महेन्द्रकुमार)

लगा सकती है, इतनी गुंजाइश है ऐसी मेरी मान्यता है। डूंगरपुर में सोप-स्टोन के कारखाने भी लगाये जा सकते हैं। कपास अच्छा पैदा होता है। गन्ना भी काफी होता है। अदरक अच्छी पैदा होती है तो इससे संबंधित कोई न कोई कारखाना और उद्योग वहां लगाया जा सकता है। ऐसे घन्धे वहां खोले जाएं जिनमें दस हजार करीब आदिवासी लोगों को सालाना परमानेन्ट ढंग से काम मिल सके।

डूंगरपुर जिले में जो जल-प्रदाय योजना है उसमें भी घोटाला है। तीन चार साल से अकाल कहतसाली होने से तालाब में भी पानी नहीं रह गया है। नदी-नाले भी सूख गये हैं। कुओं में भी कमी आ गई है। इस कारण डूंगरपुर शहर की बड़ी दुर्दशा हो रही है। गोपसागर तालाब में पानी बिलकुल गन्दा है और फिर इसी में पशु पानी पीते हैं और मनुष्य भी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह विभाग किस तरह से लोगों को यह पानी पिलाता है।

दूसरी योजना चल रही है पारड़ी का तालाब से। डूंगरपुर शहर तक पाइप लाइन लगा दी गई थी पर उस पानी का उपयोग नहीं हो पाया। लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। मैंने यह सुना है कि उस लाइन के अन्दर जहां पाइप जुड़ते हैं वहां शीशे से नहीं जोड़ा गया। उसे बाजार में बेच दिया गया। इसलिये पानी बीच में ही रह गया। शहर तक नहीं पहुंच पाया। जहां इस तरह की गलतियां इन्जीनियर और ओवरसियरों ने की हों वहां सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उस विभाग के मन्त्रीजी नहीं हैं, अधिकारी क्या करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बैठे तो हैं।

श्री नत्थीसिंह : पानी के मन्त्री आप नहीं हैं। ये तो परिवार नियोजन के हैं। हनुमान चालीसा हैं पानी के मन्त्री तो।

श्री महेन्द्रकुमार : तो डूंगरपुर के लोगों की हालत यह हो गई कि 2-3 दिन तक पीने का पानी नहीं मिला। पहले वाली योजना खतम हो गई, दूसरी का यह हाल हुआ। इसमें पता नहीं कितने लाख रुपये खर्च हुए। पर वह तो खटाई में पड़ गई। अब सरकार दूसरी योजना बना रही है, फिर से आठ नौ लाख रुपया खर्च करके पानी लाने की सोच रही है। पता नहीं वह भी पूरी होगी या उसी तरह रहेगी। मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि डूंगरपुर शहर को शुद्ध पानी मिले इस तरह का प्रयत्न सरकार की तरफ से होना चाहिए।

इसके अलावा, हमारे वहां कुछ गांव हैं जिनके अन्दर योजना सरकार ने बनाई है तो सभापति महोदय, कई जगह पाइप डाले गये हैं, लाइन डाल दी है पर अभी तक वहां कोई काम चालू नहीं हुआ। लोग कनेक्शन लेने को तैयार हैं। कहा यह जाता है कि चूंकि तुम्हारी यह योजना घाटे में चलेगी इसलिए यह काम चल नहीं रहा है। वहां के लोगों ने पांच पांच साल से रुपया जमा करा रखा है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। कल मुहर्रम की छुट्टी है। हाउस की बैठक नहीं होगी और 22।23 की फिर होली आ गई है। माननीय

Page No 134

(श्री श्रवणलाल)

सदस्यों को होली के अवसर पर अपने अपने घर जाना है ऐसी स्थिति में 20/21 की भी छुट्टी हो जाय तो ठीक है ।

श्री सभापति : मैं समझ गया आपकी बात । आप बिराजिये । यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : ये हाउस की भावना व्यक्त करते हैं । होली जो बड़ा शुभ पर्व है समय पर घर पर नहीं पहुंच पावेंगे इसलिए आपसे यह चाहते हैं कि ऐसा हो जाय, लिख कर भी दर्खास्त ी है । सबकी दर्खास्त है । हम चाहते हैं ।

श्री सभापति : इस पर बाद में कन्सीडर कर लिया जावेगा ।

श्री नत्थीसिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है मैंने बहुत बार कहा है कि दो चार मन्त्री तो ऐसे हैं जिनकी मन्त्रि मण्डल में वकत है पर वे इतने चन्ट हैं, मैं जान बूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि विभागों पर पूरी तरह से बहस न होने पाये इसलिये नसे कहकर छुट्टी करवा ली जाय ।

श्री सभापति : यह किसी भी प्रकार से व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री नत्थीसिंह : पूरी बात सुन सभापति महोदय । अभी अभी विदित हुआ है । जोशीजी महाराज की इण्डस्ट्री विभाग की सारी बहस आधी से ज्यादा हो चुकी है । यह भी लापरवाही का डिपार्टमेंट है । मूलचन्द जी डागा को छुट्टी में जाने की जरूरत है । पूरी बहस में काम आवे आपका दिमाग इसलिये दिमाग को अभी बन्द कर दिया जावे । कल भी शिक्षा के खिलाफ कहा था । 11 । । बजे तक बैठे हैं दिमाग को परेशान करते हैं और सब कुछ मेटीरियल चलते हुए हाउस में जानबूझ कर बाद में देर से देते हैं ताकि साफ तौर से पूरी बहस न हो । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सरकार को ताड़ना दी जावे कि इस तरह की गलती न करे । समय पर यह सामग्री मिलनी चाहिए । दो दिन पहले मिलनी चाहिए और 24 घंटे पहले दे ही दी जानी चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को ऐसी ताड़ना दे दी जानी चाहिये कि आयन्दा यह गलती दुहरायी न जावे ।

श्री सभापति : महेन्द्रकुमारजी आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री श्रवणलाल : इस पर व्यवस्था जरूर दी जानी चाहिए अगर यही परम्परा चली तो.....

श्री सभापति : यह आपके लिये चिन्ता का विषय नहीं है । आप चिन्ता न करें । आप बिराजिये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक व्यवस्था का प्रश्न है मेडीकल एन्ड हैल्थ विभाग ने प्रगति की रिपोर्ट नहीं दी है ।

एक माननीय सदस्य : दे दी ।

श्री सभापति : आप नहीं होंगे यहां पर । पान खाने पधार गये होंगे ।

श्री महेन्द्रकुमार : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को यह निवेदन कर रहा था डूंगरपुर शहर के अलावा कुछ दूसरे बड़े बड़े गांव हैं वहां पर जल-दाय योजना

(श्री महेन्द्रकुमार)

चलाई गई है जो 10-15 वर्षों से पूरी नहीं हो पाई है। उनमें कुछ गांव सीमलवाड़ा, पाड़वा, बनकोड़ा, साबला, उन गांवों के लोगों ने अपना पैसा जमा करा दिया लेकिन सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की ह और उन गांवों के अन्दर कई जगह पाइप ला न डाल दी इससे आने-जाने में और भी कठिनाई हो गई। किसानों को अपनी बैलगाड़ी ले जाने लाने में दिक्कत हो रही है और योजना पूरी नहीं हो रही, अधूरी पड़ी है।

सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता ह शहरों के अन्दर कई तरह की योजना चलती हैं, शहर के लोगों से पैसे नहीं लिये जाते हैं और योजना पूरी हो जाती है। लेकिन गांव के लोग गरीब हैं, खेतीबाड़ी करते हैं उनकी कोई भी योजना—सड़क बनानी हो तो, भवन बनाना हो तो कहते हैं पहले पैसे जमा कराओ बाद में तुम्हारी योजना हाथ में लेंगे। सभापति महोदय, लोगों के पैसे जमा कराने पर भी 5-5 साल से योजनायें अधूरी पड़ी हैं—पता नहीं ये कब पूरी होंगी इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ये योजनायें

(घंटी)

जल्दी से जल्दी पूरी हो जानी चाहिएं। अब सभापति महोदय, मैं चिकित्सा के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे डूंगरपुर शहर के अन्दर एक जनरल अस्पताल है, उस अस्पताल की यह हालत है कि वहां पर लोगों को कोई दवा नहीं मिलती है। गरीब किसान 10-15 मील से चल कर आते हैं किन्तु वहां पर भरती नहीं किया जाता है। उनको देखते तक नहीं हैं—दो-तीन दिन तक पड़े रहते हैं। कई लोग आते-आते मर जाते हैं। कई लोग होटलों में मर जाते हैं। गरीबों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। अस्पताल में दवा की व्यवस्था नहीं है। लोगों को पट्टी बांधने तक को नहीं है और यहां तक सी०एम०ओ० कह देते हैं कि बाजार से पट्टी ले आवें हम बांध देंगे। सभापति महोदय, आदिवासी गरीबों के प्रति कितना बड़ा अन्याय है। अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घंटी)

उसमें डॉक्टर नहीं है, दवायें नहीं हैं सारी अव्यवस्था है। कई जगह डिस्पेन्सरी हैं उनमें भी दवा की व्यवस्था नहीं है। इस तरह की कोई डिस्पेन्सरी नहीं है जिसमें अव्यवस्था न हो। इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि डामरी और अहाड़ के लोगों ने पांच हजार रुपये प्राथमिक हैल्थ सेन्टर के लिये जमा कराये थे उस बात को 10 वर्ष हो गये लेकिन सरकार ने वह पैसा वापिस नहीं लौटाया है और न कोई व्यवस्था की है तो सभापति महोदय, इस तरह की जितनी अव्यवस्था गरीबों के साथ करते हैं उतनी आप किसी के साथ नहीं करते।

श्री सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री महेन्द्रकुमार : सभापति महोदय, हमारे यहां कई आयुर्वेद औषधालय भी चलते हैं। गांव के अन्दर आयुर्वेद औषधालय से गरीबों को काफी फायदा मिलता है क्योंकि सस्ती दवा मिलती है इसलिये उनके पास पैसे नहीं होने से आयुर्वेद औषधालय में पहुंचते हैं लेकिन दुख की बात है वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था भी आप गांव वालों

(श्री महेन्द्र कुमार)

के लिए नहीं दे सके हैं। वैद्य स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। सभापति महोदय, वहां का स्टाफ ज्यादातर सीकर झुन्झुनूं की तरफ का है वे छुट्टी लेकर एक-एक, दो-दो महीने घर चले जाते हैं। गांव वालों की कोई सुनवाई नहीं है। आयुर्वेद विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अव्यवस्था है....

श्री सभापति : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री महेन्द्रकुमार : कई जगह नई व्यवस्था......

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री महेन्द्रकुमार : आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा वहां पर जितने औषधालय हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाय और वहां ज्यादा औषधालय खोले जायं।

श्री सभापति : श्री भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी (जोधपुर) : सभापति महोदय आज मैं आपके सम्मुख चिकित्सा पर विचार प्रकट करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री महोदय ने मेडिकल मेन्यूफेक्चरिंग एसोसियेशन में यह चिन्ता प्रकट की कि दवाओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं इस वास्ते दवाओं की कीमतों में कमी होनी चाहिए। चिन्ता प्रकट करने से कोई बात हल होती नहीं है। हमारे सब मंत्री महोदय चिन्ता प्रकट करते हैं, मंहगाई बढ़ती जा रही है, खाना, कपड़ा सबमें मंहगाई बढ़ गई तो दवा में भी मंहगाई रहेगी, इसकी कीमत घटाई नहीं जा सकती है। अभी वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह सुझाव दिया था कि जिला स्तर पर 150 बैड्स होंगे जहां 8 लाख की पापुलेशन हो और जहां 8 लाख से कम पापुलेशन हो तो 100 बैड्स होंगे। यह घोषणा मेरे ख्याल से उचित है। सिर्फ भवन बनाने से गरीबों की समस्या हल नहीं होती है। बैड्स की बढ़ोत्तरी के साथ नर्सिंग स्टाफ, फोर्थ ग्रेड स्टाफ बजट में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। उन्होंने यह भाषण दिया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आदिवासी लोग हैं उनके लिए 150 बैड्स रखे जायं। मुझे यह ताज्जुब होता है आदिवासी लोग क्या ज्यादा बीमार पड़ते हैं खैर, उनका कहना है? मेरा तो कहना यह है कि एक समाजवादी सरकार को कि उनकी दवाइयां के लिए रिएमबर्समेन्ट की सुविधा का प्रावधान रखा जाता तो एक उचित बात थी। गरीबों के लिए यह बहुत आवश्यक है।

अब जो जिला स्तर पर शफाखाने हैं उनका मैंने पहले भी सुझाव दिया था पर हमारे मंत्रीगण चाहे वे आज ही चिकित्सा मंत्री बनें हों वे सर्वज्ञाता हो जाते हैं। वे समझते हैं हम मेडिसिन में परिपूर्ण हैं। दुःख है वे इस बात की ए, बी, सी, भी नहीं जानते हैं और दखलबाजी करना शुरू कर देते हैं। एक विजीटिंग होस्पिटल कमेटी थी, क्योंकि इनकी तो भाषण देने की आदत है कहा गया एक नई समिति बनाई जाय जिसमें जनता से ज्यादा पैसा लिया जाय और अस्पताल बनाये जायं। तीसरे जो आश्वासन यहां देते है वे परिपूर्ण नहीं होते। मुझे याद है पहले सत्र में मैंने जोधपुर के महात्मा गान्धी अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर गैलेरी की रिक्वेस्ट की थी उन्होंने आश्वासन दिया था बन जायगी। आज तीन साल होते आये वहां कुछ भी नहीं बनाया गया। गत सत्र में जोधपुर में आपरेशन

(श्री ओमदत्त भाटी)

मशीन के लिए एक आश्वासन दिया था और कहा था 60 हजार मंजूर कर दिये हैं दुःख है 60 पैसे भी नहीं दिये गये। अभी हमारे सुमित्रा जी जो चिकित्सा मंत्री हैं जवाब दे रही थीं महात्मा गान्धी अस्पताल में मैंने पानी की समस्या का प्रश्न उठाया था तो बताया गया पानी की टंकी बनना शुरू हो गया लेकिन पानी की टंकी छोड़कर वहां एक पत्थर भी अभी नहीं डाला गया है। दुःख की बात है आश्वासन देना तो इनका स्वभाव पड़ गया है, यहां जो सत्र में आश्वासन दिये जाते हैं वे परिपूर्ण होने चाहिए नहीं तो असत्य आश्वासन नहीं देने चाहिए।

अब हॉस्पिटल कैसे डेवलप किया जावे। मैंने पहले ही कह दिया कि चिकित्सा मंत्री तो परिपूर्ण हैं वह सुझाव ले ही क्यों। वहां हॉस्पिटल में बैड्स को बढ़ा दें, वहां ऑपरेशन करने के साधन नहीं, सर्जन नहीं, एनेस्थेटिस्ट नहीं, एक्सरे मशीन है तो फिल्म्स नहीं, लेबोरेटरी टैक्नीशियन्स नहीं। तो एनेस्थेटिस्ट का होना, सर्जन का होना, लेबोरेटरी टैक्नीशियन का होना, एक्सरे फिल्म व एक्सरे टैक्नीशियन्स का होना बहुत जरूरी है नहीं तो वह लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते और न बीमार को उचित दवा ही दे सकते हैं।

अब मैं मेडिकल कॉलेज के हास्पिटल हैं जो 'ए' क्लास हास्पिटल हैं उनमें ब्लड बैंक की बहुत ही कमी है। हमारे मंत्री महोदय ने लास्ट ईयर घोषणा की थी कि सेन्टर से 60 हजार या 80 हजार रुपया मिला है और इससे ब्लड बैंक डेवलप किया जायेगा लेकिन मैं कहता हूं कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर में भी ब्लड बैंक का साधन ठीक नहीं है। मद्रास के बेचारे गरीब लोग आते हैं और वे ही खून देते हैं। क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जाता? बॉम्बे में खून कहां से आता है, दिल्ली में कहां से आता है? लेकिन प्रचार की कमी है। जितना आप प्रचार दूसरे कामों में करते हैं तो इस ब्लड बैंक का भी प्रचार करें तो देश की बड़ी सेवा करेंगे।

अब मैं समाजवादी सरकार से कहना चाहता हूं और कुछ आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि गरीब आदमियों को आउटडोर में कितना पैसा प्रति दिन दवाई पर मिलता है। मैं कुछ आंकड़े लाया हूं जो कि जोधपुर के हैं। वह इस प्रकार हैं:–

डिस्पेन्सरी का नाम	वार्षिक बजट 1968	कुल रोगी वार्षिक सं०	प्रतिदिन प्रति रोगी व्यय
	रुपया	पैसे	
1. सूरसागर	1500	23725	6
2. मन्डोर	1500	32365	5
3. महिला बाग	8000	167900	5
4. पावटा	6000	121910	5
5. नव चौकियां	8000	143242	5

मैं इसका जवाब चिकित्सा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 5 पैसा जो कि प्रति बीमार आता है शायद छोटे जन्मते बच्चे को दवाई मिल सकती है लेकिन एडल्ट को इससे दवा नहीं मिल सकती। 5 पैसे में कोई दवा प्राप्त नहीं होती है। उसमें स्प्रिट है, डिटोल है, साबुन है वह भी इसमें शामिल है। अब आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, कि 5 पैसे या तीन-चार पैसे में कौनसी दवा मिलती है? इस समाजवादी सरकार से पूछिये। आप ताज्जुब करेंगे आप भी जानते हैं और मैं भी

(श्री ओमदत्त भाटी)

जानता हूं, हम उनके प्रतिनिधि, यह मंत्री महोदय जिनकोयहां से दवाइयों का रि-एम्बर्स हो जाय, सरकार के नौकरों को रि-एम्बर्स हो जाय और हमारे मंत्री महोदय का इलाज होता है वह दिल्ली चले जायें या बॉम्बे चलें जायें या देश, प्रदेश और विदेश में चले जायें इनका इलाज हो जाये और गरीब जनता, मजदूर लोग, किसान लोगों का इलाज यहां भी नहीं है। एक बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी शायद हमारे चिकित्सा मंत्री तो इतना समाजवाद का नारा नहीं लगाते हैं, लेकिन वित्त मंत्री समाजवाद का बहुत नारा लगाते हैं और जबकि वह समाजवाद से कोसों दूर हैं। समाजवाद के नाम से ही लोगों को गुमराह करना है। आप अपना विदेशों में इलाज करायेंगे और गरीब जनता का यहां भी इलाज नहीं होगा? क्या यही आपका समाजवाद है? मेरा सुझाव है कि जो दवाइयों का बजट है उसमें पांच-छः गुना की बढ़ोत्तरी करें नहीं तो इनका इलाज नहीं हो सकता। 5 पैसे में आप ताज्जुब करेंगे कि सल्फाडाइजिन की गोली नहीं मिलती, एन्ट्रोवायोफार्म की गोली नहीं मिलती है। 25 पैसे की एक पट्टी आती है और उसके चार टुकड़े भी करें तो 6 पैसे होते हैं। उसमें आइन्टमेन्ट भी होगा वह भी अलग होगा। कहने का मतलब यह है कि दवाइयों में आप बजट को बढ़ाइये बिना इसके इलाज नहीं होगा। डॉक्टरों के बढ़ाने से इलाज नहीं होगा और भवनों के बनाने से इलाज नहीं होगा।

दूसरे इस संबंध में मैं आयुर्वेद विभाग को भी चेतावनी देता हूं और कहता हूं कि अगर आयुर्वेद को आप बढ़ाना चाहें तो यह इन्जेक्शन लगाते हैं या एन्टीबायोटिक या ड्रग्स काम में लेते हैं उनको बन्द आप कराइये। क्योंकि अब अंग्रेजी दवाइयां काम में लाते हैं तो देशी दवाइयों में लोगों का विश्वास नहीं रहता। तो मैं तो आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट के हित में कहता हूं कि इन्जेक्शन को और ड्रग्स को और एन्टीबायोटिक्स को बन्द कर देना चाहिए। अगर अलाउ करते हैं तो 6 महीने की ट्रेनिंग दो। इसके बाद हमें कोई एतराज नहीं है।

अब मैं जोधपुर की समस्याओं के बारे में कहूंगा कि वित्त मंत्रीजी जोधपुर में इस साल से इन्ट्रेरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वह तालाब बनाने में लें, बाग बनाने में लें या स्वीमिंग पूल बनाने में लें। पानी तो है नहीं, और उनका मालूम होता है दिमाग फिरा हुआ है या क्या है? उन्होंने स्वीमिंग पूल के लिए 5 लाख रुपया दिया है। वह ठीक दस वर्ष के बाद काम में आयेगा और उसको हमारे पोते, पड़पोते काम में लेंगे।

अब महात्मा गांधी हॉस्पिटल के बारे में जो उपेक्षा बरती जा रही है वह मैंने कई बार अखबारों में भी दी है और मैं सुझाव दूंगा कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो कि उत्तर भारत में सबसे बढ़िया हास्पिटल था उसको आपने बहुत नीचे गिराया है। पहला सुझाव मेरा यह है कि मरीजों की भीड़ को देखते हुए अकाल पीड़ित साधन विहीन लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा देने के लिए 300 शैय्या अति शीघ्र बढाई जायें। उस हेतु नया भवन निर्माण किया जाये। एक नया अस्पताल आज के दिन की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा जयपुर में भी महिलाओं के लिए हास्पिटल बन रहा है। महात्मा गांधी

(श्री ओमदत्त भाटी)

अस्पताल का बजट अतिशीघ्र 50 प्रतिशत बढ़ाया जाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आउटडोर ब्लाक अलग बनाया जाये । तीन शल्य कक्ष बढ़ाये जायें व अन्य साधन उस अनुपात में बढ़ाये जायें। इनके साथ विद्यार्थियों के लिए दर्शक गैलेरी बनाई जाये ।......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अखबार में से पढ़ रहे हैं ?

श्री ओमदत्त भाटी : अखबार है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अखबार में निकला है या क्या है ?

श्री ओमदत्त भाटी : यह हमारी स्टेटिस्टिक्स हैं । आपके पास अखबार आता है पर आपके पास टाइम नहीं है ।

दो एच०पी० स्टर्लाइजर्स या दो बॉईलर स्टर्लाइजर और बढ़ाये जायें व इनके लिए एक शल्य-कक्ष से अलग स्थान बनाया जाये । पैथोलॉजिकल लेबोरेट्री वर्तमान समय में बिलकुल अपर्याप्त है, उसका विस्तार कर उसे आधुनिक साधनों से सम्पन्न किया जाये । शहर के मध्य स्थित महिला बाग अस्पताल को विकसित तथा क्रमोन्नत किया जाये तथा वहां पर भी एक्सरे सेट, आपरेशन कक्ष व लेबोरेट्री बनाई जाये । वहां भी एम०डी० व एम०एस० डाक्टर रखे जायें । गांधी अस्पताल का भार कम करने के लिए कई अन्य स्थानों में डिस्पेन्सरियां बनाई जाये जैसे सरदारपुरा, रातानाड़ा, सूरसागर, मन्डोर इत्यादि । वहां पर डॉक्टर व मेटरनिटी वार्ड भी हों । नर्सेस होस्टल के ऊपर मकान बनाकर विस्तार किया जाये । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विस्तार किया जाये जिससे सफाई व मरीजों की समुचित देखभाल हो सके ।

(4 म० प०)

मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिये...

श्री हरिदेव जोशी : यह आप दे दें पढ़ लेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पढ़ने का टाईम नहीं है आप कभी पढ़ेंगे नहीं । दूसरे सदस्य ही नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे ?

श्री सभापति : आपका भाषण समाप्त करें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अखबार असेम्बली में नहीं पढ़ा जाता है ।

श्री नरपतसिंह : अखबार नहीं मांगपत्र है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : थोड़ा सा कोट करके बताया है ।

श्री ओमदत्त भाटी : आपको स्टेटमेंट देते हैं तो पढ़ते नहीं हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने सुझाव दिया है इसके बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय ।

अब दूसरा टी० बी० हॉस्पिटल जोधपुर में है । उसको दो साल बने हुए हो गये हैं । सभापति महोदय, टी० बी० हॉस्पिटल के बारे में आपको ताज्जुब होगा जब एक बात सुनेंगे कि टी० बी० हॉस्पिटल के लिए फण्ड बनाया गया था तो उसमें सात लाख रुपये इकट्ठा किया गया था मारवाड़ की तरफ से। उसमें साढ़े तीन लाख तो हमारे वित्त

Page No 140

(श्री ओमदत्त भाटी)

मंत्रीजी कौल साहब ले गये अजमेर के लिए और साढ़े तीन लाख का भवन बना है, लेकिन दो वर्ष पहले वह मेडिकल कॉलेज के नाम काम आता था और अब खाली पड़ा है। उसका वहां पर कोई बजट नहीं है इस वास्ते इस हॉस्पिटल को शुरु करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : विराजें।

श्री ओमदत्त भाटी : ठहरिये, ठहरिये, बिराजें क्या ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य का समय हो चुका है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जरा बुजुर्गों का तो ख्याल रहे।

श्री ओमदत्त भाटी : सभापति महोदय, जानते हैं कि घण्टी बजती है तो वह भी नहीं बैठते हैं (हंसी)...

श्री सभापति : सभापति को बैठाने के लिए कोई घण्टी नहीं बजा करती है।

एक माननीय सदस्य : सभापति नहीं विजयसिंहजी नहीं बैठते हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : वहां पर हॉस्पिटल रिव्यू (Review) कमेटी बनाई जाय जिससे कि उनको पता पड़े कि कहां पर कठिनाइयां हैं, कितनी दवाइयें कम हैं। उसके पहले भी बनी थी। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे। मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से दवाइयां बढ़ायें दवाइयां नहीं बढ़ायेंगे तो पछतायेंगे। आपका समाजवाद का झूठा नारा चलने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : पर्याप्त हो चुका है।

श्री ओमदत्त भाटी : हमारे डी० एम० एच० एस० एक्सपीरियन्सड आदमी हैं उनसे राय लें। मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि व डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में न पड़ें कि इस डॉक्टर की बदली कर दी या उस कम्पाउन्डर की बदली कर दी। अगर काम करवाना है तो डाइरेक्टर को ऑर्डर दें। डाईरेक्टर गलती करे तो आप एन्क्वायरी करायें, मगर आप इस झगड़े में न पड़ें। मंत्री रहते हुए आपको बहुत टाइम हो गया है। अब तो आपको तृप्ति हो गई होगी। राजस्थान का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना है तो डी० एम० एच० एस० या डाइरेक्टर को अधिक पावर दें और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने दें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय श्री गोकुलप्रसादजी ! (श्री दिग्विजयसिंह के खड़े होने पर) एक इधर से और एक उधर से, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, उद्योगों के विषय में मुझे कुछ कहना है। राजस्थान में उद्योगों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। जब जब राजस्थान सरकार ने कोई कटौती की है उद्योग विभाग में सबसे ज्यादा कटौती की है, और उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि राजस्थान सरकार यह समझ चुकी है कि राजस्थान में अब उद्योगों की आवश्यकता नहीं है और इस खर्चे को जितना कम किया जाय उसको वह कर दे। उद्योगों के अभाव में इतनी बड़ी बेकारी फैल रही है कि जो महनतकश लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं, जिनके पास में सरमाया नहीं है कारबार करने का, जमीन

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

खरीदने का, पशुपालन करने का वे लोग दैनिक मजदूरी पर निर्भर करते है, और दैनिक मजदूरी तभी मिल सकती है जबकि उद्योग पनपें। छोटे उद्योग भी राजस्थान में थे वे कम कर दिये गये हैं। जयपुर शहर का उद्योग के लिये बड़ा नाम रहा है, बीकानेर और जोधपुर में भी उद्योगों की कमी नहीं थी, छोटे उद्योगों की, लेकिन इन वर्षों में वे उद्योग कम हुए हैं। लुहारी का काम जितने करने वाले थे जगह जगह पर लोहे के कोटे का सेन्ट्रेलाइज किया गया और बड़ी बड़ी कम्पनियों को लोहे का कोटा दिया गया गृह उद्योग के नाम से। शहरों में गृह उद्योग फैलाना चाहिये जिनमें छोटे आदमी काम करें, अपने खुद के हाथों से काम करें, लेकिन उनकी सफाई कर दी गई लोहे का कोटा छोटों को नहीं मिला...

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): यह है समाजवाद।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: थोड़ा सा कुड़ीजी धीरज रखें। नागौर वालों को सबसे ज्यादा कोटा मिला है। मैं अभी निवेदन करता हूं कि जो कुछ भी लोहा आया है उसमें निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण कार्य हुए हैं जैसा कि बीच में बोले रामसिंहजी कुड़ी तो इन महोदय से मैं पूछना चाहता हूं और इनकी जानकारी के लिए कह दूं कि बीकानेर में सबसे ज्यादा लुहार हैं लेकिन कोटा ज्यादा नागौर वालों को मिला है और बीकानेर में कुछ कोटा नहीं मिला है, या यों कहिये कि नागौर वाले ले गये। राजनैतिक दृष्टि से नागौर वाले बलवान थे इसलिये बीकानेर में 500 लुहार होते हुए भी नागौर के लोग ले जायं? मैं यह कहता हूं कि वह नागौर के लिए पर्याप्त नहीं है। बड़ी बड़ी कम्पनियां क्या करती हैं, बड़े बड़े कोटा लेकर उनको खुले ब्लेक मार्केट में बेच देती हैं, और उन लुहारों को कच्चा माल लाने के लिए उनकी दया पर छोड़ दिया जाता है।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, हाथी दांत का काम करने वाले 200 घर बीकानेर में हैं। वहां पर सबसे ज्यादा हैं। हाथी दांत का काम वहां के लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा करते हैं, परन्तु कोटा पाली में मिलता है। एक जगह के सिवाय और कहीं नहीं मिलता है। तो पाली के लोगों को दुगुने दाम देकर ले जाते हैं। इसलिये आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक जगह मोनोपोलाइज्ड कर दिया है उद्योग विभाग में। उद्योग विभाग का एक ही काम रह गया कि खर्चे में कमी करें और लाइसेन्स देने के सिवाय और काम कोई उनके पास बाकी नहीं है। 50 लाख जो आदमी रहते हैं शहरों में जिनके पास जमीन नहीं है, वे खेती नहीं करते हैं, कारोबार करने के लिये पैसा नहीं है और सरमायेदार नहीं है कि व्यापार कर सकें और व्यापार भी उनसे ये लोग छीन लेते हैं, उनका काम छीन लेते हैं। राजस्थान सरकार का एक नौकर जिन दिनों 50-60 पाता था उस समय मिनिमम वेज ढाई रुपया बनाई गई, 2 रु० साढे पांच आना बनाई गई, और आज भी वही मिनिमम वेज है जो कि 55-56 में मिनिमम वेज थी, 62 में थी और 69 में भी शहर के लोगों के काम करने के लिये वही मिनिमम वेज मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। उनकी आय तो बढ़ी नहीं, पैसा उनके पास नहीं और काम करने के लिए पूंजी नहीं है और जहां कोटा मिलता है सरकार उसको एक जगह कर देती है। उससे क्या होता है कि अब जैसे कि आज लोगों में बेकारी बढ़ती जा रही है,

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

असन्तोष लोगों में है। लुहारी का काम करने वाले लोग इतनी ज्यादा तादाद में अलग अलग जगहों पर जोधपुर और बीकानेर के शहरों में लोग है लेकिन कोटा मिलेगा बड़े कारखाने वालों को। कहते हैं तो कहा जाता है कि कोटा सेन्ट्रल गवर्नमेंट कायम करती है, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट राजस्थान में रहने वाले कारीगर, मेहनतकश लोगों की रोटी छीनकर बड़े लोगों को क्यों देती है? क्या बड़े लोगों को ज्यादा काम मिलेगा? बड़े कारखाने वाले तो मैं समझता हूं कि ज्यादा कीमत से सामान लेकर मशीन के द्वारा काम करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करकर काम चला सकते हैं लेकिन छोटे आदमी इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसी बजट में माथुर साहब ने यह फर्माया था कि साबुन का गृह उद्योग के काम करने वाले जो लोग है वे उसमें हाथ से काम करेंगे तो उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया बात है। इससे हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं उनको सामान देंगे तभी तो सेल्स टैक्स लगेगा। कोटा का सामान देंगे तो लीवर ब्रदर्स को, टाटा कम्पनी को। जब उनके लिए साबुन बनाने का सामान रहेगा नहीं तो सेल्स टैक्स लेंगे ही नहीं। साबुन बनेगा तभी तो सेल्स टैक्स लगेगा। बनाने के लिए सामान कहां से मिलेगा?

राजस्थान सरकार ने विकास का बहुत कार्य किया है। अभी हरित क्रान्ति के नाम पर पता नहीं कितने करोड़ रुपये खर्च होंगे? राजस्थान कैनाल पर पैसा खर्च किया है, भाखरा बांध पर किया है, लेकिन उद्योगों के बारे में सोई हुई है। प्रजातन्त्र में पॉवर पोलिटिक्स चलती है। वह राजस्थान सरकार यह समझती है ज्यादा तादाद से लोग गांवों से चुनकर आते हैं तो खेती की बात करते हैं। खेती करने वाले कुछ सम्पन्न लोग हैं। उनकी जगह अगर गांव में गरीब मजदूर लोग हैं जो काम करते हैं कुम्हारी का, छपाई का काम करते हैं तो उनकी परवाह मत करो और इन कुम्हार और छपाई करने वाले इन लोगों के हाथ से छीनो यह स्थिति नहीं चलने वाली है ज्यादा दिनों तक। आज आपको मेहनतकश आदमियों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आपने किसलिए इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आप बड़ी बड़ी योजना बनाते है। आपके पास में तीन हजार, चार, पांच हजार पाने वाले बहुत लोग हैं। कभी इस सम्बन्ध में तय किया है, आपने कभी कमेटी बनाई है ताकि लाखों आदमियों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाय। आप कहेंगे कि इनके लिए क्या किया जाय? उनको परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाय—यह किया जाय। पब्लिक ने जब आपकी सरकार बनाई है तो आपको उसके संबंध में तय करना पड़ेगा आज शहर के तीस लाख, चालीस लाख मजदूर इधर उधर मजदूरी की तलाश में फिरते रहते हैं। वह लोग किराये के मकान में रहते हैं। मजदूरी नहीं मिलने के कारण वह किराया नहीं चुका पाते हैं। उसके बावजूद आप उनको झोंपड़ी में रहने नहीं देते हैं गांवों के लोग झोंपड़ी में रहते हैं उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें निःशुल्क जमीन दी जायगी। जिसके पास भी पन्द्रह बीघा जमीन है उसको निःशुल्क जमीन दी जायगी। हम कहते हैं कि आप निःशुल्क जमीन मजदूरों को भी दीजिये जो शहरों में मजदूर रहते हैं उनके लिए आप शहरों में अकाल राहत कार्य खोल दें तो उसमें लाखों आदमी आ जायेंगे। आज शहरों में जो ऊंची ऊंची अट्टालिकायें दिखती हैं वह तो कुछ

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लोगों की है मेरा निवेदन है कि आप उनका राष्ट्रीयकरण कर लीजिये, सारे मकानों का नेशनलाइजेशन कर लीजिये उसके साथ ही साथ जो अर्बन एरिया में जितनी सम्पत्ति है उसके ऊपर सीलिंग कर दीजिये तो शहर के लोग दिवाली मनायेंगे। आज शहरों में रहने वाले लोगों में से 90 प्रतिशत लोग दुःखी हैं। कुछ लोग ऑफिसर हैं वह सम्पन्न बन गये हैं। उनके अलावा कुछ लोग व्यापारी और सेठ हैं जिन्होंने ब्लेक मार्केट करके पैसा खाया है नहीं तो अधिकतर शहर के लोग दुःखी हैं। लेकिन आप जैसे शहर के लोगों को महात्मा मानते हैं...

श्री आलम अली: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप तो रसगुल्ले खाओ, गरीब की आप क्या बात जानते हो ? आप तो रसगुल्ले खाने वाले हो, लोगों को दिखाने के वास्ते गरीब लोगों की बात कहना चाहते हो।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आलम अली तुम्हें पता नहीं है बीच बीच में भोंपू की तरह बोल देते हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया: आलम अली नहीं, माननीय आलम अली जी !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: जी कहा, जी माननीय से कम नहीं है। जी निकल रहा है आपका...

श्री आलम अली: जी जल्दी निकल जायगा, चिन्ता मत करो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: रसगुल्ले की बात आई तो मैं बता दूं कि जो बीकानेर में दूध का धन्धा करने वाले लोग हैं, उनके दूध से रसगुल्ले बन कर बीकानेर के बाहर नहीं जायेंगे तो यह लोग भूखें मर जायेंगे। आप तो दुश्मन हैं गरीब लोगों के...

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: वहां पर डेढ़ रुपये किलो दूध बिकता है...

श्री अवणलाल: बीकानेर का दूध तो दिल्ली और जयपुर में आता है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: वहां डेढ़ रुपये किलो दूध बिकता है फिर भी बीकानेर में जो रस गुल्ले बनते हैं वह हिन्दुस्तान के कौने कौने में जाते हैं। इसके अलावा वहां पर जो भुजिये बनते हैं उनसे वहां और दूसरी जगह लोगों को रोजगार मिलता है। अगर वहां के लोग रसगुल्ले और भुजिये बना कर अपना पेट पाल लेते हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है....

श्री सभापति: आप आरम्भ रखिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैं निवेदन कर रहा हूं कि उद्योग विभाग की एक कमेटी मुकर्रर करनी चाहिए जो विशेष रूप से यह देखे कि शहरों में जो बेरोजगार रहते हैं उनको रोजगार किस प्रकार से दिलाया जा सकता है उनको रोजगार देने की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि न तो उनको आप जमीन दे सकते हैं और न उनके पास इतना पैसा है कि वह पशु पालन करके अपना कारोबार कर सकें। उनके पास कारोबार करने के लिए धन नहीं है, इसलिए उनको रोजगार कहीं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

न कहीं दिया जाय। इसके लिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े उद्योग क्यों नहीं खोले जायं? राजस्थान के शहरों में आप बड़े बड़े उद्योग क्यों नहीं खोलें? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग विभाग के लिए जो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा उद्योगों के लिए रखा गया था उसका आधे से ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ है और बाकी का पैसा लेप्स हो गया है इससे मालूम होता है कि यहां के अधिकारियों के अन्दर सूझ बूझ नहीं है, यहां के जो विशिष्ट अधिकारी हैं वह उद्योगों के संबंध में जानने वाले लोग नहीं हैं। इस विभाग के अंदर बाहर से लाकर लोगों को बैठा दिया गया है जो कागज चलाना तो जानते हैं लेकिन उद्योग कैसे चलाये जायं-यह नहीं जानते हैं। इसलिए यदि आप उद्योग कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए काबिल व्यक्तियों को बैठाना पड़ेगा ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। आज जो शहरों में चालीस लाख लोग बेरोजगार हैं उनको क्योंकि आप रोजगार देने की ओर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए ही आपका शहरों में विरोध चलता है, वरना कांग्रेस का कोई विरोधी नहीं है, कोई भी किसी वाद या पद्धत्ति का विरोध नहीं करता है, लेकिन जो पार्टी कांग्रेस का विरोध करती है वह ऐसे लोगों को कब्जे में करके लाल झण्डे, पीले झण्डे के नीचे खड़ा कर देते हैं। जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं क्या उनको मकान के लिए जमीन प्राप्त करने का हक नहीं है? इसके अलावा आप लोगों को भूख के पंजे से छुड़ायें, उनको काम पर लगायें, उनको धन्धे पर लगायें तो वह कभी कांग्रेस को नहीं भूल सकते हैं। वह कांग्रेस को न आज भूलें और न कल भूलें।

इसके साथ ही मैं पानी के मामले के संबंध में कहना चाहता हूं। आज राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके हैं। उनमें आप भी लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। हजारों गांव ऐसे हैं जिनके लोगों को दस मील, पांच मील से पानी लाना पड़ता है। उन गांवों में खारे पानी के कुंए हैं। वहां पर आप पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर पाये हैं इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं, जो पार्टी राज्य करती है, लेकिन हम पीने का पानी रेगिस्तानी इलाके में नहीं दे पाये हैं यह शर्म की बात है...

श्री श्रवणलाल: चुल्लू भर पानी में डूब कर मरो।

श्री रामसिंह कड़ी: आपको शर्म नहीं आती है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मुझे आती है तब ही कहता हूं। आपको मजाक सूझी है। नागौर में चुल्लू भर पानी में मर जाने के लिए पानी नहीं था वहां पर आज नल के नल चल रहे हैं। इसलिए आप मजाक उड़ाते है उन लोगों की जो दुखी हैं।

मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता.........

श्री आलम अली: मिनिस्टरों की आंखों में पानी नहीं है। उनकी आंखों का पानी सूख गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: जनाब आलम अली, जब बोलते हो तो लगता है कि सीधा सा आदमी बोल रहा है। आपके बीच में हम

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कभी बोलते हैं ? लेकिन, हम बोलते हैं तो बीच में बकते हो, याद रखना, कभी बोले तो अब संभल जाना !

श्री आलम अली : गांव के किसानों को तो हमेशा से धोंस देते रहे हो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : धोंस नहीं, मैं निवेदन करता हूं। आप कभी बोले तो याद रखना.....

श्री सभापति : आरम्भ रखिये। संक्षेप में बोलें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, बीकानेर शहर में जो गन्दे पानी का नाला है, जिसमें चालीस लाख गैलन गन्दा पानी, मल-मूत्र बहता है उस गन्दे नाले को सरकार ने कृपा करके बांध कर शहर को गन्दगी को मिटाने की कोशिश की। पिछले बजट सेशन में मैंने निवेदन किया था कि यह जो गन्दे पानी का नाला है उसके पास सरकारी जोड़-बीड़ है, जहां सरकार की जमीन पच्चीस हजार एकड़ है, इस पानी को लेकर उस तरफ डाला जाय और वह जमीन लोगों को एलॉट की जाय तो वहां पांच सौ, एक हजार काश्तकारों को जमीन है, वह जमीन सिंचित होगी और दो सौ रुपये एक किसान से लिये गये तो उससे काफी बड़ी इन्कम म्युनिसिपल कमेटी को हो जायगी। यह मैंने कहा था और सरकार की तरफ से जवाब मिला था कि इसके ऊपर विचार करेंगे। मैंने उसके बाद में निवेदन किया कि वह म्युनिसिपल कमेटी नहीं करती है तो सरकार क्या करने जा रही है, सरकार का डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है ? आज उस नाले का सारा पानी सरमायेदार की जमीन में डाला जा रहा है और जिन किसानों की जमीन उससे सिंचित होनी है वह यों के यों रह जायेंगे। वह लोग वहां पर एक हजार वर्ष से खेती करते आ रहे हैं एक एक लोटे पानी से.....

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह हुआ कि मैला बांटे सरकार, तो सरमायेदार को बांटे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : लोटा लोटा पानी डाल कर लोग बाग साग सब्जी उसमें पैदा करते हैं। इस नाले का पानी उनकी तरफ नहीं डाला गया और उनको नहीं दिया गया तो एक हजार किसानों को नुकसान होगा, वह अपना पेट नहीं भर सकेंगे। आज वह पानी दिया किसको जा रहा है, एक सेठ को दिया जा रहा था। सरकार की तरफ से जवाब मिला था पिछली साल कि इन सदस्य को कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने गलतफहमी दूर करने के लिए कहा कि मुझे गलतफहमी नहीं है....

श्री मदन सिंह : एक घड़ा गन्दा पानी भर कर ले आयें और इनके ऊपर डाल दें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वहां पर मंत्राणी जी गई थीं और इन्होंने देखा कि वास्तव में यह ठीक बात है। पानी उधर जा रहा है और जिस सेठ की जमीन लगी हुई है इस नाले को उधर बंधवाया जा रहा है। इस सरकार का कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं लिखा हो। मुझे आश्वासन दिया गया कि ठीक करवा देंगे। लेकिन आज रात-दिन काम चलवाया जा रहा है, इस कारण कि यह पानी इधर आना कल ही बन्द होने वाला है। सेठ खड़ा रहता है अधिकारियों के साथ, उसके आदमी खड़े रहते हैं और यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस नाले को इधर जल्दी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मे जल्दी बन्धवा दें नहीं तो कोई चुगली कर देगा......

श्री भवरलाल: सेठ सेठ फर्माया। उसका नाम क्या है ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: मैं अभी बता देता हूं। बता रहा हूं आप उतावले क्यों हो रहे हैं ?

तो बीकानेर महाराजा की जमीन थी, राजमाता के नाम पर, वह रामपुरिया सेठ रतनलाल ने खरीद ली। तो इस नाले का जो हर किसान से दो सौ रुपये आमदनी वाला पानी था, उस सेठ को एक लाख, दो लाख में दे दिया, जब कि यह पानी उन किसानों को दिया जाता तो इससे म्यूनिसिपैलिटी को चार लाख की आमदनी होती और उससे बीकानेर शहर का विकास होता। लेकिन उन गरीब किसानों को नहीं देते और चौबीस फर्लांग दूरी पर उस सेठ की जमीन पर पानी पहुंचाने के लिए नाला बांधा जायगा। हमसे कह देते हैं कि हम उधर इसको करवा रहे हैं लेकिन उधर नहीं करवाया जाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज्ञा दी कि इस नाले के काम को बन्द करवा दिया जाय। मैंने मय नक्शे के एक्सपर्ट इंजिनियर की रिपोर्ट पेश की लेकिन उस नाले का काम बन्द नहीं हो रहा है और कल रात तक पानी उधर ही चल रहा है। इससे मालूम होता है कि निश्चित रूप से इस विभाग के अधिकारी उससे मिले हुए हैं, उन्होंने पैसा खाया है, बेईमानी की है। उनकी बेईमानी को बन्द कर दिया जाय तो एक हजार परिवारों को इस नाले से पानी मिल सकता है और नगर परिषद् को चार लाख की आमदनी हो सकती है। मैं यह गये साल से कहता आ रहा हूं लेकिन गौर नहीं किया गया है क्योंकि अधिकारियों में बेईमानी भरी हुई है। मेरा निवेदन है कि इन अधिकारियों की बेईमानी को बन्द किया जाय....

श्री सभापति: माननीय सदस्य आपने काफी समय ले लिया है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: समय आपके काम के लिये ले रहा हूं बीकानेर के एक हजार परिवारों के दुःख की बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: मेरे लिये तो सम्पूर्ण राजस्थान ही है।

श्री भैरोंसिंह: जो नाले के कन्सट्रक्शन में गड़बड़ी हुई है वह भी बता दें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: 24 फर्लांग बढ़ाया जा रहा है....

श्री भैरोंसिंह: बढ़ाने में गड़बड़ी की है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: पूरा का पूरा पानी सेठ की जमीन में ले गये हैं यह मैंने बताया। अब उस नाले के बनाने में कितना चूना लगा है, कितनी मिट्टी लगी है, कितने पत्थर लगे हैं यह तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उस घोटाले से पंडितजी को सहानुभूति होने लगी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: बदतमीजी की बात नहीं करनी चाहिये समझ की बात कीजिये। आप वकालत कर सकते हैं, मैं तो

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

वकालत नहीं कर सकता इसी तरह से इन्जीनियर ही यह सारी बात बता सकता है ।

अब मैं हॉस्पिटलों के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : कहिये ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आज वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है दवाईयां कैसी दी जा रही हैं......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप मिनिस्टर साहब से सिफारिश कर दें कि रामपुरियाजी से बात हो जाय।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : रामपुरियाजी के लिये मैंने साल भर पहले ही कहा है और कहूंगा। मैं नहीं करने दूंगा। नहीं होगा तो जो कदम उठाना है वह कदम उठाऊंगा रामपुरियाजी से आपकी कोई बात हो गई दीखे, आपके यहां रामपुरियाजी पहुंच गये दिखते हैं ?

श्री मदन सिंह : बेवकूफ जिन्दा रहें बहुत से रामपुरिया पहुंचते रहेंगे ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आज अस्पतालों में औषधियां नहीं मिल पाती हैं, चिकित्सा के लिये, उसका इन्तजाम करना चाहिये ।

मैं बीकानेर शहर के लिये निवेदन करना चाहता हूं । बीकानेर में एक मेडिकल कॉलेज है और जो जो विभाग थे उनको धीरे धीरे सरकार कम करती जा रही है । पता नहीं जोधपुर ले जा रही है, उदयपुर ले जा रही है या जयपुर में ला रही है । बीकानेर की पब्लिक के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है । बीकानेर के हॉस्पिटल में पूरे बैड नहीं हैं । बीकानेर की पब्लिक ने उस हॉस्पिटल को बढ़ाया है, अब भी बढ़ाते हैं । सबसे ज्यादा बीमार वहां आते हैं, वहां के अच्छे डॉक्टरों का भरोसा कर के, पर वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, बैड्स की व्यवस्था नहीं है, इस पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता है । बीकानेर में आधे से ज्यादा आबादी में, साठ, सत्तर हजार की आबादी में एक भी डिस्पेन्सरी नहीं हैं वहां दूसरे हिस्से में दो हैं । शहर के जिस हिस्से के लोग अच्छे स्वस्थ हैं, खिलाड़ी हैं वहां टी० बी० का क्लिनिक कर रखा है । कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाइयां नहीं दी जातीं, लोगों को वहम हो जाता है कि यह क्या है। उसके आस पास दो तीन खेल के ग्राउन्ड्स हैं वहां जो लड़के खेलने के लिये जाते हैं वे सोचते हैं कि यहां टी० बी० क्लिनिक कैसे हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां से टी० बी० क्लिनिक को उठा दें, चाहें तो आप उसे कोटा उठा कर ले जाईये, आपका इतना हॉस्पिटल है वहां इसको शिफ्ट कर दीजिये । बीमारों के इलाज का कोई इन्तजाम नहीं, योंही टी० बी० क्लिनिक खड़ा कर दिया । जहां न टी० बी० आज है, न कभी थी और न होगी ही । जहां के लोग महनतकश हैं वहां टी० बी० नहीं होगी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : रसगुल्लों का नहीं कहा है, टी० बी० का कहा है ।

श्री सभापति : अब काफी हो गया है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अब फिर मैं उस पानी के लिये कह देना चाहता हूं कि सेठ की दलाली नहीं की जाय। विभाग में जिसने बेईमानी की है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री सभापति : श्री सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग के संबंध में मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहता हूं। चिकित्सा विभाग आदि विभागों पर जो आज कट मोशन्स के माध्यम से विचार विमर्ष हो रहा है, उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मुझे देखने को मिला है, किसी शफाखाने में जाने का अवसर मिला हो राज्य के सभी छोटे बड़े शफाखानों में अव्यवस्था का साम्राज्य है। कोई किसी की नहीं सुनता। जो भी मरीज के भाग से हो जाता है, उस पर ही चाहे नुकसान हो, चाहे फायदा हो, लोग मजबूरन सब्र कर लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद और हमारा लक्ष्य अच्छा होने के बावजूद भी हम इस ओर आगे नहीं बढ़ते हैं, यह सरकार को सोचना चाहिए। हम आंकड़ों में जरूर आगे बढ़ते हैं, शफाखाने खोलते हैं, इसके आंकड़े बढ़ाते हैं, डाक्टरों की संख्या बढ़ाने में आंकड़े बढ़ाते हैं, पर इन सबका सही उपयोग होता है या नहीं होता है यह हम नहीं देखते हैं। कितने मरीज शफाखाने में भर्ती हुए, कितनों को लाभ होता है, कितनों को लाभ नहीं होता है, नहीं होता है तो किन कारणों से नहीं होता है, इस प्रकार के आंकड़े सरकार हमारे सामने पेश नहीं करती है। सिर्फ यह आंकड़े पेश करती है कि अमुक साल में इतने डॉक्टर बढ़ाये गये, इतने कम्पाउन्डर बढ़ाये गये, इतनी नर्सें बढ़ाई गई, पहले इतने थे, अब इतने हो गये हैं। यह आंकड़े पेश करती है। इस प्रकार के आंकड़े भी सरकार को पेश करने चाहिए कि इतने मरीज शफाखानों में भरती हुए, इतनों को लाभ हुआ, इतनों को लाभ नहीं हुआ और इन कारणों से लाभ नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, जो धीरे धीरे हमारे इस चिकित्सा विभाग में, हमारे शफाखानों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप किसी पोजीशन के व्यक्ति हों पर शफाखानों में आपकी सुनवाई तभी हो सकती है जब डॉक्टर साहब के यहां प्राइवेटली जा कर फीस देंगे। तभी पर्चा देकर भर्ती करेंगे, मरीज पर तवज्जोह देंगे। वरना जनरल क्यू में खड़े रहिये न भरती की सुविधा मिलेगी न दवाई की सुविधा मिलेगी। दवाई बाजार की और एक दवाई शफाखाने की लिख कर आपको टरका देंगे। आज इस प्रकार की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह बीमारों के साथ सरकार की खिलवाड़ है और यह उस सरकार के लिये जो अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है, शोभा की बात नहीं है।

(4.30 म. प.)

(श्रीमती कांता कथूरिया, सभानेत्री पदासीन)

सभानेत्रीजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां जहां मुझे उन लोगों से बात करने का अवसर मिला, उनकी शिकायत थी और वह यह थी कि हमारे यहां दवाइयों का जो कोटा होना चाहिए, उतना पैसा शफाखानों को नहीं मिलता। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप डॉक्टर

Page No 149

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कम्पाउण्डर्स, शफाखाने व भवन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उसी अनुपात में या उससे भी ज्यादा अनुपात से जो हमारे सामने शिकायतें हैं, पुरानी बहुत दिनों से कि जितना कोटा दवाइयों का शफाखानों में होना चाहिए उतना नहीं है।

मैं सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए एक बात कहना चाहता हूं। वह है जो उसके बंद बराण्डे हैं उनमें मरीजों को घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, गर्मी के समय, जब कि डॉक्टरों के एक एक कमरे में 4-4, 5-5 पंखे लगे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : सभानेत्रीजी, प्रेस गैलरी में डिस्टरबेंस हो रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या प्रेस गैलरी कान्फरेन्स के काम में आ सकती है? व्यवस्था का प्रश्न है। प्रेस गैलरी में कान्फरेन्स चल रही है, सभानेत्रीजी आप नीचे विराजमान हैं और अध्यक्ष महोदय ऊपर बैठे हुए हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं सौभाग्य मानता हूं अपना कि आप मेरी टर्न में विराजी हैं और सर्वप्रथम विराजी हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। मुझ पर आपने कृपा की है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : It is wonderful.

श्री जयनारायण सालोदिया : जो सवाई मानसिंह अस्पताल के बराण्डे हैं, बिल्कुल बंद हैं। गर्मी के समय मरीजों को 6 घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। पंखों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि वहां पंखों की व्यवस्था हो क्योंकि मरीजों को अक्सर वहां बैठना पड़ता है।

इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेद के बारे में बोलूंगा। आयुर्वेद व एलोपैथी विभागों में बहुत पुराना रिश्ता है लेकिन मैं आयुर्वेद के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गति से एलोपैथी आगे बढ़ रही है, उस गति का बहुत कम हिस्सा भी आयुर्वेद के लिए नहीं हो रहा है। उसका कारण मेरी समझ में नहीं आता, आयुर्वेद मंत्री, आपसे अर्ज कर रहा हूं, वह सुनते नहीं हैं कि कोई बोल भी रहा है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपत्तिजनक है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आयुर्वेद के लिए मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान और खास तौर से राजस्थान की जनता आयुर्वेद में ज्यादा भरोसा रखती है। आयुर्वेद की पद्धति को वह पीढ़ियों से मानती आई है और उस पर ज्यादा विश्वास रखती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए एलोपैथी से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आयुर्वेद है। आयुर्वेद की आप प्रगति करें उसमें नए नए परीक्षण करके इस तरह की दवाइयां पैदा करें जिससे लोगों को ज्यादा व सस्ते मूल्य में फायदा हो सके।

आयुर्वेद विभाग में जो कुछ औषधियों का निर्माण होता है, उसमें कोई मापदंड नहीं है कि हिंग्वाष्टिक चूर्ण में जितनी मात्रा में जितनी दवाइयां मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में मिलती हैं या नहीं, उनकी जांच के लिए कोई लैबोरेटरी नहीं, कोई आधार नहीं।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तो जब इस तरह की बात हो जिस मात्रा में जो दवाई मिलनी चाहिए वह नहीं मिले, कम मात्रा में मिले, घटिया किस्म की मिले तो स्वाभाविक है कि वह दवाई कोई असर नहीं करेगी और इन सब कारणों से धीरे धीरे आयुर्वेद में जो बरसों से आस्था रखते थे धीरे धीरे आज आयुर्वेद से हटकर एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं।

इस विभाग के लिए एक और बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि हर विभाग में अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिए कुछ न कुछ कोटा है लेकिन आयुर्वेद विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें एक प्रतिशत भी इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। चाहे वैद्य हो, चाहे कम्पाउन्डर हो। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार ऐसा प्रयास करे जिससे उन लोगों में बेकारी मिटे और उन लोगों को काम मिले और सरकारी नीति के अनुसार उसमें इन लोगों को सही कोटा मिल सके।

इसके साथ साथ मैं वाटर वर्क्स के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत पुराने समय से मेरे निर्वाचन क्षेत्र निवाई कस्बे में वाटर वर्क्स स्कीम की शुरुआत हो रही है। करीब 10 साल पहले नगरपालिका द्वारा यह स्कीम मांगी गई थी सरकार ने यह स्कीम एप्रूव कर दी उसके बाद फिर इस स्कीम में देरी करने के लिए सरकार ने फिर इसको संशोधन के लिये सेंटर को भेज दी। अब वह रिवाइज्ड मंजूर स्कीम होकर आ गई और कुछ काम भी शुरू होगया। पाइप्स पड़े हैं, बोरिंग हो रहा है। मुझे जानकर दुख हुआ है कि अब तक पानी की तलाश करने के लिए विभाग ने करीब 35-40 हजार रुपये खर्च कर दिए जबकि निवाई में 24 घंटे पानी बहता है ऊपर से बहता है और ऐसे बड़े बड़े कुए हैं, बड़े 2 कुन्ड हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पानी कम नहीं है फिर भी विभाग न मालूम कैसे इस तरह की बात कर रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि नगरपालिका के 40 हजार रुपये में एक किसान 5 नए कुओं का निर्माण कर सकता है और इतना पानी पैदा कर सकता है कि निवाई को 24 घंटे पानी दे सकता है लेकिन हमारी सरकार ने 40 हजार रुपये तो पानी तलाश करने में खर्च कर दिए और अब भी स्योर नहीं कि पानी मिलेगा या नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पर बहुत रुपया खर्च कर दिया है। नगरपालिका एक तरफ एतराज करती है कि रुपया आपने हमारे नाम लिख दिया, इसका ब्याज हमें देना पड़ेगा या तो ब्याज माफ करो या काम जल्दी करो। क्योंकि नगरपालिका की स्थिति ब्याज देने की नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जायगी। इसलिए या काम शुरू करें या ब्याज माफ करें।

दूसरी तरफ सरकार का पैसा पड़ा हुआ है। तीसरी तरफ 40 हजार खर्च करने के बाद भी आज हमें पानी की स्योरिटी नहीं है। इसके लिए आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों में स्फूर्ति लाने के लिए सचेत रहे यह सरकार।

उद्योग विभाग के लिए दो मिनिट निवेदन करना चाहता हूं। कुटीर उद्योग राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। मैं जिस जिले से आता हूं राजस्थान के अन्य

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जिलों के बनिस्बत यह जिला ज्यादा बेकार है। टोंक एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत बेकारी है और बेरोजगारी है। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए न पर्याप्त मात्रा में जमीन है, न पर्याप्त मात्रा में पैसा है और न ही इस प्रकार की चीजें हैं जिससे वे अपनी रोजी-रोटी का प्रश्न हल कर सकें। सारे लोग मजबूर हैं और बेकार हैं तो सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि टोंक शहर में कम पूंजी लगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके इस प्रकार के कुटीर उद्योग खोलने चाहिए और यह निहायत जरूरी है। बार बार इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। या तो टोंक को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करें या पूंजीपतियों के द्वारा अन्य कारखाने खुलवायें जिससे लोगों को रोजी-रोटी मिले। सही निवेदन कर देना चाहता हूं कि टोंक में इतनी बेरोजगारी है जितनी राजस्थान के और किसी हिस्से में नहीं है। लोग खाने के लिये मोहताज हैं। 22 वर्ष की आजादी के बाद समाजवाद के नारे लगा देने के बाद इन्सान इन्सान में इतना फर्क है। टोंक के आदमी बेकार हैं, भूखे हैं, कोई रोजगार नहीं खोल सकते। इसलिये वहां पर कोई न कोई कुटीर उद्योग या बड़े उद्योग कायम करने चाहिए।

जब जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार घोषणा करती है लेकिन इलेक्शन के साथ ही घोषणयें भी खत्म हो जाती हैं। मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप टोंक में शीघ्रतिशीघ्र ऐसे कारखाने खोलें कि जिससे बेकारी मिटे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : इलेक्शन होने वाले हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : इनकी जेब में थोड़े ही हैं कि कारखाना लगा देंगे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य काफी समय हो गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : खादी और ग्रामोद्योग के लिए निवेदन करना चाहता हूं। यह एक अच्छी स्कीम है। यह एक कार्यक्रम था जिसको हिन्दुस्तान की आजादी के लिए काम में लिया। महात्मा गांधी का यह एक प्रिय कार्यक्रम था। धीरे 2 इसमें राजनीति प्रवेश कर गई और राजनैतिक आधार पर कार्यक्रम हो गया। इस पवित्र कार्यक्रम से राजनीति को दूर रखिये। यह कार्यक्रम एक राजनैतिक अखाड़ा हो गया है उससे इसको बचाइये और इसके निष्पक्ष माध्यम से गरीब लोगों की, बेवाओं की, बेकारी लोगों की सेवा करें और उनमें ऐसी भावना न आने दें कि अमुक पार्टी का ज्यादा संरक्षण मिलेगा और अमुक का कम मिलेगा। यह खादी ग्रामोद्योग में नहीं आना चाहिए।

माननीय सभानेत्रीजी, एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं जो कि समाजवादी समाज व्यवस्था का नारा देने वाली सरकार के लिये बड़े दुख की बात होनी चाहिए। एक तरफ गांवों के लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ सेक्रेटेरियट में गर्मी में इतना पानी खर्च होता है, पानी का इतना प्रर्दशन होता है जयपुर सेक्रेटेरियट में, तीनों मंजिलों में पाइप लगे हुए हैं और खस की टट्टियां लगाई हुई हैं। बारह घंटे उन पर पाइप के द्वारा पानी का छिड़काव होता रहता है। आने जाने वालों को दिक्कत होती है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

समाजवाद में आदमी, आदमी में फर्क। एक गांव के आदमी को पीने को पानी नहीं दे सकते और आप लोग सेक्रेटेरियट में बैठते हैं और अपने आराम के लिए इतना पानी बरबाद कर देते हैं जितना कि पूरे जयपुर को मोहैया नहीं होगा। यदि समाजवाद और उसके कार्यक्रम पर भरोसा है तो आदमी आदमी में जो आज भेद करते जा रहे हैं वह नहीं होना चाहिए। यह तो फिर आपका समाजवाद नहीं। गर्मी की सीजन शुरू होने वाली है पानी की कमी है, खस की टट्टियों पर सेक्रेटेरियट में कितना पानी बेकार जाता है इसलिये उसको बन्द करें। धन्यवाद।

श्रीमती सभानेत्री : श्री नंदलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन-सु.) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने कटोती प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं।

सबसे पहले मैं चिकित्सा के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। चिकित्सा के मामले में राजस्थान ने जो प्रगति की है वह हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। उसके साथ साथ देश में और राजस्थान में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। बीमारियों के बढ़ने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। लाखेरी सीमेन्ट फैक्टरी जो पचास वर्ष से चल रही है वहां के मजदूरों का राजकीय बीमा योजना कार्यक्रम के अनुसार इलाज कराया जाता है। 52 से पहले राजकीय बीमा योजना का पता नहीं था तो चिकित्सा की व्यवस्था का संचालन वहां की कम्पनी के द्वारा ही किया जाता था। आज उसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है लेकिन वहां का जो स्टाफ है वह सब कम्पनी का ही है और सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी और डॉक्टर जाकर जांच नहीं करते। पहले जब कि राजकीय बीमा योजना लागू नहीं हुई थी तो राज्य के अधिकारी और डाक्टर पन्द्रह दिन में जाकर चैक करते थे। मजदूर अपनी समस्याओं को रखें। चार पांच साल से न तो डाक्टर वहां जाते हैं और न ही मजदूर लोग सरकार तक पहुंच सकते हैं। जितना पैसा दवाइयों पर खर्च होता है वह सब मजदूरों का ही है। वहां के डॉक्टर को पोस्टमार्टम और किसी सरकारी अधिकारी के लिये सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार नहीं है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं ग्राम पंचायत और नगरपालिका अलग अलग हैं। नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय शफाखाना नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र और पंचायत की आबादी दोनों मिला कर 25।30 हजार होती है। आस पास के गांवों को मिला देने के बाद तो तीस चालीस हजार की आबादी बैठती है। मुझे दुःख है कि सरकार की ओर से कोई भी चिकित्सालय नहीं है इतनी बड़ी जनता के लिये। वहां की आबादी, मजदूरों और किसानों की समस्याओं को देखते हुए मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस वर्ष शफाखाना खोला जाय क्योंकि गरीब मजदूरों और किसानों को काफी दिक्कत होती है। सन् 52 में राज्य बीमा योजना के अस्पताल में 12 पलंग औरतों के लिये और 12 ही मर्दों के लिये बनाये गये थे वे ही अब तक चले आ रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ाई नहीं गई है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले मजदूरों

(श्री नन्दलाल बैरवा)

का कम पैसा काटा जाता था, अब न सरकार खर्च करती है और न ही कम्पनी । अपना पैसा खर्च करने पर भी वहां का मजदूर अपना इलाज नहीं करा सकता ।

साथ ही कुछ दिनों पहले हमारे भूतपूर्व कामगार संघ के प्रेसीडेण्ट का एक्सीडेंट हो गया था उसको लेकर हमने प्रयास किया कि पोस्टमार्टम हो जाय । लेकिन दूसरी जगह जाने का प्रबन्ध करना पड़ा । काफी समय के बाद 4, साढ़े चार घंटे के बाद इसका इन्तजाम होकर उसको जलाया गया । इस प्रकार से आये दिन गरीब लोग को कोटा-बूंदी देखना पड़ता है । इसलिये वहां की आबादी को देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाखेरी के अन्दर....

(4.50 म०प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

एक अस्पताल की स्थापना कर आप अपना सहयोग प्रदान करें ।

साथ ही मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । कोटा-बूंदी वैसे चम्बल एरिया है । सिंचाई का काफी काम हुआ है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नैनवा तहसील के अलावा और अन्य तहसीलों के अन्दर नहरों से पानी आता है, उस पानी को ही आम जनता चाहे गर्मी के दिन हों, सर्दी के दिन हो है पीती । उसमें काफी मिट्टी मिली रहती है परन्तु जनता उसी को उपयोग में लाती है । पानी को छानकर पानी पीना पड़ता है । इसलिये जन स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पाटन, लाखेरी और नैनवा में वाटर वर्क्स की जो स्कीमें चल रही हैं, उनका काम बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, वह जल्दी से समाप्त होना चाहिये । मुझे आशा है कि इसको जल्दी से कराया जायेगा । जलप्रदाय योजनाओं के जो भी काम कराये जाते हैं या चलाये जाते हैं, उनका काम बहुत ही धीमी गति से चलता है । कई वर्ष हो जाते हैं, काम नहीं होता है । जो पैसा मिलता है वह लैप्स हो जाता है और फिर अगले बजट में उसका प्रोवीजन करना पड़ता है । इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और काम में तेजी लाई जाये ।

दूसरे हमारे यहां छोटे छोटे उद्योग धन्धे गांवों में चलाये जाते हैं । हमारे जिले के अन्दर, बूंदी जिले के अन्दर मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यह मांग की जा रही है जो हमारे यहां सीमेण्ट फैक्टरी की मांग की जा रही है, वहां की जनता बराबर राज्य सरकार से मांग कर रही है, बूंदी जिले के अन्दर जो यह उद्योग खुलने वाला था, जिस पर अब तक कई लाख रुपया खर्च किया जा चुका है, लेकिन रेलवे लाइन को लेकर आज तक वहां यह सीमेन्ट फैक्टरी नहीं खुल पाई है । जब हम देखते हैं कि सैकड़ों मजदूर लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करते हैं । आज उनके पास कोई धन्धा नहीं है । इसलिये उद्योग मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो सीमेण्ट फैक्ट्री खोलने का जो प्रावधान है, उसको खोलें और इस तरह से लोगों को रोजगार दिलाने का नया प्रावधान करेंगे ।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

गांवों में जो छोटे उद्योग धन्धे चलाये जाते है, उसमें एक धन्धा चर्म उद्योग हैं। कई जगह चर्म उद्योग चल रहा है लेकिन उसे कोई लोन नहीं मिलता है। इसलिये आपसे निवेदन है कि इस उद्योग को भी सहयोग प्रदान करें।

खादी के जितने भी ग्रामोद्योग हैं, वे कोटा-बूंदी में चलने चाहिये। एक प्रकार से जो चल रहे हैं उनको सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। सहयोग मिलता तो खादी ग्रामोद्योग के धन्धे पनपते, परन्तु इसमें सम्बन्धित अधिकारियों का सहयोग नहीं रहता है। इस प्रकार जो छोटे छोटे उद्योग धन्धे वहां चलाये जाने चाहियें, वे नहीं चल रहे हैं।

बूंदी जिले के नैनवा में जो धन्धा चलाया जाता है खादी ग्रामोद्योगों का, उनको सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। मैंने खुद ने देखा है। सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजने के बाद भी समय पर लोन नहीं मिल पाता है और इस तरह उद्योग धन्धे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह से कई खादी ग्रामोद्योगों के धंधे वहां चलाये जा रहे हैं। उनको सरकार की तरफ से जो लोन मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पा रहा है। इन सारी चीजों को मैंने कटौती प्रस्ताव के रूप में दिया है। मुझे आशा है कि राज्य सरकार और सम्बन्धित मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और हमारे क्षेत्र और जिले के अन्दर सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाकर सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री सभापति : श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जो भी मांगें हमारे सामने, इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की हैं, उन मांगों में से एक मांग जो हमारे सामने विचारणीय है, उस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। चिकित्सा विभाग का जहां तक सवाल है, चिकित्सा विभाग की व्यवस्था राज्य की जनता के लिये आज अपर्याप्त है, दयनीय है। और इस दयनीय हालत को सुधारने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है और न कोई सुझाव दिया है कि साल भर में किस प्रकार की कार्यवाही होगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार के इन प्रतिनिधियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, कि सरकारी अस्पतालों में दवाईयों का आज क्या हाल है। आप आज बातें करते हैं कि हमने इतनी अधिक संख्या में अस्पताल खोल दिये लेकिन उनमें मिलता क्या है? दवा नहीं मिलती है, धक्के मिलते हैं? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो अस्पताल बढ़ाये हैं, जिस ढंग के होने चाहियें, उस ढंग से वे चलने भी चाहियें। मैं ग्राम चिकित्सा का प्रश्न करूं तो आप महसूस करेंगे वहां की स्थिति क्या है? प्राइमरी हैल्थ सेन्टर शुरू शुरू में जब खोले गये तो उनका आधार पंचायत समिति रखा गया था और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर 25 हजार की आबादी पर, क्षेत्र पर आपने बनाने की बात कही थी। यह आपका एक ढांचा था। अब वह ढांचा खत्म हो गया और प्राईमरी हैल्थ सेन्टर की जो योजना थी, वह आज एक तरह से समाप्त होने को जा रही हैं। जो पूर्व में निश्चित था, उसकी आज अनुपालना

(श्री रामसिंह कुड़ी)

नहीं हो रही है। मैं यह निवेदन करूं कि इस राजस्थान की आबादी का 83.4 प्रतिशत भाग आज भी गांवों में रहता है। उसके स्वास्थ्य, उसकी चिकित्सा की बात करने के लिये स्वास्थ्य विभाग ने जो योजना अपने हाथ में ली है, उससे उसने पहले की योजना को भी बिगाड़ा है। पहले लोग यह समझते थे कि जोधपुर में इलाज होगा, बीकानेर में इलाज होगा, वे वहां पहुंच जाते थे और अपना इलाज करा आते थे। और अब यह प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खुल जाने से बीमार के मरने का घर बन गया है। जहां डाक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कम्पाउण्डर नहीं है तब वे कैसे चिकित्सा के सैंन्टर हो सकते हैं? इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ग्रामीणों के के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्थायें राज्य सरकार ने की हैं, और जो भी व्यवसस्थायें करने की योजनाएं राज्य सरकार ने बनाई थीं, उन लोगों ने, उन व्यवस्थाओं ने ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य को बर्बाद किया है, उनको हैरान किया गया है, तबाह किया गया है, इसलिये आगे से हम ऐसा न करें। 25 हजार की आबादी पर प्राथमिक हैल्थ सेन्टर आप खोलें। वहां पर कम से कम दो महिला डाक्टर और दो मर्द डाक्टर रखे जांय। और जो जीप उनके पास रहे वह किसी मिनिस्टर के जलसे के उपयोग के लिये न दी जांय। वह जीप केवल हैल्थ सेन्टर के काम के लिये रखी जाय। ग्रामीण चिकित्सा क्षेत्र में आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है........

श्री केशरीसिंह (हिन्डौली) : सभापति महोदय, पांच बज गये हैं।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

(5 म० प०)

श्री रामसिंह कुड़ी : शहरी स्वास्थ्य चिकित्सा के सम्बन्ध में भी आपने सर्वनाश कर दिया है। जिन अस्पतालों को केन्द्रीय अस्पताल माना जाता था जैसे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर ये अस्पताल ऐसे गिने जाते थे जिस में जाने के बाद यह होता था कि सब दवाईयां मरीज को फ्री मिलती थीं लेकिन आज हालत यह है कि हमारे जयपुर राजधानी के अस्पताल को ही ले लीजिये। डाक्टरों के सामने केवल सफेद कागज पड़े रहते हैं जो लिख देते हैं कि फलां टेबलेट ले लो। बाहर दूकान से ले लो। इस अस्पताल की पूर्व की तरफ देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि यह अस्पताल नहीं है, कोई कारखाना है। इतनी गन्दगी वहां है जिसका कुछ कहना नहीं। यह हालत है राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल की। आज हम देखते हैं मिनिस्टरों के बंगलों के लिये दूब, फूल आदि के बगीचे लगाये जाते हैं लेकिन अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इससे बढ़ कर बुरी बात और क्या हो सकती है? यही हाल जोधपुर और बीकानेर के अस्पताल का है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की व्यवस्था रजवाड़ों के समय राजधानी के अस्पतालों में थी, उसी प्रकार की व्यवस्था किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

इसके साथ साथ स्वास्थ्य चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर पर पचास शैयाओं का अस्पताल होना चाहिये। मुख्यालयों पर पचास शैयाओं का अस्पताल बनाया जाय।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

इसके अलावा, मजदूरों की जहां संख्या ज्यादा हो, वहां कम से कम 50 बैड का अस्पताल होना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाटू बड़ो जो मेरे इलाके का गांव है, वहां पत्थरों की खान है। वहां के लोगों की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होती है । सत्तर प्रतिशत लोगों की आयु इससे अधिक नहीं होती है और जो तीस प्रतिशत लोग जिनकी आयु ज्यादा होती है, वह इसलिये कि वे दूसरे ठेकदार या दूसरा धन्धा करते हैं । यह इसलिये कि वे पत्थर का धन्धा करते हैं, इसलिये उनको तीस चालिस साल की उम्र से ही रोग लग जाते हैं, तपेदिक आदि इसलिये वे ज्यादा जिन्दा नहीं रहते ।

(घंटी)

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण जल व्यवस्था के बारे में । जिस प्रकार की सरकार की उदासीन नीति रही है, वह मैं आंकड़े बता कर रखना चाहूंगा । पानी पीने के साधन जुटाने में पहली पंच-वर्षीय योजना में 150 लाख रुपया व्यय किया जाना था, ग्रामीण जल योजना के लिये । लेकिन 143.88 लाख व्यय किया गया । शहरी क्षेत्र में इस योजना में जहां कुछ भी प्रावधान नहीं रखा गया था, वहां 86 लाख रु० का व्यय किया गया ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिये 190 लाख रखा । व्यय किया 180.25 लाख । इस तरह से शहरों के लिये दूसरी योजना में 299 लाख का लक्ष्य रखा गया जब कि 478.78 लाख का व्यय किया गया ।

तीसरी योजना में ग्रामीण जल योजना के लिये 280.5 लाख था, व्यय किया गया 269.02 लाख । शहरों के लिये 440.50 लाख था, वहां 460.14 खर्च किया गया । इस तरह से आपको पता चलेगा कि ग्रामीण जल योजना के लिये जहां पैसा रखा गया था, उससे कम ही खर्च किया गया और शहरी जल प्रदाय योजना के लिये जितना रखा उससे कहीं अधिक व्यय किया गया । इसी तरह से 66.67 में ग्रामीण जल योजना के लिये 81 लाख रखा गया, वहां 77.40 हजार व्यय किया गया । शहरी क्षेत्र में 61.13 लाख की जगह 64.88 लाख खर्च किया गया । 67-68 में ग्रामीण जल योजना के लिये 92.92 लाख व्यय हुआ, जबकि 93 लाख रखा गया वहां 66 लाख व्यय किया गया और शहरी क्षेत्र में 47.50 के बजाय 56.74 लाख का व्यय हुआ । 68-69 में 70 के बजाय 66 व शहरी क्षेत्र में 60 लाख की बजाय 102.63 लाख खर्च किया गया । इस वित्तीय वर्ष में जो व्यय हुआ उसके आंकड़े नहीं आये हैं । इस तरह से आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी पीने के बारे में व्यवस्था करने के लिये भी ध्यान नहीं दिया गया एग्जीक्यूटिव एजेन्सी ने । जहां अलोटमेण्ट ज्यादा किया गया, वहां खर्चा कम किया गया । इस तरह से आपने इन बीस वर्षों में ग्रामीण जल योजना के लिए 967.45 लाख व्यय हुआ, वहां शहरों के लिये 1,670.36 लाख का व्यय किया गया ।

यह आंकड़े बताकर मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या के बारे में हम जहां थे वहीं पर हैं ।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

हमारे इलाके में जोधपुर स्टेट के समय में पानी के हौद बने हुए थे, वे टूटे हुए पड़े हैं। उनकी मरम्मत तक यह सरकार नहीं करा सकी है। मेरे क्षेत्र में जायल, खाटू, डेह इन जगहों में पानी की नल योजनायें लगी हैं, मगर उन में भी पानी उपलब्ध नहीं है। वहां पानी के पूरे स्त्रोत नहीं होने की वजह से पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है।

खाटू में टैंक बना दिया गया क्योंकि उनमें कमीशन का पैसा मिलता है, लेकिन पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया। इ० टी० ओ० और राजस्थान सरकार द्वारा ट्यूबवैल्स खुदवाये गये, उसके बारे में हमने 27-28 चिट्ठियां लिखीं, कलेक्टर को लिखीं। यहां मंत्री महोदय को लिखीं, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। न तो रिजल्ट का पता है, न रिकार्ड का पता है, न एजेन्सी का पता है। यह तो आपकी व्यवस्था का नमूना है। न तो ट्यूब वैल के पानी की तादाद बताई जाती। पता ही नहीं चलता कि कितना पानी है, एवं कितना खोद दिया है। शेल व फरडोद के ट्यूब वैल्स के एक रिजल्ट का पता नहीं। कसनाऊ गांव है उसमें आज भी सिचाई के करीब 200 से अधिक कुए चल रहे हैं और उनमें मीठा पानी है। फिर भी आपने कसनाऊ के ट्यूब वैल को ढक्कन लगा दिया। कह दिया पानी अच्छा नहीं है। 200/250 फीट का पानी अच्छा है, नीचे का नहीं। कोई सुनता ही नहीं। जो कोई सही बात कही जावे, उस पर कोई ध्यान नहीं देता।

माननीय मुख्य मंत्रीजी मूंडवा में टैंक का उद्‌घाटन करके आ गये। गांव के पूर्व में मगरा पड़ा है, उसी तरफ कुआ खोदा है। वह मगरा ऊंचा है एवं कुआ भी उसके नजदीक खुदा है, पर यह टैंक नीचे क्यों बनवा दी। इसलिये कि वहां आनन्दसिंहजी का भट्टा लगा है, उनके चूने के भट्टे को पानी देना है, इसलिये उन को राहत मिल जावे, बाकी जनता कहीं जावे। चाहे शहर तड़फता रहे।

मैं इसी तरह से उद्योग विभाग से भी निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री रामसिंह कुड़ी : अनाप शनाप घोटाले हैं इसमें।

उद्योग विभाग का ही विघटन कर दिया जाना चाहिये। इस सरकार में इसका मन्त्री भी नहीं रहना चाहिये। सिर्फ ओवरसियरों का और इन्जीनियरों का और टैक्निशियनों का एक पुल रहना चाहिये जो जी० ए० डी० के मातहत रहें। इसमें मंत्री, उप-मन्त्री की आवश्यकता नहीं।

बिजली की खपत के लिये, खनिज की खपत के लिये, यदि किसी को आवश्यकता होगी टैक्निशियन के पूल में से राय ले लेगा। मैं बताऊं राजस्थान बनने के बाद राज्य में राजनैतिक कारणों से उद्योग धन्धे बन्द किये गये। जिन उद्योगों का सवाल नहीं था, जरूरत भी नहीं थी, वे उद्योग बड़े बड़े हल्ला मचाकर और अखबारों में मोटे मोटे फोटो दिखाकर लगाये गये और उनमें अनाप शनाप करोड़ों रुपया बरबाद कर दिया गया

(श्री रामसिंह कुड़ी)

इसका बुरा परिणाम 20 साल बाद सामने आवेगा कि इस सरकार ने यह क्या किया है ?

डेगाना में टंगस्टन खान की बात ही बताऊं। बीस पच्चीस साल पहले वहां 20 हजार मजदूर काम करते थे और आज आधी भी क्षमता नहीं रह गई है साहब। बाद में आपने चालू तो कर दिया पर जब याद आया कि यह तो राजनैतिक दृष्टि से उनका क्षेत्र नहीं बना तो उसको कम कर दिया।

इसी तरह से जिप्सम की रिपोर्ट आई है। जो फायदा तीन महीने में सरकार को हुआ, अब वह ठेकेदारों को दे दिया है। मैं मांग करूंगा राज्य सरकार से कि खड़ी के पट्टे न दिये जावें। सरकार स्वयं यह काम करे, राजकीय उद्योग के माध्यम से इनका खनन कराया जावे और इससे सम्बन्धित उद्योग को बढ़ाया जावे, खाद का कारखाना नागौर में स्थापित किया जावे। उदयपुर में नहीं। जिप्सम नागौर में और आसपास ही होता है जो खाद के कारखाने का रॉ मैटीरियल होता है। इसके लिये पानी बिजली का तो गलत बहाना है। बिजली कहीं भी ले जाई जा सकती है, वहां भी लाई जा सकती है और पानी बीकानेर में आया है, उसे नागौर तक लाया जा सकता है। लिगनाइट का कोयला भी उपयोग के लिये काम में लिया जा सकता है। आपने दो अकालों में नागौर और उधर के इलाके में खर्चा किया उसका अन्दाजा करिये और 25 करोड़ में नागौर के सिरे तक नहर आती है तो फिर यह क्यों नहीं करते हैं, इससे अकाल का भी हमेशा के लिये इस क्षेत्र में समाधान हो जावेगा, इण्डस्ट्री भी पनप जावेगी। मैं मांग करूंगा कि आज जो इन उद्योगों के जरिये चन्द सेठों को पैसा जाता है, वह गलत तरीका है, इसलिये सरकार या तो इन उद्योगों को खुद अपने हाथ में लेकर चलावे या पंचायत समितियों को सौंप दें ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और उनको आम गरीब जनता पर टैक्स लगाने की भी जरूरत न रहे। तो ये चूने के ठेके ठेकेदारों को न दिये जाकर या तो सरकार चलावे या फिर पंचायत समितियों को या ग्राम पंचायतों को दे दिया जावे। इनमें टैकनिशियन्स की भी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होगी तो पूल से इनकी मदद भी ले ली जावेगी। पर आप का करना नहीं चाहते इस तरह से। समाजवाद का तो आपका कोरा थोथा नारा है। जनता को बरगलाने के लिये। आपका उद्देश्य तो अपने चन्द हुजूरियों को खुशामदियों को और अपने राजनैतिक स्वार्थों के हित में जो ठीक होता है, उसको सहायता पहुंचाना है। जैसे गोकुलप्रसादजी आपके ही गुट के आदमी भी कह रहे थे कि आप नाला बनाने का खर्चा करते हैं तो वह भी रामपुरियाजी के खेतों को लाभ पहुंचाने के लिये करते हैं। जनता चूल्हे में जावे आपकी बला से। आप जनता का हित नहीं चाहते, आप तो रामपुरियाजी जैसे सेठों का हित चाहते हैं, जिनसे आपको भी कुछ प्राप्ति होती रहती है। इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वे खनिज जिनका प्रोसेसिंग नहीं है, उनके ठेके सरकार को पंचायत समितियों को और ग्राम पंचायतों को दे।

इतना ही कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, अकाल क्षेत्रों में मृत्यु हुई, लोगों की इसकी काफी चर्चा हुई। आज एक विशेष गांव की खबर माननीय सदस्य ने सदन को दी है कि वहां की एवरेज आयु कम हो रही है। यह बहुत बड़ा चार्ज है, सरकार पर। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें। किसी गांव की आयु का एवरेज किन्हीं विशेष कारणों से खतम हो जाता हो, इससे ज्यादा भयंकर अव्यवस्था का नमूना सरकार का क्या हो सकता है ?

श्री सभापति : मैं सूचित करना चाहूंगा सदन को कि अबतक समय को स्थिति पार्टियों के अनुसार इस तरह रही है। कांग्रेस पार्टी से 17 बोले हैं 207 मिनिट, स्वतन्त्र 3 बोले हैं 49 मिनिट, जनसंघ के दो 22 मिनिट, एस० एस० पी० का एक चालीस मिनिट, बी० के० डी० के० तीन, तीस मिनिट और एक निर्दलीय 14 मिनिट। जो अध्यक्ष महोदय द्वारा समय का बटवारा किया गया है, उसके अनुसार तो सब पार्टियों का समय पूर्ण हो चुका है। हां, एक आपका कम है अभी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि घंटी बजाकर बिठाऊं। इसलिये जो बात कहनी हो अति सूक्ष्म में आप रखदें। थोड़े में ज्यादा बात रख देना, यह बड़ी विशेषता है और मैं समझता हूं आप सब में यह विशेषता है। तो इस को ध्यान में रखते हुए आप कुछ कहेंगे।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक घंटा समय बढ़ाया गया है तो इसमें हम लोगों को समय मिलेगा या नहीं ?

श्री सभापति : स्वतन्त्र पार्टी का समय दिया ही जा चुका है।

श्री रामनारायण चौधरी : स्वतन्त्र पार्टी का समय गया।

श्री सभापति : यह तो आपके कहने की बात है। श्री देवेन्द्रकुमार मीणा।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा-से०): सभापति महोदय, 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। अधिकतर जिनमें मजदूर, किसान और गरीब लोग होते हैं।

उदयपुर जिला ऐसा है, जहां अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। वहां नाहरू की बीमारी उनमें अधिक है। चार चार महीने तक खाट पर पड़े रहते हैं। इस बीमारी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं इसका भुक्तभोगी हूं। आयुर्वेद मंत्रीजी को मैंने बताया था, वह कीड़ा कैसा होता है।

उस एरिया में अधिकतर आयुर्वेद औषधियों का उपयोग होता है। काफी फायदा इससे मिलता है, उन गरीब लोगों को। गरीबी के कारण अंग्रेजी दवाइयों का लाभ वे नहीं उठा सकते। वे बहुत मंहगी होती हैं। आयुर्वेद उनके लिये सस्ता भी रहता है और अनुकूल भी। वे इस बीमारी से अधिक पीड़ित रहते हैं। इससे काम का भी बहुत हर्जा होता है। जिस घर में इस बीमारी का बीमार होता है, उस का धन्धा बिगड़ जाता है। उसकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपने घर कोई काम काज नहीं कर सकता। न खेत में जा सकता है न सर्विस में, न मजदूरी पर।

बहुत से आदमी आर० ए० सी० में, पुलिस में, आर्मी में भरती हुए। पर इस बीमारी

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

के होने पर उनको वहां से निकाल दिया जाता है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। इस बीमारी को ठीक करने की तरफ सरकार अधिक से अधिक ध्यान दे। और आयुर्वेद औषधालयों में अधिक से अधिक दवाइयां उपलब्ध कराए। इस इलाके के आयुर्वेद औषधालयों को आप अधिक से अधिक पैसा दें, ताकि उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके और हमारे देश की चिकित्सा पद्धति भी पनप सके। सभापति महोदय मैं, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि नाहरू निकलता है। स्वास्थ्य मंत्री इस बात को जानते हैं कि वहां किस प्रकार यह बीमारी फैलती है। पानी पीने की बावड़ी नहीं होने से इधर उधर का पानी पीते हैं, जिसमें कीटाणु होते हैं और उस पानी के पीने से नाहरू का रोग हो जाता है। इस तरह की बीमारी को कम करने के लिये ज्यादा ध्यान दिया जाय। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं फ्लू की बीमारी हुई, उसमें काफी बच्चे मर गये, काफी बूढ़े मर गये। उनकी ऐसी मौत हुई है सभापति महोदय, मैं कह नहीं सकता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी हमने रिक्वेस्ट की थी। उदयपुर जिले में जितने फ्लू से मरे हैं, उतने कहीं नहीं मरे हैं। मैं यह मानता हूं आपके एक दिन बुखार आ जाय तो आप चार दिन पड़े रहेंगे और वे बेचारे बुखार में भी काम करते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना चाहिये। यह जीवन और जिन्दगी का सवाल है। सभापति महोदय, हम भी इन्सान हैं, लेकिन काफी अर्से से पिछड़े हुये हैं। अब हमें भी समाज के बराबर का मौका मिलना चाहिये और मैं आपके मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं, आयुर्वेद मंत्री जी को और सरकार को कि हमारे क्षेत्र में और ज्यादा धन देकर आयुर्वेदिक औषधालय खोलें और वहां की हालत ठीक करें।

मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे ऐरिया के रहने वाले हैं, आप खुद जानते हैं पहाड़ी ऐरिया है। उदयपुर जिला अधिकतर पहाड़ी इलाका है। खनिज बहुत है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उस खनिज का उपयोग होता तो आदिवासी ऐरिया में मजदूर और किसान लोग हैं, उनकी काफी रोजी-रोटी का हल हो सकता था। मैं आपसे निवेदन करूं छोटे छोटे उद्योगों को शुरू करवायें। सभापति महोदय, हमारे यहां लोहे का खजाना है लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। उन खानों को चालू किया जाय। वहां काफी तादाद में मजदूर मिल सकते हैं, उनका उपयोग हो सकता है। मैं आपका ज्यादा टाइम न लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति जी, चिकित्सा के संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रदेश के अन्दर स्थिति बड़ी ही सोचनीय है। आजादी के 22 साल बाद भी आज हम भिन्न भिन्न नारे देने के उपरान्त पंचायत हैड क्वार्टस तक भी आज चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करा सके—ऐसी स्थिति में नहीं हैं। और जो कुछ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, उसको देखकर सन्तोष किया जा सके कि जहां जहां हमें सुविधायें उपलब्ध हैं, हम यह कह सकें कि वहां पर ठीक प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था हो; ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। आज स्थिति यह है कि जिनकी फिक्स इन्कम है, वह अपने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मेडिकल बिल रि-एम्बर्स करा लेते हैं, उनका पैसा रि-एम्बर्स हो जाता है लेकिन वह तबका जिसको हम वास्तव में राहत देना चाहते हैं और जिसके बारे में मान्यता है जो समाज के शोषित अंग हैं, जो अन-एम्प्लाइड हैं या अन्डर-एम्प्लाइड हैं उसको हर प्रकार से राहत देनी चाहिए । मैं निवेदन करूंगा समाजवाद की घोषणायें की जाती हैं लेकिन केवल घोषणायें पर्याप्त नहीं होंगी जब तक कि शिक्षा स्तर, चिकित्सा स्तर पर समान प्रकार से सुविधायें उपलब्ध न करा सकें । आज सभापतिजी हालत यह है साधारण आदमी अस्पताल जाता है । अस्पताल जाने पर इन्डोर-पेशेन्ट होने के नाते उसे कोई सुविधा मिल जायगी यह उस समय तक असंभव है जब तक वह भेंट-पूजा उनकी न करे, जब तक वह डॉक्टर का प्राइवेट पेशेन्ट न बन जाय और उसके बाद भी वह अपने आपको अस्पताल की दवाओं पर निर्भर कर सके ऐसी स्थिति प्रदेश में नजर नहीं आती है । उसे तुरन्त मेडिकल स्टोर की तरफ दौड़ना पड़ता है । आज आप किस स्थिति तक सुधार कर पाये हैं ? आउट-डोर पेशेन्ट का भी वही हाल है, वह खड़ा रहेगा और उसे वहां से कोई दवा नहीं मिलेगी और अगर कोई दवा मिल भी जाती है तो वह चिकित्सा के लिए पर्याप्त नहीं होगी और आखिर उसको मेडिकल स्टोर की तरफ जाना पड़ता है । इतना बड़ा अस्पताल और इतना बड़ा बजट इसके बावजूद भी वहां दवा उपलब्ध न हो इसका क्या कारण है ? मैंने कोटा के अस्पताल के बारे में पत्र लिखा था, आज सभापतिजी हालत यह है इतने बड़े अस्पताल में ए०टी०एस० के इन्जेक्शन नहीं । मजदूर होकर उसको बाजार से इन्जेक्शन खरीदना पड़ता है और जो अस्पताल के इन्जेक्शन होते हैं वही बाजार में बिकते हैं । मैं निवेदन करूंगा आपके ध्यान में यह स्थिति आई भी होगी । ए०टी०एस० के इन्जेक्शन बाजार में बिकते पकड़े गये हैं । यह स्थिति सब दूर राजस्थान में है । योजना बद्ध तरीके से वे उसको बाजार में बेच देते हैं । आखिर इसका कारण क्या है ? आज इस प्रकार से प्रशासन के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त है । राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण ही डॉक्टरों के प्रमोशन किये जाते हैं । पोस्टिंग, ट्रान्सफर के लिए ह्युमिलियेशन किया जाता है । डिपार्टमेंटल कमेटी बनी हुई है । डी० पी० सी० की 61 में मीटिंग हुई थी और फिर 66 में हुई और 66 के बाद 70 तक कोई डी० पी० सी० की मीटिंग नहीं हुई । प्रमोशन कमेटी बनी हुई है उसके माध्यम से प्रमोशन होते हैं लेकिन यहां तो मनमाने ढंग से अपने चहेते लोगों का प्रमोशन किया जाता है । ऐसी स्थिति में जन-मानस क्या बनेगा, यह आप स्वयं सोच सकते हैं । कमेटी के माध्यम से आपकी तरक्की नहीं हो सकती है या तो तरक्की के लिये खुशामद करो या फिर भेंट-पूजा चाहिए । मैं समझता हूं लोगों का मोरल बिल्कुल गिर चुका है, उनका पतन आयेगा और अवश्य आयेगा । सभापति, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा आप एडमिनिस्ट्रेशन में इतना हस्तक्षेप नहीं करें । डॉक्टर तक समझ में आ सकता है आप हस्तक्षेप करें लेकिन कम्पाउन्डर तक आपका हस्तक्षेप मौजूद है । किस प्रकार से लोगों के मनोबल को ऊंचा कर पायेंगे । आज कोटा में कम्पाउन्डर्स और थर्डग्रेड कम्पाउन्डर्स के ट्रान्सफर्स राजनैतिक आधार पर किये जा रहे हैं । थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर को आप बाड़मेर भेज रहे हैं और वह भी 300-300,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

400-400 मील दूर । वह बेचारा वहां खायेगा क्या ? उसमें पतन आना निश्चित है और वह पतन आता है। आज अस्पतालों में जो दवाइयां मुहैया की जा रही हैं वह स्टैन्डर्ड की नहीं हैं, सब-स्टैन्डर्ड की दवा हैं। मैंने गत सत्र में यह प्रश्न उठाया था जो दवा सप्लाई की है वह सब-स्टैन्डर्ड की सप्लाई की है, मैं पूछना चाहता हूं आज तक क्या कार्यवाही की आपने। आपने उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया, केवल एक वार्निंग दे दी गई। टैण्डर इन्वाइट किये जाते हैं तो वही लोग आते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं मार्टिन एन्ड हेरिस ने ऐस्पिरिन सप्लाई की थी इसमें 48 प्रतिशत प्योरिटी थी। मैं पूछना चाहता हूं आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्या उसके पेमेन्ट को विदहोल्ड किया गया ? क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। फ्लू में कितनी मात्रा में यह दिया गया, कितना इन-इफेक्टेड यह पाऊडर रहा है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से सभापतिजी नॉर्दन-इण्डिया केमिकल कं० है गाजियाबाद की, उसने भी मल्टी विटामिन्स सप्लाई किये लेकिन वह एक्सपायरी डेट के सप्लाई कर दिये। डेट निकल चुकी, एक्सपायर हो चुकी और वह मेडिकल स्टोर के अन्दर सप्लाई हुई और नतीजा यह हुआ कि वह इनइफेक्टिव मेडिशन रही। उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार से दूसरी कम्पनियां हैं: मार्टिन एण्ड हैरिस, गोफल, ईस्ट इण्डिया फार्मेस्युटिकल, कम्पनी. पी० बी० एच०, सेमिस लेबोरेटरीज जिसने कैलशियम इन्जेक्शन्स सप्लाई किये थे और फिर टेब्लेट्स प्रा० लि० यह सारी जितनी कम्पनियां हैं इन्होंने सब-स्टैन्डर्ड मेडिशन्स सप्लाई कीं जिनमें फोरिन मेटेरियल पाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कार्यवाही की आज तक। इन केसेज को रेफर नहीं किया गया आज तक इनको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया और आज भी यह सारी की सारी कम्पनियां जो टैण्डर्स इनवाइट किये जाते हैं उसमें टैन्डर्स देती हैं। सबसे अधिक चालाकी, सभापति महोदय, यह होती है कि आपके अनुसार टैन्डर्स इनवाइट किये जाते हैं और जो कोटेशन्स देते हैं वह जगह खाली छोड़ दी जाती है और वे कम्पनियां और उनके एजेन्ट्स मैनुपुलेट करके जो उनकी लोएस्ट रेट होती है अपने फेवर में इन्सर्ट करके रेट को और टैन्डर्स को एक्सैप्ट करा लेते हैं। मैं, सभापति महोदय, उदाहरण देना चाहूंगा और यह जनरल है। स्पेसिफिक उदाहरण तो बाद में बताऊंगा परन्तु यह जनरल है कि टैन्डर्स के अन्दर इस तरह से शैतानियां की जाती हैं और लोग अपने ढंग से उन टैन्डर्स को मन्जूर कराते हैं। 1970-71 के लिए पार्ट बी और सेक्शन सी के टैन्डर्स इनवाइट किये गये यह सारे के सारे होस्पिटल वेयर्स के लिए इनवाइट किये हैं। मैं, सभापति महोदय, यह पूछना चाहूंगा और पता लगा है कि जो कोटेशन्स दिये वह ब्लैंक थे। ब्लैंक थे या नहीं ? अगर वह ब्लैंक थे तो उनको कैसे भरा गया ? आज यह सारी स्थिति अस्पतालों के अन्दर दवाइयों की खरीद में हो रही है। जब तक दवाइयां 'नाट टू दी मार्क' होंगी हम कैसे आशा करके चलें कि वह इफैक्टिव होंगी। चाहे इन्जेक्शन हों, चाहे पाऊडर हो अगर यह इनइफेक्टिव हैं तो किस प्रकार से आशा करें कि हम किसी प्रकार से सुधार ला पायेंगे या लोगों को इलाज दे पायेंगे, यह असंभव है। एक कारण

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तो यह है। दूसरा कारण जैसा मैंने बताया कि अस्पतालों के अन्दर लोगों के प्रमोशन्स होते हैं, लोगों की तरक्कियां होती हैं और सभापतिजी, यह केस मैंने कल भी उठाया था। एक प्रश्न था। इसके पहले मैंने यह प्रश्न गत सत्र में भी उठाया था और उस संबंध में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि मुझे इसकी पूरी जानकारी दी जाये और इस संबंध में मैं कार्यवाही करूंगा। लेकिन मुझे दुख है कि मैंने जो मंत्री महोदय को इस संबंध में पत्र लिखा वह हैं डॉक्टर दुग्गड़ जिनके बारे में कल भी प्रश्न था। आज एक ही व्यक्ति केमिकल एग्जामिनर, और वही जूरिस्ट है। दोनों जगहों पर मैनुपुलेट करके आराम से दो केस जिनके ऊपर हैं आज तक चल रहे हैं। आज सरकार की नींद खुली है कि केमिकल एग्जामिनर अलग होना चाहिए और जूरिस्ट अलग होना चाहिए। देर आयद दुरुस्त आयद—मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, जब मैंने पत्र के अन्दर स्पेसिफिक इन्सटान्स दिया था कि यह व्यक्ति किस प्रकार से लेक्चरार बन गये, आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि वह लेक्चरार बनने के योग्य नहीं थे फिर इनको लेक्चरार क्यों बना दिया। केवल यह कह देना कि उस समय कोई आदमी उपलब्ध नहीं था इसलिए इनको लेक्चरार बना दिया गया। यह कोई कारण नहीं है। क्या उसके लिए आपने कोई एडवर-टिजमेंट किया था? अगर एडवरटिजमेंट नहीं किया था तो केवल यह कह देना कि हमने अमुक व्यक्ति को इसलिये लिया कि कोई दूसरा क्वालिफाइड नहीं था, केवल यह कह देना कि हमने इसलिए बना दिया कि हमारे पास दूसरा आदमी नहीं था, मैं कहता हूं कि यह काफी नहीं है। यहां तक ही नहीं हुआ सभापति महोदय, डिपार्टमेन्ट में तो स्थिति यहां तक पैदा की गई डॉ० दुग्गड़ के बारे में मानो जैसे किसी एल० डी० सी० को यू० डी० सी० बनाने की बात नहीं हो, ऑफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट बनाने की बात नहीं हो और डाइरेक्ट हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट बना दिया जाये, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बना दिया जाये। इस प्रकार से डॉ० दुग्गड़ को प्रमोशन्स दिये गये। इसके पीछे राजनैतिक कारण हो सकते हैं और वह राजनैतिक कारण यह कि बेरी कमिशन के अन्दर जिस प्रकार से सरकार को नाजायज फायदा पहुंचाया उसका पारितोषिक इस व्यक्ति को दिया गया है। वर्ना मैं जानना चाहूंगा कि पद्धति के अनुसार केवल सी०ए०एस० ही हैं। इनको न तो ट्यूटर की पोस्ट दी गई, न लेक्चरारकी पोस्ट दी गई और डाइरेक्ट इस व्यक्ति को रीडर के लिए रिकमण्ड कर दिया गया। ऐसे कौन से सुरखाब के पर थे। एक व्यक्ति जो सी०ए०एस० केडर का है उसको रीडर के लिए रिकमण्ड कर दिया और, सभापति महोदय, यहां तक ही स्थिति नहीं है, रीडर के लिए जो मिनिमम क्वालि-फिकेशन रूल्स में प्रेस्काइब्ड हैं आज उसका मखौल किया जा रहा है और यहां तक कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट आज यूनीवर्सिटी में भी अपने हाथ का खिलौना बनाकर चल रहे हैं। आज जो उसकी क्वालिफिकेशन थी उसको रिलैक्स करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। सभापति महोदय, अभी तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वह यह थी कि एम०डी० होना चाहिए फोरेन्सिक साइन्स में या पैथोलाजी में या फिर सर्जरी में हो। किसी के अन्दर एम०डी० हो, यह मिनिमम क्वालिफिकेशन थी और कम से कम उस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

व्यक्ति को दो साल का एक्सपीयरेन्स होना चाहिए। लेकिन इन सब क्वालिफिकेशन्स को एक तरफ रखकर अब यह प्रयास किया जा रहा है कि केवल एम० बी० बी० एस० व्यक्ति को ही हम रीडर के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। क्या कारण है आखिर आप सारे कानूनों को क्यों रिलैक्स करना चाहते हैं? क्या हमारे यहां एम०डी० नहीं हैं? क्या राजस्थान के बाहर कोई एम० डी० नहीं है? इसके लिए मैं मंत्री महोदय, बताना चाहूंगा कि जोधपुर के मेडिकल कलिज में एम० डी० हैं हमारे राजस्थान में ही और वह हैं डा० एस० डी० माथुर, जो कि एम० डी० हैं फोरेन्सिक साइन्स में? इनको लेक्चरार का चान्स क्यों नहीं दिया गया? रीडर की जब आवश्यकता पड़ी तो इनको कन्सीडर क्यों नहीं किया गया? केवल एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए सारे रूल्स का वायोलेशन करके उस व्यक्ति को समय समय पर प्रमोशन्स देकर यह कार्यवाही क्यों की गई? अगर यही कार्यवाही चलेगी और दूसरे डॉक्टर और आपके विभाग के कर्मचारी अनुभव करें कि योग्यता नहीं चाहिए, जैक चाहिए और खुशामद चाहिए, उल्टे सीधे काम करने चाहिए अगर इसी आधार पर प्रमोशन्स दिये जायेंगे तो आप यह आशा करके चलें कि किसी प्रकार से चिकित्सा विभाग में सुधार हो पायेगा मैं समझता हूं कि यह असंभव है। इस व्यक्ति को कितना फायदा दिया गया मैं थोड़ा सा गवर्नमेन्ट के लेटर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब रीडर के लिए रिकमन्ड किया गया तो एक्सपीरियेन्स एज लेक्चरार बताया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि लेक्चरार के लिए इनका कब अपाइन्टमेन्ट हुआ? क्या कोई आर्डर है कि लेक्चरार के पद पर यह अपाइन्ट किये गये? यह नहीं किया गया लेकिन धोखा देने के लिए बताया गया कि लेक्चरार का एक्सपीरीयेन्स है। इसी प्रकार, सभापति महोदय, इस व्यक्ति का रेंक बढ़ाया गया। इकानामी ड्राइव चल रही है, सरकार पैसों की बचत करना चाहती है लेकिन दुगड़ अपनी जगह पर काम करेंगे और उनको फायदा पहुंचाना है। डाइरेक्टर एक पत्र लिखता है वह पत्र यह है सभापति महोदय :

Letter No. F. 17(614) MPH/60/ GR.II dated 9. 1. 69. addressed to Director of Medical and Health Services.

"Sub : **Creation of post ot Chemical Examiner**

I am directed to convey sanction of the Governor to the creation of a post of Chemical Examiner in the S. M. S. Hospital and College, Jaipur, permanently encadred in the R. M. & H. S. as a post of the rank and status of Junior Specialist in Pathology with effect from 1. 3. 1964."

यह 1969 का लेटर है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी 64 से उसको यह एडवान्टेज दिया गया है। क्या कारण थे? मैं यह जानना चाहूंगा। एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए 69 के अन्दर पोस्ट क्रियेट करके उसको एडवान्टेज देना चाहते हैं और पांच साल पहले से उसको रिट्रास्पेक्टिव इफक्ट दिया गया है। इसके कारण क्या आप बता

Page No 165

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सकते हैं ? इससे अधिक घातक बात, सभापति महोदय, और क्या हो सकती है । इस संबंध में मैं आपके सामने वह लेटर रखूंगा कि किस प्रकार से फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और ए०जी० को चकमा देकर डाइरेक्टोरेट ने और सेक्रेटेरियेट ने, केवल इस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिये यह किया है । यह दूसरा पत्र है–

Letter No. F. 17 (614) MPH/60 dated 7th July, 1967 from the Government of Rajasthan, Medical and Public Health Department to the Director of Medical and Health Services :-

"Sub:- Posting of Dr. S. M. Duggar, CAS as Chemical Examiner.

Sir,

In partial modification of this department Memo. of even number dated 3-10-66, I am directed to convey sanction of the Governor to treat the period from 13-9-63 to 11-2-64 as awaiting posting orders in respect of Dr. S. M. Duggar, CAS, now Chemical Examiner, S. M. S. Medical College, Jaipur.

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their I. D. No. 383/HM/G. dated 16. 6. 67."

यह सब एप्लीकेशन्स पड़ी रहीं, लेकिन इस व्यक्ति को एडवान्टेज देना था कि सर्विस में कहीं ब्रेक न हो जाय इसलिए 13-9-63 से 11-2-64 तक वेटिंग पोस्टिंग आर्डर के नाम से उसको रेग्युलेराइज करने के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के लेटर का हवाला दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने इस प्रकार का कोई लेटर नहीं लिखा है । केवल धोखा देने के लिए उसका रेफरेन्स दिया गया है, और उसका सबूत है यह तीसरा लेटर–

Letter No. 2840/PA/FC/67 dated 17-8-67 from Shri M. Mukerji, Financial Commissioner, Government of Rajasthan, Jaipur to the Accountant General Rajasthan, Jaipur.

"Sub:- Posting of Dr. S. M. Duggar, CAS as Chemical Examiner.

It has come to the notice of this department that Medical and Public Health Department sanction No. F. 17 (614) MPH/60 dated the 7th July, 1967 for treating the period 13-9-63 to 11-2-64 as awaiting posting orders by Dr. S. M. Duggar has been issued completely contrary to Finance Department's decision and a wrong certificate was recorded that it had the concurrence of this Department."

इससे अधिक गम्भीर और क्या बात होगी ? इस व्यक्ति को अनुचित फायदा दिलाने के लिए पोस्ट क्रियेट की जाय, प्रोमोशन दिया जाय, और अनुचित फायदा देने के लिए यह किया था और उस गलती को रेग्युलेराइज करने के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का हवाला दिया है और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट लिखता है कि उनसे किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ली गई । जब ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आप एक व्यक्ति को अनुचित प्रकार से लाभ देते चले जायें तो मैं समझता हूं कि आप किसी प्रकार से अपने आपको उचित नहीं ठहरा सकते हैं । दूसरे डॉक्टरों और कर्मचारियों के अन्दर मोरल बनाकर नहीं रह सकते । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर दुगड़ को नहीं बनायेंगे । उनको जो रीडर बनाने की कोशिश की जा रही है, उस व्यक्ति को जो ट्यूटर बनने के लायक नहीं है, वह व्यक्ति लेक्चरार बनने के लायक नहीं है और रीडर की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो युनिवर्सिटी ने निर्धारित की हैं, कम करना केवल एम०बी०बी०एस० के नाम से जब कि और डाक्टर हमारे राजस्थान में उपलब्ध हैं, मैं समझता हूं कि यह हरकत आपकी किसी प्रकार से कामयाब नहीं हो सकती है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब तक जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, जितनी भी खामियां हुई हैं इनको ठीक करने का केवल एक ढंग है कि आप डॉक्टर दुगड़ को टीचिंग से हटा लें । ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेट हिम रिमेन केमिकल एक्जामिनर, उससे सारे प्रश्न समाप्त हो जायेंगे । आपने अपने उत्तर में लिखा जरूर है लेकिन वह डर डर करके और घुमा फिरा कर, तथ्य भी कुछ कह दिये हैं और तथ्य कहे भी नहीं हैं । तो मैं समझता हूं कि यह स्थिति चलने वाली नहीं है ।

तो, सभापति महोदय, मेडिकल डिपार्टमेन्ट के बारे में यह कहकर कि हम चाहते हैं कि स्थिति सुधरे और लोग जो अपना इलाज कराने आते हैं और जितना इलाज हम मुहैया कर पाते हैं उससे उनको फायदा हो, तो हमें राजनीति को छोड़कर लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि योग्यता के आधार पर तरक्कियां होंगी और राजनैतिक आधार बीच में नहीं आयेंगे ।

इसके साथ साथ मैं कुछ समय के लिए औद्योगिकरण की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं....

श्री सभापति : समय बहुत थोड़ा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल कुछ शब्द ।

राजस्थान के अन्दर औद्योगिकरण की हवा बहुत खड़ी की जा रही है । राजस्थान की आज की स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार के लिए यह आवश्यक है कि जहां एक ओर लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज राजस्थान के अन्दर हम खोलें वहां साथ ही साथ राजस्थान के अन्दर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए । लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है, सभापति महोदय, कि जितने कन्सेशन्स मिल रहे हैं, जो कुछ भी सुविधायें दी जा रही हैं वे केवल बड़े-बड़े उद्योगों को दी जा रही हैं । आज राजस्थान के अन्दर हमको श्रम-प्रधान औद्योगिकरण करना चाहिए था, लेबर ओरियेन्टेड इन्डस्ट्रीज होनी चाहिए थी । लेकिन जितने बड़े बड़े उद्योग राजस्थान के अन्दर आ रहे हैं वे सारे के सारे आटोमेटिक हैं, और कोटा के बारे में मैं कह सकता हूं कि जितनी इन्डस्ट्रीज कोटा के अन्दर आई हैं लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज वे सारी आटोमेटिक हैं । उनमें कितने मजदूर काम करते हैं, कितनी पूंजी उसके अन्दर लगी हुई है, कितने करोड़ रुपया कारखानों में लगा हुआ है, उसके मुकाबले में श्रमिक कितने लगे हुए हैं ? उसके मुकाबले में जो

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

राजस्थान के अन्दर लघु-उद्योग हैं, सभापति महोदय, सिसक रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। आप उनके आंकड़े बता सकते हैं कि हमने इतने लाइसेन्स दिये और इतने हजार लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है, सभापति महोदय, कि आज राजस्थान के अन्दर 70 प्रतिशत से भी अधिक लघु उद्योग ठप्प पड़े हैं और उनमें ताले लगे हुए हैं। उसका कारण यह है कि कभी भी राजस्थान सरकार ने लघु-उद्योग राजस्थान में पनपाये जायें, वे भूखों न मरें, वे किसी प्रकार से बड़े उद्योगों के कम्पीटीशन में आकर बेकार न हों, उनके लिए मार्केट क्रियेट किया जाय, इन बातों की राजस्थान सरकार ने कभी चिन्ता नहीं की। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि लघु-उद्योगों के बारे में राजस्थान सरकार ने कभी भी हैड क्वार्टर पर इस प्रकार की तालिका बनाई है कि अमुक उद्योग के उत्पादन की इतनी क्षमता है और अमुक मात्रा में उसको रा-मेटेरियल चाहिए और इस रा-मेटेरियल के अन्दर जो कन्ट्रोल्ड आर्टिकल्स हैं या लिमिटेड आर्टिकल्स हैं वे उनको उचित मात्रा में मिलनी चाहिएं। उसके बारे में कभी भी इस प्रकार का विचार किया है? आज राजस्थान सरकार यह कहकर चलती है कि डिकन्ट्रोल होने के बाद हम मजबूर हैं। आप मजबूर हैं। लेकिन यह स्थिति है कि 62 से 65 तक का कोटा अब राजस्थान के अन्दर आ रहा है और जो अब माल आ रहा है वह ब्लैक के अन्दर बिकता है। जब ब्लैक के अन्दर बिकता है और सरकार को कहते हैं तो वह कहती है कि हम काबू नहीं कर सकते हैं। अब कन्ट्रोल हट गया तो किसी प्रकार भी प्राइस चैक नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में प्रार्थना की है, क्या कभी केन्द्रीय सरकार पर इस प्रकार का दबाव डाला है कि यह जो कोटा राजस्थान को प्राप्त हो रहा है उस पर वह कानून लागू होना चाहिए, उस पर कन्ट्रोल्ड सिस्टम चालू होना चाहिए। लेकिन आज भी जो माल आ रहा है उसको अगर दिलाया जाय तो वह किसी पर अहसान नहीं किया जा रहा है। उससे क्या होता है कि माल बच जाता है क्योंकि लोगों को जितनी आवश्यकता होती है उतना नहीं मिल पाता है। उसका नतीजा यह होता है कि वह केवल ब्लैक में बिकता है। वह आदमी उस माल को ब्लैक में बेचकर अपना काम चलाता है, क्योंकि वह इतना कम माल लेकर कारखाना नहीं चला सकता है, वह इतना-सा माल लेकर बेकार मजदूरों को काम नहीं दे सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है कि माल लिये जाय जो कुछ भी मिलता है और उसको ब्लैक में देकर अपना काम चलाये। आज जितनी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं राजस्थान की वे अधिकांश में सब स्टार्व कर रही हैं या ठप्प पड़ी हुई हैं और राजस्थान सरकार ने उस बारे में कोई चिन्ता नहीं की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार राजस्थान के अन्दर लघु-उद्योग को पनपाये, उनको जितना माल मेटेरियल चाहिए उनको मिले, उनको मुहैया कराया जाय, और इसको कर देने से कितने श्रमिक यहां राजस्थान के अन्दर काम पर लगेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार इस पर विचार नहीं करना चाहती।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कभी राजस्थान सरकार ने इस पर विचार किया है कि जो उद्योग राजस्थान के अन्दर लग रहे हैं, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर

Page No 168

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में हों या पब्लिक सेक्टर में हों उन उद्योगों में राजस्थान के कितने मजदूर लगे हैं, कितने पढ़े-लिखे लोग और इन्जीनियर्स लगे हैं, और कितने हमारे टेक्निकल हेंण्ड्स एब्जार्ब हो रहे हैं? आज उनको एम्प्लायमेंट नहीं मिल पाता है। आज मजदूर आयेगा तो दिल्ली का आयेगा, कानपुर से आयेगा, मद्रास से आयेगा, पंजाब से आयेगा, लेकिन राजस्थान के लोगों को वहां नौकरी मिल जाय, प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर उनको एम्प्लायमेंट मिल जाय, आज राजस्थान सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है।

आज इस प्रकार के प्रश्न जगह जगह उद्योगों में खड़े हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि सारे देश को हम हमारा समझते हैं लेकिन दुख उस समय होता है जब प्रान्तीयता की भावना के आधार पर लोगों को एम्प्लायमेंट दिया जाता है। आज इन्स्ट्रूमेंन्टेशन की हालत को देख लीजिये। हालत क्या है? इन्स्ट्रूमेंटेशन कोटा में पब्लिक सेक्टर में चल रहा है लेकिन वहां पर राजस्थान के व्यक्ति को एम्प्लायमेंट में प्रायोरिटी मिल नहीं सकती है। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जबकि कोटा के लिए गवर्नमेंट द्वारा यह कहा जाता है कि कोटा राजस्थान का कानपुर बनाने जा रहे हैं, कोटा का औद्योगिकरण हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप वहां से पर्सेन्टेज मालूम कीजिये कि कोटा के पढ़े-लिखे नौजवान, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है, जिन्होंने आई०टी०आई० की ट्रेनिंग प्राप्त की है, जो एम० ए० हैं, एम० एससी० हैं लेकिन फिर भी आज बेकार बैठे हुए हैं उनमें से कितने लोगों को इसमें नौकरी मिल पाई है? मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार एक फोलो-अप प्रोग्राम इस प्रकार का बनाये कि कितने लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और कितने लोग कहां कहां पर खप पाये हैं, कहां कहां पर नौकर हो पाये है और इस प्रकार जानकारी करके जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करें। लेकिन राजस्थान सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है। एम०ए०, एम० कॉम०, एम० एससी० पास लड़कों की बात छोड़िये, लेकिन जिन्होंने इंजिनियरिंग की है, जो डिप्लोमा होल्डर्स है, जिन्होंने आई०टी० आई० की ट्रेनिंग की है उनके लिए राजस्थान सरकार के पास में किसी स्थान पर चाहे वह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हो, चाहे इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो— कहीं पर भी फोलोअप प्रोग्राम नहीं है। इनके पास यह सूची नहीं है कि राजस्थान में कितने बेकार हैं, कितनों को धन्धा मिल चुका है और कितने अनएम्प्लायड हैं। आज एक तरफ राजस्थान में यह स्थिति चले और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार इस बात का गर्व करे कि राजस्थान का हम औद्योगिकरण कर रहे हैं— यह दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। आप राजस्थान में हैवी इन्डस्ट्री लायें, हम स्वागत करते हैं, आप हेवी इण्डस्ट्री लायें लेकिन उनके मूल्य पर छोटी इण्डस्ट्री की उपेक्षा करना चाहें — यह उचित नहीं है। सभापतिजी, आज स्थिति यहां तक है कि बड़े उद्योग हैं एक स्थान पर, उनके अलावा जो लघु उद्योग हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जिन चीजों का वहां पर उत्पादन होता है, वहां जो बड़े उद्योगों का वेस्ट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट निकलता है उस पर बेस्ड होकर वहां पर स्माल स्केल इण्डस्ट्री पनपें। आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है लेकिन जो बड़े उद्योग हैं वह छोटे

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

उद्योगों की परवाह नहीं करते है और न उनको बाई-प्रोडक्ट, न वेस्ट प्रोडक्ट और न फनिश्ड प्राडक्ट देने के लिए तैयार हैं। कोटा के अन्दर डी०सी०एम० के उद्योग चल रहे हैं, जे० के० के चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब छोटे उद्योगों का माल मांगते हैं तो वह अपना हैड ऑफिस दिल्ली में रखते हैं, कानपुर में रखते हैं, इसलिए वह पहले वह माल हैड ऑफिस में दिल्ली या कानपुर जायेगा और फिर दिल्ली या कानपुर से कोटा आयेगा लेकिन वह उसका खर्चा देने को तैयार नहीं है, तो क्या आप आशा करके चलते हैं कि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को पनपाने के अन्दर सहयोग नहीं दें, और राजस्थान सरकार की तरफ से उनको ऐसा करने के लिए कोई हिदायत नहीं हो तो छोटे उद्योग पनप जायेंगे? मैं समझता हूं, राजस्थान के अन्दर ऐसी स्थिति में छोटे उद्योग पनप जायं—यह असम्भव है।

इन शब्दों के साथ मैं केवल अब, माइनिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा की रायल्टी की रेट्स में अन्तर है। मेरा निवेदन है कि इस पर राजनीति के आधार पर विचार नहीं करें, इसके ऊपर मानवता के आधार पर विचार करें। सैण्ड स्टोन पर जो रोयल्टी लगी हुई वह अलग अलग है, जबकि दोनों की सीमायें लगी हुई हैं। बूंदी की खान है, उस सम्बन्ध में दुख यह है कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य मंत्री हैं और केबिनेट में बैठते हैं, फिर भी केबिनेट के समक्ष इस प्रश्न को नहीं लाया जाता। तो उससे बूंदी की खान लगी हुई है और भीलवाड़ा की खान भी लगी हुई है, दोनों में एक तरह का पत्थर निकलता है, एक तरह की स्थिति है, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार की रेट्स के अन्दर दुगना और तिगुना अन्तर है, इतना अन्तर है कि भीलवाड़ा के आज ठेकेदार पनपें और बूंदी और कोटा के ठेकेदार न पनपें। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर एक प्रकार की दर इस सम्बन्ध में निश्चित करनी चाहिए।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : सभापति महोदय, मैं केवल पांच मिनिट में खत्म कर दूंगी।

सभापति महोदय, जन स्वास्थ्य की मांगों के अवसर पर इस संबंध में राजस्थान सरकार का ध्यान बीकानेर की व्यवस्था की, जलप्रदाय व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। बीकानेर जिला अकाल पीड़ित होने के साथ साथ बोर्डर का इलाका है, जहां पर कुछ इलाका पीने के पानी की व्यवस्था के लिए बरसात पर निर्भर है। बीकानेर का खास तौर बोर्डर वाला इलाका है वहां स्थिति यह है कि वहां कुओं में से मीठा पानी नहीं निकलता है। बीस बीस मील के पेटे का क्षेत्र ऐसा है जहां पर पूरी तरह से बरसात नहीं हो तो लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या हो जाती है और उस क्षेत्र में अकाल के दिनों में सरकार को ट्रेक्टर और ट्रक्स के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाना पड़ता है मैंने बार बार इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि आज जिन इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और बरसात के पानी से भरने वाले कुंड और टांके बरसात न होने की वजह से खाली पड़े रहते हैं वहां पर रीजनल वाटर सप्लाई

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

स्कीम बना कर पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि आजादी के बाइस वर्ष के बाद भी वहां लोगों को पीने का पानी सरकार उपलब्ध नहीं करापाती है तो इस राज्य सरकार को लोकप्रिय राज्य सरकार नहीं कहा जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि गडीला गांव की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम है, वह कितने ही अर्से से पेंडिंग पड़ी है। मेरे द्वारा इस रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम की ओर कई बार ध्यान दिलाने के बावजूद सरकार की ओर से इस स्कीम को मन्जूर नहीं किया गया है। इस स्कीम को मन्जूर करने से जो अकाल पीड़ित क्षेत्र है, बोर्डर पर स्थित है, ऐसे दस गांवों में पानी की व्यवस्था हो सकती है। इसी प्रकार गजनेर की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम है, वह बीकानेर से बीस मील दूर है, वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। वहां रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बनी हुई पड़ी है, गजनेर के पास ही मीठे पानी का कुआं निकाला गया है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम की व्यवस्था इस सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। मैं इसलिए सरकार को इस सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दे क्योंकि इस सरकार द्वारा इस आजाद हिन्दुस्तान में जनता के पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की जा सके-यह सबसे बड़े दुःख की बात है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि बीकानेर में जो गिनानी नाला है उसके बारे में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह चुके हैं कि उस नाले का पानी रामपुरिया सेठ की जमीन में पहुंचा कर उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी मैंने पहले भी इस संबंध में निवेदन किया था कि इस नाले का डाइवर्शन वहां जो घड़सीसर का एरिया है, जहां पर कि सरकारी जमीन है, उस तरफ कर दिया जाय, इस नाले का डाइवर्शन घड़सीसर की तरफ कर दिया जाय तो अकाल के समय में सरकार के सामने जो चारे की मुसीबत उपस्थित होती है, वह दूर हो सकती है। वहां पर उस पानी से काफी चारे की व्यवस्था हो सकती है।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस नाले के आस पास रहने वालों की ऐसी भंयकर स्थिति थी जैसे कि वह जिन्दा नरक के अंदर बसते थे। बार बार निवेदन करके बड़ी मुश्किल के साथ इस नाले की योजना को राज्य सरकार से मंजूर करवाया लेकिन वहां पर जो अधिकारी वर्ग है उस अधिकारी वर्ग ने इस योजना का सत्यानाश कर दिया। इस बात को वहां के अधिकारी वर्ग ने माना है कि यह स्कीम गलत बनी है। उस नाले के बनने से पहले पहले उसके चारों तरफ पानी फैल जाता था लेकिन अब उस नाले के लेवल को ऊंचा कर दिया गया है और इसके पास जो लोगों के मकान हैं उनका लेवल नीचा कर दिया है इस कारण से बरसात के दिनों में इस नाले में से पानी बाहर निकल कर चारों तरफ फैल जावेगा और पानी सड़ेगा। पिछले साल तो वहां पर क्योंकि बरसात नहीं हुई इसलिए लोग इस मुसीबत से बचे रहे लेकिन इस साल अच्छी बरसात हुई तो लोगों के लिए वहां रहना मुश्किल हो जायगा। आज भी कई जगह वह नाला रुका पड़ा है और पानी इधर उधर फैलता है, पानी सड़ रहा है और लोगों के मकान की नीवें

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

में भी वह पानी जा चुका है। इसकी व्यवस्था करने की बात मैंने कही थी। मैं इसके लिए सुझाव रखती हूं कि चाहे बम्बई से इंजीनियर को बुलाना पड़े, चाहे दिल्ली से इंजीनियर को बुलाना पड़े, क्योंकि यह हमारे इंजीनियरों की समझ के बाहर है, इसलिए कोई हर्जा नहीं यदि पांच हजार रुपये भी महीने के देने पड़े लेकिन वह देकर इस उन्नीस लाख की स्कीम का सही तरह से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस नाले की ओर बार बार तवज्जह दिलाने के बाद भी सरकार निष्क्रिय है और जिस तरह से ऑफिसर स्कीम का वर्क आउट करना चाहते हैं वह कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि इस बारे में ध्यान दिया जायगा, इसके बिना समस्या का अन्त नहीं हो सकता है।

अब मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहती इसलिए थोड़े में चिकित्सा व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगी। बीकानेर के अस्पताल का सवाल है उसमें एक नर्सिंग ट्रेनिंग सैन्टर चलता था। मैं आपको बताऊं कि बीकानेर का अस्पताल देश के उन तीन अस्पतालों में था जो कि एफ०आर०सी०एस० के लिए मान्यता प्राप्त था। लेकिन वहां पर नर्सिंग ट्रेनिंग सैन्टर को इकॉनामी कट के नाम पर खत्म करने की बात की गई है। मेरा निवेदन है कि वहां नर्सिंग सैन्टर बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर मेडिकल कॉलेज है और एक नर्स तीन पेसेन्ट पर होनी चाहिए। अगर उस अस्पताल को पूरा स्टाफ मिले तो करीब सौ नर्सेज को एम्प्लाय करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि नर्सेज को जो स्टाइपेण्ड मिलता है वह तो हर स्थिति में उनको मिलेगा, साथ ही बाकी का जो स्टाफ है उसको भी कहीं न कहीं एम्प्लाय किया जायेगा, इसलिये मेरे ख्याल में यह इकानामी कट ठीक नहीं बैठता। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर नर्सिंग ट्रेनिंग सैन्टर रहना चाहिए। मरीजों की जो देखभाल की जिम्मेदारी है वह दूसरे स्टाफ पर पड़ती है, जो कि उनकी अच्छी प्रकार देखभाल स्टाफ की कमी की वजह से नहीं कर सकेंगे। वैसे भी यह एक प्रकार से वहां के स्टाफ पर अन्याय होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि बीकानेर के साथ में जो इस प्रकार नर्सिंग ट्रेनिंग सैन्टर को इकॉनामी कट में समाप्त करके सौतेला व्यवहार किया गया है उसको हम आगे बरदाश्त नहीं कर सकेंगे।

रेडियोलोजी सैन्टर के संबंध में मैं निवेदन करूंगी कि बीकानेर का ऐसा अस्पताल है राजस्थान में जहां कैंसर का ट्रीटमेंट रेडियम के द्वारा किया जाता है, लेकिन वहां पर जो एक्सपीरियेन्स्ड कम्पाउन्डर थे उनको जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया है और रेडियोलोजी का ट्रेनिंग सैन्टर था, उसको खत्म कर दिया गया है इकानामी कट के अन्दर, लेकिन इससे होने वाली इकानामी को देखें तो केवल सात हजार की बचत होती है। मेरा निवेदन है कि रेडियोलोजी सैन्टर को वहां से नहीं हटाना चाहिए और वापिस उसको बीकानेर में ही रखा जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक स्टाफ का सवाल है, बीकानेर के अस्पताल के अंदर जो नर्सेज हैं और जो स्टाफ है उसके सुविधा के लिये बाथ रूम तक की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा के नये से नये साधन उपलब्ध करायें या नहीं लेकिन जो यह जमा हुआ अस्पताल है इसको मेन्टेन नहीं किया जाय और स्टाफ के लिए सुविधा के पूरे साधन

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

उपलब्ध नहीं हों, स्टाफ के लिए कम से कम बाथ रूम तो प्रोवाइड करना चाहिए, वह भी नहीं कर सकें हैं-Out door मरीजों के लिये अस्पताल में बाथ रूम्स नहीं है।

इसके साथ ही साथ में माईनिग बेस्ड इन्डस्ट्री के बारे में कहना चाहूंगी। बाकी जगह विकास किया जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं पर पलाना में लिग्नाइट का प्लान्ट लगाने की व्यवस्था की जाय। पलाना में काफी मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध हो सकता है, इसके बारे में रिपोर्ट आई हुई है। यह कहना कि हम पावर सरपलस हैं तो तीन चार साल आगे जब विकास इन्डस्ट्री का होगा तब हम फिर पावर की कमी महसूस करेंगे और तीन चार साल पलाना में पावर प्रोड्यूज करने में लगेंगे। कतई गलत है। वहां काफी मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध है। क्योंकि वहां उस क्षेत्र में अकाल पड़ते रहते हैं, पलाना में यदि लिग्नाइट पलान्ट लगा दिया जाय तो इससे अकाल पीड़ित लोगों को भी राहत मिल सकती है और उस क्षेत्र के लोगों को काम मिल सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि पलाना में लिग्नाइट प्लान्ट लगाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : सदन का समय कितना बढ़ाया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आधे घंटे में पूरा कर दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : जब तक डिमाण्डस पास नहीं हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दीजिये।

श्री सभापति : नहीं, इस तरह अनिश्चित समय के लिये बढ़ाना उचित नहीं है। आप कितना टाइम लेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आधा घंटा।

श्री सभापति : आप कितना लेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा : आधा घंटा।

श्री सभापति : आप कितना लेंगे ?

(ट्रेजेरी बैंन्चेज की ओर से आवाज, 15 मिनिट)

मैं समझता हूं दो घंटे का समय बढ़ा दें ?

श्री हरिदेव जोशी : एक घंटे का समय बढ़ा दें, मैं कम समय में ही पूरा करने की कोशिश करूंगा।

6 म० प०

श्री सभापति : सदन का समय सदन की अनुमति से एक घटा बढ़ाया जाता है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, और भी माननीय सदस्यों के कट मोशन्स हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था।

श्री सभापति : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। एक घंटे का समय बढ़ाया हे, पौने दो घंटे सरकार को चाहिये। सदन अगर चाहता है कि देर तक बैठना है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय क्रान्ति दल के भी सदस्य बोलना चाहते हैं, चुन्नीलालजी भी बोलना चाहते हैं, इनके नाम मेरे पास आये हुए हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहां बैठा हूं आप चाहें तो और बैठ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि उत्तर जल्दी ही समाप्त हो जाय।

उत्तर के बाद स्पष्टीकरण में 5 मिनिट ले सकते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : नहीं सभापति महोदय, कुछ समय दीजिये।

श्री सभापति : कैसे दूं ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : रोज ही देते हैं। तीन चार डिमांड्स हैं, हमारी तरफ से केवल तीन सदस्य ही बोल पाये हैं।

श्री सभापति : समय तो 50 मिनिट ले लिया।

आपका कटौती प्रस्ताव है ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरे कटौती प्रस्ताव सबमें हैं।

श्री सभापति : अच्छा आप 5 मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया है, उसके लिये धन्यवाद ।

मेरा कट मोशन चिकित्सा के सम्बन्ध में है । हॉस्पिटल्स में औषधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, उनके बारे में और खास तौर से सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा । आउट डोर में कोई भी गरीब आदमी इलाज कराने के लिये सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जाता है तो उसको डॉक्टर देख कर बाजार की दवाइयां लिख देता है, उसको हॉस्पिटल से दवाई की कोई फेसेलिटी नहीं मिलती है। बड़े आदमी तो बाजार की दवाइयों का खर्चा वर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन एक मजदूर उस खर्च को वर्दाश्त नहीं कर सकता । इसलिये गरीबों के लिये हॉस्पिटल में दवाई की फेसिलिटी मिलनी चाहिये । जब पहले राजाओं का राज था उस समय भी गरीब आदमियों को मुफ्त में दवाई मिलती थी । अब आजादी के 22साल के बाद भी गरीबों को हॉस्पिटल्स से मुफ्त में दवाई नहीं मिलती है तो यह सरकार सरकार नहीं कही जा सकती । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गरीबों को हर हॉस्पिटल में मुफ्त दवाइयां मिलनी चाहिये ।

यहां हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को तब तक एडमिशन नहीं मिलता है जब तक कि डॉक्टरों को प्राइवेटली फीस नहीं दे दी जाती है । तो डॉक्टरों को जो यह प्राइवेट फीस की सुविधा दे रखी है, उसको बन्द करना चाहिये । अमीरों को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वे फीस दे सकते हैं पर गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वह इस चीज को कभी वर्दाश्त नहीं कर सकता और वह बीमारी से पीड़ित हो कर मर जाता है और उसके पीछे उसके बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जो सुविधा डाक्टरों को दे रखी है उसे बिलकुल बन्द कर देना चाहिये । पहले एक रिपोर्ट आई थी उसमें डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द कर के कुछ और सुविधाएं देने का सुझाव आया था । तो डाक्टरों को सरकार और सुविधाएं दे दे पर इनकी प्राइवेट प्रैक्टस को बन्द कर देना चाहिये ।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो उसे एक्सरे कराने के लिये और ब्लड टैस्ट, यूरिन टैस्ट कराने के लिये कहा जाता है । यह सुविधा भी हॉस्पिटल में नहीं है, इसलिये उसको एक्सरे वगैरा करवाना पड़ता है और 15–20 रुपये एक्सरे के देने पड़ते

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

हैं । एक्सरे कराने के लिये कहा जाता है, ूरिन टैस्ट कराने को कहा जाता है, ब्लड टैस्ट कराने का कह देते हैं । इन सब की हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है । तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गरीब आदमियों का एक्सरे और दूसरे टैस्ट मुफ्त में होने चाहिये । एक्सरे बाहर कराने के लिये लिख दिया जाता है, दूसरे टैस्ट कराने का लिख दिया जाता है इससे ही वह निराश हो जाता है और हॉस्पिटल में जाता ही नहीं है क्योंकि इस सबके लिये उसके पास में बीस पच्चीस रुपये होते हैं और न वह वापिस हॉस्पिटल जाता है और इस तरह वह गरीब बीमारी से मर जाता है ।

अब मैं थोड़ा सा मेरे इलाके के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं । डिस्पेन्सरी 8 हजार की आबादी पर खोल दी जाती है, इसके बावजूद मनोहरपुर ग्राम जिसकी आबादी 15 हजार है उसमें डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई है, यह कहां का न्याय है ?

इसी तरह से दौसा क्षेत्र में दस दस, पन्द्रह 2 हजार की आबादी के सैंथल कून्डल, सीडोली, लवाण ऐसे कस्बे हैं जहां आपको डिस्पेन्सरी खोलनी चाहिये जबकि आपका डिस्पेन्सरी खोलने का क्राइटेरिया है कि 8 हजार की आबादी में डिस्पेन्सरी खोल दी जाय । इससे ज्यादा आबादी वाले ग्रामों में डिस्पेन्सरी नहीं खोली जाती है, यह सरकार की बहुत गलत नीति है ।

दौसा के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं । दौसा में हॉस्पिटल है । उसमें मशीन या तो खराब है या डॉक्टर उस मशीन को चलाने योग्य नहीं है । इसलिये वह बार बार खराब हो जाती है और लोगों को जयपुर आना पड़ता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां अच्छी मशीनरियां को उपलब्ध कराया जाय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी दौसा में डॉक्टर है, उसको बदल दें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : डॉक्टर को बदलने के लिये नहीं कहता, मशीन में खराबी हो तो उसको ठीक कराने की कार्यवाही करें । मैं मशीन के लिये कहता हूं, दो चार बार तो मैंने प्रश्नों द्वारा कह कर ठीक किया, इसलिये मेरा कहना गलत नहीं है। वहां बेड्स की कमी है उसके आसपास कोई अस्पताल नहीं है । दवाइयां भी नहीं मिलती हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि दवाइयों व चारपाइयों की व्यवस्था करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं दौसा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । दौसा 20 हजार की आबादी का कस्बा है और वहां 80 हजार रुपया लगाकर जयपुर राज्य ने नल योजना कायम की थी । वहां 20 हजार की आबादी के लिए केवल 75,000 गैलन पानी मिलता है । तो इस तरह से एक व्यक्ति को केवल 3 गैलन पानी प्राप्त होता है जबकि म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति को 20 गैलन पानी मिलना चाहिए । तो इस तरह से उस कस्बे में जहां केवल दो ढाई गैलन के हिसाब से पानी मिलता हो वहां के लोग पानी के बगैर परेशान होते हैं । उस कस्बे के लिए सरकार खुद मानती है कि पानी नहीं दे पा रहे हैं और वहां गर्मी के मौसम में कुएं पानी नहीं दे पाते हैं । सरकार ने दौसा के लिए कुछ दिन पहले कहा है दौसा को पूरा पानी मिलना चाहिए ।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

...प्राइवेट कनेक्शन्स को पानी नहीं दिया जाता और पैसा वसूल करते हैं। जब पूरा पानी नहीं देते हैं तो पैसा क्यों लिया जाता है?

(घंटी)

श्री सभापति : आपने कहा एक बात कहूंगा। आपको समय दिया, 10 मिनट लिए हैं आपने।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक नल की योजना चालू की थी ...

श्री सभापति : आसन की तरफ से आपको सुविधा दी गई और समय समाप्त होने पर आपके विशेष आग्रह पर और समय दिया गया। आपने 5 मिनट के बजाय 10 मिनट का समय लिया। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने की कोशिश न करें। उद्योग मंत्री।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): सभापतिजी, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने राज्य के औद्योगीकरण में काफी रूचि ली और अपनी ओर से कई सुझाव दिए हैं। बहुत संभव है कि जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने यहां पर दिए हैं उनमें से सबका मैं जवाब नहीं दे सकूं समय की कमी को ध्यान में रखते हुए किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि जो बातें उन्होंने यहां पर कहीं हैं और यदि उनके अंदर अमल करना जरूरी है तो नहीं किया जायगा। इस दृष्टि से मैं कुछ जनरल बातें जो कही गई हैं, उनको पहले लेना चाहता हूं।

इसमें दो राय नहीं कि राजस्थान का जिस तीव्र गति से औद्योगीकरण हम चाहते थे या सब लोग चाहते थे, उस दृष्टि से नहीं हुआ है, लेकिन उसके कई कारण हैं। कुछ तो राजस्थान के भौगोलिक कारण हैं, कुछ इसके ऐतिहासिक कारण हैं। औद्योगीकरण वहां ज्यादा होता है जहां उसका कुछ आधार बना हुआ हो। जो देशी रियासतें पहले से पिछड़ी हुई थी, वह आज भी कई अंशों में पिछड़ी हुई हैं। राजस्थान में कम्युनिकेशन्स का और इन्फ्रास्ट्रक्चर का, जो औद्योगीकरण के लिए बहुत जरूरी होता है, आधार नहीं था और इसलिये हम यह कहें कि आजादी से पहले जो औद्योगिक आधार होता है, वह हमें नहीं मिला। आजादी के बहुत दिनों बाद भी, जो सबसे मुख्य चीज उद्योगों के लिए होती है बिजली, उसका हमारे यहां नितान्त अभाव रहा। इस तरह पंचवर्षीय योजना में निरंतर अकाल पड़ने के कारण चंबल और भाखरा से बिजली हमें कम मिली, परिणाम यह हुआ कि हमें 60 प्रतिशत तक बिजली पर कटौती करनी पड़ी और इससे, मैं समझता हूं, जो सेटबैक राजस्थान को हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति आने वाले 10 वर्ष में भी नहीं हो सकेगी। आज भी जब हम बार बार यह कहते हैं कि राजस्थान में बिजली का कोई अभाव नहीं है, अखबारों में आता है, तब भी कोई एन्टरप्रेन्यूनर से जब कोई आते हैं सबसे पहला प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि बिजली की कटौती तो नहीं होगी? मतलब यह कि इस प्रकार का वातावरण बना, बिजली की कमी के कारण से, जिससे, मैं समझता हूं, बहुत बड़ा सेटबैक हमको रहा, किन्तु अब उस कमी की पूर्ति हो चुकी है। राज्य सरकार अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखना चाहती जिससे लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया जाये कि हम उन सारी सुविधाओं को देना चाहते हैं जो दूसरी जगह मिल सकती हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

अभी कोटा से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो सुविधायें आम तौर पर दी जाती हैं वह बड़े उद्योगों को दी जाती हैं, छोटे उद्योगों को नहीं । मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन पिछले कुछ वर्षों में हमने यह प्रयत्न किया है कि इन्डवीज्यूअल एन्टरप्रनूर बात करने की अपेक्षा हम उन्हें यह किताब दे दें कि हम ये इन्सेंटिव्ज देते हैं, ये कन्सेशन्स देते हैं ....

श्री सभापति : मैं समझता हूं, वैसे तो आपका डिस्क्रेशन है लेकिन जिस माननीय सदस्य ने यह सवाल रेज किया है वह सदन में उपस्थित नहीं हैं । बाकी जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर को पहले ले लें तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान की औद्योगिक नीति पर, जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, उन पर रोशनी डालनी ही होगी, माइने जो इन्सेन्टिव्ज हम देते हैं, अगर उनके लिए भ्रम रह जाता है कि केवल इन्सेन्टिव्ज बड़े उद्योगों को मिलते हैं और छोटे उद्योगों को नहीं मिलते हैं, तो यह भ्रम भी राजस्थान के औद्योगीकरण के लिए हानिकर होगा । इसलिए इन चीजों को साफ कर देना चाहता हूं कि किसी एक इन्डवीजूअल एजेन्सी से बात करके कोई इन्सेंटिव दें की अथवा कन्सेशन्स दें की बात नहीं बल्कि हम सब एक स्तर पर चाहे बिजली का कन्सेशन, चुंगी या डेवल्ड जमीन, बिक्री कर में कन्सेशन दें अथवा बिजली दर, सब पर समान रूप से लागू करेंगे । छोटे चाहे बड़े उद्योगों के लिए इस प्रकार के क्लीयर डाक्यूमेंट्स निकाल दिए हैं, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि राजस्थान में बड़े उद्योगों को प्रश्रय दिया जाता है ।

विशेषकर यहां पर कहा गया कि हमें लेबर इन्सेंटिव उद्योगों की तरफ ध्यान देना चाहिए और जिनमें लेबर एम्पलायमेंट कम होता है, उन पर इतना प्रश्रय नहीं देना चाहिए । मैं मानता हूं कि आज औद्योगीकरण का अर्थ केवल यह नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है । बल्कि उसका अर्थ यह है कि उससे वहां अर्थव्यवस्था को कितना बल मिलता है और कितने लोगों को रोजगार मिलता है । यह सही है किन्तु समय की रफ्तार के साथ साथ और विज्ञान व टेक्नोलोजी के विकास के साथ साथ, आज आटोमेशन काफी बढ़ता चला जा रहा है, उसमें केवल हम यही दृष्टिकोण रखें कि राजस्थान में हम जो ट्रेडीशनल उद्योग हैं, उनको बल देंगे, तो राजस्थान नुकसान में रहेगा । किंतु जब हम यह कहते हैं कि हमारे लोगों को रोजगार ज्यादा मिलना चाहिए तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कटौती प्रस्ताव आए हैं कि हमारी तहसील में क्या हुआ, हमारे गांव में क्या हुआ हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, तब हमें देखना होगा कि अगर हम ग्राम स्तर के उद्योगों को बात करते हैं, उसका मतलब ग्रामोद्योग, जब छोटे उद्योगों की बात करते हैं तो जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की परिभाषा में आते हैं, वे छोटे उद्योग हैं ।

उद्योगों को पनपाने के लिए कई प्रकार की चीजों की जरूरत होती है और उसमें सबसे बड़ी चीज है पूंजी, दूसरा है मार्केट और तीसरा कच्चा माल (रॉ-मेटीरियल) और दूसरे साधनों की जरूरत होती है ।

(श्री हरिदेव जोशी)

जहां तक ग्रामोद्योगों का सवाल है, सभापति महोदय, क्योंकि वे ज्यादा लोगों से संबंधित हैं, ज्यादा बड़े क्षेत्रों से संबंधित हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने ग्रामोद्योगों को कम प्रायोरिटी दे रखी हो, ऐसी बात नहीं । उनको भी उतनी ही प्रायोरिटी दे रखी है, जितनी लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को देते हैं । जहां लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को 9 परसेन्ट अथवा 12 परसेन्ट पर लोन देते हैं, वहां खादी और ग्रामोद्योगों को इन्ट्रेस्ट फी लोन देते है । जितने उद्योग हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं, उनको न केवल केपिटल इन्वेस्टमेन्ट बल्कि वर्किंग केपिटल इन्ट्रेस्ट फ्री और बाज वक्त 2 1। परसेन्ट नोमीनल इन्ट्रेस्ट पर लोन दिया गया है । सूती खादी हो, ऊनी खादी हो, पोटरी हो, सिरेमिक्स हो, अथवा दूसर उद्योग हों, उन सबके लिए भी उसी प्रकार लोन दिया जाता है ।

हमारे लिये यह खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रामों में जो ग्रामोद्योग लगे हुए हैं, उनमें निरन्तर वृद्धि हुई है । पिछले वर्षों में ऊनी खादी में, चूंकि हमारे यहां ऊन पैदा होता है, चार पांच वर्षों में 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ का उत्पादन हुआ है और आज हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन और बिक्री पिछले 10 वर्षों में हुई है, उतना उत्पादन और बिक्री कभी नहीं हुई ।

श्री रामकिशन : कमीशन ज्यादा दिया है गांधी शताब्दी वर्ष में ।

श्री हरिदेव जोशी : कमीशन सोच समझ कर ही दिया । इतना स्टाक एक्युमुलेट हो गया तो उसका एक प्रकार का असर ऊन उद्योग पर भी हुआ । इसलिए कमीशन दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनडाइरेक्टली हमारे काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को काफी काम मिला है और मदद मिली है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अकाल राहत में पूंजी का नियोजन किया गया । खादी और ग्रामोद्योग के माने में इतना इस साल नहीं हुआ । पिछली बार इन्वेस्टमेन्ट हुआ और वही रोटेशन हो रहा है और उसको विथ्ड्रा नहीं किया है और जो काम कर रहे हैं, उनको काम करने का अधिकार है, इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं है. अलबत्ता जो ट्रेड इन्कीज होना चाहिए, एक लाख या पांच लाख का उत्पादन हुआ है तो आज दस लाख का होना चाहिए, उतनी सहायता नहीं मिली हो यह हो सकता है. वरना जो पूंजी पिछले वर्ष दी गई उसको विथ्ड्रा नहीं किया । खादी के क्षेत्र में, ग्रामोद्योग के क्षेत्र और इसी प्रकार के उद्योगों के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग दिया जावेगा और रिलेक्स करने की भी जरूरत हुई तो रिलेक्स करेंगे ।

पिछले वर्षों में सभापति महोदय, लोन्स केवल सोसाइटीज को दिया जाता था और संस्थाओं को दिया जाता था मगर हमने यह महसूस किया है, जो लोग पोटरी में लगे हुए हैं, सिरेमिक्स में लगे हुए हैं, कारपेन्टरी में लगे हैं, चूने भट्टे में लगे हुए हैं, सोसाइटी बना कर, एसोशियेशन बना कर अपना काम नहीं कर सकते, इस प्रकार ग्रामोद्योगों में इन्डिविजुअल काम करते हैं, उनको पूंजी नहीं मिल पाती है, कार्यकारी केपिटेल नहीं मिलती है, इन्डिविजुअल को भी सुविधा दी जाय ।

(श्री हरिदेव जोशी)

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये यह महसूस किया जाता है राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन और दूसरी लोनीज एजेन्सीज हैं, जैसे बीस लाख का लोन दिया तो राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन 9 परसेन्ट इन्ट्रेस्ट लेता था, बहुत छोटे उद्योग हैं, जैसे दर्जी का काम है, उनको लोन मिले, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण राजस्थान सरकार तो दे नहीं पाती, बाकी के पास पहुंच नहीं सकते, तो उसके लिए विशेष कानून बना कर बजट में राज्य सरकार ने प्रावधान किया कि राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन 6 परसेन्ट चार्ज करेगा, वैसे 9 परसेन्ट से कम नहीं कर सकता लेकिन 6 से 9 के बीच का जो 3 परसेन्ट का डिफरेन्स है उसकी राज्य सरकार पूर्ति करेगी । इस प्रकार से छोटे लोगों को भी दस हजार का हो अथवा अधिक हो फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन से भी लोन मिलने की सुविधा दिलवा दी गई है। इस प्रकार से छोटे 2 उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी फायदा मिलेगा।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, राजस्थान में औद्योगीकरण अथवा उद्योगों के कॉन्ट्रीब्यूशन के संबंध में कुछ बातें कही गई । जैसा मैंने निवेदन किया, यह सही है कि जितना चाहिए उतना औद्योगीकरण नहीं हुआ फिर भी इन्डस्ट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ा है ।

1964-65	500
1965-66	879
1966-67	2,078
1967-68	2,329
1968-69	3,405
1969-70	4,903

इसी प्रकार से स्माल स्केल एन्ट्रीप्रिन्योर्स हैं 6 हजार से लेकर 12 हजार 74 तक इन्क्रीज हुई । इसी प्रकार माइनिंग में 240 लाख से 1,046 लाख तक । परसेन्टेज में यह हो सकता है जैसे दूसरे सेक्टर में एब्रप्ट राइज होने के कारण परसेन्टेज छोटा मालूम पड़ता हो किन्तु कान्ट्रीब्यूशन का जहां तक सवाल है उसकी वैल्यू का सवाल है वह बढी है।

श्री रामकिशन : डिस्टोर्ट कर रहे हैं फैक्टस को। प्रोग्रेस के लिहाज से लघु-उद्योगों में गिरावट है । चालू कीमतों के अनुसार मानते हैं तो निरंतर गिर रही हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा था वह यह था कि जो इन्वेस्टमेन्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्डस्ट्रीज और माइन्स का वह राजस्थान में प्रोग्रेसिवली बढ़ा है ।

श्री रामकिशन : बजट स्टडी में दिये हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपनी बात कह दूं ।

सभापति महोदय, राजस्थान में रॉ-मेटिरियल की कई बातें कही गई । इसमें दो बात नहीं है कि पूरे देश में आइरन और स्टील की अधिक कमी हुई है और उस पर आधारित उद्योगों को एक धक्का भी लगा है । मैं फीगर्स देकर प्रभावित करने की बात नहीं करता । कम्पेरेटिवली एफर्ट्स करके राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा आइरन और स्टील पाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इन पिछले वर्षों में यदि किसी युनिट की डिमान्ड आती है और उसको आवश्यकता है तो उसको रिकमन्ड करके गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को भेजते हैं

(श्री हरिदेव जोशी)

और कोशिश यह रहती है कि उनको वह माल मिल जाय। पिछले पांच वर्षों में कितना कन्ज्यूम किया है उसको देख कर रिकमन्ड करते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं यह जानना चाहूंगा....

श्री हरिदेव जोशी : मैं पहले निवेदन कर दूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कितना आइरन और स्टील और मिल सकता है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात को पूरा सुनें तो ठीक होगा।

श्री सभापति : और शुरू से सुनें।

श्री हरिदेव जोशी : शुरू से सुने और बीज में चले जायं। मगर क्या करें पान खाने की जो आदत है।

श्री रामकिशन : तमाम जनसंघियों में पान खाने की आदत है।

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है।

श्री विजयसिंह : यह खुशी की बात है आपकी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : जो उनकी कठिनाई है, उसको एक्सपीरियंस कर के गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को प्रेस करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों गोहाटी के अन्दर आल इंडिया कॉन्फरेन्स हुई थी। उसके अन्दर हमने यह असर डालने की कोशिश की थी कि जो कन्ट्रोल उठा लिया गया है, उसको वापिस इम्पोज किया जाये और डिस्ट्रीब्यूशन कन्ट्रोल लाज के अनुसार होना चाहिए। वहां पर हिन्दुस्तान के सभी लोग थे और उन्होंने पक्ष-विपक्ष में कहा और हमारी बात को स्वीकार नहीं किया गया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बता दूं कि वहां पर यह तय हुआ है कि हमारी सिसीटीज क्या हैं उसका असेसमेंट होना चाहिए। उसके डिसीजन के अनुसार, ऑल इंडिया बोर्ड के निर्णय के अनुसार, सारे देश के अन्दर रा-मेटेरियल का असेसमेंट और सर्वे हो रहा है और इस वर्ष के आखिर तक इस सारे का असेसमेंट होकर जो ज्वान्ट कमेटी है वह इसको ध्यान में रखकर, प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर अपना प्रोग्राम बनायेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर पिछले दो-चार वर्षों में काफी ऐसे उद्योग लगे हैं जिसके ऊपर हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान की इकोनोमी में और उसकी आमदनी के ऊपर असर पड़ेगा। कई खनिज मिले हैं और उनके ऊपर आधारित उद्योग लगेंगे। सभापति महोदय, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि भारत सरकार को जो जिंक स्मेल्टर उदयपुर में लगा है, अगले वर्ष के अन्दर उसकी कैपेसिटी डबल कर देनी चाहिए कारण हमारा रिजर्व सैंट ज्यादा है, वह इतनी पैदावार कर सकता है। इस लिहाज से हम निरन्तर भारत सरकार से यह निवेदन करते रहे हैं और हमें खुशी है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार हम आशा करके चलते हैं अपने फैज प्रोग्राम के अनुसार खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कमीशन्ड हो जायेगा और उसका प्रोडक्शन हो जायेगा। इसके होने के बाद मेरी ऐसी मान्यता है कि इसका राजस्थान की इकोनोमी के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। हमारी पिछली कुछ ऐसी

(श्री हरिदेव जोशी)

विशेष उपलब्धियां हैं और अब जो कापर की डिपोजिट वहां पर पायी गयी है उससे कुछ और दो-चार डिपाजिट्स वहां पाई गई हैं और सिरोही और दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ हायर ग्रेड का कापर अभी मिला है। इससे इस कापर प्रोजेक्ट की लाइफ ब. जायेगी और राजस्थान के औद्योगीकरण को गति मिलेगी।

सभापति महोदय, कुछ समय पहले मैंने इस सदन के अन्दर राक फासफोरेट और पाइराइट पर आधारित उद्योगों के बारे में बताया था। हम अब ऐसी आशा कर के चलते हैं कि जो स्टडी टीम है वह जल्दी से जल्दी फैसला कर लेगी और दो वर्षों के अन्दर जो फर्टीलाइजर कम्प्लैक्स की बात कही जाती है, शुरू किया जा सकेगा।

सभापति महोदय, इन सबसे मेरा तात्पर्य यह है कि राजस्थान के अन्दर, जो पिछले कुछ वर्षों के अन्दर सैट बन रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकेंगे और हम इसका पूरा प्रयत्न करेंगे। हमें विजयनगर कोआपरेटिव टेक्सटाइल मिल की स्वीकृति मिल चुकी है और हम आशा करते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटी जल्दी से जल्दी इस काम को हाथ में ले लेगी और काम पूरा करेगी।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा है कि अमुक क्षेत्र में उद्योग नहीं हैं और इस प्रकार का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भी कुछ लिमिटेशन हैं, जिसका हमें ध्यान में रखना होगा। जो लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज हैं, वे इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट के तहत गाइड होती हैं और उनको लाइसेंस, परमिट इश्यूड होते हैं। किसी इन्डस्ट्रीज को हम बाध्य नहीं कर सकते कि अमुक कार की एनसीडलरी इन्डस्ट्रीज को सामान देंगे ही। हम यह नहीं कह सकते कि तुम अमुक प्रकार की चीज यहां पर लगाओगे ही। आज पार्लियामेन्ट कानून बनाता है। पार्लियामेन्ट के कानून के जरिये यह सब गाइड होता है। कम्पनी लॉ, एक्ट के अनुसार अपना काम चलता है। इस दृष्टि से अगर हम यह कहें, हमारी भावना सही हो सकती है, परन्तु बाध्य नहीं कर सकते।

मैंने पिछले दिनों में कोटा में इन्टेंसिव केम्पेन हुआ था उसमें स्माल इन्डस्ट्रीज के लोगों और लार्ज स्केल की इन्डस्ट्रीज के लोगों को भी बुलाया था, उसमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के आफिसर्स को भी बुलाया था और मैंने निमन्त्रण दिया था माननीय सदस्य को भी परन्तु वे वहां नहीं पधारें अगर वे वहां आते तो कुछ कन्ट्रीब्यूट कर सकते थे। मैंने उनसे परसनली रिक्वेस्ट भी की थी कि कोटा के डेवलपमेन्ट के बारे में उनको अपनी बात भी कहना चाहिए किन्तु अफसोस है सभापति महोदय कि वे अपने प्री-आक्यूपेशन के कारण वहां पर नहीं आ सके। वें वहां नहीं पधार सके और अपनी राय को नहीं रख सके।....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बाद में आया था....

श्री हरिदेव जोशी : हम यह चाहते हैं निश्चित रूप से कि जो लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज हैं वे इनसीलरी इन्डस्ट्रीज को डवलप करने में सहयोग ें इसलिये हमने पिछले कुछ महीनों के अन्दर, अजमेर के अन्दर ग्राइंडिग मशीनरी टूल फैक्टरी को यह राय दी है

(श्री हरिदेव जोशी)

अमुक प्रकार की चीजें आप बनावें और इनसीलरी इन्डस्ट्रीज के लिये, छोटे छोटे उद्योगों के लिये छोड़ दें। इसी प्रकार से हम पिलानी के पास एक टेलिविजन फैक्टरी लगाने का काम करना चाहते हैं, इसलिए कि वहां पर एक प्रकार का न्यूक्लियस बना हुआ है, उसको आधार बना कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी प्रकार कोटा की वैकिंग इन्डस्ट्रीज जो कि इनसीलरी के रूप में विशेष रूप से लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज बन रही है, उनको भी सहयोग दिया जाये, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर उदयपुर में अभी थोड़े ही दिनों के अन्दर जो हवाई अड्डा है, उसके पास एक नई सीमेन्ट फैक्टरी कमीशन्ड हो कर प्रोडक्शन पर आ जायेगी। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि ब्यावर में भी जल्दी ही सीमेन्ट फैक्टरी का काम शुरू हो जावेगा और इसके साथ साथ निम्बाहेडा में भी। एक माननीय सदस्य ने बून्दी की सीमेन्ट फैक्टरी का काम नहीं चलने के बारे में सदन के सामने अपनी बात को रखा था। मैं आपकी मार्फत सभापति महोदय, उनके विचारों से सहमति प्रकट करता हूं और यह मजबूरी जाहिर करना चाहता हूं कि जब तक कोई इन्डस्ट्रीज इस लिहाज से ठीक न हो कि वो इकोनोमीकली चल सकती है अथवा नहीं चल सकती है तब तक किसी भी रूप में आप और हम नहीं कह सकते हैं। इस लिहाज से मुझे वहां ऐसा लगता है कि शायद प्रोपर काम्युनिकेशन के बिना कोई सीमेन्ट फैक्टरी चल सकना सम्भव नहीं है। जिस ग्रेड का लाइम स्टोन बून्दी में मिल रहा है, उससे हायर ग्रेड का लाइम स्टोन और जगह भी मिल रहा है लेकिन प्रोपर काम्युनिकेशन नहीं होने के कारण और उसे लाइसेंस मिल चुका था, उस कारण से उसने फैक्टरी डालने से इन्कार किया है। उन्हें लैटर आफ इन्टेन्ट मिल चुका था, इसका मतलब यह है कि भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें यह आशा थी कि वहां रेलवे लाइन बन जायेगी इसलिये अपना काम वहां शुरू भी कर दिया था....

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप बहुत ही वेग रिप्लाई दे रहे हैं। उनकी यह शर्त थी कि उनको रेलवे लाइन बना कर दी जाये। इसके बिना पर उन्होंने इन्कार कर दिया।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान सरकार कहां इस स्थिति में है कि वह रेलवे लाइन के लिए हां या ना कहे। हम रिकमेण्ड कर सकते हैं और हमने अपनी ओर से कोई रिजर्वेशन नहीं किया और हर प्रकार से लाइन के लिए भारत सरकार को रिकमेण्ड किया है। अब यह भारत सरकार का काम है कि वह उसकी इकोनोमी को ध्यान में रखकर करे या न करे....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहूंगा कि इस फैक्टरी को लेटर आफ इन्टेन्ट मिल चुका था और उसने वहां काम भी शुरू कर दिया था, फिर किस स्थिति में जाकर उसने मना कर दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : केवल रेलवे लाइन न होने के कारण से। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक रेलवे लाइन न हो, सीमेन्ट फैक्टरी नहीं चल सकती इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप यह न समझ लें कि हम बून्दी में सीमेन्ट फैक्टरी लगाना नहीं चाहते हैं। यह बात नहीं है। यह तब ही चल सकती है, जब वहां रेलवे लाइन हो....

श्री कृष्णकुमार गोयल : हिम्मतनगर रेलवे लाइन लायी जा सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : हिम्मतनगर रेलवे लाइन हम निकालने वाले कौन हैं ? मैं समझता हूं चीन और पाकिस्तान का हमला नहीं हुआ होता तो और कितनी ही रेलवे लाइन निकल सकती थी । आज हमारे लिये नयी लाइने निकालना संभव नहीं है । इस पर भी अगर माननीय सदस्य का उद्वेग हो तो मुझे मजबूरी है ।

सभापति महोदय, पिछले वर्षों में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की इण्डस्ट्रियल पोलिसी में चेन्ज आया है। पहले तो 7½ लाख के इनवेस्टमेण्ट पर जिनको स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कहा जाता है लाइसेन्स की आवश्यकता होती थी । अब एक करोड़ तक के इनवेस्टमेण्ट के लिये भी किसी को लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है । इस तरह से राजस्थान सरकार भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखेगी मदद देने में, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि जो लोग उद्योग लगाने यहां आते हैं, उनके साथ अच्छा वर्ताव नहीं किया जाता । हमने सभी लोगों से कहा, हमारे अधिकारियों से कहा है, मैं ऐसा समझता हूं हम यह प्रयत्न कर रहे कि जो भी एन्टरप्रेन्योर आवे उसको जल्दी से जल्दी जो भी जानकारी वह चाहता है, उसको मिल जाय । खाना पूर्ति आदि करनी हो वह जल्दी से जल्दी हो जाय इस प्रकार की व्यवस्था की है । इसके लिये इण्डस्ट्रीज विभाग के अधिकारियों की मीटिंग करके यह निर्णय किया है अमुक दिन असिस्टेण्ट डाइरेक्टर से, डाइरेक्टर के पास में और गवर्नमेन्ट के पास में पेपर्स आ जायेंगे । उसमें अलोटमेण्ट ऑफ लेण्ड, इलेक्ट्रिसिटी ओर जो भी इनसेन्टिव्ज हो उनका डिसपोजल हो जायगा । अब भी मैं यह समझता हूं कानूनी अड़चनों के कारण किसी के साथ प्रोपर बर्ताव न हुआ हो, यदि इस तरह का कोई मामला मेरे ध्यान में लाया जायगा तो मेरे से जो संभव प्रयत्न होगा उसके लिये करूंगा ।

सभापति महोदय, इसके सिवाय कुछ माननीय सदस्यों ने किसी एक क्षेत्र में अथवा दूसरे क्षेत्र में अमुक प्रकार की चीज नहीं मिलने की बात कही है विशेषकर लोहे की और हाथी दांत की बात कही है । लोहे का डी-कन्ट्रोल हो गया है अब हमारा उस पर उतना नियन्त्रण नहीं है । पिछले पांच वर्षों में जिनको मिलता रहा है हम उसके लिये बराबर प्रयत्न करते रहे हैं कि उनको निरन्तर मिलता रहे । जो यूनिट रजिस्टर्ड नहीं हो पायी है, जैसे बीकानेर के बारे में कहा उसके लिये हम मजबूर हो जाते हैं । वहां जाकर हम फीड कैसे करें ?

सभापति महोदय, मिनरल्स के बारे में, माइनिंग लीजेज के बारे में भी कुछ बातें कही गई है विशेषकर के यह बात कि कुछ लोगों को बड़े बड़े एरियाज दे दिये गये हैं । खास-तौर से धौलपुर स्टोन कम्पनी के बारे में कहा गया । इनको लीज दी गई वह लम्बे अरसे के लिये दी गई । सभापति महोदय, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, उदयपुर जैसे एरियाज के अन्दर पूरी तहसीलों को पूरे जिलों तक में रियासत के समय में एक साथ एक आदमी को लीज पर देने का प्रावधान था । इस तरह से सैकड़ों मील का

(श्री हरिदेव जोशी)

एरिया ही नहीं हजारों मील का एरिया तक आ जाता था। लेकिन पिछले पांच वर्षों में हमारा निरन्तर यह प्रयत्न रहा है इस प्रकार के एरिया को रिडयूस किया जाय। कानून के अन्तर्गत हम कितना क्या कर सकते हैं? उदाहरण की तौर पर धौलपुर एरिया के अन्दर रोशनलाल हरिशंकर फर्म को बसेड़ी, बाड़ी और धौलपुर की पूरी तहसील जो करीब हण्ड्रेड स्क्वायर मील से भी ज्यादा का एरिया होता है, वह उसको मिली हुई थी। उसको घटाकर हमने 30 मील का एरिया कर दिया है। नेगोशियेशन्स की जरिये किया है और डेड रेण्ड बढ़ा दिया है।

इसी प्रकार स्वरूपलाल भूमरलाल की बात भी कही गई। इनके पास भी काफी बड़ा एरिया था उसका भी हमने दस माइल कर दिया। इस तरह से हमारे एफर्ट्स यह रहे हैं कि एरियाज को घटाकर छोटे छोटे प्लाट्स कर दिये जायं। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट की तौर पर जो बैठे हुए हैं, उनको धीरे धीरे कम करके, दूसरे लोगों को दियां जाय।

यह भी शिकायत आती है कि एक तरफ बड़े लीज और दूसरी तरफ छोटे लीज है इस लिये कम्पीटिशन बहुत है। बड़े प्लाट्स के सामने छोटे किस प्रकार जी सकते हैं? अब हमने छोटे प्लाट्स में देने का तय किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। लेकिन एक से जो एग्रीमेण्ट हो गया है पांच वर्ष पहले जो एक को लीज दिया गया है, रिन्यूअल के समय दूसरे और तीसरे रिन्यूअल के समय उसी का फस्ट राईट है। हाई कोर्ट हमेशा इस बात को प्रोटेक्ट करता है, हम लीजेज का फैसला नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता माननीय सदस्य ने कहा वह लीज नया है अथवा पुराना है। पिछली बार जिन लोगों ने आक्शन में लीज ली है, मेजर मीनरल कन्सेशन रूल्स के अनुसार रिन्यूअल लेने का अधिकार है। उनको मजबूरन देना पड़ता है लेकिन किसी एक व्यक्ति को नाजायज एरिया दे रहे हैं, ऐसी मन्शाय नहीं है।

कोटा बूंदी, माण्डलगढ़ क्षेत्र के अन्दर सेण्डस्टोन की रायल्टी की रेट्स में फर्क है, यह कहा गया। सभापति महोदय, इस प्रकार से रीजनल फर्क आज से नहीं, लम्बे अर्से से चले आ रहे हैं। फलोदी, कालीबेरी और जोधपुर से माण्डलगढ़ की रेट कम है। कोटा, बूंदी के अन्दर माण्डलगढ़ से ज्यादा है। माण्डलगढ में कम है इसका कारण यह है कि कोटा, बून्दी क्षेत्र के अन्दर उनका मार्केट एस्टेब्लिश है। आज भी पोजीशन या यह है कि माण्डलगढ़ की रेट कम होते हुए भी वहां सेल कम है और प्रोडक्शन कम है। कोटा बून्दी में प्रोडक्शन ज्यादा है और सेल्स भी ज्यादा है। जिनका मार्केट एस्टेब्लिश हो चुका है, उनको काफी अच्छा पैसा मिलता जाता है, दूसरी जगह उनका ओर्गनाइजेशन इतना सुदृढ बना हुआ नहीं है।

कोटा, बून्दी के अन्दर बड़े बड़े लोगों को लीज मिली हुई है जबकि माण्डलगढ़ के अन्दर छोटे छोटे लोगों को लीज मिली हुई है। वे मार्केट भी नहीं बना सके। इसके बावजूद भी बहुत ही नजदीक एरिया के रेन्ट ऑफ रायल्टी में फर्क नहीं रहे, इस बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री अवणलाल : इस विभाग की जो बकाया चली आ रही है, उसके सम्बन्ध में क्या कहना है?

श्री हरिदेव जोशी : एक माननीय सदस्य ने कहा कि उद्योग विभाग को विघटित कर दिया जाना चाहिये । वैसे मैं उद्योग मंत्री हूं, उस नाते भी नहीं चाहूंगा कि इसको विघटित किया जाय । हमें कानूनी चीजों को रेशनल लेना चाहिये । आज भी उद्योग विभाग में टेक्निकल एडवाइज नहीं मिलती हो, यह बात नहीं है । हो सकता है जितनी नेसेसिटी हो उतनी नहीं दे पाते हों । आज राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे करके पोटेन्शियेलिटी का सर्वे कराया गया है । यहां क्या क्या उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं उसकी रिपोर्ट पुस्तिका के रूप में पब्लिश भी की गई है और आम जनता के सामने रख दी गई है । यह बड़ी किताब है, इसकी कीमत भी ज्यादा है ।लेकिन हमने पूरे राजस्थान का चित्र सामने रखने की कोशिश की है । राजस्थान में क्या उद्योग लग सकते हैं क्या उनकी पोटेन्शियेलिटी है, क्या प्रोग्रेस हुई है। इसी तरह से भारत सरकार का विभाग है जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को असिस्ट करता है तो इस तरह दोनों सरकारें मिलकर असिस्टेन्स देने की बात कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि नठारा की पाल में लोहे का भंडार है। उसका उपयोग किया जाना चाहिये। इसे मैं भी बहुत नजदीक से जानता हूं। पर मैं यह निवेदन कर दूं कि उसका परसेन्टेज अच्छा नहीं है, इसलिये उसका उस तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर इसके लिये पिग आयरन प्लान्ट की जो बात चल रही थी, वह एग्जिस्टेन्स में आ जाता है तो इसका उपयोग किया जा सकेगा।

यह भी कहा गया कि 70 पर्सेन्ट लघु उद्योग बन्द पड़े हैं। यह सही नहीं है। अथवा रॉंग इन्फोर्मेशन पर आधारित है। जो रजिस्टर्ड उद्योग हैं उनकी सूची मेरे पास है। मुमकिन है कुछ बन्द हों। पर ऐसी स्थिति नहीं है जैसा कहा गया है। अलबत्ता यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में दो वर्ष पहले इन्जीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल गुड्स की इण्डस्ट्रीज में स्लम्प आया था, इसके कारण शायद कुछ बन्द हुई हों। पर फिर उनको इम्पोर्टेंस मिला है और अब सारी शुरू हुई हैं। अभी पिछले एक वर्ष में करीब एक हजार यूनिट रजिस्टर्ड हुए हैं। तो पिछले वर्षों में यह संख्या काफी बढ़ी है और इसलिये यह मानना कि पिक्चर बहुत ग्लमी है, यह सही नहीं है। पिछले वर्षों में काफी महत्वपूर्ण उद्योग पनपे हैं। और आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि राजस्थान में स्माल स्केल इण्डस्ट्री है, लार्ज स्केल इण्डस्ट्री है, इनके सेक्टरों का काफी अच्छा निर्माण हमारे यहां पर हो जावेगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह मानकर वे नहीं चलें कि उद्योग विभाग ध्यान नहीं दे रहा इन सारी चीजों पर ।

बीकानेर कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या ने पलाना कोल के बारे में बातें कहीं और काफी पुरजोर अपील की कि इसको चालू किया जाना चाहिये। इसके पहले भी इस सदन में उन्होंने यह कहा था कि उदयपुर का रॉक फास्फेट शुरु किया जा सकता है तो पलाना का क्यों नहीं ? मैं बहुत डिटेल में तो इस समय नहीं जाना चाहता पर एक बात कहना चाहता हूं कि एक समय कोई चीज बहुत उपयोगी रही हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि आज भी वह उपयोगी साबित होगी, मैं यह जो कह रहा हूं इसका कदापि

(श्री हरिदेव जोशी)

यह अर्थ नहीं है कि मैं यह चाहता होऊं कि लिगनाइट पर बेस्ड इण्डस्ट्री नहीं लगे। किन्तु मैं रेशनल थिंकिंग के लिये निवेदन करूंगा कि हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि कल कोई चीज बहुत जरुरी थी तो आज भी बहुत जरुरी है या आज कोई चीज बहुत जरूरी है तो कल भी वह जरुरी रहेगी। कल हो सकता है उसका एल्टरनेटिव निकल आया हो तो क्या तब भी वह उतनी ही उपयोगी हो सकेगी ? आप जानते हैं कि यह कोयला पहले बिजलीघर के लिये, ईंटों के भट्टों के लिये, और दूसरी दूसरी चीजों के लिये काम में आता था और उस समय वह इकोनोमिकल था। पर आज नहीं रहा। क्योंकि उस बिजली की जगह आज वहां हाइडल पावर आ गई है जो ज्यादा चीप है उससे और इसी तरह से इस बिजली के आ जाने से और अन्य चीजों के एल्टरनेट निकल आने से ईंटों के भट्टे वगैरह में भी वह कोयला आज उतना इकोनोमिकल नहीं रह गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो क्या यह लिगनाइट नेवेली में इकोनोमिकल नहीं है। फिर वहां इकोनोमिकल कैसे हो रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : वहां की रिपोर्ट को आप देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जावेगी कि इकोनोमिकल है या क्या है?

तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमने सारे एस्पेक्ट को देखा है और आज वहां पर थर्मल प्लान्ट जो पहले चल रहा था उस थर्मल प्लान्ट को लिगनाइट पर आधारित रखकर माईनिंग करके उस खान को चलावें यह सहज नहीं है। न सम्भव ही लगता है। इसलिये क्योंकि वहां हाइडल पावर आ गया है और इसलिये यह पावर महंगी ही रहेगी। अब केवल इटों के भटटे और छोट-मोटे कामों के लिये राजस्थान सरकार का हर साल आठ लाख रुपया एक्सचेकर पर नुकसान होता रहे यह मैं उचित नहीं समझता। इसके बाद भी अगर कोई स्थिति ऐसी बनेगी कि इसको नोमिनल प्रोपोजल सम्भव हुआ तो हर हालत में चेष्टा इसको चालू करने की सरकार की रहेगी, यह विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि लीज होल्डरों में पैसा बकाया है। इस बारे में निवेदन है मेरा कि क्या है क्या नहीं सारी डिटेल्स मैं स समय नहीं देना चाहता कि किस सख्ती से पैसा वसूल कर रहे हैं। पिछले वर्षों में हमने अच्छी से अच्छी पार्टियों को लैंड रेवेन्यू एक्ट की तहत अटैच करके पैसा वसूल किया है और जो करेंन्ट अकाउन्ट है उसमें तो मोर दैन 95 पर्सेन्ट रियलाइज हुआ है। इसलिये मैं यह स्पष्ट कर दूं कि चाहे कोई कैसा ही धन्ना सेठ हो उसमें कहीं कोई बकाया किसी प्रकार से छोड़ी नहीं जावेगी। सख्ती से वसूल करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं। सरकार उन पर पूरी तरह से ध्यान देगी।

श्री बिरदाराम : मैं निवेदन कर दूं कि भीनमाल में, जालोर में सस्ती रेट से जमीन दी जावेगी कि नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। ऐसा समझा जाता है कि कहीं कोई इन्डस्ट्रियल एरिया

(श्री हरिदेव जोशी)

घोषित कर दे सरकार जैसे टोंक के लिये भी कहा, तो इसके माने यह नहीं कि वहां औद्योगीकरण हो जाता है, घोषित करने के साथ ही। वहीं हम घोषित करते हैं जहां पर उद्योग लगाने के लिये एक निश्चित मात्रा में या अधिक एप्लीकेशनें आई हों और वहां लोग प्लॉट लेना चाहते हों।

भीनमाल का सवाल है तो वे मुझे बताएं क्या कठिनाई है उनकी। मैं फिर बता दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, जैसलमेर में पेट्रोल और गैस के एक्सप्लोरेशन की क्या प्रगति है ? और इसके लिये राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : पेट्रोल और गैस स्टेट सैक्टर में नहीं हैं। भारत सरकार का है। पर मेरे पास रिपोर्ट है। उसको आप चाहें तो मुझ से देख लीजियेगा।

श्री जगन्नाथ पटेल : टोंक का उदाहरण कैसे दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : टोंक में जरूर लगा देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलते ऊंचे हैं, सुनते ऊंचे नहीं हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : लाइम स्टोन और जिप्सम के लिये पंचायत समितियों को ही ठेका देने के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री हरिदेव जोशी : दूसरे एप्लीकेन्ट आते हैं उनके साथ अगर पंचायत समितियां भी आवेंगी तो प्रायरिटी हम उनको देंगे।

श्री श्रवण लाल : धौलपुर के हाई टेक के बारे में ?

श्री हरिदेव जोशी : इसका कन्स्ट्रक्शन चालू है। भट्टे तैयार करा रहे हैं, जैसे जैसे तैयार होते जावेंगे काम चालू करते जावेंगे।

श्री सभापति : स्वास्थ्य मन्त्रीजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (स्वास्थ्य मंत्री): इस सम्बन्ध में आपने आधा घंटा के लिये कहा है।

श्री सभापति : आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें जिससे कि 8 बजे तक सारा काम पूरा हो जावे।

एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है सदन की अनुमति से।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामलों में कई अच्छे सुझाव दिये जिन पर गंभीरता से विचार करना बहुत आवश्यक है। दवाइयों की कमी, चिकित्सा यन्त्रों की कमी, प्राइवेट प्रेक्टिस, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, ट्रान्सफर और प्रोमोशन्स, सैयाओं की कमी, भवनों की कमी, एम्पलोयीज स्टेट इन्श्योरेन्स के बाबत और दवाइयां पूरी नहीं मिलने के बारे में और मुफ्त में नहीं मिलने के बारे में और भ्रष्टाचार एडमिनिस्ट्रेशन में है इसके बारे में सदन में कई सवाल उठाये गये हैं, मोटे तौर पर।

(7 म० प०)

मैं सभापति जी, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

राजस्थान की जिस प्रकार शुरूआत में हालत थी–पुरानी देशी रियासतों में केवल उनकी राजधानी में ही अस्पताल थे बाकी कुछ बड़ी जगहों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध थीं। उस प्रकार की हालत में और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन है। आज दवाओं के मामले में, भवनों के मामलों में काफी प्रगति की है लेकिन जो बजट में कमी आती है उससे हर वक्त यह महसूस किया जाता है कि दवायें पूरी नहीं मिलती हैं उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एलोपैथी के प्रति लोगों का काफी विश्वास बढ़ा है। विज्ञान की गति के साथ साथ उनकी जानकारी हुई है कि एलोपैथी से फायदा हुआ है। दूसरे विज्ञान के बढ़ते हुये चरणों से ऑपरेशनों में चाहे वह माईनर ऑपरेशन हों और चाहे मेजर ऑपरेशन हों--ऑपरेशनों में वृद्धि हुई है और दिनों दिन हम यह देखते जा रहे हैं इसके प्रति जो आज राजस्थान में जिस तरह इलाज की व्यवस्था है वह किसी दूसरे प्रदेश से कम नहीं है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहा करता था जहां कहीं बाहर के इन्स्टीट्यूशन को देखने गया हूं वहां दवाओं के बारे में, इलाज के बारे में, ऑपरेशन के बारे में मैंने देखा हमारे यहां राजस्थान में वह व्यवस्था कहीं ज्यादा अच्छी है। इलाज अच्छी तरह से और बिना फीस के होते हैं और चूंकि लोगों की एक आदत पड़ गई है मुफ्त में दवा लेने की। अच्छी से अच्छी दवा वे मुफ्त में लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि अधिक से अधिक सुविधायें देना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है; चाहे वह शिक्षा की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो या कोई अन्य प्रकार की सुविधा जो जिन्दगी के लिये आवश्यक है। मैं समझता हूं अधिक से अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं इस सिलसिले में केवल एक बात बताना चाहता हूं दवाओं के खर्च में निरन्तर वृद्धि हुई है। मैंने 60-61 से आंकड़े निकलवाये। 60-61 में 37 लाख 89 हजार आठ सौ रुपये ड्रग एन्ड मेडीसन पर खर्च किये गये थे और 60–61 में डाइट पर 92 लाख के करीब खर्च किये गये थे वहां आज 1970-71 में 94 लाख 70 हजार ड्रग्स एन्ड मेडीसन पर खर्च किये गये हैं और 33 लाख 16 हजार डाइट पर खर्च किये गये हैं। इन 8 वर्षों में जो खर्चा आया है वह करीब तीन गुणा हुआ है।

श्री रामकिशन :
श्री कृष्णकुमार गोयल : } रोगियों की संख्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास जो फीगर हैं 1963 में इन्डोर पेशन्ट की वह तीन लाख 19 हजार 356 है, 67 तक की फीगर अवेलेबिल है वह 5 लाख 49 हजार 388 इन्डोर पेशेन्ट की है और आउट डोर पेशेन्ट की एक करोड़ 32 लाख 661 है। मेरा मतलब यह नहीं है और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दवाओं की कॉस्ट बढ़ी है, रोगियों की संख्या भी बढ़ी है लेकिन आखिर इस रकम को बढ़ाते रहे तो हम आगे भी कोप-अप कर सकेंगे या नहीं यह भी एक देखने की बात है। इसके लिये नितान्त आवश्यक है कि आज के दिन जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करें। मैं यह चाहता हूं कि आज जो परिपाटी पेटेन्ट मेडीसिन प्रेस्क्राइब्ड करने की चल गई है कि पेटेन्ट मेडिसिन से ज्यादा अच्छा इलाज हो सकता है उसको खत्म करके बेसिक मेडीसिन्स पर आना चाहते हैं। आज हम अपनी लेबोरेटरी में यहां

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

बेसिक मेडीसिन को बना सकें तो बहुत खर्चे में बचत होगी और इस मांग का मुकाबला कर सकेंगे। इसलिये मैं अगले वर्ष इस बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं खासकर बड़े अस्पतालों में जहां पर मेडीकल कॉलेज की लेबोरेट्रीज हैं बेसिक मेडीसिन बनवाना शुरू करें और उन बेसिक मेडीसिन्स को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है वहां पर और डिस्पेन्सरीज हैं, वहां पर सप्लाई करें तो काफी बचत हो सकेगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं दिनों दिन की बैड्स संख्या बढ़ती जा रही है। पहले से 4 गुणा, 5 गुणा संख्या बढ़ गई है लेकिन मरीजों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। मैं इस बारे में कई बार सोचता था कि ऑपरेशन के लिये फीस लगा दी जाय लेकिन मैं समझता हूं राजस्थान में लोगों की आदत बनी हुई है फ्री आकर बिना फीस दिये ऑपरेशन कराने की वह खत्म हो जायगी इसलिये इसको अभी सोच नहीं पाया हूं। राजस्थान में चाहे कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, मैंने इसको उचित नहीं समझा कि ऑपरेशन की फीस लगाई जाय......

श्री जयनारायण सालोदिया : यह और बाकी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लेकिन फिर यह सोचा कि अपने यहां होस्पिटल की जो प्रतिष्ठा है, वह समाप्त हो जायगी। अभी तक हमारी प्रतिष्ठा इसी बात पर है। बाहर के काफी लोग आकर हमारे यहां ऑपरेशन कराते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन हमारे यहां के अस्पताल में आकर फ्री आपरेशन करवाते हैं। हमारे साधन अभी थोड़े सीमित हैं इसलिये हमने यह सोचा है और जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनसे जो अटैच होस्पिटल हैं उन पर हमने ध्यान दिया है। आम तौर पर यह शिकायत रही है कि होस्पिटल और डिस्पेन्सरीज पर कम ध्यान दिया गया है। गत वर्ष यह सवाल आया था। इस वर्ष हमने यह मुनासिब समझा कि होस्पिटल और डिस्पेन्सरीज बढ़ाने के बजाय जो मौजूदा हास्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज हैं उनको ही स्ट्रेन्थन किया जाय। इसलिये उनको स्ट्रेन्थन करके रोग शैयाओं को बढ़ाने का ही हम प्रयास करेंगे इससे बड़े हास्पिटलों का काम भी कम होगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपनी स्पीच में बताया है और हमने वास्तव में यह मुनासिब ही समझा कि जो जिले के हॉस्पिटल और डिस्पेन्सरीज हैं उनको स्ट्रेन्थन करना चाहिये इसलिये ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 8 लाख से ऊपर है उनमें 150 शयाओं की संख्या रखी जाय। अधिकतर जो जिले के हैडक्वार्टर्स हैं उनके लिये यह प्रबन्ध किया गया है और जहां की पॉपूलेशन 8 लाख से नीचे है वहां 100 शैयाओं का प्रबन्ध किया जायगा। बाकी पुरानी शैयाओं को भी ठीक किया जायगा। बारां के होस्पिटल के लिये माननीय गाड़ियाजी को बड़ी उत्सुकता थी वहां भी अब 150 बैड्स कर दिये जायेंगे। इससे काफी फर्क पड़ेगा सुविधाओं में और जो बड़े अस्पतालों का रश है वह भी कम हो जायगा। साथ ही हम यह भी चाहते है जिला हैडक्वार्टर्स के अस्पतालों में भी इस योजना के अन्तर्गत फेसेलीटीज का विकास करें। बड़े बड़े होस्पिटलों में नेत्र विशेषज्ञ, पैथोलोजी, एक्स-रे, ऑर्थोपैडिक का काम हो सके। इनके साथ ही डेन्टल क्लिनिक, टी० बी० क्लिनिक की योजना भी इनके साथ जोड़ने की कर रहे हैं इस तरह से

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

करके हम जिला हैडक्वार्ट्स पर चिकित्सा सुविधायें देने की योजना है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है कि आम तौर से यह कहा जाता है कि कई पी० एच० सी० ने रुपया जमा कराया है लेकिन पी० एच० सी० की बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई। इस बारे में मैं समझता हूं कि अभी 46 पी० एच० सी० ऐसी हैं कि जिनके भवन नहीं बने हुए हैं। इसलिए हमने यह सोचा है कि इस वर्ष में कम से कम 30 पी० एच० सी० के बिल्डिंग के काम को हाथ में ले लिया जाय ताकि 30 भवन तो इस वर्ष में पूरे हो जायें तो बाकी के 16 को फिर दूसरे साल में जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बनवा सकें। इसके लिये बजट में प्रावधान भी किया गया है। इसी तरह से कुछ जगह जहां आवश्यकता थी वहां इमरजैन्सी सेक्शन्स नहीं थे होस्पीटल के अन्दर वहां हमने इमरजैन्सी सेक्शन्स कायम किये हैं। एक तो कोटा में हुआ इस साल और भरतपुर में इमरजेन्सी के लिए प्रावधान किया गया है क्योंकि इन होस्पिटल्स में काफी तादाद में मरीज आते हैं।....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एम्बुलेन्स नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एम्बुलेन्स की बहुत छोटी सी बात है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : टूटी पड़ी है साल भर हो गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसी तरह से 10 डिस्पेन्सरी और 10 मातृ शिशु सेवा केन्द्र खोलने का निश्चय किया है इस वर्ष। इस परिप्रेक्ष्य में जो कई सवाल उठाये गये हैं इनसे ग्रामीण चिकित्सा में सुविधा मिलेगी। पी० एच० सी० जो हमारे यहां हैं कई तो यूनीसेफ को क्वालीफाई कर चुकी हैं और उसके अनुसार उनके यहां गाड़ियां भी आ चुकी हैं, पूरा स्टाफ मौजूद है और बाकी जो पी० एच० सी० जो क्वालीफाई करने वाली हैं उनके लिए यूनिसेफ को लिखा है और ज्योंही वे उसके प्रोग्राम को फुलफिल कर लेंगी उसके मुताबिक गाड़ियां भी उनको मिल सकेंगी।

हमारा भारत सरकार से यह भी निवेदन है कि कुछ पी० एच० सी० को सिलेक्ट करके कम से कम जिनकी संख्या 25 होगी उनमें हर एक में 25 बैड्स करने की व्यवस्था करें तो इससे अच्छा और इन्तजाम करके दिखा सकते हैं। ताकि पी० एच० सी० में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और डाइनोसेस और ट्रीटमेंट की उनमें व्यवस्था हो सके और 25 बैड्स एक पी० एच० सी० में हों तो उसको एक मॉडल के रूप में लेकर चल सकते हैं। अगर भारत सरकार मन्जूरी दे देती है तो हम उसको भी स्थापित कर सकेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण सुविधा के लिए सबसे बड़ा आकर्षक है और जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं वह हमारा मोबाइल सर्जीकल यूनिट है। इस प्रकार का मोबाइल सर्जीकल यूनिट भारत में कहीं भी किसी राज्य में नहीं है। यह हमारी मोबाइल सर्जीकल यूनिट जगह जगह पर जाती है और उससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को फायदा मिलता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज तक कितने ही हजार आदमियों का ट्रीटमेंट और ऑपरेशन्स हुए हैं यह सूचना जो हमारे विभाग का विवरण दिया गया है उसके जरिये आपको मालूम

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

होगी । उसके अन्दर में नहीं जाना चाहता हूं ।

जहां तक स्पेशियेलिस्ट्स का ताल्लुक है हमारा इरादा है कि डिस्ट्रिक्ट में जहां 100 बैड्स का हास्पिटल है वहां पर कम से कम स्पेशिलिस्ट की सर्विस मिले और जहां 150 बैड्स का हास्पीटल है वहां स्पेशिलिस्ट दोनों सर्जरी और मेडीशन्स के रहें और भी बड़े हास्पीटल में और भी स्पेशिलिस्ट करना चाहते हैं जूनियर और सीनियर स्पेशिलिस्ट का प्रावधान इस साल के बजट में किया गया है ।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रमोशन का जिक्र किया । अगर हम तरीके से प्रमोशन नहीं देते हैं, अगर तरीके से डी० पी० सी० की मीटिंग बुलाते हैं तो इसका बुरा असर पड़ता है । लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि मेडिकल डिपार्टमेंट में 68 में डी० पी० सी० बैठी, उसके बाद में 69 में बैठी.....

श्री रामकिशन : 63 से 68 तक नहीं बैठी । असली बात तो भुला ही दी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि वह क्यों नहीं बैठी यह बता सकूं । मैंने जिस समय चार्ज लिया मैंने मुनासिब समझा 69 में और स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जो टीचर्स को लेने के लिए बैठा और मैं निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहता हूं कि 70 में भी इसी अप्रेल या मई में डी० पी० सी० फिर बैठेगी और डाक्टरों का तरीके से प्रमोशन किया जायगा और कोई गड़बड़ी नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिंह : डी० पी० सी० में क्रा इटेरिया चेन्ज कर देते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स अलग अलग बना देते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो पुराने रूल्स बने हैं उसमें तो चेन्ज नहीं किया जायगा ।

श्री रामकिशन : उनको तोड़ा जा रहा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं ।

श्री रामकिशन : मैंने बताया है ।

श्री विजयसिंह : जिन क्षेत्रों की मांग प्रस्तुत की है उनके लिए तो आपने कह दिया बाकी सारे के सारे एरिया यों ही पड़े रह गये । जैसे मकराना के अन्दर खानों में मजदूर बहुत ज्यादा काम करते हैं वहां एक अलग होस्पिटल की आवश्यकता है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है कि जो जनरल बातें हैं उनका जवाब मैं देना चाहता हूं । उसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक ट्रान्सफर्स का ताल्लुक है वास्तव में मेरे लिए भी दुविधा जनक स्थिति है और इसके लिए मैंने सारी डिस्पेन्सरीज और हॉस्पिटल्स का केटेगराइजेशन करवाया है । वह दस पन्द्रह दिन में कम्पलीट होगा । उस केटेगराईजेशन के बाद हम प्रमोशन्स के मामलों में और ट्रान्सफर्स के मामलों में निष्पक्ष रूप से यदि कोई 'ए' केटेगरी का डाक्टर है तो उसको 'ए' केटेगरी की डिस्पेन्सरी या हॉस्पीटल में ट्रान्सफर करेंगे, 'बी' श्रेणी का डॉक्टर है तो उसका ट्रान्सफर 'बी' श्रेणी की डिस्पेन्सरी में ही करेंगे और यदि 'सी' केटेगरी का डॉक्टर है तो उसकी 'सी' केटेगरी की डिस्पेन्सरी में ही ट्रान्सफर करेंगे । और इरादा यह है कि किसी के पास होने के बाद

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

और इन्टरिमशिप पास करने के बाद कम से कम पर्टीक्यूलर डॉक्टर को पी०एच०सी० म भेजने के पहले बड़े हॉस्पिटल में कम से कम एक वर्ष तक और एक्सपीयरेन्स करने देंगे ताकि वह इन्डीपेन्डेन्टली सी०ए०एस० बनकर उस काम को अच्छी तरह से और देहात में जाकर लोगों का ज्यादा फायदा कर सके। तो यह केटेगराइजेशन कम्पलीट होने के बाद मैं समझता हूं कि ट्रान्सफर के बहुत सारे मामलों में दिक्कत नहीं आयेगी।

थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर्स की बात कही जाती है। वास्तव में सेकिण्ड और थर्ड ग्रेड के कम्पाउन्डर्स को अपने एरिया से बाहर भेजने का प्रश्न अराइज नहीं होता है लेकिन या तो उनके खिलाफ शिकायत होती है या फिर उस पोस्ट पर इतने आदमी लोकल हो जाते हैं कि फिर करना मुश्किल हो जाता है।......

श्री कृष्णकुमार गोयल : सबसे बढ़िया तो यह है कि जो आसपास के जिले हैं उनमें उनको रखा जाय। यह क्या कि कोटा का आदमी बाड़मेर जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 9 सेकिण्ड ग्रेड कम्पाउन्डर्स सरप्लस हैं और उनको पेमेन्ट बाहर से ही मिल सकता है। इसलिए इसका नतीजा यह हुआ कि उनको बाहर भेजना पड़ा और जब ग्रेडेशन हास्पीटल का हो जायेगा तो हम 5 को एडजस्ट कर सकें। बूंदी और झालावाड़ में सेकिण्ड ग्रेड नहीं है वह लोकली लगे हुए हैं।......

श्री कृष्णकुमार गोयल : टोंक ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टोंक में भी लगे हुए हैं।

इसी तरह से जैसा मैंने निवेदन किया ई० एस० आई० के बारे में भी बहुत दिक्कत है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं इस सदन की जानकारी के लिए कि ई० एस० आई० की डिस्पेन्सरी चलती हैं.....

श्री भैरोंसिंह : आपने पोस्टिंग के लिए कहा। यह तो आप उचित समझेंगे कि बाड़मेर, जालोर या बीकानेर रेगिस्तानी क्षेत्रों में चार-पांच वर्षों से कम्पाउन्डर्स बैठे हैं उनको तो कभी यह इलाका दिखाया जाये? उसमें आप सीमा तय करके चलें कि इतने समय के बाद तो उनको अपने क्षेत्र की तरफ ट्रान्सफर कर दिया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उसमें तो कोई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप को कोई जानकारी नहीं है। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं सदन के बाहर लोग खड़े हैं और वह बाड़मेर में चार-चार साल से बैठे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कहां के ?

श्री भैरोंसिंह : सीकर के। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीकर, झुंझुनू और कोटा व ी जिले के लोग बाड़मेर में चार-चार साल से हैं। उनके लिए कम से कम एक क्राइटेरिया तय करके चलें कि दो तीन साल के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रान्सफर किया जायेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिल्कुल निश्चित बात है कि जो चार-पांच साल से जो पड़े हुए हैं तो उनको वास्तव में इधर एडजस्ट करना चाहिए।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ई० एस० आई० कोरपोरेशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं इस सदन के जरिये भारत सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस साल ई०एस०आई० कोर रेशन ने हमको एक लिमिट दे ी कि 50 रुपये के अन्दर तुमको हर एक एम्पलाय, उसकी फैमिली का और उसकी दवाई और इलाज का खर्चा होगा। जबकि अब तक लिमिट नहीं थी और जब कि हमारा खर्चा 73 और 75 रुपये आता है। इसलिए मैंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि भारत सरकार जो ई० एस० आई० कारपोरेशन की इस स्कीम को खुद ले ले, हमको फायदा नहीं है। हमारा जो 118 शेयर है वह हम कारपोरेशन को दे देंगे। लेकिन 50 पये में हम इस खर्चे को नहीं चला सकते। इससे मजदूरों में असन्तोष होगा और इलाज ठीक तरह से नहीं होगा और उसकी जो व्यग्रता है वह भारत सरकार की होनी चाहिए और जो भी खर्चा आता है और जितने इन्श्योर्ड पर्सन्स हैं उनके हिसाब से जितना खर्चा बैठता है वह सारा का सारा खर्चा ई० एस० आई० को देना चाहिए वर्ना राज्य सरकार इसको अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह मैंने भारत सरकार को लिखा है। मैं निवेदन करूं कि मैंने यह भी लिखा है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर भारत सरकार के मंत्री और सारे मंत्री जो राज्य सरकारों के ह उनको मिलकर इस बारे में विचार करना चाहिए और कानूनन एम्प्लाइज स्टेट इनश्योरेन्स कार्पोरेशन एक इन्डिपेन्डेन्ट बोडी है और जो कुछ भी इलाज मजदूरों का वाजिब है चाहे स्पेशेलाइज्ड डॉक्टर के जरिये हो, चाहे किसी भी दवाई के जरिये हो तो भी मजदूरों का इलाज करना पड़ेगा, और वे कानूनन पाबन्द हैं, और कानूनी पाबन्दी से ई० एस० आई० बच नहीं सकती है। दवाइयां उन्होंने अपनी प्रेस्क्राइब्ड कर दी हैं कि ये दवाइयां दी जायं तो इससे मजदूरों में असन्तोष फैल रहा है और दवाइयां अच्छी भी नहीं मिलती हैं तो एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेन्स के अन्दर जो व्यग्रता है तो उसके बारे में मजदूरों में असन्तोष है कि ई० एस० आई० ने 50 रुपये की लिमिट कर दी तो मैं समझता हूं कि 50 रुपये साल में मजदूर और उसकी फेमिली का इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी इन्श्योरेन्स की स्कीम नहीं चल सकती है।

एक बात यहां पर कही गई प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में। वैसे यह एक आदर्श चीज होगी अगर प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द कर दें। लेकिन गत वर्ष में जब इसका सारा तखमीना कराया गया और एस्टीमेट कराया गया तो नान-प्रैक्टिस एलाउन्स जो इनको देना होता है वह एक करोड़ के करीब आता है। उस एक क ोड़ का प्रावधान आज हम करने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरा हमारे यहां डॉक्टरों की भी कमी है। बहुत कुछ यहां पर काफी तादाद में प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स नहीं कि लोग रात व रात में किसी डॉक्टर के पास चले जायं और उनसे इलाज करा सकें। प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के बाद में हम उनको कम्पेल नहीं कर सकते हैं कि मरीज अगर सीरियस है तो उसके इलाज के लिए चले जायं हमारे घर पर। वह डॉक्टर मना कर सकता है। तो इसमें काफी प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। इसलिए अभी वह स्टेज नहीं है।

दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर हैं नहीं। इस वजह से भी जरा दिक्कत आती है।

Page No 193

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इसलिए मैं समझता हूं कि अगर इस पर विचार किया जा सकता है तो केवल एक बात का विचार किया जा सकता है डिटेल्स में कि जो टीचिंग लाइन में हैं यानी जो प्रोफेसर्स हैं या रीडर्स के पद तक हैं उनको नॉन-प्रेक्टिस एलाउन्स देकर उनको रिसर्च या टीचिंग लाइन की तरफ लगाया जाय तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए मैं यह समझता हूं, डेफिनिट तो मैंने अपना दिमाग नहीं बनाया है कि प्रोफेसर्स, रीडर्स और प्रिन्सिपल्स जो कॉलेजेज के अन्दर हैं उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने की व्यवस्था की जाय तो शायद एक एक्सपेरीमेन्ट करके देखा जाय तो शायद आगे फिर ग्रामों में भी कर देंगे। अभी से कर देंगे तो लोगों को नुकसान होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिला हैड-क्वार्टर्स पर कर सकते हैं। पी० एम० ओज० का कर सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेशियेलाइज्ड सर्विसेज अस्पताल में बना दी हैं और उनकी केटेगरीज बना दी हैं। 100 बेड का जो अस्पताल होगा उसमें सीनियर स्पेशियेलाइज्ड डॉक्टर वहां पर रखेंगे तो फिर हॉस्पिटल सीनियर स्पेशियेलाइज्ड डॉक्टर के इन्चार्ज में रहेगा और फिर वह डी० एम० एच० ओ० के नीचे नहीं रहना चाहिए। डी० एम० एच० ओ० और सीनियर स्पेशियलाइज्ड डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल का इन्चार्ज होंगे वह अलग अलग व्यक्ति होंगे, तब तो हॉस्पिटल्स का रूप सुधर सकेगा। अभी जो मौजूदा पद्धति है जिसमें डी०एम०एच०ओ० सारे डिस्ट्रिक्ट का इन्चार्ज बना दिया और कह दिया कि वह अस्पताल में भी काम करे, ऑपरेशन करे, वह व्यक्ति मरीजों को भी देखे, तो मेरे ख्याल से उससे यह अस्पताल ज्यादा तरक्की नहीं करने वाला है। अस्पताल का चार्ज वहां के सुप्रिन्टेन्डेन्ट को देकर उसको बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट रखना चाहते हैं और जो डिस्पेन्सरीज और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं वे अलग से दूसरे व्यक्ति के इन्चार्ज में हों और नॉन-प्रेक्टिस अलाउन्स उसको दिया जाय और वह सारे डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण करे।

दूसरी व्यवस्था इस बारे में और करना चाहते हैं कि जितने भी हैल्थ और मेडिसिन्स के सिस्टम्स हैं उनमें कोआर्डिनेशन आज के दिन में नहीं है। एक आदमी फेमिली प्लानिंग का काम करता है, एक आदमी मेडिसिन्स का काम करता है, एक आदमी क्लिनिकल काम करता है, एक मलेरिया का है, एक ट्रिकोमा का है, एक टी०बी० को देखता है, तो इन सबको एमलेगेमेट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है कि जिसमें कम से कम वेहीकल्स की जरूरत पड़े। आज के दिन तो यह स्थिति है कि हरेक अफसर के पास एक वेहीकल मिलती है—मलेरिया वाले को अलग, ट्रिकोमा वाले को अलग और टी० बी० वाले को अलग। तो उनमें कोआर्डिनेशन की बात मेरे दिमाग में है और मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से बात करने वाला हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट की योजना है कि डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल डिपार्टमेन्ट का किस तरह से चलाया जाय। जब वह फाइनल स्टेज पर आयेगा उसके बाद में सदन से निवेदन करूंगा।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

और जो सुझाव दिये गये हैं बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और कुछ दूसरों की ओर से, और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं कि हरेक हॉस्पिटल में सुविधाओं के लिये, उसकी कमियों को दूर करने के लिये, उसमें जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को दूर कराने के लिये, वहां के रोगियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये, डोनेशन्स इकट्ठा करने के लिए और उसकी व्यवस्था को देखने के लिए—एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और दूसरी व्यवस्था है उसको देखने के लिए आज तक विजिटर्स कमेटी होती रही है, लेकिन विजिटर्स कमेटी का फन्क्शन ऐसा नहीं था, वे ऐसी थीं कि फंक्शन करती थीं या नहीं, इसलिए मैंने इस बात का निश्चय किया है कि हॉस्पिटल्स में विजिटर्स कमेटी के बजाय हरेक हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल कमेटी हो। उस हॉस्पिटल कमेटी का कर्त्तव्य यह है कि उस हॉस्पिटल की सारी सुविधाओं का ख्याल रखे, और जो डोनेशन्स वह कमेटी इकट्ठा करें उसको खर्च करे। यह कमेटी का अधिकार है। उसमें वह व्यक्ति जो इस काम में इन्ट्रेस्टेड हों वह काम करें, कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ता, और जिले के कलेक्टर को शामिल करके इस प्रकार की कमेटी हमने बनाई है। उसके बारे में आदेश भी जारी कर दिये गये हैं। वह आदेश अब सबके पास पहुंचे हैं और सब हॉस्पिटल से सजेशन्स उसके बारे में मांगे हैं कि किस तरह से कौन-कौन मेम्बर उसमें होने चाहिए। इन हास्पिटल कमेटीज को हम फंक्शनल बॉडी बनाना चाहते हैं और इसको एक स्लीपिंग बोडी नहीं बनाना चाहते हैं, ताकि जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं उनका लाभ मिल सके। आज भी बहुत सारे आदमी अस्पतालों में ऐसे मिलते हैं जो अस्पतालों में जाकर रोगी से उसकी हालत पूछते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, इस तरह के लोग और संस्थाओं हैं जो हास्पिटल की नीड्स और रिक्वायरमेंन्ट्स को स्टडी करके हास्पिटल्स की बेहबूदी के लिए काम करते हैं। इसलिए उस कमेटी के बारे में आदेश निकाले हैं, और मैंने यह भी कह दिया है कि इन आर्डर्स की साइक्लोस्टाइल कापीज निकाल माननीय सदस्यों के पास पहुंचा दी जाय।

फिर मैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्टोर्स परचेज के बारे में कह दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां पर स्टोर्स परचेजेज के बारे में अभी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था यह है कि जितनी भी मेडिसिन्स हैं, उनके टेन्डर मांगे जाते हैं। उसके बाद में कमेटी बैठती है और कमेटी द्वारा विचार होने के बाद डिस्ट्रिक्टस को इन्फर्मेशन जाती है कि इन इन कम्पनियों से यह माल खरीदा जा सकता है। आज जो माननीय सदस्य ने कहा है मैं उस केस की जानकारी आज तो नहीं दे सकता कि कैसे इस केस में ऐसा हुआ है कि टेन्डर्स बदल दिये गये हैं। जो सब-स्टैण्डर्ड मेडिसिन्स फाइन्ड आउट की हैं उनके बारे में सब के बारे में कार्यवाही चल रही है। उनका माल वापस किया जा रहा है, और दूसरी स्टेट के ड्रग कन्ट्रोलर्स को भी लिखा जा चुका है और उनके माल के हमने नमूने लिये हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त करके जितनी भी मुनासिब कार्यवाही इस बारे में होनी चाहिए वह होगी और वह भी हम करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल: कई केसेज ऐसे हैं जिनमें आप वार्निंग देने तक ही महदूद रहे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं, वार्निंग देकर ही आपने तसल्ली कर ली है। मैं समझता हूं कि वार्निंग देना सफीशियेन्ट नहीं है क्योंकि सब स्टेन्डर्ड मेडिसन दी गई-इसके कारण से अस्पताल में लोगों को ट्रीटमेन्ट ठीक तरह से नहीं दे पाये और जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हुआ। ऐसी कम्पनी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाय, केवल वार्निंग देना ही काफी नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं पहले इसकी फाइल को देखना चाहूंगा। उसके बाद ही इस संबंध में निवेदन कर सकूंगा कि वार्निंग देना सफीशियेन्ट क्यों समझा ? किस कारण से ऐसा हुआ ? आम तौर पर जो ड्रग कंट्रोलर हैं, यह उनके पावर की चीज है ! उनके पास जब अपील होती है तब फाइल मेरे पास आती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह देखना पड़ेगा कि ड्रग कन्ट्रोलर को यह केसेज रेफर किये गये या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके अलावा यह देखा गया है और इसके कुछ केसेज पकड़े भी गये हैं कि अस्पताल की दवाइयां दूसरी जगह बाहर जाकर बिकती हैं। इस संबंध में मेरी तजवीज है कि अस्पताल की दवाइयां हैं, उन अस्पताल की दवाइयों पर सील लगाई जाय। इस संबंध में जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें ताकि लोगों को यह डर रहे कि कहीं सील के द्वारा यह दवाइयां पहचानी न जा सकें......

श्री भैरोंसिंह : फिर लोग सील बनवा लेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब यह तो ऐसी चीज है जिसका इलाज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उसका इलाज है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा करें तो क्या इलाज है ?

श्री भैरोंसिंह : उसका इलाज यह है कि जो कोई ले जाय उसको पकड़लें तो कड़ी से कड़ी सजा दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पकड़ा जाय तो सख्त से सख्त सजा दी जायगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पकड़े जाते तो सजा वक्त पर और सख्त मिलनी चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पकड़े जाते हैं तो हम सजा वक्त पर और सख्त से सख्त देना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कई बातें हैं। अपील होती है, जांच होती है और उसमें भी कोई टैक्निकल लेकूना रह जाय तो मुश्किल हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो सील का भी असर नहीं होगा। बाजार में बनती है सील दो आने में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब कुछ माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये हैं, मैं समझता हूं कि वह माननीय सदस्य अभी नहीं हैं, फिर भी मैं उनके सवालों का जवाब दे दूं...

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनको छोड़ दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कैंसर का ट्रीटमेन्ट करने के बारे में बीकानेर और जयपुर में व्यवस्था है, यहां पर कैंसर का ट्रीटमेन्ट होता है, उसकी व्यवस्था है लेकिन लोग बाग यह

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मान कर चलते हैं कि, वैसे मैं कोई टैक्निकल आदमी नहीं हूं, बम्बई में अच्छा ट्रीटमेन्ट होता है इसलिए वहां जाते हैं। कैंसर का ट्रीटमेन्ट यहां भी होता है।

मनोहरथाने की व्हीकल के बारे में कहा गया। यह व्हीकल फैमिन में चली गई थी। वहां से वह आई तो उसके कुछ पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं, अब उसको सब्स्टीट्यूट करने के लिए दूसरी व्हीकल का इन्तजाम किया गया है।

असनावर के अन्दर पी० एस० सी० की बिल्डिंग बनाने की बात की गई है। उसकी बिल्डिंग इस साल जो बिल्डिंग बनाने का काम हाथ में लेंगे उसमें बना दी जायगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सब जगह की व्हीकल खराब हुई हैं उनको भी भेज दी जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से भेजी जायेगी। मेरे पास नहीं होंगी तो कहां से व्हीकल भेजी जायंगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : छोड़ो भी, आपके यहां तो पचास बैड हो गये, वह काफी हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भीलवाड़ा के अस्पताल के बारे में प्रश्न उठाया। मैं समझता हूं कि उसमें जो जांच हुई उसमें तथ्य नहीं पाया गया। फिर भी यह कहना कि कुछ भी नहीं हुआ—उचित नहीं है। जब तक वह वहां डी० एम० एच० ओ० हैं उनकी धर्म पत्नी, जो लेडी डॉक्टर हैं, वहां हैं। वहां से उन डी० एम० एच० ओ० का ट्रान्सफर होगा तो उनकी धर्मपत्नी का भी ट्रान्सफर हो जायगा। वैसे अब झालावाड़ में एक लेडी डॉक्टर नहीं है, एक और चली गई है। इससे और सुविधा हो जायगी।

श्री रामकिशन : लेडी डॉक्टर का ट्रान्सफर नहीं हो तो उसके लिये धर्मपत्नी नहीं कहें, लेडी डॉक्टर कहें। धर्मपत्नी गलत शब्द है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है पति-पत्नी दोनों के एक जगह रहने से सुविधा होती है।

श्री रामकिशन : धर्म पत्नी नहीं, लेडी डॉक्टर का ट्रान्सफर हो जायगा, यह कहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ए० एम० एच० ओ० की बात कही गई है, वह वहां नहीं हैं तो भेज दिया जायगा।

बाड़मेर में सर्जन के बारे में व्यवस्था की जा चुकी है।

इसी तरह से जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके संबंध में कहा है कि स्ट्रेलाइजर वहां नहीं भेजा गया है। इस संबंध में जैसा आश्वासन दिया गया था, चालीस लाख रुपये की लास्ट ईयर 1968-69 में सैंक्शन इश्यू कर दी गई है, वह प्रिन्सिपल, जोधपुर मेडिकल के नाम से इश्यू हुई है।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टी० बी० क्लीनिक एक मोहल्ले में रख दिया गया है। आज जो टी० बी० क्लीनिक होता है और जो टी० बी० हॉस्पिटल होता है—उसमें बहुत फर्क है। टी० बी० क्लीनिक में लोग आकर दिखा कर दवाइयां ले जाते हैं। उससे कोई अंदेशा नहीं होता है इस बीमारी के फैलने का। इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ई० एस० आई० के बारे में मैंने निवेदन कर दिया ।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि और कोई प्रश्न रह गया हो तो....

श्री कृष्णकुमार गोयल : डॉक्टर दुगड़ के बारे में रह गया ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : दौसा के बारे में मैंने निवेदन किया था उसके बारे में नहीं कहा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डॉक्टर दुगड़ के बारे में मैंने माननीय सदस्य के पत्र के जवाब में जैसा बताया था, यूनिवर्सिटी ने एक रीडर की क्वालिफिकेशन के लिए यह चीज नहीं मानी है, हालांकि रिलेक्सेशन के लिए लिखा गया जरूर है। लेक्चरार के लिए मान लिया है कि एम०बी०बी०एस० लेक्चरार हो सकता है और यूनिवर्सिटी ने रिलेक्सेशन कर दिया है । जहां तक लेक्चरार का ताल्लुक है, उसका सिलेक्शन का प्रश्न है, इस बारे में पहले सिलेक्शन के जरिये हुआ, दूसरे का प्रश्न आया है तब जाकर विचार कर लिया है कि कौन रीडर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है । यह एक इस प्रकार की चीज है इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे । जैसा मैंने निवेदन किया, कल एक सवाल के जवाब में कि केमिकल एक्जामिनर और मेडिकल जूरिस्ट के पद अलग अलग करने का निर्णय किया जा चुका है । यह मान कर चलें कि इसमें कोई आधार इस बात का नहीं है कि कोई प्रमोशन के लायक नहीं है तो प्रमोशन दे दिया जाय । यदि दूसरा प्रमोशन के लायक होगा तो उसको प्रमोशन दे दिया जायगा । मैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कर सकता हूं इस मामले को ।

दूसरे आपने कहा कि यह दोनों पोस्ट हैं जिनको एडवर्टाइज नहीं किया गया । कल मैं इस फाइल को साथ लाया था । कल मैंने देखा था इस चीज को, उसमें था कि लेक्चरार जो पहले थे और जो मेडिकल जूरिस्ट थे शर्मा वह सस्पेंड हो गये, तो सस्पेन्शन की वेकेन्सी में एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल सकता । वह वेकेन्सी नहीं होती है । पोस्ट वेकेन्ट नहीं होने की वजह से एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया.....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने बताया कि दूसरा आदमी अवेलेबल था उस क्वालिफिकेशन का, उसे लेने की कोशिश नहीं की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह उस फाइल से जाहिर नहीं होता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसका मैंने नाम बताया था ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा नोटिंग उस फाइल में नहीं है कि दूसरा व्यक्ति अवेलेबल है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यही सवाल है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : दौसा होस्पिटल में बैड बढ़ायेंगे या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी दौसा के होस्पिटल के बारे में विचार नहीं कर सकते क्योंकि जिलों में बैड बढ़ा रहे हैं ।

श्री प्रमीलाल यादव : यह बताने की कृपा करें कि पी०एस०सी० के सब सेन्टर

Page No 198

(श्री प्रमीलाल यादव)

कायम किये हैं, क्या उनको तोड़ने की राज्य सरकार की नीति है? अगर नहीं है तो क्या उनके लिए जो पांच सात साल पहले तीन तीन हजार और साढ़े तीन हजार रुपया पब्लिक से कन्ट्रिब्यूशन लिया है फिर भी उनमें आज तक स्टाफ नहीं भेजा गया है और न उनकी बिल्डिंग बनाई गई है। जैसे बहरोड का प्रश्न है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नीमराना पंचायत समिति में तीन सब-सेन्टर हैं उनमें तैंतीस सौ, तैंतीस सौ रुपये जमा हुए हैं। उनकी बिल्डिंग बना दी जायगी और स्टाफ भेज दिया जायगा।

श्री सभापति : जन स्वास्थ्य !

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, एक ही प्रश्न में पूछना चाहता हूं......

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब काफी स्पष्टीकरण हो चुका है।

श्री रामकिशन : (श्री जयकिशन शर्मा, राज्य मंत्री के खड़े होने पर) आप तो केवल लवण भास्कर के बारे में कहदें।

श्री सभापति : (श्री श्रवणलाल से) अभी तो अगले साल भी बजट सैशन काफी चलेंगे।

श्री श्रवणलाल : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप उस समय बैठे क्यों रह गये। अब तो शुरू हो गया है।

श्री जयकिशन शर्मा (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : सभापति महोदय, आयुर्वेद की मांग के सम्बन्ध में इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव प्रस्तुत किये हैं और बहुत सी समस्यायें सामने रखी हैं—मैं आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों को निवेदन करूं उसके पहले मैं माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विभाग के काम में संतोष जाहिर किया और कोई केस ऐसा नहीं रखा जिससे उनकी नाराजगी इस विभाग के सम्बन्ध में किसी प्रकार की दिखती हो। यह मुझे महसूस हुआ। परन्तु कुछ बातें उन्होंने रखी हैं उनका निराकरण करने से पहले मैं इस समय यह कर्त्तव्य समझता हूं कि आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में जो बातें रखी हैं, जो बातें खास तौर से आई हैं उनमें कुछ ने तो दवाइयों के बारे में कहा, कुछ लोगों ने कहा है कि उनके औषधालयों में दवाइयां कम मिलती हैं, बहुत से माननीय सदस्यों ने औषधालय खोलने के लिए कहा है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कुछ इलाकों में वैद्यों के न होने के बारे में चर्चा की है। इससे पहले कि मैं उनको उनकी समस्याओं के बारे में कहूं, मैं आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में कुछ थोड़े से में अर्ज कर देना चाहता हूं।

आयुर्वेद में जहां शिक्षा का सवाल है उसके लिए आयुर्वेद विभाग के सरकारी दो कालेज चलते हैं, उनके अलावा अपने राजस्थान में छः ऐसे कालेज हैं जो ग्रान्ट इन ऐड से चलते हैं। इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद विभाग के आठ कालेज चलते हैं। साथ ही आयुर्वेद विभाग में जो रिसर्च की बात कही जाती है, अनुसन्धान की बात कही जाती है कि आयुर्वेद विभाग को भी कुछ अनुसन्धान

(श्री जयकिशन शर्मा)

करना चाहिए, कुछ रिसर्च करनी चाहिए, जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से इस बात पर जोर दिया मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह दूं कि राजस्थान के अन्दर, जो कालेजेज चलती हैं, उनका तो यूनिवर्सिटी से एफिलियेशन है ही पर अब हमने निर्णय लिया है कि आयन्दा साल से पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज जयपुर में और उदयपुर में खोल दी जाय और इस तरह से एलोपेथी में एम० डी. और एम. एस. होते हैं उसी तरह से आयुर्वेद में भी स्पेशलिस्ट लोग मिलने लग जायेंगे और वे अपने आयुर्वेद के सब्जेक्ट में एक्स्पर्ट होंगे। तो इससे जो लोग आयुर्वेद में दिलचस्पी रखते हैं, उनको मौका मिलेगा और वे रिसर्च कर सकेंगे।

इस समय राजस्थान में दो अनुसंधान केन्द्र, एक जयपुर में और दूसरा उदयपुर में, चल रहे हैं। जयपुर का अनुसंधान केन्द्र संग्रहणी और चर्म रोगों पर अनुसंधान कर रहा है और उदयपुर का पक्षाघात पर रिसर्च कर रहा है। तो आज भी रिसर्च हमारे यहां हो रहा है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि औषधालयों में दवाइयां कम मिलती है मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि 1635 औषधालय हमारे हैं उनमें से 37 यूनानी के, 8 होमियोपेथिक के और 1 प्राकृतिक चिकित्सालय है, बाकी औषधालय आयुर्वेद के हैं। हमारे यहां 5 रसायन शालाएं हैं जो हमारी औषधियों का निर्माण करती हैं। बाहर की फार्मेसीज से हम बहुत कम दवाइयों का क्रय करते हैं। 10 लाख की कच्ची दवाइयां खरीद कर हमारी रसायनशालाओं में दवाइयों के निर्माण का कार्य कर रहे हैं और सरकारी औषधालयों को इन दवाइयों के वितरण की व्यवस्था की है। पहले हमारी वितरण व्यवस्था एक सेन्टर से सेन्ट्रेलाइज्ड थी। हमने उसको डि-सेन्ट्रेलाइज्ड कर दिया है और 8 जगह वितरण के भंडार खोल कर ट्रान्स्पोर्ट की दिक्कत भी सरकारी वाहन उपलब्ध करा कर दूर कर दी है। बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के वैद्यों को थोड़ी दवाइयां मिलती थी, वहां से दवाइयां लेने के लिये आयें तो उसमें उनको दिक्कत होती थी, रोगियों को भी दिक्कत होती थी। उसके लिये हमने यह व्यवस्था की है तो दवाइयां जल्दी ही और थोड़ी दूरी पर ही उन्हें मिल जाती हैं। इसी तरह हमारे और औषधालय हैं, उनके लिये हमने औषधियों की मात्रा बढ़ाई है। 1,200 रुपयों की औषधियों की मात्रा सी० क्लास के औषधालयों के लिये की है, बी० क्लास के औषधालयों के लिये 2,400 की मात्रा की है और ए० क्लास के औषधालयों के लिये 20 हजार से 30 हजार की औषधियां करदी हैं। इसके अलावा ए० बी० सी० क्लास के औषधालयों का बगैर खयाल किये हुए जिस औषधालय में ज्यादा मरीज आते हैं, उसको मर्जी के आधार पर अतिरिक्त दवाइयां देने की व्यवस्था हमने की है, चाहे वह किसी क्लास का औषधालय हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि नारू की बीमारी होती है। मैं कह दूं कि नारू एक ऐसी बीमारी है जिस पर आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के अलावा और कोई ऐसी पद्धति नहीं है जिसने कि इस बीमारी पर काबू पाया हो। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों से इस बीमारी में लाभ होता है। देवेन्द्र कुमारजी के गत साल जयपुर में ही नारू निकला था.....

श्री रामकिशन: भीखाभाई के निकला है?

श्री जयकिशन शर्मा : उसको पहले मैंने देखा नहीं था।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल: भीखाभाई ने तो हनुमान चालीसा पढ़ कर ठीक कर लिया।

श्री जयकिशन शर्मा : जब मैंने देखा तो उदयपुर के एक हकीमजी जो नारू की बीमारी के विशेषज्ञ थे, उनको मैंने बुलाया। एक गज के करीब लम्बा कीड़ा दूसरे ही दिन उनके पैर से निकाला गया और शान्ति मिली। नारू की बीमारी के इलाज के लिये हम कैम्प भी लगाना चाहते हैं, और भी व्यवस्था करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ इलाकों में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुछ जोधपुर के इलाके ऐसे हैं जहां यह बीमारी निकलती है, वहां इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि इस प्रकार की दवाइयां दी जा सकें वहां के लोगों को लाभ हों।

श्री भैरोंसिंह : आयुर्वेद मंत्रीजी क्या यह गारन्टी दे सकते हैं कि भीखाभाई के भविष्य में नारू नहीं निकलेगा ?

श्री जयकिशन : मैं तो यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य में किसी के भी नारू नहीं निकले, जिसके निकले उसको आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों से लाभान्वित कर दिया जाय।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : भीखा भाई जब आयुर्वेद मंत्री थे तो च्यवन प्रास जमालघोटा आदि लेते थे, वह अब भी चालू रखेंगे क्या ?

श्री भीखाभाई : च्यवन प्रास तो आप खाते हैं।

श्री सभापति : ऐसी हालत में खाते होंगे जमालघोटा जब कि अपच हो गया हो।

श्री जयकिशन शर्मा : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि कई डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर थे जहां आयुर्वेदिक औषधालय नहीं थे। अब सबडिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर ए० क्लास औषधालय खोलने का निर्णय लिया है...

कई जगहों से यह शिकायत आती थी कि वैद्य नहीं रहते हैं, इसके लिये हमने यह व्यवस्था की है कि 18 यूनिट थे जिला स्तर के, हमने इस साल से 25 यूनिट जिला स्तर के बना दिये हैं। अब डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी समय समय पर औषधालयों का निरीक्षण कर सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है।

इसके अलावा, एक माननीय सदस्य ने कहा कि जहां पी० एच० सी० होते हैं वहां औषधालय खोल दिये जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत दो सालों में ऐसा एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जहां पी०एच०सी० हैं, वहां औषधालय खोला गया हो। भविष्य में भी ऐसा नहीं किया जायगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कोटा जिले में पंचायत समिति सुल्तानपुर में, मंडावरा पंचायत समिति में प्राइमरी हैल्थ सेंटर भी है और औषधालय भी है। इसके विपरीत बम्भोरी पंचायत समिति है उसमें एक भी नहीं है।

श्री जयकिशन शर्मा : पहले के हैं, पंचायत समिति ने जिनको रिकमण्ड कर दिया, वहां पी०एच०सी० खोले हैं, 10 हजार

(श्री जयकिशन शर्मा)

का अनुदान दे दिया वहां खोले गये और जगह नहीं खोले हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पंचायत समिति ने हैल्थ सेंटर खोलने के लिए रिकमण्ड किया लेकिन वहां नहीं खोला गया, पंचायत समिति ने रिकमन्ड किया कि सुल्तानपुर से औषधालय को शिफ्ट कर के बम्भोरी में लाया जाय लेकिन ऐसा पंचायत समिति की रिकमण्डेशन होने के बावजूद भी नहीं किया गया जब कि सुल्तानपुर में प्राइमरी हैल्थ सेंटर भी है और औषधालय भी है और बम्भोरी में इन दोनों में से एक भी नहीं है।

श्री जयकिशन शर्मा : यह तो माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम है कि कहीं आयुर्वेदिक औषधालय खोलते हैं तो जनता भवन बनाने के लिये तैयार रहती है, जनता की और से भवन बनाये जाते हैं, जनता द्वारा भवन बनाने के लिये धनराशि दी जाती है इस प्रकार के भवन जहां हैं, परन्तु जैसा कि आप कहते हैं यदि वहां की जनता, वहां की पंचायत समिति चाहती है, तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। जहां कहीं पंचायत समिति या जिला परिषद ने लिख कर भेजा है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर कर दिया जाय तो वहां हमने किये हैं। लेकिन जिस काम के लिये भवन बनाने के लिये जनता द्वारा धनराशि दी जाती है, उसके लिये जनता में एक भावना होती है कि जिस काम के लिये वह भवन बनाया गया है, उसी काम में आये।

स्वतंत्र भारत में जहां हम और और सुविधाएं देना चाहते हैं, वहां जनता को स्वस्थ रहने की सुविधा भी देना चाहते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है कि जो गांव गांव में सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सकती है। तो एक जगह दो तीन तरह की सुविधाएं उपलब्ध करायें और स्वास्थ बने रहने के लिये सुविधा एक जगह नहीं है तो यह हम उचित नहीं समझते, वहां भी हम स्वास्थ्य की सुविधा देना चाहते हैं और जो बात आपने बताई है, उस बारें में भी मैं व्यवस्था कर दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नए औषधालयों के बारें में बता दें, बाकी बातों के लिए हम आपके जवाब से सन्तुष्ट हैं।

श्री जयकिशन शर्मा : एक माननीय सदस्य ने एलोपैथी के इन्जेक्शन्स के बारे में, जो वैद्य इस्तेमाल करते हैं, उसका उल्लेख किया। मैंने समय समय पर जब कभी भी हमने वैद्यों की मीटिंग बुलाई, अपने विभाग के अधिकारियों को बुलाया और परिपत्र भी निकाले हैं और कोशिश की है कि जो बीमारी इस विभाग में आई है वह शनै: शनै: दूर हो जाय और आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हद तक यह बीमारी दूर हुई है और भी भविष्य में दूर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यह इस प्रकार का नाता जुड़ गया है कि वह एक दम दूर नहीं हो सकता क्यों कि लोगों के खून में जो बात घुस जाती है, धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से दूर की जा सकती है। इसलिये मैं इसके लिए कोशिश कर रहा।

माननीय मेहता साहब ने पूछा कि भविष्य में नये औषधालय कहां खोले जायेंगे? राजस्थान में जहां दो करोड़ की आबादी है, आज 1,685 औषधालय हैं और 10 हजार

Page No 202

(श्री जयकिशन शर्मा)

की आबादी पर एक औषधालय आता है। राजस्थान के कुछ जिले के अंदर इस प्रकार का भेदभाव है कहीं कहीं 15,000 की आबादी पर एक औषधालय, कहीं 8 हजार की आबादी पर कहीं 7 हजार की आबादी पर एक औषधालय आता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सब जिलों के साथ समानता का व्यवहार किया जाय। उन जिलों के साथ और अधिक व्यवहार किया जाय जो जिले दूर दूर में बसे हुए हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे जिले हैं कि एक औषधालय से दूसरे लोग लाभान्वित नहीं सकते। बहुत दूरी पर बसे हुए है, ऐसे जिलों को प्राथमिकता दी जाय। इस साल के अंदर जो नए औषधालय खोलने के लिए सोचा है हालांकि उनकी संख्या भी कोई बहुत अधिक तो नहीं है परन्तु चौथी योजना में 200-250 औषधालय खोलेंगे। और हम यह भी चाहते हैं कि हमारे 'सी क्लास औषधालय जो हैं जिनके अंदर पूरी' व्यवस्था नहीं है, केवल एक वैद्य और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है तो कहीं सिर्फ एक वैद्य है। इस प्रकार की कमी बेशी है तो हमारा जो पैटर्न है वह समान नहीं है, उनको हम समान पैटर्न पर लाना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था भी सुधारनी होगी। इसलिये अगले साल जो 40 औषधालय हम खोलने जा रहे हैं, वह इसी आधार पर खोले जायेंगे कि कहां कहां पर किस किस जगह लोगों की क्या जरूरत है, लोगों को जो आयुर्वेद या और दूसरी चिकित्सा पद्धति है, उससे लाभ नहीं मिलता, तो उनको लाभ देने की कोशिश करेंगे। इसलिये ऐसी जगह पर अगले वर्ष में आयुर्वेद औषधालय खोलेंगे।

जो आपने सुझाव दिए हैं उनमें जो अमूल्य सुझाव हैं उनको क्रियान्वित करेंगे और एक माननीय सदस्य जो बोले तो नहीं परन्तु वरिष्ठता के बारे में कहा कि विभाग के अंदर वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है और वरिष्ठता के आधार पर प्रोमोशन्स नहीं दिए गए। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जितने भी वैद्य हैं, सबकी वरिष्ठता सूची बना रखी है और जितने प्रोमोशन्स हुए हैं वरिष्ठता के आधार पर हुए हैं मेरे पास कोई रिप्रेजन्टेशन इस प्रकार का नहीं आया है किन्तु अगर किसी माननीय सदस्य के पास सबूत हो तो मुझे कभी भी बता सकते हैं, मैं देखकर शंका का निवारण कर दूंगा और यह भी विश्वास दिलाता हूं कि वरिष्ठता के आधार पर हरेक को प्रोमोशन दिया गया है और विभाग की ओर से वरिष्ठता की सूची ए० बी० व सी० तैयार की गई हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोहरता हूं कि आपने जो अमूल्य सुझाव दिए हैं उनको पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे।

श्री श्रवणलाल : जैसे मंत्री महोदय ने वरिष्ठता के बारे में कहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए और किसी प्रकार की भेदभाव की नीति न अपनाते हुए उनके विभाग में प्रोमोशन्स मिले हैं लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि......

श्री सभापति : इसकी इस समय आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई अनियमितता हुई है, शिकायत है तो उन तक आप पहुंचा दें।

श्री श्रवणलाल : मैं सिर्फ एक मिनिट लेना चाहता हूं उसको सदन में बताना उचित होगा........

श्री सभापति : वरिष्ठता सूची को इस समय डिस्कस नहीं कर सकते, नीति का सवाल हो तो पूछें।

श्री श्रवणलाल : सवाल इस बात का है कि उसके लिए वह कहां से कहां तक आदमी को पहुंचा देते हैं ।

श्री सभापति : प्रश्न पूछ सकते हैं, स्पष्टीकरण ले सकते हैं लेकिन वक्तव्य होने के पश्चात् नीति संबंधी कोई बात जानना चाहें तो समय दे सकता हूं, समय का अभाव है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में राज्य सरकार क्या प्रगति करने जा रही है ? क्या विकास करने जा रही हैं ?

श्री जयकिशन शर्मा : माननीय सदस्य को मालूम है कि होम्योपैथी कानून पिछले सत्र में पास हुआ है और उस संबंध में बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं और उसके बाद जो सुझाव आयेंगे, उन्हीं के अनुसार होम्योपैथी को भी आगे बढ़ायेंगे। इस समय राजस्थान में होम्योपैथी के 8 चिकित्सालय हैं।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : भरतपुर में जो आपका आयुर्वेद औषधालय है उसका भवन इतना टूटा पड़ा है कि किसी भी क्षण गिर कर और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी आप व्यवस्था करें।

श्री जयकिशन शर्मा : कई औषधालय सरकारी भवनों में चल रहे हैं और कुछ ऐसे जिले हैं जहां जनता के द्वारा आयुर्वेद भवन की व्यवस्था नहीं है। भरतपुर ऐसा जिला है, परन्तु फिर भी राज्य सरकार सोच रही है कि कोई अच्छा किराए का भवन भरतपुर में उपलब्ध कराया जाय जिससे लोगों को राहत मिल सके।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : स्थिति यह है कि वहां के लोगों ने बेड्स प्रोवाइड किए हैं और भवन बनाया है किन्तु पुराना भवन है जिसमें आउटडोर डिस्पेन्सरी की तरह काम करते हैं, प्रमुख बिल्डिंग खस्ता हो गई है। हजारों बच्चे, स्त्री व पुरुष आते हैं। किसी भी क्षण गिर सकती है, जिसके लिए पी० डब्ल्यू० डी० ने सर्टीफिकेट दे दिया है कि इसके अन्दर बैठे नहीं।

श्री जयकिशन शर्मा : इसको देखेंगे।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : आपने अभी-अभी एक बात कही कि जहां पर पी० एच० सी० अंग्रेजी दवाखाना है वहां से औषधालय हटा देंगे, इससे मुझे वेदना हुई, अंग्रेजी दवाखाना हटाया जाय।

श्री जयकिशन शर्मा : मैंने कहा है कि जहां पर पी० एच० सी० है वहां पर नया औषधालय नहीं खोला जायगा और जहां पंचायत समिति और जनता चाहेगी कि यहां से औषधालय हटाया जाय तो मुझे एतराज नहीं। वह औषधालय दूसरी जनता को, जिनको यह सुख सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, उनको ट्रांसफर कर देंगे।

श्री मुकट बिहारीलाल : आप यह सिद्धांत मानकर चलते हैं क्योंकि वहां पर अंग्रेजी दवाखाना मौजूद है इसलिये अयुर्वेद दवाखाना हटाया जाय।

श्री जयकिशन शर्मा : मैं ऐसा नहीं मानता। पंचायत समिति जनता की चुनी हुई है और चुनी हुई संस्था का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी-सु०) : मैं आयुर्वेद मंत्री से जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी दवाखाना होता है उसके लिए भवन निर्माण के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है लेकिन आयुर्वेद औषधालय जो गांवों के अंदर चलते हैं, वहां भवन बनाने की स्थिति बिल्कुल नहीं रखी है और बजट में कोई प्रावधान नहीं है ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

श्री जयकिशन शर्मा : आयुर्वेद विभाग के बारे में बिल्डिंग की व्यवस्था के लिये अभी कहा गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा पहले कहा गया कि आयुर्वेद विभाग जो भी औषधालय खोलता है उसके लिये आगे से आगे बिल्डिंग मिल जाती हैं। भवनों के लिये यदि आयुर्वेद का बजट काम में लेने लगे तो आज जो आयुर्वेद का विस्तार हो रहा है, औषधालय तेजी से खोले हैं, राजस्थान बना तो उस समय पांच लाख का बजट था और 147 औषधालय थे। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में 347 हुए और आज उनकी संख्या 1,685 है, इनको तेजी से नहीं बढ़ा सकेंगे। धार्मिक दृष्टि से या किसी दृष्टि से कह दें भवन मिल जाते हैं इसलिये इसकी व्यवस्था बजट में अलग से प्रावधान रख कर नहीं की गयी।

श्री सभापति : आप (श्रीमती सुमित्रा देवी) आप कितना समय लेंगी? आध घण्टा ही न। आयुर्वेद मंत्री ने पन्द्रह मिनिट कहा था फिर भी अधिक ले लिया है।

श्रीमती सुमित्रा : जितना हो सके।

श्री सभापति : उसी अनुसार समय बढ़ाऊंगा।

श्री रामकिशन : हनुमानजी को भी चाहिये?

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि आप आध घंटे में अपना भाषण समाप्त कर देंगे और फिर कुछ मिनिट स्पष्टीकरण देने के लिये रहेंगे। अतः सदन की अनुमति से सदन का समय 8.45 म० प० तक के लिये बढ़ाया जाता है।

(8 म० प०)

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : (श्री रामकिशन के सदन से जाने पर) चूंकि फेमिली प्लानिंग का सवाल आया है इसलिये पंडितजी जा रहे हैं और तेजी से जा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री, जल प्रदाय एवं परिवार नियोजन विभाग) : सभापति महोदय, मैं आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने जन स्वास्थ्य महत्व एवं जल कष्ट को दूर करने के लिये इस मांग पर अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं और परिवार नियोजन के संबंध में भी अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। माननीय सदस्य इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि राजस्थान हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा प्रान्त है और यह प्रान्त न केवल ऐतिहासिक तौर से पिछड़ा हुआ भाग है अपितु भौगोलिक तौर से काफी बड़ा भाग मरुस्थल और रेगिस्तानी है। जिसमें कुछ हिस्से में तो केवल 4 और 5 इंच एवरेज रेन फाल है। और ऐसे प्रान्त में कितनी विकट जल समस्या है। जिस प्रान्त में केवल एक बारह मासी नदी चम्बल है। यहां ऐसी जगह भी हैं जहां एक ही प्रकार की समस्या नहीं है। कहीं पर पानी न मिलने की समस्या है, कहीं पर गहरा पानी न मिलने की समस्या है, कहीं पर अपर्याप्त पानी मिलने की समस्या है तो कहीं पर अस्वास्थ्य कर पानी मिलने

(श्रीमती सुमित्रा)

की समस्या है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस सन्दर्भ में आप देखें, तो तीन पंचवर्षीय योजनाओं में, खास तौर से नगरीय जल-प्रदाय योजना में जो कुछ काम किये हैं उनसे एक गर्व और संतोष का अनुभव किया जा सकता है।

राजस्थान का जब निर्माण हुआ जो केवल चार नगरों में पेय जल की व्यवस्था थी, अर्थात पाइप वाटर सप्लाई। जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर ही ऐसे शहर थे, जहां पाइप से अथवा नलों द्वारा पानी लेने की सुविधा थी। लेकिन इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज 96 नगरों में इन जल-प्रदाय योजनाओं से पानी सप्लाई किया जा रहा है। आज हमारी 38 नगरीय योजनायें अन्डर प्रोग्रेस चल रही हैं और अब केवल 11 ऐसी नगरीय जल-प्रदाय योजनाएं हैं, अर्थात् ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनमें पानी के देने का काम करना बाकी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में समस्त नगरपालिकायें ले ली जावेंगी और वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी जावेगी।

सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रकट किया और किसी हद तक अनुचित भी नहीं है क्योंकि शहरों और गांवों में पेय जल की व्यवस्था में जो असमानता है उसको दूर किया जाना चाहिये। इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि 145 में से 96 नगरपालिकाओं में 32 लाख की पापुलेशन है उसमें से 81 परसेन्ट पापुलेशन को कवर किया जा चुका है और अब तक नगर जल पेय योजना में 16 करोड 20 लाख रुपया खर्च किया गया है जो पर कैपिटा एक्सपेंडीचर 50 रुपये से भी ज्यादा आता है। लेकिन जहां माननीय सदस्यों ने अपना विरोध प्रकट किया है गांवों में पीने के पानी की समस्या के लिये वहां मैं निवेदन कर दूं कि गांवों में बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूं। जिस प्रदेश में इतनी पानी की विषम समस्या हो, अपने पशुओं को लेकर लोगों को अकाल में आस पास के प्रदेशों में पानी की टोह में जाना पड़ता हो, इस सन्दर्भ में यह भी सोचने की आवश्यकता है कि भौगोलिक स्थिति में जो राजस्थान है जहां आये दिन अकाल मेहमान रहता है और पीने के पानी की विकट समस्या है, न केवल वहां के लोगों को जिन्दा रखने की बात है और जब वे लोग अपने तन और पशु धन को लेकर इस प्रदेश को छोड़ते हैं तो किस को रोना नहीं आ सकता है। जहां अकाल है आज वहां 35 हजार रुपया प्रति दिन खर्च किये जा रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपया पिछले साल केवल पानी पहुंचाने में खर्च किया गया था। खारा पानी है, दूर से लाना पड़ता है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। अतः व्यवस्था की गयी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ ? वहां मैं भी गया हूं।

श्रीमती सुमित्रा : आपको तो सब बातों में भ्रष्टाचार नजर आता है। पानी पिलाते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार नजर आता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे तो स सरकार में भी बदबू आ रही है।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्यों की इस चिन्ता और व्यथा जो शहरी और

(श्रीमती सुमित्रा)

ग्रामीण जल-प्रदाय योजना में होने वाली असमानता और पेय जल की भी एक ग्रामीण को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक शहरी को, इस भावना को मद्देनजर रखते हुए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शहरी योजना के मुकाबले में ग्रामीण जल-प्रदाय योजना को कहीं ज्यादा प्रधानता दी गयी है और इसके लिये 20 करोड़ की राशि का प्रावधान केवल देहाती जल-प्रदाय योजनाओं के लिये किया गया है। चौथी योजनाओं में 3 हजार गांवों में नये कूए खोदे जायेंगे। राजस्थान केनाल एरिया में 350 डिग्गी, 325 ट्यूब वेल्स, उन 250 से अतिरिक्त होंगे जिनमें से 141 सफल हैं और उनसे पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 30 रीजनल स्कीम बनायी जा रही है। 500 गांवों की रीजनल स्कीम बनायी जावेगी और 300 गांवों में पाइप वाटर सप्लाई द्वारा उनको पानी देने का काम किया जावेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, अलग अलग क्षेत्रों की माननीय सदस्यों ने समस्यायें रखी हैं उन सब का उत्तर देना तो सम्भव नहीं होगा लेकिन मैं समझती हूं ज्यादातर समस्या अपने 2 क्षेत्र में पानी पहुंचाने की है, उनका उत्तर देना तो सम्भव नहीं होगा क्योंकि मेरे लिये टाइम निश्चित कर दिया गया है फिर भी भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार के जो कट-मोशन्स हैं उनका मैं अवश्य जवाब देना चाहूंगी।

इस वर्ष के अन्त में 291 गांवों में जल-प्रदाय योजना को सम्पूर्ण कर देंगे। 90 कार्य निर्माणाधीन हैं। और इस वर्ष के एन्यूअल बजट में इस बात को मद्देनजर रखते हुए रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में दो करोड़ का प्रावधान किया गया है जब कि अरबन वाटर सप्लाई में 224 लाख का है। इसके अन्दर एल०आई०सी०का 131 लाख का लोन भी शामिल है। यह इस बात का सबूत है कि माननीय सदस्यों ने यहां पर जिस प्रकार की शंकायें और भावनायें व्यक्त की हैं उन सब को देखते हुए इस साल के बजट में जो प्रावधान है उससे बहुत अंश तक यह समस्या सुलझ सकेगी।

वैसे तो इस अर्से में भी लगातार प्रयत्न किया गया है कि रूरल वाटर सप्लाई की भी किसी प्रकार समस्या हल की जा सके और इसके लिये समय समय पर कमेटियां बनायीं गयी हैं। आप लोगों को याद होगा कि स्वर्गीय श्री हरिश्चन्द्रजी माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी उसने कई रिकमन्डेशन गवर्नमेन्ट को की थीं। कईयों को क्रियान्वित किया जा चुका है और बाकी के बारे में भी विचार किया जा रहा है और कुछ न कुछ निर्णय किया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में अलग अलग जगह से आने वाले माननीय सदस्यों ने अलग अलग बातें कही हैं। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी, चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपने गांवों के बारे में बातें कहीं ग्रामीण जल योजनाओं पर अधिक राशि के लिये कहा। उन सब का जवाब तो मैंने जनरल में दे दिया है। बीकानेर तथा कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या ने विभाग पर गम्भीर इल्जाम लगाये हैं।

इसके बारे में वे दोनों ही यहां नहीं हैं फिर भी मैं सदन को विभाग की मंशा को समझाने की कोशिश करूंगी। आज से 50 वर्ष पहले जब स्टेट का टाइम था

Page No 207

(श्रीमती सुमित्रा)

तब यह नाला बना था और आज तक उसी नेशनल कोर्स में बह रहा है। जिस नाले की बात कह रही हूं, बड़े जोर शोर से यह कहा गया कि इसमें घोटाला हुआ है। यह सारा का सारा काम वहां की नगरपालिका का है। नगरपालिका ही इसका ठेका देती है। किस व्यक्ति को गंदे पानी को यूटिलाइज करने को देगी, यह कोई इस विभाग का काम नहीं है परन्तु इस गिवाणी नाले के बारे में जो टैक्निकल एक्सपर्ट की राय के बारे में कहा गया है, मैं विनम्र शब्दों में यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान में, इस विभाग में बहुत ही कुशल इंजीनियर्स हैं। इस प्रकार की कोई भी इन्टेशन, अर्थात मैलाफाइड इन्टेन्शन मुझे इसमें किसी का नजर नहीं आता है। 50 साल पहले जो नाला बना हुआ था केवल अब उसको डीपन करने और उसको पक्का करने का काम किया गया है। हमने किसी भी प्रकार से और कहीं भी अलग इस नाले का डाइवरशन नहीं किया है लेकिन इतना अवश्य था कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य चाहते थे कि इस नाले को दूसरा रूप दिया जावे अतः उनकी मांगपर इस नाले का काम रोक दिया गया है लेकिन सम्पूर्ण इसलिये नहीं रोका गया कि जो मजदूर इस काम में लगे हुए हैं उनका क्या होगा ? इसलिये उस हिस्से को जिस हिस्से पर माननीय सदस्य का एतराज था काम रोक दिया गया है और बाकी निर्माण का काम चालू है सदन में इस बात पर जोर था कि इस नाले को दूसरे इलाके में दिया जाये। लेकिन यह टैक्नीकल मामला है और इस मामले पर जब तक इसकी दूसरी योजना बन कर तैयार न हो, यह नाले के प्राकृतिक बहाव का सवाल है, उस पर जो सजेशन दे रहे हैं दोनों माननीय सदस्य उसके द्वारा जो मौजूदा नाला है उसको ऊंचा उठाकर नीचा लाना पड़ता है और इसके बीच में रेलवे लाइन पड़ती है। इस पर रेलवे की स्वीकृति लेना जरूरी है। इस रेलवे लाइन पर एक बड़ा पुल विभाग की ओर से बनाना पड़ेगा जिस पर करीब एक लाख, डेढ़ लाख की लागत लगेगी। इसलिये इस पर बड़ा खर्चा हो जाता है इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहने की स्थिति में नहीं हूं। जो सुझाव दिया गया है उसके ऊपर सरकार पूरा असेसमेंट करने के बाद और उसका टैक्नीकल एप्रूवल होने के बाद ही इस सम्बन्ध में कुछ कर सकेगी।

माननीय सदस्य जो लाडनूं से आये हैं उन्होंने भी इस विभाग के सम्बन्ध में, इसकी अनियमितताओं के बारे में और कई प्रकार की गड़बड़ियों के बारे में यहां कहा है। मैं इस सम्बन्ध में उन्हें याद दिलाना चाहूंगी और माननीय सदस्य को याद भी होगा कि वे इस सम्बन्ध में एक प्रश्न कर चुके हैं इसकी जांच कर ली गई है और जांच के बाद ही कुछ कहा है। जो शिकायत की गई थी उसकी अच्छी तरह से जांच कर ली गई और किसी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई और यदि कोई पाई गई तो ठेकेदारों के खर्चे के ऊपर इस काम को पूर्ण कराया जायेगा इस के बारे में पहले भी एक दो प्रश्न पूछे हैं और हमने सन्तुष्ट करने की कोशिश की थी। मैं नहीं जानती कि किस हद तक माननीय सदस्य सन्तुष्ट हुए होंगे। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस विभाग में किसी प्रकार के घोटाले की बात नहीं है और किसी को शिल्ड या बचाव करने का कोई सवाल नहीं है। यदि कभी इस तरह की कोई बात होगी तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी।

(श्रीमती सुमित्रा)

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जोरदार शब्दों के साथ गांवों और शहरों की असमानता के बारे में अपने विचार यहां प्रकट किये हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है। लेकिन यह विभाग के ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है। जंवाई से जोधपुर तक जो नहर जाती है उसके बीच में पड़ने वाले गांवों को पानी नहीं दिया जाता, यह गलत है। करीब 34 ऐसे गांव हैं जो जंवाई से जोधपुर वाली कैनाल के बीच में पड़ते हैं और इस कैनाल से न सब गांवों को पानी दिया जा रहा है। और भी कई माननीय सदस्यों ने स प्रकार के इल्जाम लगाये थे इस प्रकार की बातें कही थी कि नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर ज्यादा खर्चा हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि नगरीय सुविधाओं के साथ साथ वहां उद्योगों का विकास करना पड़ता है और औद्योगिक विकास के साथ साथ पानी की समुचित व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ती है। क्योंकि जब समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में ह तो यह बात आवश्यक हैं कि जहां पापुलेशन अधिक हो वहां पहले पानी की सप्लाई का इन्तजाम किया जाये और उसके बाद उन स्थानों को लिया जाये जिन गांवों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। इस आधार पर मैं स बात को, इस आशा के साथ कह सकती हूं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा गांव रहे जिस गांव को एक मील की दूरी से पानी लाना पड़ेगा? इस सम्बन्ध में जब पिछली बार केन्द्रीय सरकार के इस विभाग के मंत्री श्री शाह साहब यहां पधारे थे उस समय यह प्रश्न उनके सम्मुख आया था और उनका यह जवाब था कि आप इसका एक विभागीय नोट लिखें। उनको इस बात का पता नहीं था कि हमारा जो 70 करोड़ का मास्टर प्लान है, जो कि विशेषकर देहातों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये है, वह सन् 66 से भारत सरकार के विचाराधीन पड़ा है और आज तक भारत सरकार की ओर से किसी प्रकार का उत्तर हमें नहीं मिला है। अब इस सम्बन्ध में एक विभागीय नोट भेजा जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहती हूं कि जो कुछ भी कर सकते हैं वह कर रहे हैं। इसके अलावा एक भारत सरकार की योजना है उसके अन्दर 45 जिलों के कुछ इलाकों की पूरी की पूरी पानी समस्या का समाधान किया जायेगा। इसके लिये 45 करोड़ का प्रावधान है। राजस्थान भौगोलिक विषमताओं के कारण, विषम स्थिति के कारण एक सूखा प्रदेश है और बदकिस्मती से राजस्थान चारों तरफ ऐसे प्रदेशों से घिरा हुआ है कि लोग एकदम से इसकी उनसे तुलना कर डालते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश है जहां इठलाती हुई चम्बल नदी बहती है, दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश है जहां नदियों की कोई कमी नहीं है और तीस ी तरफ पंजाब है जहां नहरों की बाढ़ है। मैं समझती हूं कि इस स्कीम का, राजस्थान की भौगोलिक विषमताओं और उसकी स्थिति को देखते हुए, एक बड़ा हिस्सा हमें मिलेगा और इसके द्वारा हम इस पानी की समस्या का समाधान कर सकेंगे।

डूंगरपुर के पाड़वा निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने डूंगरपुर के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं की थीं। उन्होंने कहा था कि डूंगरपुर के अन्दर पानी की समस्या विकराल है। ै निवेदन कर

Page No 209

(श्रीमती सुमित्रा)

देना चाहती हूं कि डूंगरपुर जिले के अन्दर इस वर्ष फैमिन के मद से करीब 12 लाख रुपया मंजूर हुआ है और इस 12 लाख रुपये की मंजूरी से वहां की आठ योजनाओं को सम्पूर्ण किया जा सकेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ, आप लोगों को, माननीय सदस्यों को मेरी ओर से यह आश्वासन देते हुए एक अंतिम बात जो कोलायत से आने वाली माननीया सदस्या हैं, उन्होंने यहां यह कहा कि बीकानेर के अन्दर पीने के पानी की समस्या बहुत अधिक है और यह कहा कि राज्य सरकार इस बारे में जागरुक, सचेष्ट नहीं है। वे अभी यहां नहीं हैं। फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहती हूं कि अभी तक बीकानेर जिले के अन्दर 101 सफल नलकूपों में से 38 नलकूप अकेले बीकानेर में ही हैं इसके साथ साथ अभी तक बीकानेर में ...

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : पूरे बीकानेर की बात कहिये ।

श्रीमती सुमित्रा : मैं पूरे बीकानेर जिले की ही बात कह रही हूं। मैं यह बता रही हूं कि जो 101 सक्सेसफुल नलकूप हैं उनमें से अर्थात 38 नलकूप, 38 ट्यूबवैल्स अकेले बीकानेर जिले में हैं ...

श्री सभापति : पानी कितना दे रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा : स्पेसिफिक तहसील-वाइज आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं तो पानी के बारे में एक जनरल बात कह रही हूं ।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब परिवार नियोजन के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहती हूं...

श्री डूंगाराम राजोरिया : जल प्रदाय योजना भाण्डारेज के बारे में मैंने कहा था जो दो साल पहले स्वीकृत हो चुकी थी उसका 13 हजार रुपया भी हम लोगों ने जमा करवा दिया था । और इसी प्रकार दौसा के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा : भाण्डारेज योजना स्वीकृत हो चुकी है इस वित्तीय वर्ष में काम शुरू कर दिया जायगा ।

श्री अमोलाल यादव : बहरोड़ तहसील के निवासियों ने रुपया भी जमा करा दिया है उस योजना का सर्वे भी किया जा चुका है उसके बारे में क्या हो रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा : एक एक योजना के सबन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं हो सकती। आज से तीन चार वर्ष पूर्व जिन गांवों ने जन सहयोग की राशि जमा करा दी थी प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने एक नया डिसीजन ले लिया पहले जहां दो हजार की आबादी थी वहां पाइप और टैंक की स्कीम होती थी । दो हजार की आबादी से कम में अब यह नहीं हो सकता । न डिसीजन द्वारा दो हजार तक से लेकर पांच हजार तक की आबादी वाले गांवों में यह मैं 61 की पोपुलेशन को बेस मानकर कह रही हूं । दो हजार से पांच हजार तक की आबादी के लिये पाइप और टैंक की स्कीम समझी जायेगी । पांच हजार से अधिक की आबादी वाले कस्बों में वाटर सप्लाई स्कीम चालू की जायगी । कई ऐसी योजनायें हैं जहां पाइप और टैंक की योजना नहीं की जा सकती । जहां की आबादी पांच हजार से कम पड़ती है वहां पाइप्ड वाटर स्कीम नहीं जाती है । इसलिये पहले वाले एस्टीमेट रिवाइज करने पड़ेंगे । नये डिसीजन की वजह से यह सब कुछ हो रहा है ।

श्री रतनलाल रोत : मेरे क्षेत्र में जल-प्रदाय योजना के लिये वहां के लोगों ने नलों के पैसे जमा करा दिये पंचायत समिति ने नल लेने के लिये लिख दिया । मैं निवेदन करूंगा सीमलवाड़ा में पिछले एक वर्ष से मुख्य मंत्रीजी पधारे थे उन्होंने कहा कि 15 हजार की रकम दे दी जावे तो नल लग जायेंगे इस योजना को कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री सभापति : आपने कभी इस बारे का विधान सभा में प्रश्न पूछा है ?

श्री रतनलाल रोत : इस विभाग के जो मंत्री महोदय हैं वे वहीं के रहने वाले हैं इनको कई बार कहा और लिखा । थोड़े से काम के लिये बार बार कहना भी ठीक नहीं लगता ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि जिन स्कीम्स में कनेक्शन्स नहीं मिलेंगे वह रेमुनरेटिव नहीं होगी । आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन के लिए लोगों को कहिये ताकि उस स्कीम को चालू किया जा सके ।

श्री पी० के० चौधरी : दो हजार से पांच हजार की आबादी पर पाइप और टैंक से पानी की योजना के लि जन सहयोग से 1966 में पैसा जमा कराया है उनका क्या करेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : इस बारे में विभागीय नीति के बारे में नोट प्रस्तुत किया जा चुका है कि जिन लोगों के कमिटमेण्ट्स हैं उनके बारे में हमने प्लानिंग डिपार्टमेण्ट को लिखा है कि इस पर पुनर्विचार करें । वे यदि रिलेक्सेशन देंगे तब तो कुछ नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि हम तो उनके निर्णय से बाध्य हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : It is a contract. जिन्होंने पैसे जमा करा दिया हैं । It is not commitment but contract.

श्री भीखाभाई : It is commitment.

श्री पी० के० चौधरी : It is a contrcat and it should be honoured.

श्री किशनलाल वर्मा : तहसील सिकराय के गीजगढ़ के लिये नल योजना स्वीकार नहीं की जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है ।

श्रीमती सुमित्रा : रूरल वाटर सप्लाई के लिये 2 करोड़ रुपया रखा गया है इसमें कई नयी स्कीम्स लेने की सामर्थ्य है उसमें इसको भी लिया जायगा ।

श्री पी० के० चौधरी : नयी स्कीम चालू करने से पहले they must have priority.

श्री भवरलाल : हिण्डौन की जनता को कब तक पानी उपलब्ध करा देंगे ?

श्री कल्याणमल : बनास नदी से जो अजमेर के लिये पानी दिया गया है उसके कारण वहां के आसपास के कुए सूख गे हैं उसके बारे में आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ (टोडा भीम) : सभापति महोदयजी, अजमेर को जो पानी दिया गया बनास से उसके कारण बनास के पास के जो इलाके हैं उनमें जो कुए हैं उनका पानी सूख गया है । वहां का किसान अब इस कारण तबाह हो रहा है । जिस समय बनास से

(श्री जगन्नाथ)

अजमेर को पानी दिये जाने की बात आयी थी उस समय मैंने राज्य सरकार को निवेदन कर दिया था ।

अजमेर को पानी पहुंचाने के लिये मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें 57 ट्यूबवैल्स खोदने का है जो नसीराबाद से होते हुए पानी अजमेर को दिया जाने का है। वहां आसपास के बगीचों में वह पानी लिया जाता है इसके कारण अजमेर तक पानी नहीं पहुंचता है ।

बाग बगीचे, नहीं लगाने चाहिये। इस से पानी बचेगा । इन गावों में से चार गावों में पानी सूख गया कुओं में । इससे किसान को बहुत नुकसान हो रहा है । जब तक उनके लिये बन्दोवस्त दूसरा न कर के तब तक लगान उनसे न लिया जावे ।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : भीखा भाईजी जवाब दे रहे हैं । श्री भीखाभाई ।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, अजमेर वाटर सप्लाई के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं मैंने ध्यानपूर्वक उनको सुना । यह तो सही है कि जो कुए बनास में हैं उनमें कुछ दिनों से पानी की कमी हुई है इसलिये राज्य सरकार ने एक नई पाइप लाइन जो खींचना चाह रही थी, मुल्तवी कर दिया है ।

हमारे सामने प्रश्न यह है कि किस तरह से अजमेर और जयपुर की बढती हुई आबादी के लिये पानी का प्रबन्ध किया जाय । इसके बारे में राज्य सरकार के सामने एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि बनास का बान्ध बनाकर एक बहुत बड़ा रिजर्वेयर बनाया जावे और फिर वहां से पम्पिंग करके पानी यहां पहुंचाया जावे । इसके लिये काफी पया चाहिये । पर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है अभी कि इस सारे खर्च को उठा सके । पर फिर भी कुछ तो करना ही है जैसा कल परसों ही वित्त मन्त्रीजी ने कहा था कि जयपुर में भी कुए खोदने की आवश्यकता पड़ेगी । उसके लिये 12 लाख रुपया दिया, है इसी प्रकार से अजमेर के लिये भी जैसी वित्तीय स्थिति कुछ ठीक हुई वहां भी काम शुरू किया जा सकेगा ।

दौसा के लिये भी चर्चा आई । वहां भी सोर्स ऑफ वॉटर तलाश करने की जरुरत है । ज्योंही पता लगेगा इस स्कीम को भी पूरा किया जा सकेगा ।

श्री सभापति : श्री परिवार नियोजन मंत्री।

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, परिवार नियोजन के बारे में वैसे तो कुछ नहीं कहना है पर चूंकि काफी गबन घोटालों के बारे में यहां चर्चा की गई है तो इससे बिना कहे सामान्य लोगों को भी गलतफहमी हो सकती है, इसलिये कुछ इस बारे में स्पष्टीकरण करना चाहूंगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभी ठीक हो गया है।

श्रीमती सुमित्रा : इसलिये पांच मिनिट का समय चाहती थी।

श्री सभापति : पांच मिनिट में कह सकती हों तो पांच मिनिट में कह दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : सभापतिजी, वैसे तो यहां पर बोलने वाले करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने हृदय से स्वीकारा है कि परिवार नियोजन का जीवन स्तर बढ़ाने के लिये उतना ही महत्व है जितना उत्पादन बढ़ाने का बल्कि किन्ही अंशों में उससे कहीं बढ़कर है। आबादी रोकना कहीं ज्यादा जरूरी है क्योंकि जीवन स्तर अकेले उत्पादन बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा भले ही नई साइन्स की टेक्निक के द्वारा अन्न का पैदावार पहले से तीन चार गुना बढ़ा लिया जाय या आवास की दृष्टि से तीस तीस मंजिले मकान बना लिये जायं। पर रोजगार की समस्या फिर भी हल नहीं हो पावेगी जब तक आबादी की समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा और इस लिये परिवार नियोजन का महत्व किन्हीं अर्थों में सबसे बढ़कर है। इसलिये सभी ने इसको हृदय से स्वीकार किया है कि इस संबंध में कुछ प्रयत्न किये जाने चाहियें।

मुझे कहते हुए सन्तोष होता है कि जहां हम पहले थे उससे कहीं अधिक प्रगति इस दिशा में की है। अन्य प्रान्तों के मुकाबले में हो सकता है हमारा पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर ज्यादा हो जैसी कि एन० डी० सी० में चर्चा की गई थी। हो सकता है हम उतनी प्रगति नहीं कर पाये हों जितनी अन्य राज्यों ने कर ली है। पर इस सबके साथ ही यह कहते हुये सन्तोष होता है कि और राज्यों में जहां परिवार नियोजन बढ़ा है वहां ईयर-बाइज ईयर हमारे यहां भी कुछ आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसके समर्थन में पिछले चार साल के आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। 66-67 में 8,212 नसबन्दी के ऑपरेशन कराये गये। 67-68 में 35,710 और 68-69 में 37,830 और 69-70 में 40 हजार के करीब आज तक हुए हैं। आगे आने वाले बारह तेरह दिनों में कम से कम तीन चार हजार के करीब और हो जायेंगे।

गलत आपरेशनों की बात कही गई। घोटालों की भी कही गई और गबन की बात भी कही गई। माननीय सदस्य लाडनू से आते हैं इस बात को प्रश्न द्वारा सदन में पहले भी उन्होंने उठाया था। मैंने उस समय भी साफ तौर से स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार की यह कतई मंशा नहीं है कि गलत काम करने वाले या फर्जी आंकड़े देने वाले को बचाया जाय। इस संबंध में यदि मैं भूलती नहीं हूं तो जनवरी 70 में विभाग द्वारा उनको एक पत्र भी लिखा गया था जिसमें पूछा गया था कि वे स्पेसिफिक नाम बतावें कि नागौर जिले के अन्दर किन विधुर और अविवाहित या छोटी उम्र के लोगों की नसबन्दी की गई है या ऑपरेशन खराब हो गये हों। पर उनका उत्तर आज दिन तक नहीं मिला। पिछले पखवाड़ में सितम्बर में नागौर में 1009 आपरेशन्स हुए थे उनमें से केवल 9 में कम्पलीकेशन्स हुए जो बाद में समुचित उपचार के बाद ठीक हो गये। इतने आपरेशन्स में नौ दस में कम्पलीकेशन्स होना कोई महत्व नहीं रखता। अपेण्डिसाइटिस सरीखे आपरेशन्स में भी सौ पचास में एक बिगड़ जाता है मामूली एवसेस के केसों में भी अनुपात में इससे कहीं अधिक बिग जाते हैं। तो इतने आपरेशन्स में केवल 9 में कठिनाई पैदा होना कोई गड़बड़ी का चिन्ह कतई नहीं है। दिसम्बर के पखवाड़े में 562 या 570 आपरेशन्स हुए। जिनमें केवल 5 में कुछ बिगाड़ हुआ जिनको बाकायदा उपचार करके ठीक कर लिया गया। उनको अस्पताल

(श्रीमती सुमित्रा)

एडमिट जरूर करना पड़ा। पर बाद में उनसे भी यह सर्टिफिकेट ले लिया गया कि उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत इसमें नहीं है।

भरतपुर के बारे में भी शिकायत की गई। नागौर के बारे में तो उन्होंने पत्र का जवाब देने का भी कष्ट नहीं किया। भरतपुर के बारे में उन्होंने इसी प्रकार की चर्चा की है। उस संबंध में पहले भी निवेदन कर चुकी हूं कि इसकी हमने जांच करवाई है। 77 केसों के बारे में रिपोर्ट की थी कि इनमें कुछ अविवाहित हैं कुछ विधुर हैं और कुछ आवश्यकता से अधिक वृद्ध हैं जो प्रोडक्टिव एज में नहीं हैं। मैं निवेदन कर दूं कि डॉक्टर लोगों की राय में रिप्रोडक्टिव एज की सीमा नहीं होती। इट डिफर्स फ्रोम मैन टू मैन। एक को पचास वर्ष भी हो सकती है, दूसरे की साठ भी हो सकती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : बचकर निकलने का रास्ता ढूंढा है यह ?

श्रीमती सुमित्रा : बचकर निकलने का इसमें क्या रास्ता है? मैं निवेदन कर रही हूं कि भरतपुर के बारे में शिकायत की गई। सहायक निदेशक से जांच करवाई गई और यह पाया गया कि केवल दो केसों में इस प्रकार के आपरेशन हुए हैं जो अविवाहित थे। यह सदन में कहने का प्रश्न नहीं है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं कि किन कारणों से लोग अपना आपरेशन करवा लेते हैं। कोई भी गलत सूचना देता है कि मैं विवाहित हूं मेरी पत्नी जिन्दा है उस सूचना को हम सही मानते है और इसे सही मानकर ही हमारे चिकित्सक ने आपरेशन किया होगा किसी बदनियती से या लालच से कोई काम नहीं किया होगा। जिन जिला परिवार नियोजन अधिकारी के बारे में शिकायत होती थी कि 5) रू० की वजह से आपरेशन कर देते हैं वह 5) रू० का जो इनसेन्टिव था अब उसको खतम कर दिया गया है। भरतपुर में एक अविवाहित है और दूसरे जिनकी वृद्धावस्था बताया गया है उनका आपरेशन......

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : कितने आदमियों की शिकायत थी और जांच में कितने को रखा है ?

श्रीमती सुमित्रा : 77 आदमी थे उसमें से आधे से अधिक की जांच की है और आधे की जांच सम्भव नहीं हो पाई क्योंकि उस समय बाढ़ आ गई थी इसलिये हम जांच नहीं कर पाये। शिकायत के अनुसार 35 आदमियों का टेस्ट चैकिंग किया गया था।

श्री हरजीराम बुरड़क : शिकायतकर्ता को साथ में नहीं रखा गया और जिनके खिलाफ शिकायत थी उनको साथ में रखा गया है जिनके नाम थे उनको पेश नहीं किया गया। शिकायतकर्ता को साथ रखकर जांच करवानी चाहिये थी।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य मैं निवेदन कर दूं जिनकी शिकायत की गई है मेरे पास इस पत्रावली उसमें उनके खुद के हाथ के सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट है जिसमें कहा है मैंने किसी की गलत प्रेरणा से नहीं करवाया है, मैंने स्वयं की मरजी से इन तथ्यों को छिपाया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आधे से ज्यादा तो आपने छोड़ दिये और मैं यह आरोप—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

लगाता हूं कि शिकायतकर्ता को साथ में नहीं रखा गया है और शिकायतकर्ता आपके विभाग के आफिसर्स हैं उनसे क्यों नहीं पूछा गया ?

श्रीमती सुमित्रा : उनकी शिकायत पर ही माननीय सदस्य जांच करवाई गई है। हमने जांच में पूरा प्रयत्न किया है और जांच रिपोर्ट देखने से ही तो ये सारे तथ्य सामने आये हैं.....

श्री सभापति : फिर से करा लीजिये, शिकायतकर्ता हैं, उसको साथ ले लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : जांच आप कहेंगे तो दुबारा करवाली जायगी आप कहें तो डी० एम० एच० ओ० से जांच करवालें, आप कहें तो उप-निदेशक से करवालें, आप कहें तो निदेशक से करवालें । आप चाहेंगे जिस से जांच करवाली जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ, सभी बातों का जवाब देने की कोशिश की है फिर भी समयाभाव के कारण कई उत्तर नहीं दिया जिसका हो तो माननीय सदस्य मुझसे फिर भी सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और अन्त में पुनः आग्रह करूंगी कि जन स्वास्थ्य की मांग और परिवार नियोजन की मांग को सर्व सम्मति से स्वीकृत करें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय.....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने बड़ा सहयोग दिया है। दो घंटे कल से पहले सदन की कार्यवाही समाप्त हो रही है। सदन के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,03,56,000 रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 11,11, 80,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 37, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,19,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 69,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

Page No 215

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 59,82,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,18,85,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही 20 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 8-46 पर दिनांक 20 मार्च, 1970 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 163 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 6/उ०मं० दिनांक 21-2-70 के प्रश्न क्रम संख्या 1 के उत्तर में वर्णित पिछले 5 वर्षों के नमक के उत्पादन व बिक्री के आंकड़े

वित्तीय वर्ष	नमक क्षेत्र डीडवाना		नमक क्षेत्र पचपदरा		वर्ष	नमक क्षेत्र सांभर	
	उत्पादन क्वि०	बिक्री क्वि०	उत्पादन क्वि०	बिक्री क्वि०		उत्पादन क्वि०	बिक्री क्वि०
1965-66	5,68,255	6,03,987	3,95,119	3,53,175	1965	25,07,550	24,59,000
1966-67	5,01,112	5,69,848	3,07,434	2,49,786	1966	19,33,870	22,25,000
1967-68	5,29,637	8,66,629	1,89,566	4,06,766	1967	18,87,950	22,24,000
1968-69	7,39,243	6,66,930	2,82,495	6,01,110	1968	21,09,800	18,61,000
1969-70	6,00,000	3,59,015	7,56,316	3,94,000	1969	7,63,340	Not available

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बारां नल योजना का कार्य

172. **श्री देवीदत्त गाडिया** : (बारां) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां नल योजना के अन्तर्गत पीने का पानी हीकड़ की देह से लाया जाने की योजना है ?

(2) इस नल योजना के अन्तर्गत अब तक क्या क्या कार्य शुरू हो गया है और यह योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) निम्न कार्य शुरू हो गये है :–

1. स्वच्छ जल भंडार।

2. निकास गृह। 3. परीक्षण के तौर पर थोसडी ग्राम के पास कुंए का निर्माण कार्य। 4. योजना में चाहे गये पाइप व फिटिंग प्राप्त हो चुके है।

योजना का कार्य धनराशि ए सामग्री की उपलब्धि पर 2 से 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जाने की संभावना है।

जे० के० सिंथेटिक्स, कोटा द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा

173. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जे० के० सिंथेटिक्स कोटा ने सड़क आदि की भूमि को अपनी सीमा में अनधिकृत रूप से दबाकर कब्जा किया हुआ है ?

(2) अगर हां, तो कितनी भूमि पर तथा उसका अनुमानित मूल्य कितना है ?

(3) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अस्थाई तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार

174. **श्री पृथ्वीसिंह बेवड़ा** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ऐसे कितने तहसीलदार व नायब तहसीलदार है जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक अस्थायी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने विभागीय परीक्षा (आर० टी० एस०) पास करली है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1-1-68 के बाद कितने नायब तहसीलदारों की भर्ती सीधे की गई है और कितने व्यक्तियों की विभागीय पदोन्नति की गई है ? क्या इसमें नियमों के अनुसार पदोन्नति का अनुपात 2:1 का ही रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा)

(4) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने आर० टी० एस० की परीक्षा पास नहीं की है फिर भी नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति 10 वर्ष में कर दी गई है ?

(5) ऐसे कितने तथा कौन कौन स्थायी व अस्थायी नायब तहसीलदार हैं जिनका कुल सेवा काल 6 वर्ष से कम है तथा जिनकी पदोन्नति तहसीलदार के पद पर कर दी गई है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(6) तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अस्थायी से स्थाई कितने समय बाद करने का नियम है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) सीधी भर्ती विभागीय पदोन्नति

सीधी भर्ती	विभागीय पदोन्नति
122	144

नियमों के अनुसार अनुपात 2:1 होना चाहिये । अर्थात सीधी भर्ती 122 के साथ विभागीय पदोन्नति में 61 कर्मचारी होने चाहिये जब कि 144 कर्मचारी पदोन्नति द्वारा लिये गये है जिसका विवरण निम्न प्रकार है ।

(4) राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956 के

नियम 28	नियम 7	नियम 33	जागीर द्वारा कर्मचारी
52	47	21	24

द्वारा कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया व जागीर एबजोर्प्शन नियम, 1954 के नियम 3 के अन्तर्गत जागीर कर्मचारियों को लिया गया है। यह कर्मचारी सीधी भर्ती में नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि यह राजस्थान लोक सेवा आयोग के कम्पीटीटिव परीक्षा में नहीं आये हैं। ऐसे केवल 3 कर्मचारी हैं जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की है ये कर्मचारी भी एक दफा तो परीक्षा में बैठ चुके हैं किन्तु सफल नहीं हुये हैं। राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम सन् 1960 के नियम 12 के अनुसार ये परीक्षा में बैठने के दो अवसर लेने के और अधिकारी हैं। जबकि कभी भी यह परिक्षायें ली जावेगी उस समय इनको पुनः परीक्षा में बैठने का मौका दे दिया जावेगा।

(5) ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है।

(6) तहसीलदार सेवा नियम, 1956 के नियम 34 के अन्तर्गत पहले कर्मचारियों को प्रोबेशन पर एक साल के लिये नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात् प्रोबेशन काल पूर्ण होने पर नियम 36 के अन्तर्गत स्थायी किये जाते हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

रेगिस्तानी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति

175. **श्री रावत राम** (छापर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि राजस्थान में विशेषकर चूरू, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, जैसे रेगिस्तानी एरिया में अनुसूचित जाति के लोगों की

(श्री रावत राम)
आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और उसका मुख्य कारण आये साल पड़ने वाला अकाल है ?

(2) क्या सरकार उक्त जिलों के अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है जिसके आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लि समुचित विशेष आवश्यक कार्यवाही की जासके।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिका डीडवाना की भूमि पर अतिक्रमण

176. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका डीडवाना जिला नागौर में पालिका की भूमि पर लोगों द्वारा कि अतिक्रमण के संबंध में कोई राशि लोगों से वसूल करनी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) इस वर्ष में इस प्रकार की राशि कितनी वसूल की गई ?

(3) क्या उपरोक्त राशि जिन में बकाया है उससे वसूल करने के संबंध में संचालक, स्वायत्त शासन विभाग ने कोई नदेश नगरपालिका को भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या और कब तथा उस पर क्या कार्यवाही गई ?

(4) क्या वसूली करने के संबंध में सब बाकीदारों के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।
14,679.90 पैसे।

(2) कोई राशि वसूल नहीं की गई है।

(3) जी हां।

दिनांक 8-9-69 को नगरपालिका को निदेश भेजे गये है कि बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाही की जाय।

नगरपालिका द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(4) नगरपालिका की सूचनानुसार एकसा बर्ताव किया जाता है।

ग्राम श्री रामपुरा के काश्तकारों को बिजली

177. **श्री दुर्गालाल बादवार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जयपुर के ग्राम श्रीरामपुरा में काश्तकारों को बिजली देने की दृष्टि से विद्युत् मण्डल द्वारा लाइनें खींच दी गई है ?

(2) क्या श्रीरामपुरा के काश्तकार लाधू पुत्र घीसा से विद्युत् मण्डल द्वारा लिये

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

रिटी व एस० सी० चार्जेज के 270) रु० वसूल कर रसीद दी गई है और उसके कुए तक बिजली के तार भी खींचे हुए हैं? यदि हां, तो इसे बिजली क्यों नहीं दी गई?

(3) क्या यह सत्य है कि श्रीरामपुरा ग्राम में विद्युत् विभाग ने इस गांव के पास के (Sanction) गांवों के नाम से श्रीरामपुरा ग्राम की भूमि में काश्तकारों को बिजली कनेक्शन दिया है?

उत्तर

(1) जी हां, श्रीरामपुरा बास मुकन्दपुरा ग्राम में बिजली की लाइनें खींची हुई हैं।

(2) जी हां, श्रीरामपुरा बास मुकुन्दपुरा काश्तकार श्री लादू वल्द घीसा के 270) रु० सिक्योरिटी व सर्विस कनेक्शन चार्जेज के 13-8-68 को जमा किये थे इसके कुए तक लाइन भी खींच दी गई थी। ग्राम मंजूर न होने का पता लग जाने पर इस कनेक्शन को चालू नहीं किया गया क्योंकि जुलाई, 1968 के बाद से बोर्ड ने अस्वीकृत ग्रामों में कनेक्शन देना बंद कर दिया था।

(3) जी हां।

गांव खैराट में खड्डी खुदाई का कार्य

178. श्री रामसिंह कड़ी (जायल): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर एवं तहसील जायल के गाव खैराट में खड्डी की खान का सरकारी कार्य खड्डी खुदाई मजदूरों से कराकर बिक्री करने का कब से कब तक हुआ? मजदूरों की रेट क्या थी एवं मजदूरों पर कितना कितना रुपया किस किस महीने में व्यय किया गया? रेट माहवार व सालवार आंकड़े बताने की कृपा करें एवं कुल कितना रुपया खर्च हुआ है। वर्षवार नफा या नुकसान हुआ उसके आंकड़े दिये जावें।

(2) खड्डी खुदाई व बिक्री के कार्य राजस्थान में सरकारी स्तर पर कहां कहां एवं कब से कब तक कराये गये एवं कहां कहां खड्डी खुदाई का कार्य सरकारी स्तर पर राजस्थान में अब चालू है मजदूरी की रेट क्या है एवं काम का समय क्या है?

(3) अब राज्य सरकार खड्डी की खुदाई व बिक्री सरकारी स्तर पर कहां कहां अब नये सिरे से चालू करना चाहती है वैसे कार्य कब तक चालू हो जावेंगे?

(4) राज्य में खड्डी की कौन कौन सी खानें किस किस व्यक्ति या संस्था को या कम्पनी को लीज पर या अन्य प्रकार से गैर सरकारी तौर से खुदाई के लिए दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति या संस्था का नाम, अब चालू लीज पर दिये जाने की तिथि एवं शर्तें जिन पर कि यह लीज दिया गया है, पूरा विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) खड्डी की बिक्री का कार्य माह मई, 1964 के आस-पास शुरु होकर अक्टूबर, 1964 तक चलता रहा। मजदूरी की रेट 1.50 प्रतिदिन थी। चूंकि राज्य स्तर पर खड्डी खुदाई का कार्य इस ग्राम के अलावा और स्थान पर भी हुआ अतएव माहवारी खर्चा इस ग्राम से संबंधित देने में कठिनाई

(खनिज मंत्री)

सालवार आंकड़े व कुल खर्चे का स्टेटमेंट सदन की मेज पर रख दिया गया है । इस स्टमेंट में लाभ का हाल भी अंकित कर दिया गया है ।

(2) खडडी निकालने का कार्य सरकारी स्तर पर जिला नागौर के खेरात छोटीसारा में दिनांक 28-1-64 से 1-5-64 तक किया गया। बिक्री का कार्य 28-1-64 तक हुआ। इस समय गोट मंगलोद के पास ख ड़ी का कार्य राज्य स्तर पर किया जा रहा है जो दिनांक 3-5-65 से आरम्भ हुआ है। इस समय मजदूरों को वेतन 3.45 प्रतिदिन या 1.60 प्रतिटन माल निकालने पर ।

(3) (जो भी अधिक हो) की दर से दिया जाता है। काम का समय आठ घंटे प्रतिदिन है । नये सर चल्लू करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(4) खड़डी की खानें जिस जिस व्यक्ति ए कम्पनी के नाम है उसकी सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

प्रश्न संख्या 1 के शेष प्रश्न नफा या नुकसान के आंकड़े

वर्ष	मजदूरों पर खर्च	अन्य खर्च	योग
28-1-64 से 31-3-64	4724.00	1153.00	5877.00
1964-65	4217.00	200.00	4417.00
1965-66	988.00	00.00	988.00
		कुल खर्च	11288.00
		कुल आमदनी	22802.00
		कुल लाभ	11514.00

Page No 222

इस समय निम्न क्षेत्रों में खड्डी निकालने की स्वीकृति व पट्टे दिए हुए हैः–

नाम पार्टी	स्थान	खनन पट्टा व स्वीकृति	चालू करने की तिथि
1 कंवर जयसिंह	खूटानी	खनन पट्टा	18-6-62
2 एफ० सी० आई०	कवास	,,	1-5-52
,,	उत्तरलाई	,,	1-7-56
,,	शिवकर		
	कुरला		
,,	मोहनगड	वर्किंग परीमशन	..
,,	बारुपाल	खनन पट्टा	7-12-65
,,	हरदासवाली नं० 2	,,	14-9-66
,,	रघुनाथपुरा नं० 1	,,	14-9-66
,,	करनीसर	,,	14-9-66
,,	रघुनाथपुरा	,,	14-9-66
,,	हरदासवाली नं० 1	,,	7-12-65
बीकानेर, जिप्सम लि०	सूरतगढ़	,,	14-10-59
	जामसर	,,	1-11-47
	धीरारा	,,	24-10-59
एसोसियेटेड सिमेंट कं० बम्बई	भदवासी	,,	1-8-55

कार्य करने की आज्ञा

बीकानेर जिप्सम लि० बीकानेर	किसनपुरा नं० 1
	किसनपुरा नं० 2
	तिलानिया
	देवगढ़िया
	जगासरी
	पूरबसर डिपॉजिट नं० 1
	पूरबसर डिपॉजिट नं० 2
	महिला
	भादी
	रामबास
	हरकसर
	उत्तमदेसर
	घोलेरा
	गमहल
एफ० सी० आई०	ाकिया की ढेर
	भारू
	काओनी
	ढाढेरा
	भदाना
	खेरात
	छोटीसारा

तहसीलदार हिन्डोली द्वारा सेवामुक्त कर्मचारी

179. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तहसीलदार हिन्डोली ने चतुर्थश्रेणी कर्मचारी शिवराज सिंह को सेवा से मुक्त कर दिया है? यदि हां, तो क्यों व कब और उसे नोटिस कब दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी और उसके परिवार को न तो ग्रेच्युटी और नहीं फेमिली पेन्शन दी गई है जब कि उसकी मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त कर्मचारी की बेवा ने बराबर तहसीलदार, हिन्डोली व जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश के आदेशों की तहसीलदार ने अब तक बेवा की फेमिली पेन्शन के कागजात न बना कर अवहेलना की है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री शिवराजसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा सेवा मुक्त किया गया था किन्तु जिलाधीश के निर्देशानुसार परगना अधिकारी, नैनवां द्वारा इस मामले में पुनरीक्षण किया जाकर उसकी सेवा नियमित मान ली गई है।

(2) जी नहीं। श्री शिवराजसिंह की मृत्यु 29-11-68 को हो जाने से उसका पेंशन केस तैयार किया जाकर महालेखाकार, जयपुर को भेजा गया है वहां से स्वीकृति प्राप्त होते ही उसकी विधवा को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन एवं पारितोषिक दिया जायेगा।

(3) जी हां, पेंशन केस तैयार किया जाकर महालेखाकार जयपुर को भेजा जा चुका है।

(4) जी नहीं।

उनियारा में धाकड़ों की गिरफ्तारी

180. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 8-11-68 को श्री दुर्गालाल ढोली, निवासी नगर, को अपनी खुद-काश्त भूमि को जोतते हुए थानेदार उनियारा द्वारा धारा 151 सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो ऐसा किस आदेश से किया गया ?

(2) क्या यह सत्य है कि कि श्री दुर्गालाल ढोली द्वारा स्थानीय थानेदार, उनियारा को उसकी आराजी के सब सबूत बतलाने पर भी यह कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि दिनांक 6-3-69 को जब से श्री दुर्गालाल ढोली फसल काटने गया तो श्री छीतर धाकड़ व सरपंच नगर, श्री रतनलाल वहां पर पुलिस फोर्स लेकर जोप में पहुंचे ? यदि हां, तो इस फोर्स का किसने आदेश दिया था ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस फोर्स ने श्री दुर्गालाल ढोली को बुरी तरह मारा जिससे उसके सर में गहरी चोट आई थी ?

(श्री दिग्विजय सिंह हाड़ा)

(5) क्या यह सत्य है कि श्री दुर्गालाल ढोली द्वारा इसकी रिपोर्ट एस० पी०, टोंक को की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(6) क्या यह सत्य है कि श्री रतनलाल द्वारा जो फोर्स ले जाई गई थी वह नकली फोर्स थी जो कि पुलिस तफतीश से जाहिर है ? यदि हां, तो उस फोर्स में कौन कौन व्यक्ति थे और उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

(7) क्या यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस द्वारा धाकड़ों को गिरफ्तार कर पेश कर दिया है ?

(8) क्या यह सत्य है कि श्री रतनलाल सरपंच को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ? और न ही कोई कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 9-10-68 को श्री दुर्गालाल ढोली को धारा 107।151 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(5) श्री दुर्गालाल ढोली द्वारा एस० पी०, टोंक को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। अलबत्ता प्रहलाद पुत्र रामनाथ धाकड़ ने दिनांक 6-3-69 की घटना की एक रिपोर्ट एस० पी०, टोंक को दी थी, जिसके आधार पर तफतीश की जाकर मुलजिमान के खिलाफ चालान हु० द० 447, 147, 323, 379 ता० हि० पेश किया जा चुका है।

(6) जी नहीं। रतनलाल द्वारा कोई पुलिस फोर्स या नकली पुलिस फोर्स लेजाना नहीं पाया जाता। न रतनलाल का मौके पर होना पाया जाता है।

(7) जी हां। 12 व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है।

(8) रतनलाल का इन विवाद में कोई हाथ नहीं पाया जाता अतः उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता ही नहीं हुई।

तहसील पचपहाड़ एवं गंगधार में जमीन का अलाटमेन्ट

181. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़, तहसील पचपहाड़ एवं गंगधार में गत दो वर्षों में किए गए अलाटमेंट में जिन लोगों को जमीन दी गई थी उन्हें आज तक पट्टे नहीं दिए गए ? अगर हां, तो नहीं देने का क्या कारण है ?

(2) उपरोक्त तहसीलों में ऐसे कितने मामले पैन्डिग है ? मय ग्राम पंचायत वार किसानों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) जिन लोगों को भूमि अलाट हो चुकी है और कब्जा अभी तक नहीं दिया है उन्हें सरकार कब तक कब्जा दिला देगी ?

(श्री लक्ष्मण सानीवाल)

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को इन दो वर्षों में तहसील गंगधार एवं पचपहाड में कुल कितनी भूमि अलाट की गई है व कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है? सूची मय ग्राम पंचायतवार लोगों के नामों सहित सदन की मेजपर रखने की कृपा करें।

(5) झालावाड़ से काबिलकाश्त में परिवर्तन करने हेतु कितने ऐसे केस कहां कहां पेंडिग है?

उत्तर

(1) तहसील पचपहाड़ के कुल एलाटीज को पट्टे तकसीम हो गये हैं। तहसीलदार, गंगधार ने भी कुल पट्टे तकसीम कर दिये। सिर्फ 34 व्यक्ति ऐसे रह गये हैं जिनको भूमि नाकाबिलकाश्त दर्ज रेकार्ड को बिना मंजूरी सलाहकार समिति ने एलाट करदी जिनके अधिकार उनको नहीं थे।

(2) सिर्फ तहसीलदार गंगधार के कार्यालय में 34 व्यक्ति के ही मामले पेंडिग है। (सूची 1 संलग्न है)।

(3) कुल एलाटीज तहसील, गंगधार, पचपहाड को एलाट शुदा भूमि पर कुल दखल दे दिया सिर्फ उपरोक्त 34 ही व्यक्ति रह गये है जिनकी तब्दीली किस्म की कार्यवाही तहसील कर रही है। परगना अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर तहसील दखल दे देगी।

(4) तहसील पचपहाड में 1967-68 में 1348।1 भूमि अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों को एलाट की है तहसीलदार, गंगधार ने 1967-68 तथा 68-69 में 2300।।/1 भूमि उपरोक्त व्यक्तियों को एलाट की है तथा 87 प्रार्थना-पत्र-पेंडिग बताये है। सूची 2 आंवटन व पेंडिग प्रार्थना-पत्र सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) परगना अधिकारी, झालावाड़ के पास कोई केस पेंडिग नहीं है। तहसील गंगधार के रेकार्ड के आधार पर उक्त 34 मामलात की भूमि परिवर्तन कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

जयपुर शहर के विकास की योजना

182. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर शहर के गुलाबीपन को कायम रखने के लिये कोई कानून या नियम बने है?

(2) क्या यह सत्य है कि विदेशी लोग जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं और देखने आते हैं जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा व अन्य प्रकार से धन मिलता है? यदि हां, तो फिर धीरे धीरे जयपुर के रंग को बदलने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है?

(3) क्या सरकार के पास जयपुर की खूबसूरती ज्यों की त्यों बनी रहे इसके लिये कोई योजना है? यदि हां, तो वह क्या है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

राज्य सरकार ने निकट में ही नगर-परिषद्, जयपुर द्वारा भवन निर्माण उप-नियम मंजूर किये हैं जिनमें खास खास बाजारों में गुलाबी रंग रखे जाने का प्रावधान है।

(2) यह सही है कि विदेशों में जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और इस कारण से यह पर्यटकों के लिये आकर्षक है। इसका गुलाबीपन बना रहे इस बात को ध्यान में रख कर ही नगर-परिषद जयपुर ने भवन निर्माण उप-नियमों में इस बाबत प्रावधान किया है। इन नियमों के प्रभावशील होने पर ही नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यकता-नुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) इस विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

बीकानेर-अनूपगढ़ सड़क का कार्य

183. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार बीकानेर से अनूपगढ़ तक बनने वाली महत्व-पूर्ण सड़क को समय पर बनाने में असफल रही है?

(2) इस रोड पर किस किस ठेकेदार को सड़क का कार्य करने का ठेका किस किस तारीख को कितने समय के लिये दिया गया? क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा समय पर सड़क बनाने का कार्य पूरा नहीं किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि जो सड़क बीकानेर से छतरगढ़ बनाई गई है वह चौड़ाई में नियमानुसार तथा एग्रीमेंट के अनुसार ठीक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क की चौड़ाई पूरी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। उपलब्ध धन राशि के अनुसार कार्य हो रहा है।

(2) सूची (अ) संलग्न है।
जी हां।

(3) स्वीकृत तखमीने में सड़क को 10 फुट चौड़ाई से बनाने की स्वीकृति हुई थी। बाद में चौड़ाई 12 फुट बनाने का निर्णय लिया गया, छतरगढ़ से अनूपगढ़ के मील० से 4 व 13 से 17 जो पहले बन चुकी थी 10 फुट चौड़ाई की है। इस सड़क के निर्माण के लिये अभी प्रयाप्त धनराशि राजस्थान नहर परियोजना से नहीं मिल रही है। इसलिये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इन 8 मीलों की चौड़ाई 12 फुट कब की जा सकेगी।

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 183

बीकानेर-छतरगढ़ रोड

मील	नाम ठेकेदार	कार्य आरम्भ करने की तिथि	निर्धारित समय (महीनों में)
116 से 610	भंवरलाल पुरनराम	4-6-65	15
610 से 810	प्रभात जलपथ भवन निर्माण सहकारी सेवा समिति, बीकानेर	27-4-65	8
810 से 1010	,,	30-4-65	8
10 से 12	,,	8-4-65	8
12 से 18	मेसर्स प्रतापसिंह चन्द्रसिंह	4-6-65	15
18 से 23	,,	6-1-66	12
23 से 28	श्री बंशीलाल जालन	26-3-66	12
28 से 33	,,	26-6-66	69
33 से 38	स्टण्डर्ड कान्सट्रक्शन को० जोधपुर	6-1-66	12
38 से 48	,,	,,	15
48 से 53	श्री पूनम चन्द	7-8-65	18
,,			
53 से 54	श्री ूनम चन्द	11-10-66	8

बीकानेर से अनुपगढ़ रोड

मील	नाम ठेकेदार	कार्य आरम्भ करने की तिथि	निर्धारित समय (महीनों में)
0 से 4	चेतनदास किशनदास	16-3-62	18
4 से 8	श्री रामेश्वरलाल गुप्ता	4-4-65	18
8 से 13	श्री मक्खनसिंह	22-12-64	14
13 से 17	मे० श्री चेतनदास किशनदास	14-8-64	14
17 से 21	श्री रामेश्वरलाल गुप्ता	14-8-64	14
21 से 30	मे० सहीराम रामचन्द्र	27-11-67	18
30 से 40/2	भूपेन्द्र कान्सट्रक्शन	1-2-67	17

अकलेरा खिलचीपुर रोड़ के पास भूमि के पास के पट्टे

184. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अकलेरा कस्बे में अकलेरा-खिलचीपुर रोड के पास रेस्ट हाउस के नजदीक कुछ परिवारों ने अपने रहने के लिए मकान बनाये हुए है? यदि हां, तो कितने परिवारों ने तथा कितने सालों से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि लगभग 20 साल से पड़त थी और अकलेरा आबादी से लगी हुई है?

(3) क्या यह सही है कि इन परिवारों को ग्राम पंचायत अकलेरा ने मकान बनाने के लिए भूमि के पट्टे दिये हुए है?

(4) क्या यह सही है कि इन मकानों को बने हुए दस वर्ष हो गये किन्तु तहसील आदि ने कभी भी इन मकानों के निर्माण को नहीं रोका?

(5) क्या यह सही है कि अब दस वर्ष पश्चात इन बने हुए मकानों को तोड़ने व बसे हुए परिवारों को हटाने बाबत तहसील ने कोई नोटिस दिये हैं?

(6) क्या यह सही है कि उक्त बसे 20 परिवारों ने इस बाबत जिलाधीश झालावाड़ को भी प्रार्थना-पत्र दिये है? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश दिये गये?

(7) क्या सरकार उक्त गरीब परिवारों की स्थिति को देखते हुए मकानों को न तोड़ते हुए नियमन किये जाने के लिये विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि अकलेरा कस्बे में अकलेरा-खिलचीपुर रोड़ के पास 12 परिवारों ने कृषिक भूमि में 5-6 वर्ष पूर्व मकान बनाये हैं एवं एक परिवार ने सिर्फ जमीन में नीचे नींव डाली है अभी मकान नहीं बनाया है।

(2) यह सही नहीं है कि यह जमीन 20 साल से पड़त पड़ी थी यह भूमि सम्वत् 2018 में काश्त थी एवं फसल तिल्ली बोई थी। यह सही है कि यह जमीन अकलेरा आबादी के पास है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) यह सही नहीं है कि मकानों को बने 10 वर्ष हो गये हैं। 5-6 साल से बने हैं।

(5) तहसील अकलेरा द्वारा इन व्यक्तियों को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस दिये जाकर बेदखली के आदेश दिये हैं।

(6) तहसील की कार्यवाही के पश्चात इस बारे में कुछ व्यक्तियों ने अपील की है जो जेर कार है।

(7) अपील में जैसी स्थिति होगी कार्यवाही होगी।

पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से मृतक व्यक्तियों की संख्या

185. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) – क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1968 एवं 1969 के दिसम्बर मास तक पुलिस द्वारा किस

(श्री भगवानदास शास्त्री)

किस क्षेत्र में कितनी बार गोली चलाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि पुलिस द्वारा उक्त 2 वर्षों में गोली चलाए जाने पर लोगों की मृत्यु भी हुई है? यदि हां, तो कितने लोगों की ?. संख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिस जिस क्षेत्र में गोली चलाई गई थी वहां कौन सी परिस्थिति थी?

उत्तर

(1) सन् 68 व 69 में पुलिस द्वारा 7 मौकों पर गोली चलाने की घटनाएं हुई, सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) इन दो वर्षों में पुलिस द्वारा गोली चलये जाने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों की संख्या सूचि में कालम नं० 5 में दिखाई गई है।

(3) जिन परिस्थितियों में गोली चलाई गई उनका विवरण सूची के कालम 8 में अंकित हैं।

———

Statement showing firing cases with casualties in public in Rajasthan during years, 1968 and 1969.

S. No.	Date	Place	Casualties				Circumstances under which Police resorted to firing
			Killed		Injured		
			Police	Public	Police	Public	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	19-9-68	Railway Station, Bikaner, District Bikaner.	..	1	62	23	In connection with a threatened 24 hours token strike by the Central Government employees on 19th September, 1968, railway workers and some other people created lot of trouble at the Bikaner Railway Station. They caused considerable damage to the railway property. Police resorted to firing to disperse the crowd. An administrative enquiry was held by Shri Sher Singh, I.A.S. Commissioner for Border District who has held the firing justified.
2.	22-3-69	Hanumangarh town.	..	..	22	..	On the demonstration by some political parties protesting against the auction of plots in Hanumangarh town, the police had to fire on violent mob to control over the situation.

3.	4.5.69	Aklera(Jhalawar).	..	1	..	..	On 4-5-69 the Police arrested opium smugglers. The public opposed this arrest and attacked on the Police to release the smugglers from the custody of Police. The Police had to fire on the violent mob to control over the situation.
4.	27-6-69	Hindaun Railway Station.	..	2	12	8	The students demanding for Higher Secondary School and increase the strength of doctors in Hindaun Town became violent. They set fire to Post Office record, Railway property, cut off telephones wires and signals and damaged Government property. The Police then fired on the violent agitators to control over the situation and to maintain law and order in Hindaun town.
5.	28-6-69	Sub-Post Office Hindaun (Jalsain).					
6.	10-9-69	Tatgarh, District, Ajmer.	..	..	..	..	The firing took place in connection with dangerous assault on the Head Moharir by the students of a local school.
7.	23-11-69	Mandi Neem-ka-Thana.	..	..	..	8	For dispersing unlawful assembly which became violent.

परिशिष्ट 3

(अ० ता० प्र० सं० 235 की सूची)

सूची 'अ'

क्रम संख्या	नगर का नाम	प्रार्थी का नाम	प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	रसीद संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1	झुन्झुनू	श्री रामेश्वर लाल जोशी	16-9-67	641727 16-9-67
2	,,	श्री त्रिलोक चन्द जोशी	,,	651727 ,,
3	,,	श्री रोछपाल राय मोहनलाल	,,	661727 ,,
4	,,	श्री केदार मल हलवाई	,,	671727 ,,
5	,,	श्री गोविन्द राम हलवाई	,,	681727 ,,
6	,,	श्री मालकीराम टीबडे वाला	,,	691727 ,,
7	,,	श्री महावीर प्रसाद	,,	701727 ,,
8	,,	श्री धूकल मल पसारी	,,	711727 ,,
9	,,	श्री बाला बक्स हलवाई	,,	721727 ,,
10	,,	श्री मन्ना लाल पुरुषोतम लाल	,,	731727 ,,
11	,,	श्री द्वारका दास	,,	741727 ,,
12	,,	श्री रामकुमार बगड़िया	,,	751727 ,,
13	,,	श्री बनवारी लाल शर्मा	,,	761727 ,,
14	,,	श्री ईश्वरदास कन्हैयालाल	,,	771727 ,,

परिशिष्ट 4

(अ० ता० प्र० सं० 255 की सूची)

सूची विद्यार्थियान जिन्हें जनवरी, 69 के बाद पटवार स्कूल, टोंक में भर्ती किया गया—

1	श्री चतरसिंह पुत्र मंगलराम कोली	अनुसूचित जाति
2	श्री रसीदबेग पुत्र इब्राहिम बेग	
3	श्री मदनलाल पुत्र गणेशलाल	
4	श्री सुशील कुमार पुत्र माणकचन्द	
5	श्री नोरतमल पुत्र बीजालाल	
6	श्री भंवरसिंह पुत्र बनेसिंह	
7	श्री कन्हैयालाल पुत्र धोकल चन्द	
8	श्री भोलाराम पुत्र हरनाथ	
9	श्री दिनेश कुमार पुत्र उछलाल	
10	श्री नारायणदास पुत्र कड्डमल	
11	श्री नंदकिशोर पुत्र रामचन्द्र	
12	श्री सैयदकासीम अली पुत्र जफरअली	
13	श्री सम्पतसिंह पुत्र जुगलराम	
14	श्री बाबूलाल पुत्र किशोरीलाल	
15	श्री अब्दुलरहीम पुत्र अब्दुल मजीद	
16	श्री छोटेलाल पुत्र सेठमल	
17	श्री रामकुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद	
18	श्री बृजलाल पुत्र रामलाल मीणा	अनुसूचित जन-जाति
19	श्री शिवचन्द्र पुत्र नारायणलाल	अनुसूचित जाति
20	श्री बाबूलाल पुत्र सुन्दरलाल	
21	श्री किशनगोपाल पुत्र कन्हैयालाल जाटव	अनुसूचित जाति
22	श्री लालराम पुत्र किशनलाल	
23	श्री महावीर प्रसाद पुत्र प्रवीणचन्द	
24	श्री सुरेशचन्द पुत्र नुन्नालाल	
25	श्री अब्दुल कलाम पुत्र श्री अब्दुलसमद	
26	श्री ब्रजमोहन पुत्र म ुरालाल	
27	श्री बालालाल पुत्र देवीलाल जाटव	अनुसूचित जाति
28	श्री राधश्याम पुत्र रामनारायण	
29	श्री दिनेशचन्द पुत्र गिरधर शर्मा	
30	श्री चन्द्रप्रकाश	
31	श्री भंवरलाल पुत्र शंतुलाल	

32	श्री लल्लूलाल पुत्र जोहरीलाल	
33	श्री नारायण प्रसाद पुत्र नंदराम	
34	श्री नारायण पुत्र घासीलाल कोली	अनुसूचित जाति
35	श्री राधेश्याम	
36	श्री कैलाशचन्द पुत्र जगदीश नारायण	
37	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र अर्जुनलाल	अनुसूचित जन-जाति
38	श्री रामरतन पुत्र सूरजनारायण	
39	श्री सदालाल पुत्र नैनूलाल	
40	श्री प्रभूलाल पुत्र रतनलाल	
41	श्री नंदकिशोर पुत्र बृजमोहन	
42	श्री बाबूलाल पुत्र चुन्नीराम	
43	श्री नेमीचन्द पुत्र श्री राम	
44	श्री सम्पतसिंह पुत्र हीरालाल	
45	श्री बाबूलाल पुत्र नत्थीलाल	
46	श्री केदारनाथ पुत्र बंशीराम	
47	श्री सीताराम पुत्र वीधाराम	
48	श्री रामप्रसाद पुत्र मटोलीराम	अनुसूचित जाति
49	श्री मुरारीलाल पुत्र अमरसिंह	
50	श्री रामकिशन पुत्र मुन्नाराम	अनुसूचित जाति

परिशिष्ट

(अ० ता० प्र० सं० 256 की सूची)

मोहन्स स्कूल, टोंक को समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई सहायता की सूची–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अनुदान (रुपयों में)
1	1954–55	793
2	1955–56	1152
3	1956–57	1200
4	1957–58	1200
5	1958–59	1200
6	1959–60	1163
7	1960–61	720
8	1961–62	1443
9	1962–63	1275
10	1963–64	1200
11	1964–65	1193
12	1965–66	1204
13	1966–67	120[illegible]
14	1967–68	1200
15	1968–69	1221

मोहन्स स्कूल, टोंक में छात्रों की वर्षवार संख्या की सूची–

वर्ष	छात्रों की संख्या	विशेष विवरण
1962–63	142	
1963–64	92	
1964–65	95	
1965–66	92	
1966–67	84	
1967–68	72	
1968–69	50	

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 1970)

पृ० संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
4	8	रिकमेन्‍ेशन	रिकमन्डेशन
4	19	न ीं	नहीं
5	अन्तिम से 4	श्री चन्नीलाल इंदलिया	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया
7	15	पडिंग	पेन्डिंग
7	अन्तिम से 8	ह	है
14	6	व	बंडुत
18	अन्तिम से 2	रिपार्ट	रिपोर्ट
23	,, 6	लाडस्पीकर	लाउडस्पीकर
23	,, 5	आर	और
33	15	इन्टेन्सिव	इन्सेन्टिव
38	अन्तिम	है	हूं
41	1	स्टन्डिग	स्टेन्डिग
41	अन्तिम से 6	जिन्हाने	जिन्होंने
42	9	निमाण	निर्माण
42	10	ण	ऋण
48	अन्तिम से 7	दिमाण्ड	डिमाण्ड
52	5	गैर	जैर
52	अन्तिम से 3	ज	जा रही है
57	7	संघ	संबंध
61	अन्तिम से 12	राजस्थानस्टट होटल	राजस्थान स्टेट होटल
64	,, 9	प्राइवट मीटर लगान	प्राइवेट मीटर लगाने
65	,, 4	श्री शंकर लल	श्री शंकर लाल
68	,, 10	आ	हुआ
69	,, 2	आवदन	आवेदन
74	,, 7	पानी व्यवस्था	पानी की व्यवस्था
83	,, 2	रा	द्वारा
85	5	स	इस

1	2	3	4
86	अन्तिम से 4	राजस्थान	रामबाग
89	8	आ र	आर्डर
98	अन्तिम से 7	श्री ब्रजसुन्दर शर्मा	श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री)
104	7	पया	पया
109	12	(चायत	(पंचायत
134	अन्तिम से 9	लान	लाइन
137	19	चर्चा के	चर्चा के लिये)
139	14	मिल ो	मिलने
139	अन्तिम से 8	(बून ो	(बून्दी
149	6	(गांव गुडा, सेंदला	(गांव गुडा एन्डला
166	अन्तिम से 8	अ फलता	असफलता
178	,, 9	चाहता हूं कि इसके	चाहता हूं इसके
183	,, 6	बठे वठे	बैठे-बैठे
184	,, 12	ास्पीटल	हास्पीटल
195	,, 11	बनाय	बनाये
205	,, 8	बचारे	बेचारे
206	,, 5	ॉर	टॉर
207	3	दे ा	देना
217	11	[स्पनी	स्टेपनी
223	17	हैल्य	हैल्य
225	2	पर्प्त	पर्याप्त
226	15	समझता	सोचता
226	अन्तिम से 6	सामन	सामने
227	13	आदमी ने दी चिट्ठी	आदमी ने चिट्ठी
227	अन्तिम से 2	रिकडे	रिकॉर्ड
229	,, 5	बेगी	बढ़ेगी
243	,, 8		दें
245	,, 5	तफान	तूफान
249	14	फायदा में उठायें	फायदा उठायें
251	अन्तिम से 3	समय-सचक	समय-समाप्ति-सूचक
254	10	डिस्ट्रक्ट	डिस्ट्रिक्ट
255	अन्तिम से 4	गलन	गैलन

1	2	3	4
258	अन्तिम से 11	टूब	ट्यूब
265	15	न ी नाले	नदी नाले
273	अन्तिम से 8	अब में मेडिकल	मेडिकल
286	1	श्री गोकुल साद शर्मा	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
305	9	पोस्ट मार्टम	पोस्ट मार्टम
310	2	घं	घंटे
319	अन्तिम से 10	आपके	आपको
321	,, 10	ख ीदना	खरीदना
331	12	यूटर	ट्यूटर
342	3	सलिये	इसलिये
342	15	सन्टर	सेन्टर
357	13	ीक	ठीक
357	16	यीज	बीच
359	7	व	बड़
359	अन्तिम से 14	जल ी	जल्दी
360	11	टष्टि	दृष्टि
361	3	न्डस्ट्रीज	इन्डस्ट्रीज
361	4	सी	इसी
361	9	,,	,,
365	2	हजा ों	हजारों
365	15	भूमरलाल	झूमरलाल
367	10	स	सर्वे
382	17	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
392	अन्तिम से 8	बू ी	बूंदी
418	,, 14	ने	नये
418	,, 2	पडगे	पड़ंगे
422	2	सामन	सामने
432	अन्तिम	सियेटक्स	सियेटिक्स
436	,, से 9	कि	किये